एमएमटीसी
लिमिटेड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

48वीं वार्षिक रिपोर्ट

जीवन स्पंदन: मूल्य संवर्धन

2010-2011

सौन्दर्य
की अनुभूति

PURITY 92.5% GUARANTEED

साँची
सिल्वर इन स्टाइल

एमएमटीसी आपके लिये लाया है सिल्वरवेयर का उत्कृष्ट कलेक्शन, जो आपकी जीवन–शैली की समृद्धि को बढ़ाता है।

कलात्मक कलाकृतियों के आकर्षक संग्रह में से चुनिये, जो बनाते है यादगार और टिकाऊ उपहार वस्तुएं।

शुद्धता जिस पर आप करें सदा **विश्वास...**

• सजावटी उत्पाद • उपयोगी उत्पाद • मेज का समान • धार्मिक उत्पाद

MMTC JEWELS

For your Institutional Bulk Orders / Corporate Purchases, please contact : MMTC Limited, Core-1, Scope Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi - 110003, Ph.: 011-24363563

For all your purchases during the festive season and throughout the year, visit our MMTC Jewels showrooms at : Delhi - MMTC Limited, Core-1, Scope Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi - 110003, Ph.: 011-24365805, MMTC Limited, F-8-11, Jhandewalan Flatted Factories Complex, Rani Jhansi Road, New Delhi - 110055, Ph.: 011-23513739, **IPL Swaranlaya**: Indian Potash Limited, Potash Bhawan, 10 B, Rajendra Park, Pusa Road, New Delhi - 110 060, Ph.: 25761540, 25732438.

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

For nearest MMTC showroom / stockists and enquiries call our **All India Toll Free No. 1800 1800 000** (9 am to 9 pm)
For exciting display of Sanchi Silverware & Medallions log on to **www.mmtcretail.com**

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

विषय सूची

कारपोरेट मिशन/कारपोरेट उद्देश्य	2
एमएमटीसी वर्तमान में/विशेषताएं/रणनीतिक पहल	3
कार्यनिष्पादन– एक नजर में	4
अध्यक्ष का वक्तव्य	5
निदेशक मंडल	10
निदेशकों की रिपोर्ट	12
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	21
कारपोरेट गवर्नेंस	28
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	42
दशक : एक नजर	44
निधियों के स्रोत एवं उनका उपयोग	45
वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों के विवरण	46
मूल्यसंवर्धन विवरण	47
वस्तुवार कार्य–निष्पादन	49
देशवार निर्यात तथा आयात	52
राजकोष में अंशदान	54
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	100
समेकित वित्तीय विवरण	116
एमएमटीसी लेखा परीक्षक	154
एमएमटीसी बैंकर्स	155
एमएमटीसी कार्यालय	156

कारपोरेट मिशन

भारत की विशालतम व्यापारिक कंपनी तथा एशिया की एक प्रमुख व्यापारिक कंपनी होने के नाते अपने सभी कार्यकलापों में उत्कृष्टता लाकर विकास की टिकाऊ तथा व्यावहारिक दर प्राप्त कर अपनी स्थिति और मजबूत करना तथा शेयरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, कर्मचारियों तथा समाज को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करते हुए अधिकतम लाभ अर्जन करना एमएमटीसी का लक्ष्य है।

कारपोरेट उद्‌देश्य

- विश्व स्तर पर व्याप्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के माहौल में कार्यशील रहते हुए, विशेषकर थोक व्यापार के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर, स्वयं को एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित करना तथा लगाई गई पूंजी पर समुचित लाभ कमाना।
- खनिजों, धातुओं तथा बहुमूल्य धातुओं जैसे उत्पादों के व्यवसाय में देश की एकल विशालतम कंपनी के स्थान को बनाए रखना।
- सभी श्रेणी के ग्राहकों को व्यावसायिकता तथा कुशलता के साथ उत्तम सेवाएं प्रदान करना।
- मध्यम व लघु उद्योगों को सहायक सेवाएं मुहैया कराना।
- वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर ही कारगर व्यवस्था स्थापित करना।
- व्यापार से संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन देना।

एमएमटीसी वर्तमान में

- भारत की विशालतम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी
- भारत से खनिजों के निर्यात के मामले में सबसे बड़ा निर्यातक, पिछले 20 वर्षों सें लगातार कैपेक्सिल पुरस्कार प्राप्तकर्ता
- देश में बुलियन तथा अलौह धातुओं का एकल सबसे बड़ा आयातक/सप्लायर/कृषि, उर्वरक, कोल एवं हाइड्रोकार्बन के क्षेत्रों में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी
- भारत में 56 स्थानों पर कार्यालय, वेयरहाउसिस, पोर्ट ऑफिस तथा रिटेल आउटलेट्स
- सिंगापुर में सहायक कंपनी(एमटीपीएल) जिसे '' ग्लोबल ट्रेडर प्रोग्राम''(जीटीपी) का दर्जा प्राप्त है।
- प्रोमोटेड प्रोजेक्ट नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल) के 1.10 मिलियन टन उत्पादन क्षमता वाले ओडिशा स्थित आयरन एवं स्टील प्लांट के माध्यम से संवर्धित उत्पाद उपलब्ध कराता है।

रणनीतिक पहल

- इंडिया बुल्स के साथ मिलकर कमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के साथ मिलकर सोने/चांदी के मेडालियन बनाने के लिए संयुक्त उद्यम के रूप में एक यूनिट स्थापित करना।
- एन्नोर पोर्ट पर संयुक्त उद्यम के रूप में आयरन ओर की लोडिंग के लिए एक स्थाई बर्थ स्थापित करना।
- एमएमटीसी को आबंटित कोल ब्लॉक का अन्वेषण फिजीबिलिटी स्टडी जारी।
- पारादीप में संयुक्त उद्यम के रूप में डीप ड्राउट आयरन ओर लोडिंग बर्थ विकसित की।
- कर्नाटक में पवन आधारित ऊर्जा उत्पादन प्रोजेक्ट उत्पादन के लिए तैयार है।

वर्ष 2010–11 के कार्य निष्पादन की विशेषताएं

- 633008 मिलियन रुपए का अब तक का सर्वाधिक आयात
- 390 मिलियन रुपए की प्रति कर्मचारी की सर्वाधिक बिक्री
- 688545 मिलियन रुपए अब तक का सर्वाधिक कारोबार

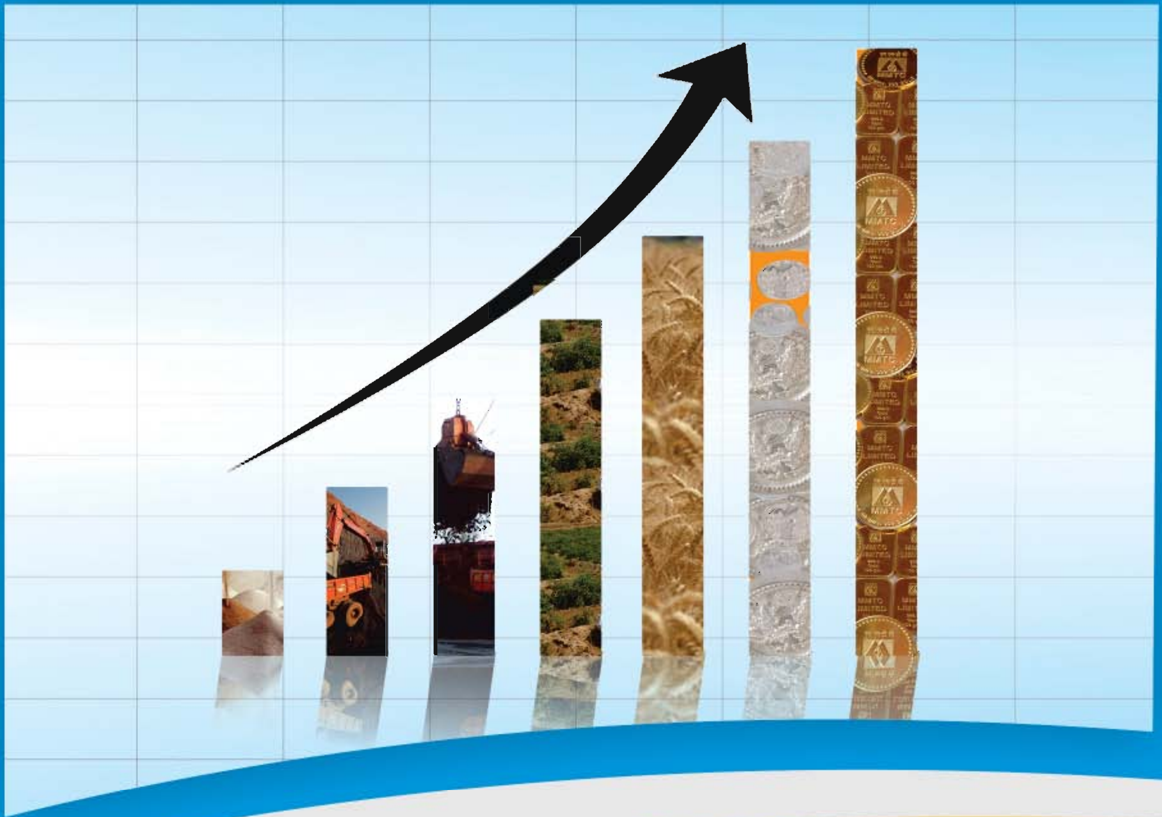

कार्यनिष्पादन पर एक नजर

(मिलियन रुपए)

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	2011	2010	2009
कुल बिक्री	**688545**	451242	368207
जिसमें शामिल हैं–			
निर्यात	**36934**	32228	45759
आयात	**633008**	399690	306951
घरेलू	**18603**	19324	15497
व्यापारिक लाभ	**3300**	3176	3209
अन्य स्रोतों से आय	**5104**	6639	8354
कर पश्चात् लाभ	**1216**	2162	1402
वर्ष की समाप्ति पर			
कुल परिसंपत्तियां	**127098**	118394	106098
नेटवर्थ	**13797**	12871	11176
प्रति शेयर (रुपए)			
अर्जन	**1.22**	43.25	28.04
लाभांश	**0.25**	9.00	8.00
शेयर पूंजी के अनुपात में नेटवर्थ(गुणा)	**13.8**	25.7	22.3
नियोजित पूंजी के अनुपात में कर पश्चात लाभ (%)	**14.1**	21.8	16.4
नेटवर्थ के अनुपात में कर पश्चात लाभ(%)	**8.81**	16.8	12.5
प्रति कर्मचारी बिक्री(मिलियन रुपए)	**389.7**	245.5	195.6

30 सितम्बर, 2011 को आयोजित 48वीं वार्षिक बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण

प्रिय शेयर धारकगण,

कंपनी के 48वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मिनरल्स एंड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन के नाम से आरंभ होने वाली एमएमटीसी ने विगत वर्षों की अपनी यात्रा के दौरान आज एक विविध वस्तु व्यापारिक कंपनी का स्वरूप धारण कर लिया है और यह उर्वरकों, कृषि उत्पादों, बहुमूल्य धातुओं, कोयला तथा हाइड्रोकार्बन के साथ–साथ सामान्य व्यापार के क्षेत्रों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन के रूप में एमएमटीसी ने स्थायी तथा लाभप्रद विकास में सफलता के नए मानदंड स्थापित किए हैं।

दुनिया भर में कारोबार करने वाली एमएमटीसी जैसी सार्वजनिक उपक्रम में एक स्वस्थ वित्तीय निष्पादन सिद्धांत का होना जरूरी है। मुझे एमएमटीसी द्वारा पिछले वर्ष किए गए वित्तीय निष्पादन पर प्रकाश डालने की अनुमति दें।

परिचालन परिणाम

परिचालन के अनिश्चित वातावरण और सामग्रियों की बढ़ती हुई कीमत के बावजूद आपकी कंपनी ने लगातर सातवीं बार अब तक का सर्वाधिक कारोबार किया । आपकी कंपनी ने वर्ष 2010–2011 के दौरान 688,545 मिलियन रुपए का कुल कारोबार किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 53% अधिक है। यह 1963 में एमएमटीसी की स्थापना के बाद से अब तक का सर्वाधिक कारोबर है जिसमें 36934 मिलियन रुपये का सर्वाधिक निर्यात, अब तक का सबसे अधिक आयात 6,33,008 मिलियन रुपये और घरेलू व्यापार 18,603 मिलियन रुपए रहा। आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के व्यापार लाभ 3176 मिलियन रुपये की तुलना में 3,300 मिलियन रुपये अर्जित किया। परिचालन लागतों में बढ़ोतरी के बावजूद आपकी कंपनी ने वर्ष 2010–2011 के दौरान 1216 मिलियन रुपये का

शुद्ध लाभ अर्जित किया। वर्ष 2010–2011 में 1 रुपये के अंकित मूल्य पर आय 1.22 रु. रहा। एमएमटीसी उन गिनी चुनी कंपनियों में से है जिसे दीर्घावधि ऋण शून्य होने का गौरव प्राप्त है। आपकी कंपनी के पास 13797 मिलियन रुपये का नेटवर्थ है जिसने अपनी स्थापना वर्ष से अब तक 5087 मिलियन रुपये का डिविडेंट भुगतान के अतिरिक्त, बोनस इश्यू में कुल 970 मिलियन रुपये का भुगतान किया है। वर्ष 2010 के दौरान आपकी कंपनी के 10 रुपये अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों को 1/– रुपए अंकित मूल्य वाले 10 शेयरों में उप विभाजित किया। साथ ही दिनांक 5 अगस्त 2010 को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर भी जारी किए गए जिसके परिणामस्वरूप आपकी कंपनी की इक्विटी पूंजी 10 रुपए प्रति शेयर मूल्य के 50 मिलियन शेयरों के 500 मिलियन रुपए से बढ़कर 1 रुपऐ प्रति शेयर मूल्य के 1000 मिलियन शेयरों के 1000 मिलियन रुपए हो गई। निदेशक मंडल ने वर्ष 2010–2011 के लिए कंपनी की बढ़ी हुई बोनस इक्विटी के पश्चात् बढ़ी हुई पूंजी पर 25 प्रतिशत लाभांश घोषित करने की सिफारिश की है।

सहायक कंपनी

आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड (एमटीपीएल) सिंगापुर की स्थापना 1994 में सिंगापुर के नियमों के अंतर्गत 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शेयर–पूंजी से की गई। वर्ष 2010–2011 के दौरान, एमटीपीएल ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक का सर्वाधिक 710 मिलियन अमेरिकी डालर का कारोबार किया। वर्ष 2010–2011के दौरान एमटीपीएल का कर पश्चात् लाभ 2.32 मिलियन अमेरिकी डालर रहा । 31 मार्च, 2011 को एमटीपीएल का कुल नेटवर्थ 18.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। अपनी स्थापना के बाद से अब तक अपने कुल नेटवर्थ में 18 गुणा वृद्धि दर्ज करने के अतिरिक्त वित्त वर्ष 2000 से ही एमटीपीएल को इंटरनेशनल इंटरप्राइज सिंगापुर का ''ग्लोबल ट्रेडर'' (जीटी) का प्रतिष्ठित दर्जा हासिल करने का गौरव प्राप्त है।

एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत परियोजना – नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)

विविधीकरण व्यापारिक गतिविधियों के मूल्य संवर्धन की रणनीति के रूप में आपकी कंपनी ने ओड़िशा सरकार के साथ मिलकर नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) की स्थापना की है। इस लौह एवं इस्पात संयंत्र की क्षमता 1.1 मिलियन टन के अतिरिक्त 0.8 मिलियन टन कोक ओवन संयंत्र के साथ–साथ सह उत्पाद के रूप में कैप्टीव ताप संयंत्र भी है। इस परियोजना के पास लौह अयस्क के पक्के स्रोत के साथ–साथ 150 मिलियन टन का अनुमानित अधिशेष हेतु कैप्टिव लौह अयस्क खनन अधिकार भी है। 18550 मिलियन रुपए की परियोजना लागत के साथ संयंत्र का दूसरा चरण (इस्पात उत्पादन सुविधा) पूरा होने के अपने अंतिम चरण में है तथा इसके द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक कार्य आरंभ कर देने की संभावना है वास्तव में ट्रायल उत्पादन आरंभ समग्र लौह तथा इस्पात कंपनी विनिर्माण संयंत्र कंपनी की दिशा में एक और कदम है। वर्ष 2010–2011 के दौरान एनआईएनएल का कुल बिक्री कारोबार 16158 मिलियन रुपए रहा जिसमें 405,900 टन का पिग आयरन, जिसका मूल्य 8237 मिलियन रुपए, पिग आयरन की घरेलू बिक्री 114,491 टन जिसका मूल्य 2553 मिलियन रुपए तथा 156277 टन ब्लास्ट फर्नेस कोक जिसका मूल्य– 2,814 मिलियन रुपए का, शामिल है।

भावी दृष्टिकोण

विश्व व्यापार की गतिशीलता तथा अवसरों ने बहुपक्षीय –व्यापार के लिए प्लेटफार्म प्रदान किया जिसने कि हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रणनीति और प्राथमिकताओं में निरंतर समायोजन के लिए प्रेरित किया। आपकी कंपनी ने अपनी मूल क्षमताओं के क्षेत्रों में उभरते हुए अवसरों और विकास स्थिति की पड़ताल करते हुए संगठनों के व्यापारिक सुसाध्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का विस्तार करती रही, जिसमें प्रभावी मूल–भूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपकी कंपनी ने अनेक संयुक्त उद्यमों तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी का मार्ग अपनाया है। इन मूल्य संवर्धक गुणकों के द्वारा आपकी कंपनी के भविष्य को स्थायित्व मिलेगा, इनमें निम्न शामिल हैं:

(i) आपकी कंपनी ने ''इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड'' को प्रोन्नत करने में अपनी हिस्सेदारी की है जिसने नवम्बर 2009 में अपना परिचालन आरंभ किया। इसी प्रकार ''यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड'' के नाम से एक करेंसी फ्यूचर एक्सचेंज स्थापित करने में भागीदारी निभाई। इसने सितम्बर,

2010 से अपना परिचालन आरंभ कर दिया है।

(ii) आपकी कंपनी ने एक अंतर्राष्ट्रीय उत्पादककर्ता के साथ मिलकर एक स्वर्ण/रजत मेडालियन विनिर्माण यूनिट की स्थापना की है जिसमें स्वर्ण परिशोधन (रिफाइनरी) ''पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड'' के नाम और स्टाइल से स्थापित है। इस संयुक्त उद्यम के मेडालियन विनिर्माण इकाई को अप्रैल 2011 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है। इस यूनिट के परिशोधन उत्पाद के साथ–साथ अन्य स्त्रोतों से आभूषणों के प्रभावी विपणन के लिए आपकी कंपनी ने एक मशहूर रिटेल स्टोर चेन के साथ हिस्सेदारी की है। यह देश के विभिन्न भागों में फैली है। यहां मेडालियन, आभूषण तथा सांची सिल्वरवेयर के अपने उत्पाद रखे जाएंगे। इसके लिए 'एमएमटीसी–गीतांजलि प्राइवेट लिमिटेड' नाम से स्पेशल परपस बेहिकल स्थापित की गई और भारत के 17 विभिन्न शहरों में इसके आउट–लेट पहले ही खोले जा चुके हैं।

(iii) आपकी कंपनी ने एसआईसीएएल और एलएंडटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ मिलकर मैसर्स स्किल आयरन–ओर लिमिटेड चेन्नै के नाम से एन्नोर पोर्ट पर लौह–अयस्क लोडिंग सुविधा–युक्त स्थायी बर्थ का निर्माण किया है। बर्थ अक्तूबर 2010 से परिचालन के लिए तैयार है किंतु कर्नाटक सरकार द्वारा लौह–अयस्क के निर्यात पर लगे प्रतिबंध के कारण अभी तक इस टर्मिनल को औपचारिक रूप से परिचालित नहीं किया गया है। जब भी निर्यात आरंभ किया जाएगा, यह टर्मिनल ऐसे निर्यात के लिए महत्वपूर्ण जरिया बनेगा।

(iv) आपकी कंपनी उड़ीसा में नोबल ग्रुप लिमिटेड और गैमन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना लिमिटेड के साथ मिलकर ब्लूवाटर आयरन–ओर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पारादीप पोर्ट (उड़ीसा) पर डीप–ड्राउट आयरन–ओर–बर्थ का विकास कर रही है। इसके लिए संबंधित प्राधिकारी से वन–विभाग का क्लीअरेंस प्राप्त कर लिया गया है। यह परियोजना अभी प्रारंभिक अवस्था में है तथा वर्तमान वर्ष के अंत तक इस पर कार्य आरंभ होने की संभावना है।

(v) खनन अन्वेषण में निवेश के लिए आपकी कंपनी ने मैसर्स टाटा स्टील के साथ मिलकर टीएम माइनिंग लिमिटेड के नाम से भारत तथा विदेशों में खनिजों, लौह तथा अलौह धातुओं और बहुमूल्य धातुओं, हीरे तथा कोयले आदि के अन्वेषण तथा विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की है।

(vi) आपकी कंपनी को झारखंड राज्य में एक कोयला ब्लाक आबंटित किया गया है जिसमें कोयले का 700 मिलियन मिट्रिक टन आरक्षित भंडार आंका गया है। इसके लिए संबंध प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी हो चुका है तथा इसकी संभाव्यता अध्ययन पूरा किया जा चुका है। कोयला ब्लाक के अन्य अन्वेषण के लिए भूभौतिकी रिपोर्ट/माइनिंग प्लान आरंभ किया जा चुका है।

इस प्रकार आपकी कंपनी ने भविष्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए हैं और भविष्य में भी ऐसे कदम उठाती रहेगी ताकि व्यवसाय के क्षेत्रों में इसकी वर्तमान महत्वपूर्ण स्थान को बनाए रखा जा सके।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व

आपकी कंपनी जिम्मेदार सिटिजन है जो आवश्यक होने पर स्त्रोतों तथा मानव संसाधन के माध्यम से सहयोग करती है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व को कारपोरेट नीति के अंतर्गत 2006–07 में निर्धारित दिशा–निर्देशो के माध्यम से अपनाया गया। इसका ध्यान स्वास्थ्य, शिक्षा, कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ–साथ सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी करना है, जिनमें प्राकृतिक आपदा के समय सहायता प्रदान करना भी शामिल है। सीएसआर नीति को सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 2010–11में निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुरूप लागू किया गया है। वर्ष 2010–11 के दौरान समाज के वंचित समुदायों के बीच शिक्षा के आधारभूत ढांचे के निर्माण के साथ सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में साक्षरता को बढ़ावा देने, कम्प्यूटर शिक्षा, पेयजल तथा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। आपकी कंपनी ने खेल–कूद, कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने में भी अपना योगदान किया। वर्ष के दौरान बेल्लारी बड़बिल तथा जाजपुर (ओड़िशा) में पौधारोपण तथा जाजपुर में सिंचाई के लिए चैकडेम निर्माण सुविधा पर कार्य भी किया । इस पर कुल 36.15 मिलियन रुपए खर्च किए गए।

एमएमटीसी में कारपोरेट गर्वनेंस

आपकी कंपनी उच्च स्तर की पारदर्शिता मानकों के सिद्धांत के

अनुरूप गर्वनेंस मानकों को बढ़ावा देते हुए सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्प है। कंपनी विश्वास और निष्ठा, निष्पादन, अभिमुखता, उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारी, विशेषज्ञता, सामाजिक सकारात्मकता, समुचित व्यवसाय प्रचालन और स्वानुशासन, स्टेक होल्डर्स जिसमें निवेशक, निदेशक, कार्मिक, आपूर्तिकर्ता, खरीददार या सामान्यतः समुदाय के मूल्य संवर्धन में टिकाऊ वृद्धि के अनुरूप कारपोरेट गवर्नेंस के सिद्धातों के समर्थन हेतु निरंतर समर्पित हैं। आपकी कंपनी में गवर्नेंस को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए जुलाई 2011 से चार नए स्वतंत्र निदेशकों को शामिल किया गया है जो संबंद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं।

आभार

आपकी कंपनी के सभी स्तर के कार्मिक आपकी कंपनी को विश्व स्तर पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे सभी शेयरधारकों के लिए मूल्यसंवर्धन करने के लिए स्वतः ही आगे बढ़कर अधिकाधिक प्रयास करने के लिए सदा तत्पर हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी हमारे सामूहिक उद्देश्यों और प्रयासों के समर्थन में उत्साहपूर्वक हमारे साथ हैं।मैं निदेशक मंडल तथा कंपनी के कार्मिकों की ओर से वाणिज्य विभाग, सभी सरकारी एजेंसियों, आरबीआई, अन्य बैकों, रेलवे, ग्राहकों, बंदरगाहों, एनएमडीसी तथा आपूर्तिकर्ताओं के योगदान, सहयोग तथा उत्साहवर्धन के लिए उन्हें अपना आभार व्यक्त करती हूं।

और अंत में, मैं आपके योगदान तथा कंपनी के निदेशक मंडल और प्रबंधन में व्यक्त किए गए आपके विश्वास की भी सराहना करती हूँ।

मुझे ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली,

30 सितम्बर, 2011

एमएमटीसी
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE

निदेशक मंडल

संजीव बत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
30.09.10 तक

विजयलक्ष्मी जोशी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
22.07.11

एच एच मान
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
6.10.10 से 22.07.11 तक

सरकार के नामिनी निदेशक

डा सुतानु बेहुरिया
6.10.10 तक

पी के चौधरी

सौरभ चंद्रा
6.10.10 से 7.12.10 तक

डा राजन कटोच
7.12.10 से

स्वतंत्र निदेशक

अनिल बैजल

अरूणा माखन

एच एल जुत्शी

अनिल राजदान
13.07.11 से

एस कृष्णन
14.07.11 से

जी एस वेदी
14.07.11 से

अरूण बालकृष्णन
16.07.11 से

फंक्शनल निदेशक

एस के कर
निदेशक(वित्त)
30.06.10 तक

ए महापात्र
निदेशक(कार्मिक)
30.07.10 तक

सुनीर खुराना
निदेशक(विपणन)

वेद प्रकाश
निदेशक(विपणन)

राजीव जयदेव
निदेशक (कार्मिक) 3.12.10 से

वरिष्ठ कार्यपालक

डी एस गंगवार
मुख्य सतर्कता अधिकारी
24.5.11 से

आर के चतुर्वेदी
मुख्य सतर्कता अधिकारी
23.5.11 तक

वाई एन भार्गव
31.08.10 तक

लेख चंद
30.04.10 तक

आशीष मजूमदार

प्रीति कौर

अशोक शर्मा

विलियम सल्दाना

आनंद त्रिवेदी

राजीव चौपड़ा

विजय पाल

एम जी गुप्ता

पी के दास

अश्विनी सोंधी

जे किशन

उमेश शर्मा

एम त्यागराजन

मनोहर बलवानी
(कंपनी सचिव)

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,
एमएमटीसी लिमिटेड,

देवियों एवं सज्जनों,

निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कार्यनिष्पादन की 48वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा अंकेक्षित लेखे विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

कार्यनिष्पादन परिणाम

आपकी कंपनी ने लगातार सातवें वर्ष सर्वाधिक कारोबार अर्जित करते हुए उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन किया। आपकी कंपनी ने वर्ष 2010–11 के दौरान 688,545 मिलियन रुपए का सर्वोच्च कारोबार किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 53% अधिक है। एमएमटीसी के स्थापना वर्ष 1963 से अब तक के इस सर्वोच्च व्यावसायिक कारोबार में 36,934 मिलियन रुपए का निर्यात, 633,008 मिलियन रुपए का अब तक का सर्वाधिक आयात तथा 18,603 मिलियन रुपए का घरेलू व्यापार शामिल है। अन्य व्यापारिक अर्जन का योगदान 2,015 मिलियन रुपए है। कंपनी ने व्यापारिक लाभ पिछले वर्ष के 3,176 मिलियन रुपए की तुलना में 3,300 मिलियन रुपए अर्जित किया। वर्ष 2010–11 के दौरान आपकी कंपनी ने शुद्ध लाभ 1,216 मिलियन रुपए अर्जित किया।

वर्ष 2010–11 के कार्यनिष्पादन की विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

(रुपये मिलियन में)

	2009-10	2010-11
निर्यात	32,228	36,934
आयात	399,690	633,008
घरेलू	19,324	18,603
अन्य व्यापार अर्जन	1,397	2,015
शुद्ध बिक्री/व्यापारिक अर्जन	**452,639**	**690,560**
व्यापारिक लाभ	3,176	3,300
कर पूर्व लाभ	3,331	1,918
कर पश्चात् लाभ	**2,162**	**1,216**
लाभांश		
(i) प्रस्तावित लाभांश	450	250
(ii) लाभांश कर	75	41
रिजर्व तथा अधिशेष	**12,371**	**12,797**

कारोबार तथा कर पश्चात लाभ (पीएटी)

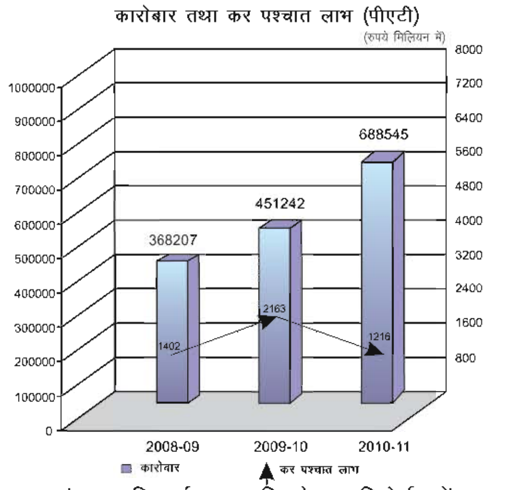

संलग्न "प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट" में आपकी कंपनी के विभिन्न व्यवसाय समूहों का कार्य–निष्पादन दर्शाया गया है, जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

पुरस्कार एवं रैंकिंग

वर्ष 2010–11 के दौरान आपकी कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार एवं रैंकिंग प्रदान की गई :

- वर्ष 2010–11 में खनिज व अयस्क के क्षेत्र में किए गए सर्वाधिक निर्यात के लिए कैपेक्सिल पुरस्कार (लगातार 20 वीं बार)
- ईईपीसी (उत्तरी क्षेत्र) द्वारा '' वर्ष 2008–09 के सर्वोच्च निर्यातक के लिए गोल्ड ट्राफी (मर्चेट एक्सपोर्टर)''।
- व्यापार के क्षेत्र में वर्ष 2010 के लिए डन एंड ब्राडस्ट्रीट (डीएंडबी) तथा रोल्टा कारपोरेट अवार्ड।
- बिजनेस टूडे ने अपने प्रकाशन ''बीटी 500–2010 पब्लिक सेक्टर कंपनीज'' में चौथा स्थान प्रदान किया।
- डन एंड ब्राडस्ट्रीट ने अपने प्रकाशन ''भारत की शीर्ष 500 कंपनीज 2010 तथा ''भारत के शीर्ष पीएसयूज 2011'' में आठवां स्थान प्रदान किया गया।
- बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा मार्च 2011 में जारी अपने प्रकाशन ''बीएस 1000'' में 11वां स्थान प्रदान किया गया।

इक्विटी शेयर पूंजी तथा लाभांश

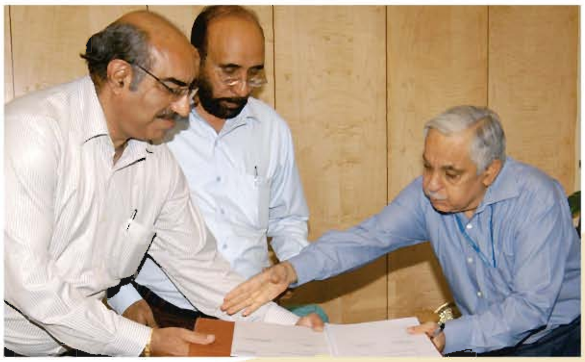

आलोच्य वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के 10/- रुपए प्रति शेयर के अंकित मूल्य को 10 शेयरों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 1/– रुपए रखा गया। 5 अगस्त 2010 को बोनस शेयरों को 1:1 के अनुपात में जारी किया गया। इसके परिणामस्वरूप आपकी कंपनी की इक्विटी पूंजी 500 मिलियन रुपए जिसमें 10/–रुपए प्रति शेयर की दर से 50 मिलियन शेयर हैं बढ़कर 1000 मिलियन रुपए हो गई जिसमें 1/– रुपए प्रति शेयर की दर से 1000 मिलियन शेयर हैं। निदेशक मंडल ने कंपनी की बढ़ी हुई पोस्ट बोनस इक्विटी पूंजी पर 25(%) लाभांश घोषित करने की सिफारिश की है।

रिजर्व

दिनांक 1.4.2010 को आपकी कंपनी के रिजर्व व अधिशेष में 12,371.47 मिलियन रुपये की राशि उपलब्ध थी। वर्ष 2010–11 के दौरान 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के लिए 500 मिलियन रुपए की राशि रिजर्व से ली गई। आपके निदेशकों ने लाभांश तथा कर भुगतान के बाद वर्ष 2010–11 के लाभ की उपलब्ध 925.88 मिलियन रुपये की राशि में से 130 मिलियन रुपये की राशि को कंपनी के सामान्य रिजर्व में अन्तरित करने तथा लाभ की 795.88 मिलियन रुपये की शेष राशि को आगे लाकर रिटेण्ड लाभ के रूप में रखने का प्रस्ताव किया है। तदनुसार 31 मार्च, 2011 को आपकी कंपनी के ''रिजर्व एवं अधिशेष'' में 12,797.35 मिलियन रुपये की राशि उपलब्ध होगी।

विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन

वर्ष 2010–11 के दौरान आपकी कंपनी के विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

	अर्जन		बहिर्गमन
	मिलियन रुपये		मिलियन रुपये
निर्यात	36,934.08	आयात	597,878.84
अन्य	142.16	ब्याज	323.26
		अन्य	3,124.12
कुल	37,076.24	कुल	601,326.22

सहायक कम्पनी

आपकी कम्पनी की, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) को सिंगापुर कानून के तहत अक्तूबर, 1994 में 1 मिलियन अमेरिकी डालर की शेयर पूंजी के साथ निगमित किया गया था। वर्ष 2010–11 के दौरान एमटीपीएल ने अपनी स्थापना से अब तक का 710 मिलियन अमेरिकी डालर का सर्वाधिक कारोबार किया है। वर्ष 2010–11 के दौरान एमटीपीएल ने 2.32 मिलियन अमेरिकी डालर का लाभ अर्जित किया। 31 मार्च, 2011 को एमटीपीएल का नेटवर्थ 18.23 मिलियन अमेरिकी डालर था। आपकी कंपनी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में निवेश की गई 1 मिलियन अमेरिकी डालर की पूंजी की तुलना में एमटीपीएल 8.27 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि लाभांश के रूप में भुगतान कर चुकी है तथा इसने अपनी स्थापना से अब तक अपनी नेटवर्थ में लगभग 18 गुणा वृद्धि कर ली है।

इंटरनेशनल इंटरप्राइज, सिंगापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2000 से प्रदान किए गए प्रतिष्ठित दर्जे ''ग्लोबल ट्रेडर'' (जीटी) को एमटीपीएल अभी तक कायम किए हुए है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के प्रावधानों के अनुसरण में एमटीपीएल के अंकेक्षित वित्तीय विवरण तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है।

एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत प्रोजेक्ट – नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल)

आपकी कंपनी ने उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर 1.1 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाला आयरन एंड स्टील प्लांट, 0.8 मिलियन टन कोक ओवेंस तथा कैप्टिव पावर प्लांट की सह उत्पाद यूनिट का नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) प्रोजेक्ट स्थापित किया है। प्रोजेक्ट को आयरन ओर की आपूर्ति किए जाने के लिए पक्के स्रोत हैं तथा लगभग 150 मिलियन टन रिजर्व के लिए कैप्टिव आयरन ओर के खनन अधिकार हैं। प्रोजेक्ट के फेज–II का निर्माण कार्य चल रहा है जिस पर लगभग 18,550 मिलियन रुपए की लागत आएगी। वर्ष 2010–11 के दौरान एनआईएनएल का बिक्री कारोबार 16,158 मिलियन रुपए का हुआ जिसमें 8,237 मिलियन रुपए का 405,900 टन पिग आयरन का निर्यात, 2,553 मिलियन रुपए मूल्य की 114,491 टन पिग आयरन की घरेलू बिक्री तथा 2,814 मिलियन रुपए मूल्य की 156,277 टन बीएफ कोक की बिक्री शामिल है।

भावी प्रोजेक्ट्स/संयुक्त उद्यम

आपकी कंपनी ने अपने वर्तमान व्यापारिक कार्यों में विविधीकरण लाने तथा मूल्यवर्धन करने के उद्देश्य से पब्लिक–प्राइवेट व्यवस्थाओं के माध्यम से अनेक रणनीतिक पहल की हैं। इन रणनीतिक पहलों, जिनसे आपकी कंपनी का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा, का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

(i) आपकी कंपनी ने ''इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड'' के नाम व स्टाइल के तहत एक कमोडिटी एक्सचेंज प्रोन्नत किया है जिसने नवंबर 2009 से कार्य

करना आरंभ कर दिया है।

(ii) आपकी कंपनी ''यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड'' के नाम एवं स्टाइल के अधीन करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंज की इक्विटी में भागीदारी कर रही है जिसका परिचालन कार्य सितंबर 2010 से प्रारंभ हो गया है।

(iii) आपकी कंपनी ने एक अंतर्राष्ट्रीय उत्पादक के साथ मिलकर गोल्ड/सिल्वर मेडालियन निर्माण यूनिट स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है जिसका ''एमएमटीसी–पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड'' के नाम व स्टाइल से एक गोल्ड रिफाइनरी होगी जो इसका एक अभिन्न अंग होगी। हरियाणा स्थित इस मेडालियन निर्माण यूनिट का सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा मेडालियन निर्माण यूनिट में ट्रायल उत्पादन फरवरी 2011 में शुरू हो गया है। उक्त मेडालियन निर्माण यूनिट में कमर्शियल उत्पादन अप्रैल 2011 से शुरू हो गया है।

iv) उपर्युक्त यूनिट में तैयार होने वाले उत्पादों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आभूषणों की प्रभावी मार्किटिंग हेतु आपकी कंपनी एक प्रमुख भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी मे भारत में विभिन्न स्थानों पर मेडालियंस, आभूषणों तथा इसके अपने 'सांची' ब्रांड के सिल्वरवेयर्स की बिक्री के लिए रिटेल स्टोर्स की श्रृंखला स्थापित कर रही है। इसके लिए 'एमएमटीसी–गीतांजलि प्राइवेट लिमिटेड' नाम एवं स्टाइल के तहत एक स्पेशल परपज़ व्हीकल एसपीवी निगमित किया गया है तथा भारत के विभिन्न शहरों/कस्बों में 17 रिटेल आउटलेट्स खोले गए हैं।

(v) आपकी कंपनी सिकाल और एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ मिलकर मेसर्स सिकाल आयरन ओर लिमिटेड, चेन्नै के नाम से एन्नोर पोर्ट पर लौह अयस्क लोडिंग सुविधा युक्त स्थायी बर्थ स्थापित कर रही है। बर्थ परिचालन के लिए अक्तूबर 2010 से तैयार है परंतु कर्नाटक सरकार द्वारा आयरन ओर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देने के कारण टर्मिनल को औपचारिक रूप से चालू नहीं किया गया है। निर्यात के पुनः शुरू हो जाने के बाद, टर्मिनल से इस प्रकार के निर्यात को महत्वपूर्ण आउटलेट प्राप्त होगा।

(vi) आपकी कंपनी नोबल ग्रुप लिमिटेड और गैमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ मिलकर मेसर्स

ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम एवं स्टाइल से पारादीप पोर्ट(उड़ीसा) पर डीप ड्राउट आयरन ओर बर्थ को विकसित कर रही है। प्रोजेक्ट अभी आरंभिक अवस्था में है तथा संबंधित अथारिटी से वन संबंधी क्लीयरेंस मिल जाने के बाद चालू कैलेंडर वर्ष के अंत तक निर्माण कार्य शुरू हो जाने की संभावना है।

(vii) देश तथा विदेशों में खनिजों, लौह तथा अलौह धातुओं और बहुमूल्य धातुओं, हीरे तथा कोयले आदि के अन्वेषण तथा विकास के लिए आपकी कंपनी ने खनन अन्वेषण में निवेश करने के लिए मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है।

(viii) दोतरफा व्यापार को प्रोमोट करने के लिए आपकी कंपनी स्पेशल इकॉनामिक ज़ोन की तर्ज पर हल्दिया तथा कांडला में फ्री ट्रेड तथा वेयरहाउसिंग जोंन स्थापित कर रही है। इस कार्य के लिए प्रोजेक्ट में रणनीतिक भागीदार शामिल करने हेतु प्रकिया शुरू कर दी है।

(ix) आपकी कंपनी को झारखंड राज्य में एक कोयला ब्लॉक आबंटित किया गया है जिसमें कोयले का लगभग 700 मिलियन मी. टन रिजर्व है। संबंधित अथार्टी द्वारा प्रोसपेक्टिंग लाइसेंस जारी कर दिया गया है तथा पूर्व–व्यावहारिक स्टडी पूरी हो चुकी है। जियोलाजिकल रिपोर्ट/माइनिंग प्लांस तैयार करने के लिए कोल ब्लाक के अन्वेषण के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

औद्योगिक संबंध तथा मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष के दौरान बिना किसी मानव दिवस की हानि के आपकी कंपनी में औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण बने रहे। कंपनी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ नियमित रूप से बैठकें की गईं ताकि कार्मिक मुद्दों को परस्पर सहमति के आधार पर हल किया जा सके।

दिनांक 31.03.2011 को कंपनी के कार्मिकों की कुल संख्या 1,767 थी जिसमें बोर्ड स्तर के 5 कार्यपालक, 584 अधिकारी, 1,094 स्टाफ तथा 84 कामगार शामिल थे। इस कर्मचारी संख्या में पूर्ववर्ती माइका ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जिसका बीआईएफआर के आदेश के अनुसार आपकी कंपनी में विलय हो गया था, के 20 अधिकारी 126 स्टाफ तथा 84 कामगार शामिल थे। कुल कर्मचारी संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 18.68%(330 महिला कर्मचारी) था तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व शारीरिक रूप से विकलांगों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 21% (371 कार्मिक), 7.53%(133 कार्मिक), 1.75%(31 कार्मिक) तथा 1.87%(33 कार्मिक) था। वर्ष के दौरान कैम्पस भर्ती के माध्यम से 21 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। भर्ती तथा पदोन्नति में एससी, एसटी, ओबीसी तथा पीडब्ल्यूडी के लिए सेवाओं में आरक्षण संबंधी राष्ट्रपति के अनुदेशों का पूर्णतया अनुपालन किया गया।

निरंतर बदलते व्यावसायिक परिदृश्य में कर्मचारियों की दक्षता में बढ़ोत्तरी/उन्नत करने हेतु वर्ष के दौरान 1,251 कार्मिकों को कंपनी के विभिन्न कार्यकलापों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण कंपनी की अपनी अनुभवी फैकल्टी तथा बाहरी विख्यात संस्थानों/संगठनों द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों में 182 कर्मचारी अनुसूचित जाति, 81 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति तथा 313 महिला कर्मचारी शामिल थे। जहां तक मानव दिवस का प्रश्न है वर्ष 2010–11 के दौरान कुल प्रशिक्षण अवधि 2,197 व्यक्ति दिवस रही।

राजभाषा कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन तथा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमएमटीसी द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान अनेक प्रभावी कदम उठाए गए यथा– कारपोरेट कार्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाओं, हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़े का आयोजन किया गया जिनके दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कंपनी में पहले से लागू हिंदी प्रोत्साहन योजनाओं के अतिरिक्त वर्ष के दौरान एक अन्य विशेष तिमाही प्रोत्साहन पुरस्कार योजना लागू की गई।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य समिति ने कंपनी के उप क्षेत्रीय कार्यालय कोचीन का निरीक्षण किया। माननीय समिति ने निरीक्षण के दौरान संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में बहुमूल्य सुझाव दिए।

सतर्कता

मूल्य आधारित प्रथाओं के माध्यम से कंपनी की साख एवं भरोसे को निरंतर बनाए रखने तथा कंपनी का संचालन पेशेवर ढंग से करने हेतु इसकी स्थिति को मजबूत बनाने, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाला संगठन बनाए रखने की दिशा में आपकी कंपनी के सतर्कता ग्रुप ने औचक निरीक्षण बढ़ाते हुए निवारक सतर्कता पर विशेष बल दिया। ग्रुप ने सिस्टेमैटिक तथा नियमित सतर्कता निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता निरीक्षण का समय रहते एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया। वर्ष के दौरान सतर्कता तथा गैर–सतर्कता अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए गए तथा प्राप्त फीडबैक के आधार पर सुधारात्मक/निवारक उपाय सुझाए गए। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यापार संबंधी ड्रिल्स/मैनुअल्स के अपडेशन, टेंडरिंग तथा अन्य प्रक्रियाओं को दुरुस्त बनाने पर विशेष बल दिया गया।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के सतर्कता समूह ने नवंबर 2010 के दौरान एमएमटीसी के विभिन्न कार्यालयों में 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' का आयोजन किया जिसमें कर्मचारियों तथा बिजनेस एसोसिएट्स में अधिक से अधिक सतर्कता जागरूकता पैदा करने पर बल दिया गया ताकि सार्वजनिक लेनदेन में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व

आपकी कंपनी अपनी स्थापना वर्ष 1963 से ही कारपोरेट नागरिक के रूप में उत्तरदायी रही है। जिसका प्रदर्शन इसने आवश्यकता की घड़ी में अपने संसाधनों तथा मैनपावर के माध्यम से किया है। कंपनी ने वर्ष 2006–07 से कारपोरेट सामाजिक दायित्व को विशिष्ट दिशा–निर्देशों के साथ एक पालिसी के रूप में अपना लिया था। सीएसआर का फोकस शिक्षा, हेल्थकेयर, कला व संस्कृति तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत सहित सामुदायिक कार्यकलापों पर है। वर्ष 2009–10 के दौरान लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी सीएसआर दिशा–निर्देशों में सीएसआर पालिसी को शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2010–11 के दौरान आपकी कंपनी का विशेष बल समाज में वंचित वर्गों तथा सुनामी प्रभावित लोगों के लिए शिक्षा संबंधी बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण, साक्षरता प्रोत्साहन, कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा तथा पीने के पानी व हेल्थकेयर संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर रहा। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने खेल, कला व संस्कृति के प्रोत्साहन में योगदान किया। इस अवधि के दौरान टिकाऊ विकास के लिए कदम उठाए गए जिनमें शामिल हैं – बेल्लारी(कर्नाटक) तथा जाजपुर व बरिल (उड़ीसा) में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए दो चेक डैम का निर्माण। वर्ष के दौरान किए गए इन कार्यों पर कुल 36.15 मिलियन रुपए की राशि खर्च की गई।

कारपोरेट गवर्नेंस

कारपोरेट गवर्नेंस उन सभी के लिए विशेष महत्व का क्षेत्र है जो संस्था के साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़े हैं, चाहे वे निवेशक, निदेशक, कर्मचारी, सप्लायर्स, ग्राहक अथवा सामान्य रूप में जनता हो। आपकी कंपनी निरंतर विकास तथा कारपोरेट गवर्नेंस की प्रथाओं को अपनाने तथा उनके समर्पण के प्रति अपनी आस्था को पुनः दोहराती है।

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीकरण समझौते में दिए गए खंड 49 के अनुपालन में कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी एक पृथक रिपोर्ट तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं, जो रिपोर्ट के अभिन्न अंग हैं।

आचार संहिता

स्टॉक एक्सचेजों के साथ हुए सूचीकरण समझौते में निहित खंड 49(आई)(डी) के अनुसरण में बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के संबंध में एक विस्तृत आचार संहिता निर्धारित की गई है तथा इस संहिता को आपकी कंपनी की वेबसाइट पर दिया गया है। बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों(एक को छोड़कर) जो दिनांक 31 मार्च, 2011 को कंपनी के नियमित रोल्स पर थे और जिन पर यह संहिता लागू होती है, ने 31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि के लिए संहिता के अनुपालन के लिए वचनबद्धता प्रकट की है। चूककर्ता महाप्रबंधक (जो अब निलंबित हैं) के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है।

सार्वजनिक जमा योजना

दिनांक 1 अप्रैल, 2010 को कोई भी सार्वजनिक जमा राशि बकाया नहीं थी तथा कंपनी ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी सार्वजनिक जमा राशि आमंत्रित / स्वीकार नहीं की ।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है जो वर्ष 2010–11 के लाभ को प्रभावित करती हो। सांविधिक लेखापरीक्षकों की संलग्न रिपोर्ट में की गई अन्य टिप्पणियों के विषय में ''टिप्पणियां जो लेखों के अभिन्न अंग हैं'' में आवश्यक प्रकटन किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अनुसरण में, कंपनी के लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां शून्य हैं। इस संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त दिनांक 17 अगस्त 2011 का पत्र इसके साथ संलग्न है।

ऊर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी के माइका ग्रुप का वर्ष 2010–11 के दौरान किसी भी प्रकार का परिचालन कार्य नहीं हुआ। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(i)(ई) के अनुसरण में ऊर्जा संरक्षण का विवरण इस रिपोर्ट में संलग्न है।

कर्मचारियों के विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के साथ पठनीय कंपनी (कर्मचारी विवरण) नियम, 1975 समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसरण में ऐसे कर्मचारियों के विवरण, जिन्हें वर्ष 2010–11 के दौरान 60 लाख रुपये से अधिक वर्षभर में अथवा 5 लाख रुपये प्रतिमाह की राशि पारिश्रमिक के तौर पर प्राप्त हुई है, इस रिपोर्ट में संलग्न किये गए हैं।

निदेशकों के दायित्वों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2एए) के प्रावधानों के अनुसरण में आपके निदेशकों का कथन है:–

i) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय मान्य लेखा मानकों का पालन किया गया है, ऐसा न होने की स्थिति में उपयुक्त स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

ii) निदेशकों ने उन लेखा नीतियों का चयन किया तथा उन्हें निरंतर अपनाया और ऐसे निर्णय व आकलन किए जो वित्त वर्ष के लिए कंपनी के कार्यकलापों तथा दिनांक 31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ की सत्य व सही स्थिति दर्शाने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।

iii) कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताएं रोकने तथा उनका पता लगाने के संबंध में लेखों का समुचित रिकार्ड रखने के लिए निदेशकों ने उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया।

iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को प्रचलित प्रथाओं(गोइंग कन्सर्न) के आधार पर तैयार किया है।

निदेशक मंडल

दिनांक 1 अप्रैल 2010 से निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :–

- श्री एस.के.कर ने सुपरएनुऐशन के कारण 30 जून 2010 को पूर्णकालीन निदेशक(वित्त) का पदभार छोड़ा।
- श्री ए. महापात्र ने सुपरएनुऐशन के कारण 30 जुलाई 2010 को पूर्णकालीन निदेशक(कार्मिक) का पदभार छोड़ा।
- श्री संजीव बत्रा ने सुपरएनुऐशन के कारण 30 सितंबर 2010 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार छोड़ा।
- श्री एच.एस. मान, निदेशक(विपणन) ने 6 अक्तूबर, 2010 से 22 जुलाई 2011 तक सीएमडी पद का अतिरिक्त पदभार संभाला।
- डा. एस. बेहुरिया ने एमएमटीसी बोर्ड के अंशकालीन निदेशक का प्रभार छोड़ा तथा श्री सौरभ चंद्रा, एएसएंडएफए, डीआईपीएंडपी एवं वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 6 अक्तूबर 2010 से डा. एस. बेहुरिया के स्थान पर एमएमटीसी बोर्ड के अंशकालीन निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- श्री सौरभ चंद्रा ने एमएमटीसी बोर्ड के अंशकालीन निदेशक का प्रभार छोड़ा तथा डा. राजन कटोच, एएसएंडएफए, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 7 दिसंबर 2010 से श्री सौरभ चंद्रा के स्थान पर एमएमटीसी बोर्ड के अंशकालीन निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- श्री राजीव जयदेव ने 3 दिसंबर 2010 से एमएमटीसी बोर्ड में पूर्णकालीन निदेशक(कार्मिक) का पदभार ग्रहण किया।
- श्री अनिल राजदान ने 13 जुलाई 2011 से एमएमटीसी बोर्ड में अंशकालीन नॉन आफिसिएल (स्वतंत्र) निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- श्री एस. कृष्णन ने 14 जुलाई 2011 से एमएमटीसी बोर्ड में

अंशकालीन नॉन आफिसिएल (स्वतंत्र) निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- श्री जी.एस.वेदी ने 14 जुलाई 2011 से एमएमटीसी बोर्ड में अंशकालीन नॉन आफिसिएल (स्वतंत्र) निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- श्री अरूण बालाकृष्णन ने 16 जुलाई 2011 से एमएमटीसी बोर्ड में अंशकालीन नॉन आफिसिएल (स्वतंत्र) निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- श्री एच.एस. मान ने दिनांक 22 जुलाई 2011 को निदेशक(विपणन) तथा सीएमडी के अतिरिक्त पदभार को छोड़ा।

- श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 22 जुलाई 2011 से श्री एच.एस. मान के स्थान पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया।

बोर्ड डा. एस. बेहुरिया, श्री सौरभ चंद्रा, श्री संजीव बत्रा, श्री एस.के. कर, श्री ए. महापात्र तथा श्री एच.एस.मान द्वारा बोर्ड तथा इसकी समितियों के कार्य संचालन में दी गई सराहनीय सेवाओं तथा योगदान के लिए प्रशंसा करता है। बोर्ड श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी, डा. राजन कटोच, श्री राजीव जयदेव, श्री अनिल राजदान, श्री एस. कृष्णन, श्री जी.एस. वेदी व श्री अरूण बालकृष्णन का स्वागत करता है तथा विश्वास व्यक्त करता है कि कंपनी को इनके व्यापक एवं विविध प्रकार के अनुभव से काफी लाभ मिलेगा ।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद संख्याः 87(4)(ए) के प्रावधानों, जो निदेशकों के रोटेशनल रिटायरमेंट से संबंधित हैं, के अनुसार श्रीमती अरूणा माखन, नॉन आफिसिएल अंशकालीन निदेशक, श्री पी.के. चौधरी, सरकार के नामिनी अंशकालीन निदेशक, श्री वेदप्रकाश, निदेशक (विपणन), श्री अनिल बैजल, नॉन आफिसिएल अंशकालीन निदेशक वार्षिक आम बैठक में रिटायर होंगे तथा पात्र होने पर उन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति का आफर किया है।

आभार

आपके निदेशक सभी स्टेकहोल्डर्स–शेयरहोल्डर्स, वाणिज्य विभाग, सभी सरकारी एजेंसियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा अन्य बैंकों, रेलवे, सीमा–शुल्क विभाग, पोर्ट्स, एनएमडीसी, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं, अन्य बिजनेस भागीदारों के प्रति उनके द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए बहुमूल्य समर्थन एवं सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशक कंपनी के सभी कार्मिकों के प्रभावी एवं कठिन परिश्रम तथा कंपनी की प्रगति में उनके निरंतर सहयोग की सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

(विजयलक्ष्मी जोशी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 18.08.2011

प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट 2010–11

वर्ष 2010 में विश्व स्तर पर हुए घटनाक्रम पर एक नजर

विश्व व्यापार संगठन के अर्थशास्त्रियों के अनुसार विश्व व्यापार प्रवाह ने वर्ष 2009 में गिरावट के बाद वर्ष 2010 में पुनः तेजी पकड़ ली है। वर्ष 2010 में माल निर्यात में वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप विश्व व्यापार उसी स्तर पर आ गया जो संकट से पूर्व की अवधि में था, परंतु यह लंबी अवधि का रूझान नहीं है। विकसित तथा विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक परिस्थितियों में सुधार जारी रहा परंतु विकसित देशों में व्यापार तथा आउटपुट के सुधार की गति धीमी थी। विश्व व्यापार में वर्ष 2010 के दौरान अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई चूंकि मर्चेंडाइज निर्यात में 14.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) के अनुसार विश्व उत्पादन में 3.6 प्रतिशत का उछाल आया। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार तथा उत्पादन तेजी से बढ़ा। मर्चेंडाइज निर्यात् वर्ष 2010 के दौरान मात्रा के हिसाब से 14.5 प्रतिशत बढ़ा जबकि विश्व आयात में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कमोडिटी मूल्यों में हुई बढ़ोतरी तथा यूएस करेंसी के मूल्यह्रास के कारण वर्ष 2010 में विश्व व्यापार में डालर के मूल्य में मात्रात्मक वृद्धि की तुलना में अधिक बढ़ोतरी हुई।

वर्ष 2011 की संभावनाओं के संबंध में डब्ल्यूटीओ के अर्थशास्त्रियों की राय में वर्ष 2010 के बड़े अर्जन के आधार पर विश्व व्यापार प्रवाह में निरंतर सुधार हो रहा है। यद्यपि यह धीमा है परन्तु कभी भी वर्ष 2011 में यह औसत वृद्धि से थोड़ा अधिक ही है। तथापि, मध्य पूर्व एवं जापान की हाल में हुई घटनाओं ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का स्तर बढ़ा दिया है और जोखिम संतुलन को नीचे की तरफ मोड़ दिया है। डब्ल्यूटीओ अर्थशास्त्री वर्ष 2011 में विश्व व्यापार की आधारपंक्ति संभावनाओं के अनुसार निर्यात में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि की आशा कर रहे हैं जिसमें विकसित देशों के माल लदान में लगभग 4.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं तथा सीआईएस से 9.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

वर्ष 2010–11 के दौरान भारत में हुए घटनाक्रम पर नजर

संसद के समक्ष बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2010–11 में भारत की वृद्धि तीव्र एवं व्यापक रही है। अर्थव्यवस्था अपने संकट–पूर्व वृद्धि प्रक्षेप–पथ(ट्रेजेक्टरी) पर वापस आ गई है। जहाँ कृषि ने वृद्धि में वापसी दर्ज की है वहीं दूसरी ओर उद्योग क्षेत्र अपनी पूर्व गति पुनः प्राप्त कर रहा है। सेवा क्षेत्र में लगभग दो अंकों में वृद्धि जारी है। वित्तीय दृढ़ीकरण प्रभावोत्पादक रहा है। वर्ष 2010–2011 में वास्तविक रूप में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 8.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है और वर्ष 2011–12 में

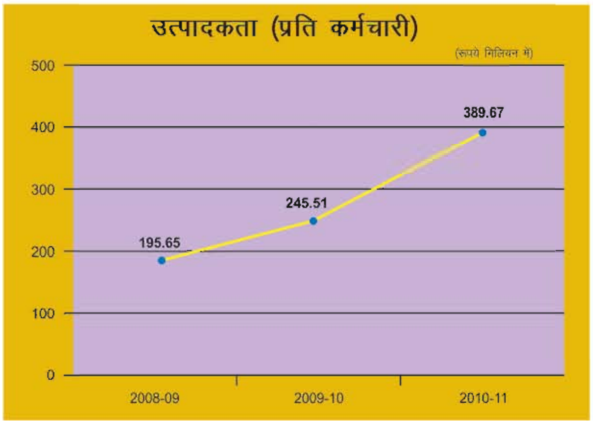

9 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है जिसमें 0.25 प्रतिशत की कमी/वृद्धि हो सकती है।

फरवरी 2011 में संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2010–11 में कहा गया है कि विश्व व्यापार मात्रा के अनुरूप वर्ष 2008–09 के मध्य में गहराते हुए विश्व आर्थिक संकट के बाद भारतीय निर्यात तेजी से गिरे, वर्ष 2009–10 की द्वितीय छमाही में उनमें वृद्धि हुई जो वर्ष 2010–11 में जून 2010 तक जारी रही। उसके उपरांत अक्तूबर 2010 तक वृद्धि में ह्रास हुआ और बाद में दिसंबर 2010 तक यह बढ़कर 36.4% तक हो गया जो गत दो वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि है। अप्रैल–दिसंबर 2010–11 में समेकित निर्यात वृद्धि 29.5% रही जबकि इस अवधि के दौरान समेकित निर्यात 164.7 बिलियन यूएस डालर तक पहुंच गया। वर्ष 2009–10 के दौरान भारत का वस्तु आयात वैश्विक मंदी के कारण प्रभावित हुआ तथा यह 5.0 प्रतिशत नकारात्मक वृद्धि के साथ यूएस डालर 288.4 बिलियन तक पहुंच गया। यह वृद्धि पट्रोलियम आयल तथा लुब्रिकेंट्स (पीओएल) आयात में 7.0 प्रतिशत तथा गैर–पीओएल आय में 4.2 प्रतिशत कमी के कारण गिरावट आई।

एमएमटीसी 2010–11 पर पुनः एक नजर

वित्तीय समीक्षा

आपकी कंपनी ने वर्ष 2010–11 के दौरान 688545 मिलियन रुपये का अब तक का सर्वाधिक कारोबार करते हुए निरंतर सातवें वर्ष रिकार्ड टर्नओवर(टॉप लाईन) का शानदार कारोबार किया। वर्ष 1963 में एमएमटीसी की स्थापना से अब तक के सर्वोत्तम व्यापारिक टर्नओवर में 36,934 मिलियन रुपये का निर्यात, 633,008 मिलियन रुपये का सर्वाधिक आयात तथा 18,603 मिलियन रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। अन्य व्यापार संबंधित अर्जन का अंशदान 2015 मिलियन रुपये का है। आपकी कंपनी ने 3300 मिलियन रुपये का व्यापारिक लाभ अर्जित किया। निगम द्वारा अर्जित कर–पूर्व एवं कर–पश्चात लाभ क्रमशः 1918 मिलियन रुपये तथा 1216 मिलियन रुपये था। वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए 1 रुपए प्रति शेयर पर आय 1.22 रुपये है। कंपनी के वित्तीय संसाधनों के उन्नत प्रबंधन से 1032 मिलियन रुपए की निवल राशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई। वर्ष 2010–11 के दौरान कंपनी की कारपोरेट कर देयता 774 मिलियन रुपए रही। एममएटीसी स्वयं को लगातार शून्य दीर्घावधि ऋण कंपनी के स्थान को बनाए हुए है।

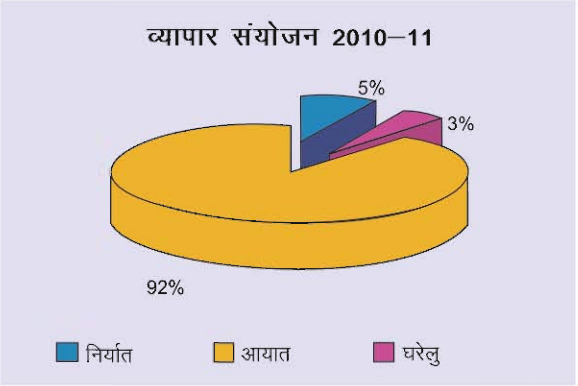

निधियों के स्रोत एवं उनका उपयोग

दिनांक 31 मार्च 2011 को कंपनी के निधियों के स्रोत में 13797.35 मिलियन रुपए शेयर होल्डर्स निधि तथा 1000 मिलियन रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी तथा कैपिटल एवं सुरक्षित तथा असुरक्षित ऋण निधियों के 50,019.92 मिलियन रुपये तथा 10814.74 मिलियन रुपए शामिल हैं। दिनांक 31 मार्च 2011 को अन्य के साथ–साथ 1113.65 मिलियन रुपये की स्थायी परिसंपत्तियों, 2830.85 मिलियन रुपये के निवेश तथा 70352.03 मिलियन रुपये की कुल चालू परिसंपत्तियों में

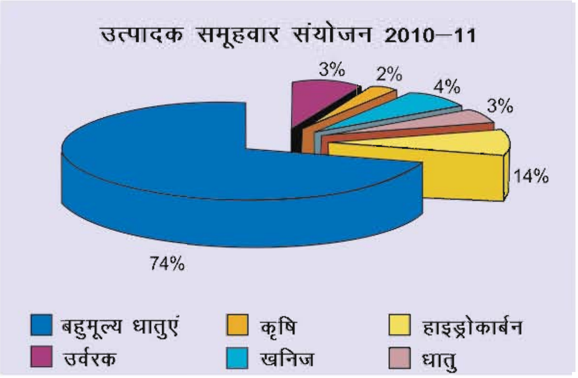

इन निधियों को लगाया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रकियाएं

एमएमटीसी में दैनिक मामलों का प्रबंधन विभिन्न प्रबंधन स्तरों पर सुपरिभाषित 'शक्तियों के प्रत्यायोजन' के अनुसार किया जाता है। निदेशक मण्डल द्वारा गठित संबंधित निदेशक समितियों, जिनका विवरण संलग्न कारपोरेट गवर्नेस की रिपोर्ट में दिया गया है, द्वारा प्रमुख मामलों पर सतर्कतापूर्ण निर्णय लेने के लिए विचार–विमर्श किया जाता है।

एमएमटीसी की एक सुप्रतिष्ठित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली तथा प्रकिया है जो इसकी विभिन्न गतिविधियों के अनुरूप है। निगम का एक प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग है जो पूरे वर्ष लेखा परीक्षा के लिए बाहरी लेखा परीक्षा करने वाली फर्मो के साथ मिलकर काम करता है। वरिष्ठ प्रबंधन लेखा परीक्षा समिति तथा निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्टों पर नियमित रूप से विचार करती है। वित्तीय रिपोर्टो तथा मामलों पर उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए यह समिति निगम के सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित करती रहती है।

लेखा परीक्षा समिति के दिशा–निर्देशों पर प्रबंधतंत्र द्वारा कार्यवाही की जाती है।

सहायक कंपनी

आपकी कम्पनी की, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) को सिंगापुर कानून के तहत अक्तूबर, 1994 में 1 मिलियन अमेरिकी डालर की शेयर पूंजी के साथ निगमित किया गया था। वर्ष 2010–11 के दौरान एमटीपीएल ने अपनी स्थापना से अब तक का 710 मिलियन अमेरिकी डालर का सर्वोत्तम व्यापारिक कारोबार किया है। वर्ष 2010–11 के दौरान एमटीपीएल ने 2.32 मिलियन अमेरिकी डालर का लाभ अर्जित किया। 31 मार्च, 2011 को एमटीपीएल का नेटवर्थ 18.23 मिलियन अमेरिकी डालर था। आपकी कंपनी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में निवेश की गई 1 मिलियन अमेरिकी डालर की पूंजी की तुलना में एमटीपीएल 8.27 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि लाभांश के रूप में भुगतान कर चुकी है तथा इसने अपनी स्थापना से अब तक अपनी नेटवर्थ में लगभग 18 गुणा वृद्धि कर ली है।

वर्ष 2010–11 के लिए बिजनेस समूहवार समीक्षा

खनिज

जुलाई 2010 से कर्नाटक से लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध, पूर्वी क्षेत्र से निर्यात के विनियमन, समय–समय पर रेल भाड़े में निरंतर वृद्धि, लौह अयस्क पर निर्यात ड्यूटी में वृद्धि, अयस्कों की आपूर्ति पर दबाव, तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव के बावजूद विशेषकर चीन में अपने आक्रामक विपणन प्रयासों, से एमएमटीसी अयस्कों के निर्यात में अपना अग्रणी स्थान बनाए हुए है। वर्ष 2010–11 के दौरान चीन, जापान तथा दक्षिण कोरिया प्रमुख बाजार रहे जहॉ एमएमटीसी ने अपने अयस्क उत्पादों का निर्यात किया।

आपकी कंपनी के खनिज समूह ने वर्ष के दौरान 30188 मिलियन रुपए के व्यवसाय का योगदान किया। समूह के व्यवसाय में 28042 मिलियन रुपए का निर्यात, 40 मिलियन रुपए का आयात तथा 2106 मिलियन रुपए का घरेलू व्यापार शामिल है। समूह ने मात्रा के हिसाब से 19390 मिलियन रुपए मूल्य का 32.48 लाख टन लौह अयस्क 7334 मिलियन रुपए मूल्य का 4.80 लाख मी.टन क्रोम कंसंट्रेट, 742 मिलियन रुपए मूल्य का 0.47 लाख मी.टन क्रोम अयस्क तथा 575 मिलियन रुपए मूल्य का 1.52 लाख मी.टन मैगनीज ओर शामिल है। समूह द्वारा किए गए घरेलू व्यवसाय में 1993 मिलियन रुपए मूल्य का 6.32 लाख टन लौह अयस्क 43 मिलियन रुपए

मूल्य का 0.97 लाख टन लाइमस्टोन, 69 मिलियन रुपए मूल्य का 1.01 लाख टन डोलोमाइट तथा 1.2 मिलियन रुपए मूल्य का 2039 टन फेरो क्रोम शामिल है। समूह ने 31 मिलियन रुपये के 220 टन फैरो क्रोम तथा 9.05 मिलियन रुपये के मैगनीज अयस्क का आयात भी किया है।

वर्ष 2010–11 के दौरान, आपकी कंपनी को अपनी वचनबद्धताएं निभाने के लिए माल प्राप्त करने में विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। जुलाई 2010 से कर्नाटक से लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध के साथ–साथ बढ़ती घरेलू मांग एवं पूर्वी क्षेत्र में लौह अयस्क के खनन/मूवमेंट पर कठोर प्रतिबंधों के कारण लौह अयस्क की उपलब्धता पर बहुत दबाव पड़ा जिससे आपकी कम्पनी के निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुए है। इसके अतिरिक्त, रेल भाड़े में निरंतर वृद्धि तथा फाईन्स पर निर्यात –ड्यूटी से कार्गो के अभिसरण की लागत में तीव्र वृद्धि हुई जिससे निर्यात की संभाव्यता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। इन सबके होने पर तथा राष्ट्रीय एव अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिस्पर्धा के वावजूद भी आपकी कंपनी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जापान, कोरिया तथा चीनी बाजारों में लौह अयस्क की एक प्रमुख निर्यातक बनी हुई है। विगत वर्षों में भारत से लोहा व इस्पात बनाने के कच्चे माल के निर्यात, में बहुत वृद्धि हुई है जिसके भविष्य में और अधिक बढ़ने के अवसर मौजूद हैं । मांग चीन से प्रभावित हो रही है जो विश्व में लौह अयस्क के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरा हैं। वित्त वर्ष 2011–12 से आरंभ होकर तीन वर्षों के लिए जापान तथा दक्षिण कोरिया के साथ एमएमटीसी दीर्घावधि क्रय करार कर सकती है तथापि कर्नाटक से लौह अयस्क के निर्यात के प्रतिबंध पर बनी हुई दुविधा लाजिस्टिक संबंधी समस्याएं, पूर्वी क्षेत्र से खनन

मूवमेन्ट पर लागू कड़े प्रतिबंध एवं घरेलू इस्पात उद्योग की बढ़ती मांग के कारण वर्ष 2011–12 के दौरान निर्यात के लिए लौह अयस्क की उपलब्धता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है।

कर्नाटक से लौह अयस्क निर्यात के लिए बनाए गए मकेनिज्म के परिणामस्वरूप एमएमटीसी द्वारा सह–प्रोन्नत संयुक्त उपकम द्वारा एन्नोर में बनाए जा रहे स्थायी लौह अयस्क टर्मिनल से आपकी कंपनी की लौह अयस्क निर्यात की योजना है।

बहुमूल्य धातुएं, रत्न व आभूषण

भारतीय बुलियन व्यापार में आपकी कम्पनी की स्थिति बाजार में अग्रणी है जो देश भर में फैले अपने विभिन्न केन्द्रो से कार्यकलाप में संलग्न है। इसके साथ–साथ अपने स्थायी सबंध बनाए रखते हुए यह टिकाऊ उत्पाद सेवाएं देती है। बुलियन में तीव्र उतार–चढ़ावों तथा निरतंर बढ़ते मूल्यों के साथ–साथ डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में बृद्धि के बावजूद भी वर्ष 2010–11 के दौरान निगम के बहुमूल्य धातु प्रभाग का कुल व्यापार 506853 मिलियन रुपये का हुआ। समूह ने यह कारोबार अपने कार्यकलापों में विविधीकरण लाकर प्राप्त किया जिसमें 470235 मिलियन रुपए सोने, 30663 मिलियन रुपए चांदी तथा 1037 मिलियन रुपए के कच्चे हीरों का आयात शामिल है। इसके अलावा 3463

मिलियन रुपए के गोल्ड/मेडालियंस, 0.06 मिलियन रुपए की चांदी, 887 मिलियन रुपए के आभूषण, 568 मिलियन रुपए के 'सांची' सिल्वरवेयर की घरेलू बिक्री शामिल है।

आपकी कंपनी का बहुमूल्य धातु समूह ग्राहक सेवा में निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत है तथा वर्ष 2010–11 के दौरान भारत के स्वर्ण व्यापार में इसकी 29.27 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बहुमूल्य धातु समूह मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे–आभूषण, मेडालियंस तथा सिल्वरवेयर की बिक्री में सुधार करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। कंपनी ने मैसर्स गीतांजलि (भारत की अग्रणी रिटेल ज्वेलरी कंपनी) के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है तथा एमएमटीसी गीतांजलि प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी निगमित कराई गई है तथा भारतवर्ष के विभिन्न शहरों में 17 ज्वेलरी रिटेल आउटलेट्स खोले गए हैं। रिटेल मार्केटिंग नेटवर्क में वृद्धि करने के लिए कुछ और आउटलेट्स खोलने का प्रस्ताव है। सोने/चांदी की रिफाइनिंग तथा मेडालियंस निर्माण के लिए मेसर्स एमएमटीसी–पैंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उद्यम भी निगमित कराया गया है। मेडालियन निर्माण यूनिट ने अप्रैल 2011 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है। इस व्यवस्था के माध्यम से आपकी कंपनी को संयुक्त उद्यम कंपनी के कुछ प्रतिशत उत्पादों की बिक्री के अवसर प्राप्त होंगे।

आपकी कंपनी ने दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता और जयपुर में भी असेयिंग व हालमार्किंग केन्द्र प्रचालित किए हैं। यद्यपि वर्ष 2011–12 के दौरान सोने व चांदी की कीमतों में उतार–चढ़ाव, विनिमय दर तथा यूरो क्षेत्र में जारी आर्थिक संकट के कारण बुलियन की मांग स्थिर रहने की संभावना है फिर भी ज्वेलरी की फुटकर मांग में उछाल के कारण आपकी कंपनी के और आगे प्रगति के अवसर विद्यमान हैं।

धातुएं तथा औद्योगिक कच्चा माल

वर्ष 2010–11 के दौरान एमएमटीसी के कुल व्यापार में धातु समूह का 20601 मिलियन रुपये का योगदान रहा। तांबा/जिंक, अल्यूमिनियम तथा लैड के घरेलू बाजार में देशी उत्पादकों की प्रधानता है। इस समूह के योगदान में एनआईएनएल एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत लौह व इस्पात सयंत्र द्वारा उत्पादित 8136 मिलियन रुपए का 4.13 लाख टन पिग आयरन का निर्यात, लौह व अलौह धातुओं का आयात, 2757 मिलियन रुपये मूल्य के एन आई एन एल द्वारा उत्पादित पिग आयरन एवं स्लैग की बिक्री सहित 4198 मिलियन रुपये की घरेलू बिक्री तथा 8267 मि. रुपए औद्योगिक कच्चे माल का आयात शामिल है।

एन एफ एम का अतंर्राष्ट्रीय बाजार अमेरिका, यूरो जोन तथा चीन में हो रही गतिविधियों से प्रभावित हो रहा है। एन एफ एम

के सबसे बड़े उपभोक्ता – अमेरिका में बाजार सुधरने के चिन्हों के बावजूद मध्य पूर्वी संकट, यूरो जोन सॉवरिन ऋण संकट तथा हाल ही जापान में आए भूकंप एवं सूनामी के बाद जापान के संभावित पुनर्निमाण के प्रति बाजार अभी भी शंकालु है। यह सब होने पर भी वर्ष 2011–12 के दौरान अपने निष्पादन में और सुधार को लक्षित करते हुए कार्यकलापों में विवधीकरण के लिए यह अपने कोर उत्पादों/बाजारों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नए बाजारों/उत्पादों में व्यापार के लिए, ग्राहक संबंध प्रबंधन में सुधार के साथ–साथ अलौह धातु के उत्पादकों के साथ रणनीतिक गठजोड़, संस्थागत ग्राहक एवं गहन बाजार पहुँच के प्रयासों में सुधार करेगा।

कृषि उत्पाद

वर्ष 2010–11 के दौरान निगम के कृषि उत्पाद समूह ने 16235

मिलियन रुपये का कुल व्यापार किया जिसमें 20 मिलियन रुपए के कॉटन का निर्यात, 399 मिलियन रुपए के 27190 मी. टन डीयू एन/पीली मटर, 3702 मिलियन रुपए की 88138 मीट्रिक टन दालें, 10597 मिलियन रुपए के 208694 मीट्रिक टन खाद्य तेल तथा 223 मिलियन रुपए की 8520 मीट्रिक टन चीनी के आयात के साथ–साथ 285 मिलियन रुपए की दालों एवं चीनी का घरेलू व्यापार भी शामिल है। कमोडिटी एक्सचेजों पर भी समूह ने कृषि उत्पादों का लेन–देन करते हुए 1009 मिलियन रुपए का कुल व्यापार किया।

कृषि व्यापार मुख्यतः सरकारी नीतियों एवं मौसम के उतार–चढ़ाव पर आश्रित है। जब देश में कृषि उत्पादों की अधिकता होती है तो निर्यात के अवसर प्राप्त होते हैं परन्तु इनकी कमी होने पर कृषि उत्पादों का आयात करना पड़ता है। भविष्य में इस समूह के टिकाऊ विकास के लिए निगम के कृषि उत्पाद समूह ने आयात/निर्यात हेतु उपलब्ध मात्रा/उत्पादों में कमी–बढ़ोतरी के कारण आने वाली चुनौतियों का सामना करने एवं उत्पाद पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई हैं।

उर्वरक तथा रसायन

कंपनी के उर्वरक एवं रसायन समूह ने 19394 मिलियन रुपए का कारोबार किया। समूह द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान किए गए कारोबार में 533 मिलियन रुपए मूल्य का तीसरे देश के साथ किया गया 30000 मी.टन यूरिया का व्यापार, 204 मिलियन रुपए के 7464 मी.टन डाई अमोनियम फास्फेट का निर्यात 14534 मिलियन रुपए के 2.36 लाख मी.टन म्यूरेट आफ पोटाश का आयात तथा 142 मिलियन रुपए की 19648 मी.टन गंधक के आयात के साथ–साथ एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत लौह व इस्पात संयंत्र –एन आई एन एल द्वारा उत्पादित 44 मिलियन रुपए के 8752 टन अमोनियम सल्फेट का घरेलू व्यापार शामिल है।

समूह ने एमएमटीसी के बल्क हैंडलिंग क्षेत्र में वृहद ज्ञान, अनुभव, लाजिस्टिक प्रबंधन में विशेषता तथा उर्वरक के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आने वाले भावी रूझानों का अनुमान लगाने की कुशलता का विवेकपूर्ण प्रयोग करते हुए इस शानदार कार्यनिष्पादन को प्राप्त किया।

भारत में उर्वरक की खपत में भारी वृद्धि होने के कारण मांग तथा घरेलू उत्पादन का अंतर बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप आयात की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा घरेलू फास्फेटिक इंडस्ट्री के उपयोग के लिए भारत मुख्यतः आयातित सल्फर, रॉक फास्फेट तथा फॉस एसिड जैसे कच्चे माल पर निर्भर है। इसके अलावा देश की एमओपी की मांग को भी पूरी तरह से आयात द्वारा किया जाता है। इस प्रकार का परिदृश्य उर्वरक तथा उर्वरक कच्चे माल के

आयात के क्षेत्र में भावी विकास की काफी संभावनाएं उपलब्ध कराता है। विशेषकर देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र पर दिए गए विशेष ध्यान से उर्वरक के क्षेत्र में विकास के और अवसर बढ़ गए हैं। इन उभरते अवसरों के सदुपयोग से इस समूह को अपने व्यापार वाल्यूम बढ़ाने में सुविधा होगी। तथापि, उर्वरक के आयात की मात्रा तथा इसके मूल्य विभिन्न कारकों जैसे मानसून, सरकारी पालिसी के साथ–साथ घरेलू उत्पादन तथा अंतर्राष्ट्रीय मांग–आपूर्ति संतुलन इत्यादि पर निर्भर करती है।

कोयला एवं हाइड्रोकार्बन

आपकी कंपनी द्वारा इस वर्ष अर्जित अब तक के सर्वाधिक कुल व्यापार में कोल एंड हाइड्रोकार्बन समूह ने 95099 मिलियन रुपए का योगदान किया। समूह द्वारा किए गए इस योगदान में 80405 मिलियन रुपए मूल्य का 117.44 लाख टन स्टीम कोल, 8824 मिलियन रुपए मूल्य के 7.42 लाख टन कोकिंग कोल के साथ–साथ 5345 मिलियन रुपए मूल्य के 3.06 लाख मी.टन लैम कोक तथा 525 मिलियन रुपए मूल्य के 25502 मी.टन क्रूड टार का घरेलू व्यापार शामिल है।,

घरेलू उत्पादन से ऊर्जा क्षेत्र, इस्पात, उर्वरक तथा अन्य भारी उद्योगों के लिए नॉन कोकिंग कोल की बढ़ती मांग तथा आपूर्ति के भारी अंतर को पूरा करने के लिए देश को बड़े स्तर पर आयात का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा निर्माणाधीन कोल फायर्ड जेनेरेशन सयंत्रों के कारण भविष्य में स्टीम कोक की मांग में अत्याधिक वृद्धि हो सकती है जिसके कारण आपकी कंपनी के इस समूह के लिए व्यवसाय के नए अवसर प्राप्त होंगे। आपकी कंपनी का कोल एंड हाइड्रोकार्बन समूह भविष्य में ऊर्जा, इस्पात, उर्वरक रसायन, सीमेंट एवं स्पोंज आयरन यूनिटों की कोल व कोक की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन उभरते हुए अवसरों का लाभ उठातें हुए आयात करेगा।

माइका

जैसा कि गत वर्षों की रिपोर्टों में पहले सूचित किया जा चुका है, विश्व स्तर पर परिवर्तित बाजार आवश्यकता तथा माइका प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में हुए तकनीकी विकास के कारण माइका प्रभाग के कार्यकलाप वर्ष 2002–03 से बंद है। माइका प्रभाग को बन्द करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत समुचित प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत की गई पुनर्विचार याचिका पर सरकार का निर्णय अभी लंबित है।

अन्य

निगम के कुल व्यापार में अन्य उत्पादों का योगदान 175 मिलियन रुपए का है जिसमें 3.45 मिलियन रुपए मूल्य के पी वी सी का आयात, 11.71 मिलियन रुपए मूल्य के इंजिनियरिग सामान का घरेलू व्यापार, 8.67 मिलियन रुपए मूल्य के सुरक्षा उपकरण तथा 2.32 मिलियन रुपए मूल्य के पी वी सी के साथ–साथ कर्नाटक में मार्च 2007 में स्थापित किए गए 15 एम डब्ल्यू विंड पावर फार्म द्वारा उत्पादित 81 मिलियन रुपए की बिजली की बिक्री तथा 67.57 मिलियन रुपए मूल्य के डी ई पी बी की बिक्री शामिल है।

वर्ष 2011–12 के दौरान, निगम के लिए अतिरिक्त व्यापारिक राजस्व हेतु नए बाजारों/उत्पादों में उभरते अवसरों का निगम लाभ उठाता रहेगा।

सचेतक वक्तव्य

प्रबंधतंत्र की चर्चा में वक्तव्य तथा निगम के प्रक्षेप, अनुमान, आशाएं लागू नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत फारवर्ड लुकिंग स्टेटमैंट हो सकती है। वास्तविक परिणाम भौतिक रूप से अभिव्यक्त अथवा उपलक्षित किए गए परिणामों से भिन्न हो सकते है। निगम के कार्यकलापों में अतंर लाने वाले महत्वपूर्ण कारकों में मॉग/आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक परिस्थितियॉ तथा निगम के व्यापार क्षेत्र में घरेलू एवं विदेशी बाजारों में मूल्य, सरकारी विनियमों, कर कानूनों, अन्य सांविधिक तथा अन्य प्रासंगिक कारकों में परिवर्तन आदि शामिल है।

कारपोरेट गवर्नेन्स की रिपोर्ट

एमएमटीसी में कारपोरेट गवर्नेन्स

पारदर्शिता के सर्वोच्च स्तर, विश्वास, सत्यता, निष्पादन अभिमुखता, जिम्मेदारी और जवाबदेही, व्यवसायिकता, सामाजिक दायित्व, नैतिक व्यापार आचरण और स्व–अनुशासन कोड के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता के अनुपालन के माध्यम से स्वस्थ कारपोरेट गवर्नेन्स नियमों के सिद्धान्त को प्रोन्नत तथा सशक्त करने के लिए एमएमटीसी पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं ताकि स्टेक होल्डर, जिसमें निवेशक, निदेशक, कर्मचारी आपूर्तिकर्ता, ग्राहक अथवा सामान्य समुदाय शामिल हैं, इन सबका निरंतर मूल्यवर्धन होता रहे ।

निदेशकमंडल

संरचना

एमएमटीसी के निदेशक मंडल में कार्यकारी व गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल है। इस रिपोर्ट को जारी किए जाने की तिथि को वर्तमान निदेशक मडंल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव जो अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार देख रहे है, दो पूर्णकालिक निदेशक (विपणन), एक पूर्णकालिक निदेशक(कार्मिक), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित दो अशंकालिक निदेशक तथा सात गैर–अधिकारिक अशंकालिक (स्वतंत्र) निदेशक हैं। एमएमटीसी के समस्त निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को छोड़कर शेष सभी निदेशक क्रमवार सेवानिवृत्त होते रहते हैं और प्रतिवर्ष कम से कम एक तिहाई सेवानिवृत्त होते हैं और यदि पात्र हों तो पुनः नियुक्ति पा सकते हैं।

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के मामले में निदेशक मंडल के सदस्य, निदेशक के पारिश्रमिक प्राप्त करने के अतिरिक्त निगम के साथ अथवा इसके प्रोमोटर्स व इसकी सहायक कंपनियों के साथ ऐसा कोई विशेष आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नहीं रखते है जो निदेशक मंडल के विचार से निदेशकों के निर्णय की स्वायत्तता को प्रभावित कर सके।

वर्ष 2010 –11 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थीः–

कम संख्या	निदेशक का नाम	कार्यकारी / गैर– कार्यकारी	पद	31.03.2011 को अन्य निदेशक मंडलों में डायरेक्टरशिप की संख्या	बोर्ड / समितियों की संख्या जिसके सदस्य / अध्यक्ष है।
1.	श्री संजीव बत्राा (30.09.2010)	कार्यकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष – 3 निदेशक – 1	सदस्य – 1
2.	श्री एस. के. कर (30.06.2010)	कार्यकारी	निदेशक(वित्त)	निदेशक – 3	सदस्य – 1
3.	श्री ए. महापात्रा (30.07.2010)	कार्यकारी	निदेशक(कार्मिक)	निदेशक – 1	-
4.	श्री एच एस मान	कार्यकारी	निदेशक(विपणन) (दिनांक 06.10.2010 से सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया)	अध्यक्ष–3 निदेशक – 11	सदस्य –1
5.	श्री सुनीर खुराना	कार्यकारी	निदेशक(विपणन)	निदेशक-- 2	-
6.	श्री वेद प्रकाश	कार्यकारी	निदेशक(विपणन)	निदेशक–4	
7.	श्री राजीव जयदेवा (03.12.2010)	कार्यकारी	निदेशक(कार्मिक)	निदेशक–1	-
8.	श्री पी. के. चौधरी	गैर–कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	निदेशक –1	-
9.	श्री राजन कटोच (07.12.2010)	गैर–कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	निदेशक– 2	अध्यक्ष –1 सदस्य– 2
10.	डा. एस. बेहुरिया (06.10.2010 तक)	गैर–कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	निदेशक–8	अध्यक्ष–1 सदस्य–2
11.	श्री सौरभ चंद्रा (06.10.2010 से 07.12.2010 तक)	गैर–कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	निदेशक–4	सदस्य–1
12.	श्री अनिल बैजल	गैर–कार्यकारी	गैर–कार्यकारी (स्वतंत्र निदेशक)	निदेशक–8	अध्यक्ष –2 सदस्य– 1
13.	सुश्री अरूणा माखन	गैर–कार्यकारी	गैर–कार्यकारी (स्वतंत्र निदेशक)	निदेशक–1	सदस्य–3
14.	श्री एच.एल. जुत्शी	गैर–कार्यकारी	गैर–कार्यकारी (स्वतंत्र निदेशक)	निदेशक–4	अध्यक्ष–1

*केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की लेखापरीक्षा समिति तथा शेयर धारकों की शिकायत समिति को शामिल किया गया है।

निदेशक मंडल में परिवर्तन

दिनांक 1 अप्रैल,2010 को आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :–,

- दिनांक 30 जून 2011 को सेवानिवृत्त होने पर श्री एस.के. कर ने पूर्णकालिक निदेशक(वित्त) के पद का त्याग किया।
- दिनांक 30 जुलाई 2010 को सेवानिवृत होने पर श्री ए. महापात्रा ने पूर्णकालिक निदेशक (कार्मिक) के पद का त्याग किया।
- दिनांक 30 सितम्बर 2010 को सेवानिवृत्त होने पर श्री संजीव बतरा ने अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद का त्याग किया।
- श्री एच.एस. मान, निदेशक(विपणन) ने दिनांक 6 अक्तूबर 2010 से 22 जुलाई 2011 तक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण कियां।
- डा. एस. बेहुरिया ने एमएमटीसी के निदेशक मण्डल से अंश–कालिक निदेशक के पद का त्याग किया तथा दिनांक 6 अक्तूबर 2010 से श्री सौरभ चन्द्रा ए एस एण्ड एफ ए, डी आई पी एण्ड पी एवं वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने डा. एस. बेहुरिया के स्थान पर एम एम एम टी के निदेशक मण्डल में अशंकालिक निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- श्री सौरभ चन्द्रा ने एमएमटीसी के निदेशक मण्डल से अशंकालिक निदेशक के पद का त्याग किया तथा दिनांक 7 दिसम्बर 2010 से डा0 राजन कटोच, ए एस एण्ड एफ ए, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने एमएमटीसी के निदेशक मण्डल मे श्री सौरभ चन्द्रा के स्थान पर अशंकालिक निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- दिनांक 3 दिसंबर 2010 से श्री राजीव जयदेव ने एमएमटीसी के निदेशक मण्डल में पूर्णकालिक निदेशक(कार्मिक) का पदभार ग्रहण किया

- दिनांक 13 जुलाई 2011 से श्री अनिल राजदान ने एमएमटीसी के निदेशक मण्डल में गैर–कार्यकारी अशंकालीन (स्वतंत्र) निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- दिनांक 14 जुलाई,2011 से श्री एस कृष्णन ने एमएमटीसी के निदेशक मण्डल में गैर–कार्यकारी अशंकालिक(स्वतंत्र) निदेशक का पदभार ग्रहण कियां।
- दिनांक 14 जुलाई, 2011 से श्री जी एस वेदी ने एमएमटीसी के निदेशक मण्डल में गैर–कार्यकारी अशंकालिक (स्वतंत्र) निदेशक का पदभार ग्रहण कियां।
- दिनांक 16 जुलाई, 2011 से श्री अरूण बालाकृष्णन ने एमएमटीसी के निदेशक मण्डल में गैर–कार्यकारी अशंकालिक(स्वतंत्र) निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- दिनांक 22 जुलाई 2011 को श्री एच एस मान ने निदेशक (विपणन) एवं अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार का पदत्याग किया।
- दिनांक 22 जुलाई 2011 से श्रीमति विजयलक्ष्मी जोशी, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने श्री एच एस मान के स्थान पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया।

निदेशकों का पारिश्रमिक

एमएमटीसी भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसके निदेशक मंडल के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके प्रशासनिक मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है जो अन्य बातों के साथ–साथ इन पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक, संबंधित नियुक्ति आदेश/वेतन निर्धारण आदेशों के अनुरूप निर्धारित करते हैं। एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के सेवाकाल या अधिवर्षिता आयु पूरी करने की तिथि तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किये जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार नियुक्त निदेशक किसी भी प्रकार की नोटिस अवधि/सेवरेंस फीस के पात्र नहीं होते हैं। नॉन–ऑफिशियल अशंकालिक(स्वतंत्र) निदेशकों को निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त समितियों की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहने के लिए 15,000/– रू0 की दर से सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक का निगम के साथ किसी प्रकार का आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नहीं है। वर्ष 2010–11 के दौरान प्रत्येक निदेशक को भुगतान किये गये/देय पारिश्रमिक का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

निदेशक क नाम	वेतन तथा लाभ (रु/ लाख)	वर्ष 2010–11 के दौरान कार्य – निष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन (प्रावधान) (रु/लाख)	बोनस स्टॉक विकल्प, पेंशन, सेवरेंस फीस	दिनांक 31.3.2011 को एमएमटीसी के धारित शेयरों की संख्या
कार्यकारी निदेशक				
श्री संजीव बत्रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30.09.2010)	29.06	3.81	-	शून्य 1
श्री एस. के कर पूर्व निदेशक(वित्त) (30.03.2010 तक)	21.74	1.77	शून्य	1
श्री ए. महापात्रा पूर्व निदेशक (कार्मिक) 31.7.2010	27.15	2.41	-	शून्य
श्री एच.एस.मान	47.11	7.29	शून्य	शून्य
श्री सुनीर खुराना	28.64	7.06	-	1
श्री वेद प्रकाश	28.46	6.50	-	शून्य
श्री राजीव जयदेव (03.12.2010 से)	6.29	2.16	-	-
गैर–सरकारी पदेन निदेशक				
डॉ एस बेहुरिया	शून्य	शून्य	शून्य	एक
श्री सौरभ चन्द्रा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डा. राजन कटोच	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री पी के चौधरी	शून्य	शून्य	शून्य	1
गैर–कार्यकारी निदेशक (स्वतंत्र)				
श्री अनिल बैजल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती अरूणा माखन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एच.एल. जुत्शी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः निगम के पंजीकृत कार्यालय में ही आयोजित की जाती हैं तथा उनके आयोजन की तिथि का निर्णय पर्याप्त समय रहते लिया जाता है। एमएमटीसी के निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य आयोजित की जाती है। बोर्ड की बैठकों का संचालन निर्धारित कार्य–सूची के अनुसार होता है तथा बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी भी मामले को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है। सभी मुख्य मुद्दों से संबंधित, अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत कार्य–सूची दस्तावेज सदस्यों को पहले ही परिचालित कर दिए जाते हैं ताकि बोर्ड सूचनापरक तथा स्वतंत्र निर्णय ले सके।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की नौ बैठकें हुई, जो 23 अप्रैल 2010, 29 जून 2010, 28 जुलाई 2010, 19 अगस्त 2010, 4 अक्तूबर 2010, 11 नवम्बर 2010, 22 दिसम्बर 2010, 31 जनवरी 2011, तथा 7 मार्च 2011 को आयोजित की गईं। निदेशक मंडल की इन बैठकों तथा 21 सितम्बर 2010 को आयोजित गत वर्ष की वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

निदेशक मंडल की बैठकों तथा गत वर्ष की वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थितिः

निदेशक के नाम	उस अवधि में हुई बोर्ड की बैठकों की संख्या जिसके दौरान बोर्ड के निदेशक थे	बोर्ड की बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित रहे	गत वार्षिक आम सभा में उपस्थिति
(क) पूर्णकालिक कार्यरत निदेशक			
श्री संजीव बत्रा, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.04.2010 से 30.09.2010 तक)	4	4	हां
श्री एस. के. कर (01.04.2010 से 30.06.2010 तक)	2	2	एन आर
श्री ए महापात्रा (01.04.2010 से 30.07.2010 तक)	3	3	एन आर
श्री एच.एस. मान (01.04.2010 से 31.03.2011 तक)	9	9	हां
श्री सुनीर खुराना (01.04.2010 से 31.03.2011 तक)	9	9	हां
श्री वेद प्रकाश (01.04.2010 से 31.03.2011 तक)	9	8	हां
श्री राजीव जयदेव (03.12.2010 से 31.3.2011 तक)	3	3	हां
(ख) अंशकालिक पदेन निदेशक (सरकार द्वारा नामित)			
डॉ एस बेहुरिया (01.4.2010 से 06.10.2010तक)	5	1	नहीं
श्री सौरभ चंद्रा (06.10.2010 से 7.12.2010 तक)	1	1	एन आर
श्री पी.के. चौधरी (01.04.2010 से 31.03.2011 तक)	9	7	नहीं
डॉ. राजन कटोच (07.12.2010 से 31.03.2011 तक)	3	2	एन आर
(ग) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्रता) निदेशक			
श्री अनिल बैजल (01.04.2010 से 31.03.2011 तक)	9	7	हॉ
श्रीमती अरूणा माखन (01.04.2010 से 31.03.2011 तक)	9	7	नहीं
श्री एच.एल. जुत्शी (01.04.2010 से 31.03.2011 तक)	9	9	नहीं

एन आर– आवश्यक नहीं

बोर्ड की समितियां

निगम के मामलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने, अतिशीघ्र आधार पर विचार–विमर्श करने तथा निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल ने विभिन्न भूमिकाओं, दायित्वों तथा प्राधिकारों के साथ निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

क) निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति

ख) शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति

ग) निदेशकों की पारिश्रमिक समिति

घ) निदेशकों की निवेश समिति

ड) निदेशकों की कय / विकय समिति

च) निदेशकों की समिति

छ) कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति

निदेशकों की लेखा–परीक्षा समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति में दो स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक तथा सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वर्ष के दौरान समिति की बैठकों की अध्यक्षता कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव बने रहेंगे। लेखा–परीक्षा कार्यों का निरीक्षण, अति महत्वपूर्ण जाँच की पुनरीक्षा, लेखा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणों को स्वीकृति प्रदान करना इस समिति के प्रमुख कार्य हैं। लेखा परीक्षा समिति की भूमिका, कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकारों में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों का अनुपालन तथा स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण अनुबंधों की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

वर्ष 2010–11 में समिति की छः बैठकें आयोजित हुईं, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है

कमांक	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1.	23.04.2010	श्री अनिल बैजल सुश्री अरूणा माखन	श्री अनिल बैजल
2.	29.06.2010	श्री अनिल बैजल सुश्री अरूणा माखन	श्री अनिल बैजल
3.	28.07.2010	श्री अनिल बैजल श्रीमती अरूणा माखन	श्री अनिल बैजल
4	11.11.2010	श्री अनिल बैजल श्रीमती अरूणा माखन	श्री अनिल बैजल
5.	31.01.2011	श्री अनिल बैजल डा. राजन कटोच	श्री अनिल बैजल
6.	07.03.2011	श्री अनिल बैजल श्रीमती अरूणा माखन	श्री अनिल बैजल

समिति के विचार–विमर्श में सहायता हेतु निगम के अन्य कार्यरत निदेशक तथा सांविधिक लेखा परीक्षक भी उपरोक्त बैठकों में उपस्थित रहे।

उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति

शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायतों से संबंधित सभी

मामलों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा नामित गैर–कार्यकारी निदेशक (अपर सचिव तथा वित्त परामर्शदाता, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार) को अध्यक्ष तथा एमएमटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) को सदस्यों के रूप में नियुक्त करते हुए निदेशक मण्डल ने शेयर अंतरण पर शीघ्रता से विचार एवं अनुमोदन करने क लिए तथा शेयरधारकों/अन्य निवेशकों की शिकायतों संबंधी मामलों के निपटान हेतु शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायत समिति का गठन किया है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं।

निदेशकों की पारिश्रमिक समिति

निदेशक मण्डल ने निदेशकों की पारिश्रमिक समिति का गठन किया है जिसमें श्री एच.एल. जुत्शी, स्वतंत्र निदेशक तथा भारत सरकार द्वारा नामित दोनों गैर–कार्यकारी निदेशक क्रमशः अध्यक्ष एवं सदस्य हैं। स्टाक एक्सचेजों के साथ हस्ताक्षरित सूचीकरण करार की धारा 49 तथा दिनांक 26 नवम्बर 2008 को जारी डी पी ई के दिशा निर्देशों में वर्णित सभी कार्यों तथा दायित्वों का निर्वाह करने के साथ–साथ ये अधिकारी इनमें वर्णित उक्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान, निदेशकों की पारिश्रमिक समिति की दो बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों के कार्यवृत्त निदेशक मण्डल की सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

निदेशकों की निवेश समिति

प्रत्येक मामले में 3.00 करोड़ तक के निवेश पर एमएमटीसी द्वारा निवेश संबंधी मामलों पर निर्णय देने एवं परामर्शदाता की नियुक्ति जैसे मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए निदेशक मंडल में एक निवेश समिति का भी गठन किया है जिसके अध्यक्ष सीएमडी तथा सभी कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य हैं। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं।

वर्ष 2010–11 के दौरान निदेशकों की निवेश समिति की 20 बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों के कार्यवृत्त निदेशक मंडल के सूचनार्थ नियमित रूप से प्रस्तुत किये गये।

निदेशकों की क्रय/विक्रय समिति

बोर्ड ने प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई की गति को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता की कुंजी मानते हुए निदेशकों की क्रय/विक्रय समिति का गठन किया है ताकि सीएमडी को बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक राशि के प्रत्येक विभिन्न व्यापारिक प्रस्तावों पर शीघ्र विचार कर अनुमोदन प्रदान किया जा सके। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सभी कार्यकारी निदेशक तथा कंपनी सचिव इस समिति के क्रमशः अध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान, क्रय/विक्रय समिति की 63 बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के कार्यवृत्त नियमित रूप से निदेशक मण्डल की सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

निदेशकों की समिति

बोर्ड ने निदेशकों की समिति का गठन किया है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं तथा सभी कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य और कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। बोर्ड ने इस समिति को, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रदत्त शक्तियों के अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर भी, एमएमटीसी के कार्यकलापों तथा एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत परियोजनाओं से संबंधित नीतिगत निर्णयों पर विचार करने तथा उनका अनुमोदन करने का अधिकार दिया है। वर्ष 2010–11 के दौरान, निदेशकों की समिति की 19 बैंठकें हुई। इन बैंठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति

सेवा नियमों तथा अन्य कार्मिक नीतियों में संशोधन/सूत्रीकरण पर विचार करने तथा अनुमोदन करने के लिए निदेशक मंडल ने कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति का गठन किया है जिसमें श्री एच एल जुत्शी, स्वतंत्र निदेशक इसके अध्यक्ष हैं तथा श्रीमती अरुणा माखन (स्वतंत्र निदेशक), निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (कार्मिक) इसके सदस्य हैं। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं तथा मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक) एवं मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) जब कभी भी आवश्यक हो, समिति को सहयोग देंगे। वर्ष 2010–11 के दौरान इस समिति की दो बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से सूचनार्थ प्रस्तुत किए गये।

आम सभा

निगम की आम सभा, निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित आम सभाओं के विवरण नीचे दिये गए हैं :–

बैठक की प्रकृति	दिनांक तथा समय	पारित विशेष संकल्प
45वीं वार्षिक आम सभा	30.09.2008 को 1100 बजे	–
46वीं वार्षिक आम सभा	30.09.2009 को 1100 बजे	एक
असाधारण आम सभा	20.07.2010 को 1100 बजे	दो
47वीं वार्षिक आम सभा	21.09.2010 को 11.30 बजे	–

वर्ष में अक्तूबर–दिसम्बर 2010 के दौरान सदस्यों की सहमति के साथ डाक मतों द्वारा तीन विशेष प्रस्ताव किए गए जिनके परिणामों की घोषणा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा 20 दिसम्बर 2010 को की गई।

आगामी वार्षिक आम सभा तक डाकमतों द्वारा किसी विशेष संकल्प का प्रस्ताव नहीं है।

प्रकटन

क) निदेशक मण्डल के किसी भी सदस्य का निगम के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नही है।

ख) विशेष रूप से संबंधित पक्षकारों के बीच कोई लेन देन नहीं हुआ है अर्थात कंपनी का अपने प्रोमोटर्स, निदेशकों, अथवा प्रबंधन, सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ ऐसी कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का लेन–देन नहीं हुआ है जिससे निगम के हित प्रभावित होने की शंका हो।

ग) कंपनी के विरूद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान उल्लंघन का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ तथा विगत तीन वर्षों में पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर किसी प्रकार का अर्थ दण्ड नहीं लगाया गया।

सूचना के साधन

कंपनी के तिमाही, अर्ध–वार्षिक तथा वार्षिक परिणामों को संबंधित अवधि की समाप्ति के एक माह के भीतर घोषित किया जाता है, जिन्हें सामान्यतः प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है तथा इन्हें कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही महत्वपूर्ण कारपोरेट निर्णयों तथा कार्यकलापों न्यूजरिलीज जारी करने के अतिरिक्त उन्हें निगम अपने वेबसाइट www.mmtclimited.com पर भी उपलब्ध कराता है।

शेयरधारकों की सूचना

(क) वार्षिक आम बैठक :

कंपनी की 48 वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 30 सितम्बर, 2011 को 1200 बजे स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली– 110003 में आयोजित की गई।

(ख) वर्ष 2011–12 के लिए वित्तीय कैलेंडर

प्रथम त्रैमासिक परिणाम (अनअंकेक्षित) 02.08.2011 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

द्वितीय त्रैमासिक परिणाम (अनअंकेक्षित) 15.11.2011 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

तृतीय त्रैमासिक परिणाम(अनअंकेक्षित) 15.02.2012 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

चतुर्थ त्रैमासिक परिणाम(अनअंकेक्षित) 15.05.2012 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

वर्ष 2011–12 के लिए वार्षिक अंकेक्षित परिणाम 30.09.2012 को अथवा इससे पूर्व घोषित किए जाएंगे।

(ग) बुक क्लोजर की तिथियॉं :

वार्षिक आम बैठक तथा अंतिम लाभांश की घोषणा के प्रयोजन

हेतु दिनांक 16 सितम्बर, 2011 से 30 सितम्बर, 2011 (दोनों दिन शामिल हैं) तक शेयर अन्तरण पुस्तिकाओं तथा सदस्यों के रजिस्टर को बंद रखा जाएगा।

(घ) लाभांश भुगतान – विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त लाभांश का विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष	2007–08	2008–09	2009–10
दर	90प्र*	80प्र**	45 प्र***
तिथि	29.10.2008	27.10.2009	15.10.2010

टिप्पणियॉ :– * निगम की इक्विटी पूंजी पर 35प्र की दर से दिनांक 25.02.2008 को प्रदत्त अंतरिम लाभांश शामिल है।

** निगम की इक्विटी पूंजी पर 40प्र की दर से दिनांक 25.03.2009 को प्रदत्त अंतरिम लाभांश शामिल है।

*** बढ़े हुए बोनस उपरांत इक्विटी पूंजी पर

(ड.) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता : कंपनी के शेयर दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई के स्टॉक एक्सचेजों में सूचीबद्ध हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी स्वेच्छा से एमएमटीसी के शेयरों को अपने प्लेट फार्म पर ट्रेडिंग की अनुमति प्रदान कर दी है।

(च) बाजार–मूल्य विवरण(डाटा): वर्ष 2010–11 के दौरान बंबई स्टाक एक्सचेन्ज में उदधृत/व्यापार किए गए एमएमटीसी के स्क्रिप का माहवार बाजार भाव आंकड़ा नीचे दिया जा रहा है:

माह	निम्न	उच्च
अप्रैल 2010	30541-00	33900-00
मई 2010	28100.00	31600.00
जून 2010	27361.00	37999.00
जुलाई 2010*	1575.05	31224.00
अगस्त 2010	1306.10	1756.00
सितम्बर 2010	1314.00	1488.00
अक्तूबर 10	1160.00	1395.00
नवम्बर 10	1008.25	1335.00
दिसम्बर 10	981.20	1219.00
जनवरी 11	997.00	1275.00
फरवरी 11	905.00	1062.70
मार्च 11	867.80	1006.95

*एमएमटीसी लिमिटेड के 10 रुपये फेस वैल्यू के प्रत्येक इक्विटी शेयर को प्रत्येक 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में विभाजित कर दिया गया था जिसकी रिकार्ड तिथि 30.07.2010 निर्धारित की गई थी।

(छ) रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट(आरटीए) : डिमेटिरियलाइज्ड तथा फिजिकल दोनों प्रकार के शेयरों के लिए कंपनी ने मैसर्स एमसीएस लिमिटेड, एफ 65 ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस–1, नई दिल्ली–110020 को अपना रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट नियुक्त किया है।

(ज) शेयरों का डिमैटिरियलाइजेशन : सीडीएसएल तथा एनएसडीएल द्वारा आईएसआईएन संख्या आईएनई123एफ01029 के साथ, एमएमटीसी लिमिटेड के शेयर डिमैटिरियलाइज्ड रूप में व्यापार करने हेतु स्वीकृत प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किए गए।वर्तमान में एमएमटीसी लिमिटेड के 100 करोड़ प्रत्येक 1 रुपये फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों में से 99,33,11,880 शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं और 66,87,960 डिमैटीरियलाइज्ड रूप में अन्य के पास हैं, और केवल 160 शेयर फिजिकल रूप में भारत के राष्ट्रपति के छः नामितों के पास हैं।

(झ) शेयर अंतरण पद्धति : कंपनी के शेयरों को इनके प्रस्तुत किए जाने के अधिकतम 30 दिन की अवधि के अन्दर अन्तरित कर दिया जाता है। डिमैटिरियलाइज्ड रूप में उपलब्ध शेयरों का अन्तरण डिपाजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा इलेक्ट्रोनिक फार्म में प्रोसेस तथा अनुमोदित किया जाता है। दिनांक 31.03.2011 को शेयर अन्तरण का कोई भी मामला लम्बित नहीं था। शेयर अंतरण तथा निवेश संबंधी सभी मामले आरटीए कार्यालय अर्थात एमसीएस लिमिटेड द्वारा देखे तथा प्रोसेस किए जाते हैं। शेयरधारक अंतरण डीड तथा कोई अन्य दस्तावेजों को या तो आरटीए कार्यालय में या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में एमएमटीसी लिमिटेड के कंपनी सचिव के पास जमा करा सकते हैं ।

(ञ) 31.03.2011 को शेयर होल्डिंग का वितरण: स्टॉक

एक्सचेंज के साथ हुए सूचीकरण अनुबंध की धारा 35 के अनुसरण में शेयरहोल्डिंग के वितरण का विवरण नीचे दिया गया है:–

श्रेणी धारित	शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
1. प्रवर्तक की होल्डिंग भारतीय प्रवर्तक–भारत के राष्ट्रपति इसमें छः नामजद भी शामिल है जिनमें प्रत्येक के पास एक शेयर है।	99,33,12,000	99.3312
2 संस्थागत निवेशक	52,26,346	0.5227
3. अन्य कारपोरेट संस्थाएं	2,37,047	0.0237
4. ट्रस्ट तथा फाउंडेशन/एनआरआई सहित एक लाख रुपये तक की शेयर पूंजीवाले व्यक्तिगत धारक	12,24,607	0.1224
कुल	100,00,00,000	100

टिप्पणी : कोई भी जीडीआर/एडीआर/वॉरन्ट/ परिवर्तनीय दस्तावेज बकाया नहीं है।

(ट) शेयरधारकों/अन्य निवेशकों की समस्याएं :– शेयरधारक/अन्य निवेशक अपनी समस्याएं श्री मनोहर बलवानी, अनुपालन अधिकारी तथा कम्पनी सचिव को ई मेल आईडी mbalwani@mmtclimited.com पर भेज सकते हैं।

(ठ) पत्राचार का पता :

महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव,

एमएमटीसी लिमिटेड, कोर –1, स्कोप कॉम्पलैक्स, 7, इंस्टीट्यूश्नल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली –110003.

फोन संख्या : 011– 24361889 फैक्स संख्या : 011–24360724 ई मेलः mbalwani@mmtclimited.com

एन के भार्गव एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सी–31, आचार्या निकेतन
प्रथम तल(पॉकेट–1 के सामने)
एनआईआईटी केन्द्र के नीचे
मयूर विहार–1, दिल्ली–91
फोन न. 22752376, 22793650
फैक्स–22793650
ई मेल :**nkbhargava company@yahoo.co.in**

कारपोरेट गवर्नेंस का अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,

एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यगण,

हमने 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीकरण अनुबंध के खंड 49 में कारपोरेट नियमन से संबंधित शर्तों के अनुपालन संबंधी जांच की है।

कारपोरेट नियमन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधतंत्र की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कारपोरेट नियमन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रकियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। हमारी जांच न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण है और न ही किसी मत की अभिव्यक्ति है।

हमारे मत व जानकारी तथा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते है कि कंपनी ने उपर्युक्त सूचीयन करार के अनुसार कारपोरेट नियमन की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय उक्त सूचीयन करार के खंड 49 के पैरा 1 के उप – पैरा–ए के अंतर्गत उल्लिखित उस शर्त को छोड़कर जिसमें यह दिया गया है कि नॉन–एग्जिक्यूटिव निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की संख्या के पचास प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए तथापि, जुलाई 2011 में एमएमटीसी लिमिटेड के बोर्ड में चार और स्वतंत्र निदेशकों के शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, कंपनी ने आज की तारीख को सूचीकरण करार के क्लॉज 49 के पैराग्राफ– I के उप–पैरा–ए की उपर्युक्त निर्धारित शर्त को पूरा कर लिया है।हम यह भी व्यक्त करते हैं कि उक्त अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है और न ही कंपनी द्वारा अपने कार्य संचालन में अपनाई गई कुशलता अथवा गतिशीलता का प्रमाण है।

एन के भार्गव एण्ड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–0004291

हस्ताक्षर

एन ने भार्गव
पार्टनर

एम नं. 080624

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 18.08.2011

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

ऊर्जा संरक्षणः विद्युत तथा ईंधन की खपत

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(1)(ई) के अंतर्गत कंपनी नियम 1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रस्तुतीकरण) के अनुसरण में दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए ऊर्जा संरक्षण के संबंध में विवरण इस प्रकार हैः–

क्रम संख्या			चालू वर्ष 2010–11	पिछला वर्ष 2009–10
1.	बिजली	खरीद (किलोवाट आवर) (वार्षिक न्यूनतम गारंटी पर) कुल लागत(लाख रुपये में) औसत दर (रुपये/ किलोवाट आवर)	30,90,12 12.38 4.01	30,90,12 12.38 4.01
2.	कोयला	मात्रा (मी टन) कुल लागत(लाख रुपए में) औसतन दर(रुपए प्रति मी टन)	– – –	– – –
3.	डीजल तेल	खरीद (लीटर) कुल लागत (लाख रुपए में) औसत दर (रुपए प्रति लीटर)	– – –	– – –
4.	एलडीओ	खरीद (लीटर) कुल लागत (लाख रुपए में) औसत दर(रुपए प्रति लीटर)	– – –	– – –

सत्यमेव जयते

गोपनीय

संख्या / No. CHQ/13-2/2010-11/MMTC/A.Accs/317

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा,
एवं पदेन सदस्य; लेखापरीक्षा बोर्ड–1
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1

दिनाँक/Dated 17/8/11

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
एमएमटीसी लिमिटेड
स्कोप कॉम्पलेक्स
नई दिल्ली

विषयः- कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के आधीन 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के आधीन 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **एमएमटीसी लिमिटेड** के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की **शून्य टिप्पणियाँ** अग्रेषित की **जाती हैं**। इन **शून्य टिप्पणियों** को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए और कम्पनी की महासभा में उसी समय व उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार सांविधिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीया,

इला

(इला सिंह)
प्रधान निदेशक

संलग्नः शून्य टिप्पणियाँ

तृतीय तल, 'ए' स्कंध, इन्द्रप्रस्थ भवन, नई दिल्ली–110002
3rd FLOOR, 'A' WING, INDRAPRASTHA BHAVAN, NEW DELHI-110002
TEL. : 011-23378473, 23370038, 23370044, 23370054, FAX : 011-23378432
e-mail : mabi@nda.vsnl.net.in

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण बनाने की जिम्मेवारी निगम के प्रबंधतंत्र की है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षा द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों, जो उनके व्यावसायिक निकाय, इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स आफ इंडिया, द्वारा निर्धारित आडिटिंग व एश्योरेंस स्टैंड्डर्स के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित है, पर अपनी राय देने के लिए जिम्मेवार होंगे। उन्होंने दिनांक 02 अगस्त, 2011 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उक्त कथन का उल्लेख किया है।

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) बी के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व लेखा परीक्षक की ओर से मेरे द्वारा की गई है। सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य का मूल्यांकन किए बिना ही यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखा परीक्षकों निगम के कार्मिकों तथा एकाऊटिंग रिकार्ड्स की कुछ चुनी हुई जांच तक ही सीमित है। मेरे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई अनुपूरक टिप्पणियां की जा सकें।

भारत के नियंत्रक व लेखा परीक्षक की ओर से तथा उनके लिए

(इला सिंह)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवम
पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड–1, नई दिल्ली

एक नजर में दशक

(राशि–मिलियन रुपये में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
हमारी देनदारियां										
शेयर पूंजी	**1000**	500	500	500	500	500	500	500	500	500
रिजर्व	**12797**	12371	10734	9800	8321	7833	7035	6219	5853	5703
	13797	12871	11234	10300	8821	8333	7535	6719	6353	6203
ऋण	**60835**	51648	43052	31984	11298	5071	3075	4013	1852	3255
	74632	64519	54286	42284	20119	13404	10610	10732	8205	9458
हमारी परिसंपत्तियां										
स्थायी परिसंपत्तियां	**2107**	2099	2075	2067	2045	773	744	733	747	723
घटाएं: मूल्यहरास	**993**	874	757	654	519	453	426	395	376	339
शुद्ध स्थायी परिसंपत्तियां	**1,114**	1,225	1,318	1,413	1,526	320	318	338	371	384
निवेश	**2831**	2729	2315	2550	2550	2210	2210	1985	2108	992
विविध खर्चे (बट्टे खाते में नहीं डाले गए)	**-**	-	58	22	15	45	82	169	234	196
कार्यरत पूंजी	**70352**	60339	50291	38042	15667	10411	7517	7707	4744	7116
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**335**	226	303	257	361	418	483	533	748	770
	74632	64,519	54,285	42,284	20,119	13,404	10,610	10,732	8,205	9,458
हमारी आय										
बिक्री	**688545**	451242	368207	264234	233016	163624	151237	90992	62259	72436
निर्यात	**36934**	32227	45759	39114	34131	29254	30309	18912	23356	17287
आयात	**633008**	399691	306951	204499	186074	117858	110325	66787	37324	54805
घरेलू	**18603**	19324	15497	20621	12811	16512	10603	5293	1579	344
अर्जित ब्याज	**4750**	5742	7824	2106	1202	1213	3155	320	375	410
अन्य आय	**2369**	2294	2498	1314	902	749	584	1353	779	429
	695664	459278	378529	267654	235120	165586	154976	92665	63413	73275
हमारे खर्चे										
विक्रय लागत	**687260**	449463	366966	260732	230964	161716	148821	89794	61295	71417
स्थापना खर्चे	**1838**	1684	1653	1184	883	706	700	690	637	732
प्रशासनिक खर्चे	**554**	461	385	375	327	302	276	225	308	341
प्रदत्त ब्याज	**3719**	4126	6659	1350	711	818	2851	251	255	240
मूल्यहरास	**125**	133	126	127	80	42	42	43	44	34
बट्टे खाते में डाले गए विविध खर्चे	**0**	58	18	13	33	41	96	95	90	90
बट्टे खाते में डाले गए ऋण/दावे तथा निवेश के मूल्य मे कमी	**1**	3	143	231	98	191	259	651	236	6
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान तथा निवेश/स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्यों में ह्रास हेतु प्रावधान	**229**	19	406	373	95	67	135	76	207	167
	693726	455947	376356	264385	233191	163883	153180	91825	63072	73027

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
हमारी बचत										
वर्ष का लाभ	**1938**	3331	2173	3269	1929	1703	1796	840	341	248
कराधान के लिए प्रावधान	**701**	1168	772	1241	625	596	691	295	107	63
कर पश्चात् लाभ (पूर्वावधि समायोजन से से पूर्व)	**1237**	2163	1401	2028	1304	1107	1105	545	234	185
पूर्वावधि समायोजन	**21**	-	(1)	23	36	24	33	39	(16)	-
उपयोग हेतु उपलब्ध लाभ	**1216**	2163	1402	2005	1268	1083	1072	506	250	185
लाभांश के लिए सामान्य से रिजर्व अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438
लाभांश	**250**	450	400	450	250	250	225	125	100	605
लाभांश पर कर	**41**	75	68	76	39	35	31	16	-	-
प्रतिधारित (रिटेंड) आय	**925**	1638	934	1479	979	798	816	365	150	18
सकल लाभ	**3300**	3176	3209	4298	2497	2218	2559	1624	1297	1262
कर पूर्व लाभ	**1917**	3331	2174	3246	1893	1679	1763	801	357	248
कर पश्चात् लाभ	**1216**	2163	1402	2005	1268	1083	1072	506	250	185
नेटवर्थ	**13797**	12871	11176	10278	8806	8288	7453	6550	6119	6007
नियोजित पूंजी	**8645**	9725	8557	7471	5895	10731	7835	8045	5115	7500
कार्यरत पूंजी	**70352**	60339	50291	38042	15667	10411	7517	7707	4744	7116
अनुपात										
बिक्री के अनुपात में ओवरहैडस %	**0.35**	0.48	0.55	0.59	0.52	0.62	0.65	1.01	1.52	1.48
बिक्री के अनुपात में स्टॉक %	**0.94**	4.73	1.57	2.09	0.76	1.52	0.73	1.79	2.03	1.62
बिक्री के अनुपात में व्यापार लाभ %	**0.48**	0.70	0.87	1.63	1.07	1.36	1.69	1.78	2.08	1.74
बिक्री के अनुपात में कर पूर्व लाभ %	**0.28**	0.74	0.59	1.23	0.81	1.03	1.17	0.88	0.57	0.34
बिक्री के अनुपात में कर पश्चात लाभ%	**0.18**	0.48	0.38	0.76	0.54	0.66	0.71	0.56	0.40	0.26
बिक्री के अनुपात में देनदार %	**3.69**	3.44	5.18	5.47	4.80	4.51	4.53	5.01	3.91	4.28
बिक्री के अनुपात में कार्यरत पूंजी %	**10.22**	13.37	13.66	14.40	6.72	6.36	4.97	8.47	7.62	9.82
कार्यरत पूंजी के अनुपात में बिक्री (गुना)	**9.79**	7.48	7.32	6.95	14.87	15.72	20.12	11.81	13.12	10.18
नियोजित पूंजी से वर्ष के लिए लाभ का %	**22.42**	34.25	25.39	43.76	32.72	15.87	22.92	10.44	6.67	3.31
नियोजित पूंजी से कर पश्चात् लाभ का %	**14.07**	22.24	16.38	26.84	21.51	10.09	13.68	6.29	4.89	2.47
नेट वर्थ का वर्ष के लिए लाभ %	14.05	25.88	19.44	31.81	21.91	20.55	24.10	12.82	5.57	4.13
नेटवर्थ से कर पश्चात् लाभ %	8.81	16.81	12.54	19.51	14.40	13.07	14.38	7.73	4.09	3.08
कार्मिकों की संख्या	1767	1838	1882	1953	1997	2031	2063	2083	2160	2399
प्रति कार्मिक बिक्री	389.67	245.51	195.65	135.30	116.68	80.56	73.31	43.68	28.82	30.19

निधियों के स्रोत एवं उपयोग

(रुपये मिलियन में)

	2010-11	2009-10	2008-09
स्रोत			
आंतरिक अर्जन			
कर पश्चात् लाभ	**1216**	2162	1402
आस्थगित कर समायोजन	**(109)**	77	(47)
मूल्यह्रास	**994**	874	757
प्रावधान	**3566**	3579	3605
इक्विटी	**1000**	500	500
रिजर्व	**11581**	10209	9332
बाह्य अर्जन			
बैकिंग	**60835**	51648	43052
चालू देयताए	**48466**	49972	48350
अन्य देयताएं	**1823**	1493	1470
कुल स्रोत	**129372**	**120514**	**108421**
उपयोग			
स्थायी परिसंपत्तियां	**2107**	2099	2075
निवेश	**2879**	2777	2363
व्यापार ऋण	**26149**	16059	19994
वस्तुसूची	**6480**	21348	5785
ऋण व अग्रिम	**24048**	17120	19309
नकद व बैंक शेष	**67482**	60808	58580
आस्थगित कर	**227**	303	257
बट्टे खाते में न डाले गए विविध व्यय	**-**	-	58
कुल उपयोग	**129372**	**120514**	**108421**

वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों का विवरण

(रूपये मिलियन में)

	2010-11		2009-10		2008-09	
निधियों के स्रोत						
आंतरिक अर्जन						
कर पश्चात् लाभ	**1,216**		2,162		1,402	
मूल्य ह्रास	**125**	**1,341**	133	2,295	126	1,528
आस्थगित कर समायोजन		**227**		303		257
ऋण						
ऋण निधियां		**9,187**		8,596		11,068
कुल स्रोत		**10,755**		11,194		12,853
निधियों का अनुप्रयोग						
स्थायी परिसंपत्तिया		**14**		40		31
निवेश		**102**		413		(234)
बट्टे खाते में न डाले गये विविध व्यय		-		(58)		36
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		**335**		226		303
अंतिम लांभाश		**250**		450		200
अंतरिम लांभाश		-		-		200
लांभाश कर		**41**		75		68
चालू परिसंपत्तियां						
इनवेंट्री	**(14,869)**		15,563		253	
विविध देनदार	**9,874**		(3,550)		4,620	
ऋण व अग्रिम	**6,924**		(2,189)		11,996	
रोकड़ व बैंक शेष	**6,675**		2,228		(940)	
कुल चालू परिसंपत्तियां	**8,604**		12,052		15,929	
चालू देयताएं						
देयताएं	**(1,506)**		1,622		3,046	
प्रावधान	**97**		382		634	
कुल वर्तमान देयतायें	**(1,409)**		2,004		3,680	
निवल कार्यरत पूंजी		**10,013**		10,048		12,249
निधियों का कुल अनुप्रयोग		**10,755**		11,194		12,853

मूल्यवर्धन विवरण

(रूपये मिलियन में)

	2010-11	%	2009-10	%	2008-09	%
वर्धित मूल्य						
बिक्री तथा अन्य व्यापारिक अर्जन	**690,494**		452,636		370,173	
जोड़ें:अन्य आय	**353**		898			534
	690,847		**453,534**		**370,707**	
घटाएं: प्रयुक्त सामग्री व सेवाओं की लागत	**660,789**		437,926		359,971	
कुल मूल्यवर्धन	**30,058**		**15,608**		**10,736**	
मूल्य वितरण						
प्रचालन खर्चे	**26,421**	**87.90**	11,538	73.93	6,995	65.15
नियोजन लागत	**1,838**	**6.11**	1,742	11.16	1,671	15.57
प्रशासनिक लागत	**556**	**1.85**	469	3.01	529	4.93
प्रावधान	**229**	**0.76**	19	0.12	406	3.78
मूल्यहरास	**125**	**0.41**	135	0.87	126	1.17
ब्याज (शुद्ध)	**(1,029)**	**(3.42)**	(1,627)	(10.42)	(1,165)	(10.85)
आय कर	**701**	**2.33**	1,168	7.49	772	7.19
लाभांश						
अतंरिम लाभांश	**-**	**-**	-	-	200	1.86
प्रस्तावित लाभांश	**250**	**0.83**	450	2.88	200	1.86
लाभांश पर कर	**41**	**0.13**	75	0.48	68	0.63
रिटेंड अर्जन	**926**	**3.08**	1,638	10.49	934	8.70
कुल मूल्य वितरण	**30,058**	**100.00**	**15,608**	**100.00**	**10,736**	**100.00**
विश्लेषण						
कर्मचारियों की संख्या	**1767**		1838		1882	
प्रति कर्मचारी मूल्यवर्धन('000 रु.)	**17011**		8492		5705	
नेट वर्थ	**13,797**		12,871		11,176	
नेट वर्थ के प्रति रुपये में मूल्य वर्धन	**2.18**		1.21		0.96	

वस्तुवार निष्पादन

(रूपये मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
निर्यात										
लौह अयस्क	**19390**	19244	27536	26554	19012	21584	21369	12037	10752	12237
मैंगनीज अयस्क/ऑक्साइड	**575**	1019	1064	441	409	469	660	589	396	525
क्रोम अयस्क/कांसनट्रेट	**8076**	6269	8274	6904	7964	3191	3354	1563	1300	1012
पिग आयरन	**8136**	4891	5988	5090	5446	3458	3901	797	1588	
स्लैग					1	1	16			
उर्वरक	**737**	805			257					
कृषि उत्पाद	**20**		2411	61	753		620	2429	9005	2929
माइका										34
हीरे/रत्न/आभूषण			434		289	291	387	592	76	277
मर्चेटिंग ट्रेड			50	64					180	226
स्टील/एचआर स्टील कोयल्स						101				
भवन निर्माण सामग्री									1	46
इंजीनियरिंग उत्पाद							2	905	58	
अन्य : (सुनामी कारें)						159				1
कुल निर्यात	**36934**	32228	45757	39114	34131	29254	30309	18912	23356	17287
आयात										
धातुएं/आईआरएम										
कॉपर/कॉपर कैथोड्स	**1240**	1549	4688	3678	2691	3104	1128	639	764	131
जिंक	**1205**	1494	896	1287	1617	955	248	199	190	136
लैड	**117**	90	304	246	750	384	276	85	62	44
टिन	**1013**	522	1047	703	651	373	497	409	239	279
निकल	**3304**	1042	501	922	1216	561	700	738	261	199
अल्यूमिनियम		11		16	172	228	165	221	162	130
एंटीमनी मेटल	**26**	8	5	24	10	52	9	13	14	4
स्टील/स्टील स्क्रैप/एचआर कोयल्स	**1080**	1585	1065	1350	1331	274	100			
अन्य	**282**	334	282	148	41	145	72	36	20	6
अनु–योग	**8267**	6635	8788	8374	8479	6076	3195	2340	1712	929

31 मार्च को समाप्त वर्ष

(रूपये मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
उर्वरक										
सल्फर	**142**	220	1566	1488	140	160	76	150	69	1
अमोनिया सल्फेट								94	111	
यूरिया	**14534**	14084	30259	37907	14223	5867	4566	692	229	542
डीएपी		574			6346	5904	1505	1895	3	27
एमओपी	**3937**	9302	7916	1647	1621	1692	1368	844	550	255
अन्य		4	7							
अनु–योग:	**18613**	24184	39748	41042	22330	13623	7515	3675	962	825
डायमंड /गोल्ड/एम्राल्ड्स	**501935**	316029	212891	122071	135041	76928	79582	53873	30197	48397
कृषि उत्पाद	**14921**	14638	16695	16160	3581	2726	3354	1641	1171	1892
हाइड्रोकार्बन	**89229**	38203	27364	16481	16296	18087	16585	5113	3195	2718
अन्य	**43**	1	1466	371	347	418	94	144	87	44
कुल आयात	**633008**	399690	306952	204499	186074	117858	110325	66786	37324	54805
घरेलू										
माइका							1		2	2
कॉपर/जिंक/ब्रास/ अल्यूमिनियम	**18**	1195		1633	2142	1492	1101	4394		8
पिग आयरन/स्लैग	**4180**	6352	2791	2738	2806	4381	4420			
उर्वरक	**45**	40	68	56	45	41	20		2	23
कृषि उत्पाद	**1294**	1245	1042	1621	1610	1180	235	354	30	64
रत्न व आभूषण/चॉदी	**4918**	5274	4118	7921	2369	1990	3113	367	404	96
हाइड्रोकार्बन	**5870**	1753	4023	5255	3318	6893	1655	6	304	
अन्य	**2278**	3465	3455	1397	521	535	58	173	837	151
कुल घरेलू कारोबार	**18603**	19324	15497	20621	12811	16512	10603	5294	1579	344
कुल कारोबार	**688545**	451242	368207	264234	233016	163624	151237	90992	62259	72436

देशवार निर्यात

(रुपये मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2011	2010	2009
अफ्रीका			
दक्षिण अफ्रीका	2401	-	-
	2401	-	-
एशिया			
बांग्ला देश	11	-	1880
चीन	14356	18922	25488
जापान	12091	7648	10437
कोरिया	3633	1745	3411
मलेशिया	122	591	4
नेपाल	737	805	93
इंडोनेशिया	1048	1029	-
ताईवान	589	383	-
थाईलैंड	1938	929	1397
	34524	32228	44627
पश्चिम यूरोप			
नीदरलैंड	9	-	-
	9	-	896
कुल निर्यात	**36,934**	**32,228**	**45,759**

देशवार आयात

(रूपये मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2011	2010	2009
अफीका			
जिम्बाब्वे	65	27	20
नाम्बिया	152	-	-
दक्षिण अफ्रीका	42566	35264	2411
	42784	36218	2431
एशिया			
चीन	11989	6473	8033
वियतनाम	455	162	-
इंडोनेशिया	43997	43147	27046
जापान	473	295	-
कोरिया	40	544	23
मलेशिया	1399	299	3437
म्यांमार	3128	795	615
हांग कांग	963	171	-
रूस	5740	3019	5128
सिंगापुर	6020	7012	11661
ताइवान	35	-	-
	74236	63207	58103
पूर्वी यूरोप			
कजाकिस्तान	494	196	153
बेलारूस	836	3230	3015
स्पेन	3	-	-
युक्रेन	236	388	6224
	1569	3814	10035
मध्य पूर्व			
बहरीन	-	612	-
दुबई	64582	23471	34996
ईरान	1383	2324	1563
ओमान	1814	913	338
कतर	-	1029	1407
साउदी अरेबिया	-	1562	1296
तुर्की	-	-	1042
संयुक्त अरब अमीरात	7638	3094	3427
	75417	33005	44069

(रुपये मिलियन में)

देशवार आयात	2011	2010	2009
उत्तरी अमेरिका			
कनाडा	133	526	1991
संयुक्त राज्य अमेरिका	187	117	432
	320	643	2423
ओशिनिया			
आस्ट्रेलिया	93947	53389	35306
	93947	53389	35309
पश्चिम यूरोप			
जर्मनी	80	24	1295
नीदरलैंड	55	7	-
स्विटजरलैंड	172005	158134	89702
नार्वे	751	241	56
यू के	136519	56356	57769
	309411	215295	148885
कुल आयात	**597684**	**406613**	**304355**

राजकोष में अंशदान

(मिलियन रुपयों में)

	2010-11	2009-10	2008-09
केन्द्र सरकार को			
निर्यात शुल्क	**1,412**	1,705	2,214
आयात शुल्क	**11,908**	5,858	2,388
सेवा कर	**70**	38	56
केन्द्रीय बिक्री कर	**1,045**	265	8
लाभांश कर सहित आयकर	**1,498**	1,702	1,370
लाभांश	**447**	200	475
योग	**16,380**	9,768	6,511
रेलवे तथा बंदरगाहों को			
रेल भाड़ा	**7,044**	1,924	1,053
रेलवे/बंदरगाहों को प्लाट किराया	**3**	10	3
बंदरगाह प्रभार	**172**	175	221
योग	**7,219**	2,109	1,277
राज्य सरकार को			
स्थानीय बिक्री कर/वैट	**7,077**	3,272	2,315
अन्य कर/शुल्क	**172**	30	24
व्यावसायिक कर	**1**	1	-
योग	**7,250**	3,303	2,339
कुल योग	**30,849**	15,180	10,127

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

वार्षिक लेखे
2010 - 2011

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यगण

1. हमने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के संलग्न तुलन–पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के संलग्न लाभ व हानि लेखे एवं नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा आडिटेड कारपोरेट कार्यालय, माईका प्रभाग तथा झंडेवालान क्षेत्रीय कार्यालय तथा झंडेवालान क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन उप क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखे शामिल हैं जबकि अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उप–क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है तथा

   इन वित्तीय विवरणों के लिए कंपनी का प्रबन्ध–तंत्र उत्तरदायी है। हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।

2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उक्त मानकों की आवश्यकता है कि उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखापरीक्षा की इस तरह योजना बनाएँ तथा ऐसी कार्रवाई करें कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का गलत विवरण न हो। वित्तीय विवरणों में की गई घोषणा तथा राशियों के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की जॉच के आधार पर की गई जॉच लेखापरीक्षा में शामिल होती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधतंत्र द्वारा अपनाए गए लेखा सिद्धांतों तथा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन तथा प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा हमारे द्वारा व्यक्त राय का समुचित आधार है।

3. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4ए) की शर्तों के अनुसार कंपनीज (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथासंशोधित) तथा इसके साथ कंपनीज (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2004 पढ़ा जाए (जो इसके बाद आदेश कहलाएगा) द्वारा अपेक्षित तथा रिकार्ड की जांच जैसा हमने उपयुक्त समझा तथा जो सूचना व स्पष्टीकरण हमें दिए गए के आधार पर हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ (4) व (5) में विनिर्दिष्ट मामलों पर हमने अनुलग्नक 'ए' में अपना मत दिया है।

4. उपर्युक्त पैरा (3) में उल्लिखित अनुलग्नक में की गई टिप्पणियों के बारे में हम आगे रिपोर्ट करते हैं किः–

   (i) देयता के लिए न किए गए प्रावधान, अगर है तो जीआर–! फार्म्स के लिए समय सीमा की बढोतरी / वेवर / राईट–ऑफ (नोट संख्या 5 देखें)

   (ii) विविध देनदारों / वसूली योग्य दावों / ऋण व अग्रिम / विविध लेनदारों / अन्य देयताओं के अंतर्गत शेष को, कुछ मामलों में, पार्टियों द्वारा अभिपुष्ट नहीं किया गया हैं। ऐसी अभिपुष्टि पर आवश्यक समायोजन, अगर है तो, निर्धारण योग्य नहीं है। (नोट संख्या 31 देखें)

   (iii) मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक 'क' के पैरा (iv) में वर्णित आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया के संबंध में कुछ टिप्पणियों का वर्ष के लेखों पर अनुवर्ती प्रभाव पड़ सकता है। (इस प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता)

5. हम इसके आगे रिपोर्ट करते हैं कि :–

   क) रिपोर्ट में अन्यथा वर्णित के अतिरिक्त हमने सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।

   ख) लेखा पुस्तकों की जॉच से जो देखने में आया है, उसके आधार पर हमारे मत में, कंपनी ने कानून द्वारा वांछित उचित लेखा पुस्तकें रखी हुई हैं।

   ग) जिन क्षेत्रीय कार्यालयों, उप–क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई है, हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त रिटर्न हमें वहां से प्राप्त हुई हैं। अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय क्षेत्रीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर भी विचार किया गया है।

   घ) इस रिपोर्ट के तुलन–पत्र, लाभ व हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों तथा शाखाओं के लेखा–परीक्षित विवरणिकाओं के अनुरूप हैं।

   ड.) हमारा मत है कि इस रिपोर्ट में तुलन–पत्र, लाभ व हानि खाता और नगद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में दिए गए लेखा मानकों का अनुपालन करते है।

   (च) एक सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.10.2003 को जारी गजट अधिसूचना संख्या जीएसआर / 829(ई) के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 के

अनुच्छेद (जी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

6. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र में दर्शाए गए वर्ष के लाभ तथा परिसंपत्तियों एवं देयताओं पर उपरोक्त पैराग्राफ 4 (i) से 4 (iii) के प्रभावों का आकलन नहीं किया जा सका। हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा उन पर की गई टिप्पणियां, उपरोक्त वर्णित के अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित सूचनाएं देती हैं। साथ ही भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करती हैं।

i) 31 मार्च, 2011 को कंपनी की वस्तुस्थिति के तुलन–पत्र के मामले में, तथा

ii) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ एवं लाभ व हानि लेखे के मामले में, तथा

iii) उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुत नकद प्रवाह के मामले में।

कृते एन.के. भार्गव एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफआर. नं. 000429एन

(सीए एन.के. भार्गव)
भागीदार

एम नं. 080624

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.08.2011

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पैराग्राफ–3 के संदर्भ में।

(i) स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में :

(क) कंपनी ने सामान्यतः पूरे विवरणों सहित मात्रात्मक विवरण और स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखे हैं।

(ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय बेल्लारी तथा झंडेवालान कार्यालय को छोड़कर प्रबंध–तंत्र द्वारा सभी परिसंपत्तियां प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित हैं, जो हमारे विचार से कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए उचित है। जांच के दौरान किसी प्रकार की महत्वपूर्ण त्रुटियां नहीं पाई गईं।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी भी तरह की स्थायी परिसंपत्तियों को बेचा नहीं है, अतः गोईंग कन्सर्न अनुमान प्रभावित नहीं हुआ है।

(ii) इंवेंट्रीज के बारे में :

(क) मार्गस्थ माल, सेंट्रल/स्टेट वेयरहाउस में रखे माल के संबंध में समय–समय पर पार्टियों से पुष्टिकरण प्राप्त कर उस पर विश्वास करने के अलावा वर्ष के दौरान प्रबंधतंत्र ने अन्य इन्वेंट्री का प्रत्यक्ष सत्यापन कराया है।

(ख) हमारे विचार से प्रबंधतंत्र द्वारा इन्वेंट्री के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसकी व्यापार की प्रकृति के अनुरूप उचित और पर्याप्त है।

(ग) इन्वेंट्री रिकार्ड की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर हमारी राय में कंपनी ने इन्वेंट्री का उचित रिकार्ड रखा हुआ है। प्रत्यक्ष स्टाक तथा लेखा पुस्तिकाओं के बीच कोई विशेष विसंगति नहीं पाई गई सिवाय क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में कोयले की इंवेंट्री को छोड़कर जिसके संबंध में लेखा पुस्तिका में उपयुक्त समाधान कर लिया गया है।

(iii) ऋणों के संबंध में :

(क) हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गये रजिस्टर के अन्तर्गत कंपनी ने कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों को किसी भी प्रकार का सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए क्लॉज (iii) के उप–क्लॉज (बी), (सी) तथा (डी) लागू नहीं होते।

(ख) हमेंदी गई सूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर के अंतर्गत कंपनी ने कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों से किसी भी प्रकार का सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं लिया है। इसको ध्यान में रखते हुए क्लॉज (iii) के उप क्लॉज (ई), (एफ) तथा (जी) लागू नहीं होते।

(iv) हमारे विचार से तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार इन्वेंट्री, स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद तथा माल एवं सेवाओं की बिक्री के बारे में कंपनी के आकार और व्यापार की प्रकृति के अनुसार आंतरिक नियंत्रण प्रकिया पर्याप्त और इसके अनुरूप है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई बड़ी कमी नहीं पाई है।

तथापि, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को निम्नलिखित क्षेत्रों में मजबूत करने की आवश्यकता है :–

(क) संबंधित कमोडिटी प्रभागों द्वारा कंपनी के पक्ष में डिक्री/अवार्ड निष्पादन के लिए पुराने ऋणों, अग्रिमों तथा दावों, न्यायालय मामलों तथा वसूलियों आदि के लिए सक्रिय रूप से और तुरन्त अनुवर्ती कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

(ख) बकाया शेषों की पुष्टि तथा समय–समय पर इनका मिलान करना।

(ग) कारपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा बंदकर दिए गए उप क्षेत्रीय कार्यालयों सहित उप क्षेत्रीय कार्यालयों के न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकरणों के पास लम्बित पुराने बिक्री कर मामलों/अपीलों पर शीघ्र अनुवर्ती कार्रवाई की जाए ताकि कानूनी खर्चों एवं विवादित अतिरिक्त मांगों पर देय ब्याज को बचाया जा सके।

(v) (क) हमारे मत से और उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में दिये गये उल्लेख के अनुसार कोई ऐसा करार और व्यवस्था नहीं है जिनके विवरण अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर में दर्ज किए जाने आवश्यक हों।

(ख) तदनुसार, यथा संशोधित आदेश के पैरा 4 के क्लॉज 5 (बी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(vi) पब्लिक से प्राप्त जमा राशियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और धारा 58ए और 58एए के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम, 1956 के संबद्ध प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों का अनुपालन किया गया है। हमें सूचित किया गया है कि इस संबंध में कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(vii) हमारे मतानुसार कंपनी में आंतरिक लेखा–परीक्षा प्रणाली है जो कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय के अनुरूप है। तथापि, और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए।

(viii) जैसा कि हमें सूचित किया गया है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अधीन लागत रिकार्डों के रखरखाव को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

(ix) (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जांच किये गये कंपनी के रिकार्डों के अनुसार हमारी राय में कंपनी ने अविवादित, सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा कराये हैं इनमें भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य लागू महत्वपूर्ण सांविधिक देय शामिल हैं, और इसके संबंध में 31.3.2011 तक बकाया के रूप में कोई विवादित राशि इसकी देय तिथि से 6 माह की अवधि के लिए देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जांच किये गये कंपनी के रिकार्ड के अनुसार 31 मार्च, 2011 को देय आयकर/बिक्री कर/संपत्ति कर/सेवा कर/ सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/उपकर (यथा लागू) का विवरण अनुलग्नक 'ख' में दिया गया है, जो विवादित होने के कारण जमा नहीं कराये गये हैं।

(x) कंपनी की किसी भी प्रकार की संचयी हानियॉं नहीं हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष अथवा इससे पूर्ववर्त्ती वित्तीय वर्ष में भी किसी प्रकार की रोकड़ हानि नहीं हुई है।

(xi) हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की जांच करने पर तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर होल्डर को पुनर्भुगतान करने में किसी भी प्रकार की चूक नहीं की है।

(xii) हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को जमानत के रूप में गिरवी रखने के आधार पर किसी भी तरह के ऋणों एवं अग्रिमों की स्वीकृति प्रदान नहीं की हैं, सिवाय इसके कि कर्मचारियों को कुछ ऋण, मकान और वाहन को जमानत पर रखकर दिये गये है और इस संबंध में दस्तावेज एवं रिकार्ड बनाए गए हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त भी कुछ ऋण कार्मिकों को बिना किसी जमानत के दिये जाते हैं।

(xiii) हमारी राय में कंपनी चिट फंड अथवा निधि/म्यूचुअल लाभ फंड/सोसाइटी नहीं है। इसलिए कंपनी पर कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथासंशोधित) के खंड 4 (xiii) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

(xiv) हमारी राय में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों तथा

अन्य निवेशों के व्यापार में लेन–देन नहीं करती है। तदनुसार कंपनी पर कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथा संशोधित) के खंड 4 (xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान एनआईएनएल द्वारा बैकों तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए जिन शर्तो व अनुबंधों के अधीन कंपनी द्वारा गारंटी दी गई हैं वे प्रथम दृष्टि में कंपनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है।

(xvi) हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार के सावधि ऋण नहीं लिए हैं। अतः कंपनी पर कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश (यथासंशोधित) के खंड 4 (xvi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xvii) हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं कंपनी के तुलन पत्र की समग्र जांच के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि लघु अवधि आधार पर उगाही गई निधियों का दीर्घावधि निवेश में प्रयोग नहीं किया गया है।

(xviii) हमारी सूचना व हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में कंपनी ने पार्टियों एवं कम्पनियों को किसी प्रकार के अधिमान्य (प्रिफरेंशियल) शेयरों का आबंटन नहीं किया है।

xix) हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार आडिट रिपोर्ट की अवधि के दौरान वर्ष में कंपनी द्वारा किसी प्रकार के डिबेंचर जारी नहीं किए गए हैं। अतः कम्पनीज़ (ऑडिटर्स रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथा संशोधित) के खंड 4 (xix) का प्रावधान लागू नहीं होता।

(xx) चूंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम द्वारा किसी प्रकार की राशि नहीं जुटाई है अतः कम्पनीज़ (ऑडिटर्स रिपोर्ट) आदेश 2003(यथासंशोधित) के खंड 4(xx) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते हैं।

(xxi) क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में, जहां पर, दो सहयोगियों दवारा 1285 मिलियन रुपए मूल्य के 86,542 मी.टन पीली मटर के भाराक्रान्त स्टॉक की अनाधिकृत लिफ्टिंग रिपोर्ट की गई है के अलावा, हमने कंपनी के बही खातों तथा रिकार्ड की जांच भारत में सामान्य रूप में स्वीकृत लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार की है तथा इस जांच के दौरान तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किए गए धोखेबाजी का कोई मामला हमारे नोटिस में नहीं आया है, न ही हमें इसकी कोई सूचना दी गई अथवा रिपोर्ट की गई। तथापि, समग्र राशि की वसूली कर ली गई है जो हाई सी आधार पर बेची गयी कुल मात्रा के पूर्ण निपटान पर बनती थी।

कृते एन.के. भार्गव एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर. नं. 000429एन
(सी.ए.एन.के. भार्गव)
भागीदार

एम सं.080624

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :– 02.08.2011

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

अनुलग्नक 'क' के पैराग्राफ 9 (बी) में संदर्भित दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनीज़ (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2003(यथासंशोधित) में एमएमटीसी लिमिटेड के विनिर्दिष्ट मामलों की तालिका।

कंपनी के रिकार्ड के अनुसार इसके द्वारा देय आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा उपकर जो विवाद के कारण जमा नहीं कराए गए हैं, का विवरण निम्नलिखित है :

चैन्नई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	रशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व ब्याज	8,63,114	1998–99	उच्च न्यायालय
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व ब्याज	4,43,416	2000–2001	बिक्री कर अपील ट्रिब्यूनल
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व ब्याज	11,52,785	1999–2000	उच्च न्यायालय
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व ब्याज	1,78,536	2001–02	सहायक उपायुक्त (उपायुक्त कर)चैन्नई

मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम मे विचाराधीन है
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	3,08,644	1986–87	बिक्री कर के संयुक्त आयुक्त
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	5,19,887	1987–88	बिक्री कर के संयुक्त आयुक्त
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	1,33,907	1988–89	बिक्री कर के संयुक्त आयुक्त
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	14,96,06,778	1989–90	एमएसटी ट्रिब्यूनल
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	23,30,46,478	1990–91	उपायुक्त बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	28,98,738	1991–92	उपायुक्त बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	11,14,933	1992–93	एमएसटी ट्रिब्यूनल
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	45,03,961	2001–02	उपायुक्त (बिक्री कर)
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	सेवा कर	1,14,37,820	2008–09	केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सीमाशुल्कआयुक्त

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम मे विचाराधीन है
दिल्ली बिक्री कर	बिक्री कर	11,65,303	1984–85	डीसी अपील
दिल्ली बिक्रीकर	बिक्री कर	6,18,17,683	1986–87	अपर आयुक्त
केंद्रीय बिक्री कर	बिक्री कर	39,14,524	1986–87	अपर आयुक्त
दिल्ली बिक्रीकर	बिक्री कर	403,31,557	1987–88	अपर आयुक्त
केंद्रीय बिक्री कर	बिक्री कर	28,54,992	1987–88	अपर आयुक्त
दिल्ली बिक्रीकर	बिक्री कर	3,69,45,148	1988–89	अपर आयुक्त
केंद्रीय बिक्री कर	बिक्री कर	33,51,524	1988–89	अपर आयुक्त
दिल्ली बिक्री कर	बिक्री कर	16,35,160	1987–88	संयुक्त आयुक्त

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1,49,770	1989–90	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी	बिक्री कर	29,61,551	1990–91	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी	बिक्री कर	24,02,576	1991–92	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी	बिक्री कर	13,96,269	1992–93	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी	बिक्री कर	17,62,687	1992–93	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी	बिक्री कर	6,30,615	1993–94	एसटीएटी हैदराबाद
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	4,41,446	1993–94	एडीसी (सीटी)
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	2,04,481	1994–95	एडीसी (सीटी)
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	5,97,266	1995–96	एडीसी (सीटी)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	38,03,875	1995–96	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी	बिक्री कर	28,80,309	1995–96	एसटीएटी, हैदराबाद
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	21,34,306	1996–97	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी	बिक्री कर	58,43,100	1997–98	एसटीएटी, हैदराबाद
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	6,35,504	1997–98	एडीसी (सीटी)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	55,65,147	1998–99	एडीसी, हैदराबाद
एपीजीएसटी	बिक्री कर	39,04,454	1999–2000	एडीसी, हैदराबाद
एपीजीएसटी	बिक्री कर	2,52,926	2000–2001	एडीसी हैदराबाद
एपीजीएसटी	बिक्री कर	2,12,176	2001–2002	एसी (एलटीयू)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	68,901	2002–2003	एसी (एलटीयू)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	34,856	2003–2004	एसी (एलटीयू)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1,26,000	2004–2005	एसी (एलटीयू)
सीएसटी	बिक्री कर	6,76,058	2006–2007	एसटीएटी, हैदराबाद
वैट	बिक्री कर	71,000	2007–08	सहायक कमिश्नर (वैट ऑडिट)
केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क	सीमा शुल्क	10,66,52,009	2008–09	सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्कायुक्त

भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपये में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज दंड	958,035	1966–67	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज दंड	26,50,388	1978–79	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज दंड	6,53,452	1979–80	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	सीएसटी	3,30,4,073	1981–82	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	7,846,464	1982–83	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	3,16,921	1982–83	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	केंदीय बिक्री कर	34,83,020	1982–83	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज	2,62,819	1982–83	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	7,91,3,807	1983–84	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	329,926	1983–84	उड़ीसा उच्च न्यायालय

उड़ीसा बिक्री कर	केंद्रीय बिक्री कर	35,42,822	1983–84	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	86,48,326	1984–85	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	3,69,294	1984–85	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	केंद्रीय बिक्री कर	57,96,808	1984–85	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज	3,57,42,030	1978–79	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री उत्पाद	सेवा कर	6,57,63,346	2007–08	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपेलेट ट्रिब्यूनल, कोलकाता
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	11,74,12,737	2008–09	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपेलेट ट्रिब्यूनल, कोलकाता
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2,58,25,626	2009–10	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपेलेट ट्रिब्यूनल, कोलकाता
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	2,89,42,202	2010–11	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपेलेट ट्रिब्यूनल, कोलकाता

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
आरएसटी अधिनियम	बिक्री कर	1,28,87,058/–	2003–04	राजस्थान टैक्स बोर्ड (विरोध में जमा की गई 2987058)रु की राशि
आरएसटी अधिनियम	बिक्री कर	5,32,992/–	2003–04	राजस्थान टैक्स बोर्ड (विरोध में जमा की गई 53300)रु की राशि
आरएसटी अधिनियम	बिक्री कर	26,07,605/–	1999–00	राजस्थान टैक्स बोर्ड

विज़ाग क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	18,56,325	1968–69	ए.पी. उच्च न्यायाजय
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	26,39,647	1981–82	एडीसी, विज़ाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	6,88,552	1982–83	एडीसी, विज़ाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	17,66,784	1983–84	एडीसी
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	30,00,436	1984–85	एडीसी
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	25,05,806	1985 –86	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	2,70,83,841	1986–87	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	36,45,076	1987–88	एडीसी
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	19,34,139	1991–92	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	4,79,000	1989–90	ए पी उच्च न्यायालय
सीएसटी	बिक्री कर	8,41,695	1994–95	एसटीएटी, हैदराबाद
सीएसटी	बिक्री कर	48,62,340	1995–96	एसटीएटी, हैदराबाद
सीएसटी	बिक्री कर	33,58,889	1996–97	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	25,27,960	1997–98	एसटीएटी, हैदराबाद

सीएसटी	बिक्री कर	28,07,578	1997–98	एसटीएटी, हैदराबाद
सीएसटी	बिक्री कर	104,614	2007–08	एसटीएटी, हैदराबाद
केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क	सेवा कर	12,65,26,554	2003–06	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलेट ट्रिब्यूनल, बंगलौर

कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपये में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
डब्ल्यूबीएसटी अधिनियम 1994	बिक्री कर	40,15,000	1995–96	बिक्री कर ट्रिब्यूनल
डब्ल्यूबीएसटी अधिनियम 1994	–वही–	86,88,778	1996–97	बिक्री कर ट्रिब्यूनल
डब्ल्यूबीएसटी अधिनियम 1994	–वही–	33,74,028	1997–98	अपीलीय बोर्ड
डब्ल्यूबीएसटी अधिनियम 1994	–वही–	37,11,769	1998–99	बिक्री कर ट्रिब्यूनल
डब्ल्यूबीएसटी अधिनियम 1994	–वही–	1,10,23,010	1999–2000	बिक्री कर ट्रिब्यूनल
सी एस टी अधिनियम 1956	बिक्री कर	11,30,858	2005–06	अपीलीय बोर्ड
सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर	77,60,971	2006–07	डी सी अपील

क्षेत्रीय कार्यालय, झंडेवालन

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
सीएसटी अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	4,17,65,555	1997–1998	एडि. कमीश्नर–III नई दिल्ली
एलएसटी अधिनियम	स्थानीय बिक्री कर	1,01,70,918	1997–1998	एडि.कमीश्नर–III नई दिल्ली
सीएसटी अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	37,45,290	2002–03	एसटीओ, नई दिल्ली
एनएसईजेड, नोएडा				
एसटी अधिनियम	बिक्री कर	921,383	1993–94	इलाहाबाद हाईकोर्ट
एसटी अधिनियम	बिक्री कर	17,99,903	1994–95	संयुक्त अपील आयुक्त, III, नौएडा
एसटी अधिनियम	बिक्री कर	2,94,481	1995–96	संयुक्त अपील आयुक्त, III, नौएडा
एसटी अधिनियम	बिक्री कर, ब्याज	32,14,026	1994–95	संयुक्त अपील आयुक्त, III, नौएडा
एसटी अधिनियम	बिक्री कर, ब्याज	4,59,095	1995–96	संयुक्त अपील आयुक्त, III, नौएडा
एसटी अधिनियम	बिक्री कर	12,23,616	1996–97	इलाहाबाद हाईकोर्ट
एसटी अधिनियम	बिक्री कर	2,49,828	2007–08	एस (अपील), नोएडा

लेखा नीतियां

1. वित्तीय विवरण को तैयार करने का आधार

(क) वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत प्रथाओं के अनुसार अक्रूअल आधार पर तथा विवेकपूर्ण, संगत तथा भौतिक मौलिक लेखा नीति के सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है।

(ख) वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में दिए गए हैं तथा सभी मूल्यों को राउंड ऑफ करते हुए आसपास के मिलियन में दिया गया है यदि अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो।

(ग) अनुपालन का विवरण

भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों व समय–समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

2. क्रय तथा विक्रय

(क) ऐसे क्रय तथा विक्रय को लेखों में लिया गया है जिनके लिए कंपनी ने क्रेताओं / विक्रेताओं के साथ क्रय / विक्रय संविदा / करार किया है अथवा संविदा / करार / आबंटन के पूर्ण अथवा आंशिक निष्पादन के लिए सरकार से आबंटन प्राप्त हुआ है।

(ख) खेप आधार पर विदेशी सप्लायरों द्वारा भेजा गया सांना / चांदी ।

i) एक नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एग्ज़िम नीति की योजना के अनुसार, निर्यातकों को विक्रय के लिए आउटराइट क्रय आधार पर, खेप स्टॉक से लिया गया सोना / चांदी क्रय में सम्मिलित हैं।

ii) घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को लेखों में शामिल करते समय संबंधित मात्रा को कंसाइनमेंट स्टॉक से लिया गया तथा आपूर्तिकर्ता के साथ हुए मूल्य निर्धारण को हिसाब में लिया जाता है।

iii) कन्साइन्मैंट स्टॉक से ऋण आधार पर निकाले गये स्वर्ण / चांदी को पार्टियों को दिए गए ऋण के रूप में तथा इसे ऋण व अग्रिम खाते में दर्शाया गया है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त स्टॉक के लिए समानुरूप देयता को विविध क्रेडिटर्स के अन्तर्गत दर्शाया गया है। ऋण / विदेशी क्रेडिटर्स का समायोजन क्रय तथा विक्रय बुक करने के समय किया जाता है।

iv) रिप्लेनिशमेंट आधार के मामले में मार्जिन राशि अदा करते हुए निर्यातक द्वारा बुक किये गये सोना / चांदी के लिए विदेशी आपूर्तिकारों के साथ मूल्य का निर्धारण करके खरीद बुक की जाती है तथापि निर्यात पूरा हो जाने के बाद माल की वास्तविक डिलीवरी होने पर सेल को बुक किया जाता है।

v) विदेशी आपूर्तिकारों की ओर से रखे गए कन्साइन्मेंट स्टॉक को वर्ष के अंत में उचित रूप से लेखों में दर्शाया जाता है। फिर भी, शेष कंसाइन्मेंट स्टॉक के लिए अदा की गई कस्टम ड्यूटी को प्रीपेड खर्चे के रूप में दिखाया जाता है।

ग) लौह अयस्क / मैंगनीज अयस्क के निर्यात के संबंध में गंतव्य भार व विश्लेषण परिणामों के आधार पर अंतिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता हैं जहां ऐसे परिणाम प्रतीक्षित हैं, अनंतिम विक्रय मूल्य पर औसतन आधार से 1 प्रतिशत की दर पर डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान किया गया है। एफओबीटी आपूर्ति की स्थिति में, जहां खरीद मूल्य पर डीडब्ल्यूए जोखिम, आपूर्तिकर्ता के खाते में है, विक्रय एवं क्रय मूल्य के बीच के अंतर के लिए 1 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया है।

घ) निपटान के मामले लंबित होने की स्थिति में जैसे अर्जित / डिस्पैच / देय डैमरेज इत्यादि कतिपय व्यय / लाभ / हानि को अनंतिम आधार पर खाते में लिया जाता है।

3. राजस्व पहचान

i) राजस्व की पहचान अक्रूअल आधार पर की जाती है सिवाय निम्नलिखित मदों के जिनको लेखों में वास्तविक वसूली के आधार पर शामिल किया जाता है। चूंकि, आईसीएआई द्वारा जारी एएस–9 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसी मदों की वसूली, अनिश्चित है :

क) टारगेट प्लस योजना,आरईपी / एडवांस लाइसेंस, सर्विस टैक्स रिफंड इत्यादि के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट,ड्यूटी क्रेडिट का अथॉराईजेशन ।

(ख) निष्पादन के लिए लंबिल डिक्रियां / विवादित देय तथा उन पर ब्याज, यदि कोई हो तो,

(ग) प्राप्त की जाने वाली विलम्बित राशि पर ब्याज जिसकी प्राप्ति अनिश्चित है।

(घ) आपूर्तिकर्ताओं / अंडरराइटर्स पर निर्धारित की गई

क्षति/सर्वेक्षण में पाई गई कमी के कारण कस्टम ड्यूटी की वापसी, तथा आयकर/बिक्री–कर/वैट एवम् इन पर ब्याज की वापसी।

बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकृत होने पर बीमा क्लेम्स को लेखों में लिया जाता है।

ii) लाभ व हानि लेखों में क्लेम्स की पहचान अक्रूअल आधार पर की जाती है जिसमें सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली ऐसी राशियां, नकद प्रोत्साहन, हानि की प्रतिपूर्ति शामिल है जिनके प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं है। चिन्हित दावे जो बाद में संदिग्ध हो गए हैं उनके लिए लाभ व हानि खाते में प्रावधान किया गया है।

4. पूर्व प्रदत्त व्यय

प्रत्येक मामले में 10,000/– रुपये के पूर्व प्रदत्त भुगतान खर्चों को राजस्व खाते में दर्शाया जाता है। सरकारी विभागों, सांविधिक निगमों, विद्युत बोर्डों तथा स्थानीय निकायों में 5000/– रुपये की जमा राशि को भी राजस्व खाते में दर्शाया जाता है।

5. अचल परिसंपत्तियॉं

(क) सभी स्थिर परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर दर्शाया जाता है।

(ख) सरकारी/अर्ध सरकारी प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि मे निर्माण/विकास कार्य पर कंपनी द्वारा किये गये खर्च को 'भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियां शीर्ष दिया जाता है और न तो अचल परिसंपत्तियॉं और न ही भूमि कंपनी की है।

6. मूल्यह्रास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची xiv में दिए गए प्रावधानों के समान अथवा उससे अधिक है। वर्ष के दौरान अधिग्रहीत /बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के अधिग्रहण करने से निपटान करने तक के माह तक किया जाता है। पट्टे की भूमि तथा डब्ल्यूआईएस के अंतर्गत रेलवे वैगन रैक्स का चुकाया गया ऋण भी मूल्यह्रास में शामिल है। लकड़ी के पार्टीशन तथा बनाए गए अस्थायी ढांचे खरीदे / बनाए जाने के वर्ष से ही पूर्णतया मूल्यह्रासित किये जाते हैं। चल परिसंपत्तियॉं जिनका वर्ष के प्रारंभ में रिटन डाउन वैल्यू अथवा वर्ष के दौरान की गई खरीद यदि प्रत्येक मामले में 10,000/– रुपये अथवा इससे कम है तो 1/– रुपये के नाममात्र मूल्य रखकर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है। मूल्यह्रास की दरें इस प्रकार हैः–

परिसंपत्तियों का नाम	निगम द्वारा अपनाई गई मूल्यह्रास की दरे	अनुसूची xiv में दी गई मूल्यह्रास की दरें
क. सामान्य परिसंपत्तियां		
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	10%	6.33%
वे ब्रिज	10%	4.75%
टाइपराइटर्स, मशीनें पंखे तथा कार्यालय उपस्कर एवं एसी	12.5%	4.75%
वाहन	20%	9.50%
कम्प्यूटर्स	20%	16.21%
पट्टे की भूमि वैगन रैक्स	लीज़ एग्रीमेंट के अनुसार करार/वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम के अनुसार	
पंखों के अतिरिक्त बिजली का सामान	10%	1.63%
जल आपूर्ति, मलवहन तथा निकासी	10%	1.63%
सड़कें तथा पुलियां	2.5%	1.63%
बिल्डिंग तथा फ्लैट्स	2.5%	1.63%
आवासीय फ्लैट(बने बनाए)	5%	1.63%
भंडारगृह/गोदाम	4%	1.63%
ख. निर्माण इकाइयों की परिसंपत्तियां		
फैक्टरी बिल्डिंग	3.34%	3.34%
विद्युत व्यवस्था	4.75%	4.75%
जलापूर्ति	4.75%	4.75%
प्लांट एवं मशीनरी (सामान्य)		
एकल शिफ्ट	4.75%	4.75%
दो शिफ्ट	7.42%	7.42%
तीन शिफ्ट	10.34%	10.34%
प्लांट एवं मशीनरी (विंड मिल सहित) अनवरत प्रक्रिया	5.28%	5.28%

(ग) **''भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियॉ और न तो अचल परिसंपत्तियॉ और न ही भूमि कंपनी की है ''**	परिसंपत्ति की उपयोगिता का जीवन काल या 5 वर्ष जो भी कम हो।	
(घ) 20,000/– रुपये मूल्य तक की सभी चल संपत्तियॉ	20,000/– रुपये की या इससे कम लागत वाली प्रत्येक चल संपत्ति के लिए 100प्रतिशत	5000/–रुपये की या इससे कम लागत के वाली प्रत्येक परिसंपत्तियों के लिए 100प्रतिशत

ड.) मोबाईल हैंडसैट को इनकी खरीद वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

7. निवेश

(i) मूल्य में स्थाई मूल्यहरास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

(ii) निम्नतर लागत व उचित मूल्य पर चालू निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा लेन–देन

(क) अपरिवर्तनीय भारतीय मुद्रा के मामले में रुपया भुगतान देशों के साथ लेन–देन को विदेशी विनिमय में लेन–देन माना जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों(लम्बित ऋणों अथवा जहॉ वसूली अनिश्चित है को छोड़कर) को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दरों का प्रयोग करते हुए बदला जाता है। सूचित की गई गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि की विनिमय दर पर आकलित किया जाता है। विनिमय के लाभ/हानि के अंतर को लाभ व हानि खाते में दिखाया जाता है।

(ग) अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में विदेशी मुद्रा में देयता को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊटैंटस आफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दर से बदला जाता है। विनिमय के अंतर को परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

(घ) फारवर्ड एक्सचेंज संविदा के मामले में प्रीमियम/डिस्काउंट तथा हानि/लाभ की पहचान निम्नलिखित तरीके से की गई है।

वर्तमान रेखांकित लेन–देन के विरूद्ध फारवर्ड एक्सचेंज अनुबंध के संबद्ध में, अनुबंध की अवधि के ऊपर प्रीमियम/डिस्काउंट आनुपातिक रूप से माने जाते हैं। विनिमय दर में अंतर की वजह से हानि/लाभ के बीच (i) अंतिम दर अथवा यदि लेन–देन का निपटान वर्ष के दौरान किया गया है तो निपटान की तिथि को की जाती है तथा (ii) फारवर्ड संविदा के आरंभ की तिथि के पश्चात् विनिमय दर पर अथवा अंतिम सूचित तिथि की विनिमय दर को वर्ष के ट्रेडिंग, लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

पक्की वचनबद्धताओं एवं अधिक संभावना वाले पूर्वानुमानित लेन देन से संबंधित फारवर्ड संविदाओं के संबंध में विनिमयातंर के कारण हानि को सूचित अवधि, जिसमें विनिमय दर में परिवर्तन हुआ है, के व्यापारिक, लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है। उक्त संविदाओं के नवीकरण अथवा निरस्तीकरण के कारण होने वाले किसी लाभ अथवा हानि की पहचान उस अवधि की आय अथवा व्यय के रूप में की जाती है।

(ड) भारत से बाहर सहायक कंपनी में निवेश को अधिग्रहण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

9. खण्ड रिपोर्टिंग

प्रमुख खण्डः प्रबंधतंत्र द्वारा निगम के निष्पादन का आकलन करते हुए तथा निम्नलिखित व्यापार खंडों/उत्पाद खण्डों के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन किया जाता हैः–

1. खनिज
2. बहुमूल्य धातुएं
3. धातुएं
4. कृषि उत्पाद
5. कोयला एवं हाइड्रोकार्बन
6. उर्वरक
7. सामान्य व्यापार/अन्य

उपरोक्त व्यापार खंडों की पहचान निगम के संगठनात्मक ढांचे के साथ–साथ इन खंडों के विभिन्न जोखिमों तथा लाभों को ध्यान में रखते हुए ए एस–17 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुरूप की जाती है।

गौण खंडः– निगम के ग्राहकों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर गौण खंडों की पहचान की जाती है अर्थात

1. भारत से बाहर
2. भारत के अंदर

10. कर्मचारियों को लाभ

(i) ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण/उपयोग करना, सेवानिवृत्ति

पश्चात् चिकित्सा लाभ तथा एएलटीसी / एलटीसी देयता का प्रावधान इंस्टीट्यूटर आफ चार्टर्ड एकाऊंटेंटस द्वारा जारी ए एस 15(संशोधित) के अनुसार बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ii) भविष्य निधि अंशदान, प्रोद्‌भवन आधार पर भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा किए जाते हैं।

(iii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर उपदान व नोटिस वेतन का भुगतान वर्ष में खर्च हुए राजस्व में प्रमारित होता है।

11. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन

स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष में एक बार किया जाता है और शेष स्टॉक का निर्धारण वर्ष के अंत तक आवश्यक समायोजन के बाद किया जाता है। प्रत्यक्ष सत्यापित स्टॉक को अंतिम शेष के रूप में मान लिया जाता है तथा कमी / अधिकता पर उचित रूप से कार्रवाई की जाती है।

कुछ मामलों में जहाँ स्टॉक हैंडलिंग एजेंट / एसडब्ल्यूसी / सीडब्ल्यूसी / प्राइवेट पार्टियों के पास पड़ा है, उन एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र के आधार पर स्टॉक को मान लिया जाता है।

12. स्टॉक का मूल्यांकन

मार्गस्थ माल सहित इन्वैंट्रीज का मूल्यांकन 31 मार्च को वसूली योग्य मूल्य अथवा लागत के निम्नतर मूल्य पर किया जाता है। बैक–टू–बैक लेन–देन के संबंध में, लागत व लाभ मार्जिन के आधार पर निवल वसूली योग्य मूल्य निश्चित होता है। मूल्यांकन की विधि निम्नानुसार है :–

(क) निर्यात

निर्यात स्टॉक का मूल्य–निर्धारण उस स्थान तक जहाँ स्टॉक पड़ा है, किए गए समस्त खर्चों को शामिल करने के बाद किया जाता है। इसी प्रकार वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण बाजार–मूल्य से उन खर्चों को घटाकर किया जाता है, जो खर्च माल को उस स्थान तक पहुँचाने में होगा जिस स्थान पर उसे बेचा जाता है।

खनिज अयस्क

निर्यात अनुबंध के अनुसार अयस्कों का वसूली योग्य मूल्य एफई / एमएन की निम्नतम मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा इसकी तुलना अयस्क के भारित औसत एफई / एमएन मात्रा / भारित औसत नमी मात्रा के भारित औसत मूल्य से की जाती है। लौह अयस्क का भूमिगत स्टॉक इन्वैंट्री में शामिल नहीं है, अतः इसका मूल्यांकन नहीं किया गया।

(ख) आयात

आयातित वस्तुओं के स्टॉक का मूल्य–निर्धारण वार्षिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत की गणना करके किया जाता है सिवाय अलौह धातुओं के जहाँ शेष स्टॉक की भारित औसत लागत की गणना जहाँ माल रखा गया है वहाँ तक किए गए सभी व्ययों को शामिल करके किया जाता है।

तराशे और पॉलिश किए गए पत्थर, सिक्कों तथा ज़ेवरात (परिष्कृत / अर्ध–परिष्कृत) की लागत के मामले में क्षति व अन्य प्रत्यक्ष निर्माण के खर्चे शामिल किए जाते हैं।

पुनः पूर्ति (रिप्लेनिशमेंट) विकल्प के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा बुकिंग के लिए विदेशी आपूर्तिकारों से खरीदे गए स्वर्ण / चाँदी जो वर्ष के अंत में डिलीवर नहीं किए गए हों, उन्हें निगम के स्टॉक में दर्शाया जाता है तथा लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) घरेलू

31 मार्च, को निम्नतर लागत अथवा वसूली योग्य मूल्य पर पैकिंग सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है।

घ) ऋण पर / फैब्रिकेशन के लिए दिया गया स्टॉक

फैब्रिकेटर्स को दिए गए स्टॉक को समायोजित किए जाने तक उसे कंपनी का स्टॉक माना जाता है।

13. पूर्व अवधि समायोजन

चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–5 (अवधि के लिए शुद्ध लाभ व हानि, पूर्व अवधि मद तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन) के प्रावधानों के अनुसार '' पूर्व अवधि समायोजन खाता'' के अंतर्गत पूर्व वर्ष संबंधी व्यय / आय दर्शाए जाते हैं।

14. ऋण लागत

(i) व्यापार के सामान्य व्यवहार में किसी अवधि में किए गए व्ययों को उस अवधि के ऋण लागत व्यय के रूप में जाना जाता है।

(ii) ऋण लागत को अधिग्रहण, मान्य परिसंपत्तियों के निर्माण पर लगाई गई लागत, इनके प्रयोग हेतु तैयार होने की तिथि तक उक्त परिसपंत्तियों की लागत के भाग के रूप में की जाती है। अन्य सभी ऋण लागतों की पहचान, वर्ष में किए गए व्यय के रूपय में की जाती है।

15. आस्थगित कर

आस्थगित कर को युक्ति–युक्त समय अंतराल, कर योग्य आय तथा लेखा आय जो कि एक अवधि में उत्पन्न

हुई हो तथा जिनकों एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में रिवर्सल किया जा सके, के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। आस्थगित कर का निर्धारण परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन–पत्र की तिथि से लागू होने वाले कर की दरों और कर–कानूनों के आधार पर किया जाता है।

16. परिसंपत्तियों की क्षति

जब परिसंपत्तियों के रख–रखाव (कैरिंग) की लागत इसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है तथा इस क्षति की हानि को जिस वर्ष इसके क्षतिग्रस्त होने की पहचान होती है उस वर्ष के लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो पूर्व लेखा अवधियों में पहचानी गई क्षति की हानि को प्रतिवर्तित(रिवर्स) कर दिया जाता है।

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियॉं

(i) प्रावधान

(क) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान :

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान वहां रखा जाता है जहां अपनी देय राशि की किसी भी अवधि के लिए वसूली अनिश्चित हो। विगत तीन वर्षों की बकाया के लिए (सरकारी देय राशि को छोड़कर) पूर्ण प्रावधान किया जाता है, जब तक कि यह राशि वसूली योग्य मानी जाती है। वसूली लगभग अनिश्चित स्थापित होने पर ऋण/अग्रिम/दावे राईट–ऑफ किए जाते हैं।

(ख) अन्य :

प्रावधान तब मान्य है जब

(i) कोई पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर कोई वर्तमान बाध्यता हो ।

(ii) बाध्यताओं के निपटान में संसाधनों का संभावित आउटफलो होने की उम्मीद हो तथा बाध्यता की राशि का ठोस आकलन किया जा सकता हो।

किसी एक प्रावधान के समायोजन के लिए आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति की पहचान संविदा प्रावधान के अनुसार की जाती है अथवा जब यह वास्तव में सुनिश्चित हो जाए कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जायेगी, उस स्थिति में की जाती है।

प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर प्रावधान समेकित किए जाते हैं।

(II) आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक परिसंपत्तियां :

(i) आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है परन्तु इन्हें लेखों की टिप्पणियों में दर्शाया जाता हैं।

(ii) आकस्मिक परिसंपत्तियों की पहचान न तो वित्तीय विवरणों में दी जाती हैं और न ही इन्हें दर्शाया जाता है।

18. परियोजना कार्यान्वयन/निर्माण अवधि के दौरान व्ययों की स्थिति

निर्माण के दौरान व्ययों को पूर्व–प्रचालन व्ययों में शामिल किया जाता है तथा निर्माण/प्रस्थापन पूरा हो जाने पर संबंधित स्थायी परिसंपत्तियों में दिखाया जाता है।

एन.के.भार्गव एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर नं. 000429 एन

(एन.के. भार्गव)
पार्टनर
एम न. 080624

(मनोहर बलवानी)
म.प्र. व कंपनी सचिव

(एम.जी. गुप्ता)
मुख्य महाप्रबंधक
(वित्त व लेखा)–प्रभारी

(सुनीर खुराना)
निदेशक

(विजयलक्ष्मी जोशी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 2 अगस्त, 2011
स्थान : नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र

(रुपये मिलियन में)

निधियों के स्रोत	अनुसूची संख्या	31-03-2011 को		31-03-2010 को	
शेयरधारकों की निधियाँ					
शेयर पूंजी	1	1000.00		500.00	
रिजर्व एवं अधिशेष	2	12797.35	13797.35	12371.47	12871.47
ऋण निधियाँ	3				
सुरक्षित		50019.92		46143.61	
असुरक्षित		10814.75	60834.67	5504.35	51647.96
योग			74632.02		64519.43
निधियों का अनुप्रयोग					
स्थायी परिसंपत्तियाँ	4				
सकल ब्लॉक		2074.42		2064.14	
घटाए : मूल्यह्रास		965.91		846.74	
निवल ब्लॉक		1108.51		1217.40	
प्रगति पर पूंजीगत कार्य		32.83		34.85	
घटाएं: प्रगति पर पूंजीगत कार्य में ह्रास		27.69		27.69	
प्रगति पर निवल पूंजीगत कार्य		5.14	1113.65	7.16	1224.56
निवेश	5		2830.85		2729.09
आस्थगित कर परिसंपत्तियां			335.49		226.67
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम					
स्टॉक इन ट्रेड	6	6479.73		21348.34	
विविध देनदार	7	25397.35		15523.11	
नगद एवं बैंक शेष	8	67482.35		60807.61	
ऋण एवं अग्रिम	9	23458.28		16534.66	
		122817.71		114213.72	
घटाएं					
चालू देयताएं व प्रावधान					
चालू परिसंपत्तियाँ	10	48465.64		49971.96	
प्रावधान	11	4000.04		3902.65	
		52465.68		53874.61	
शुद्व चालू परिसंपत्तियां			70352.03		60339.11
विविध खर्चे (बट्टे खाते में नहीं डाले गये या समायोजित नहीं किये गये)	11ए		-		-
योग			74632.02		64519.43

लेखों तथा आकस्मिक देयताओं पर टिप्पणियाँ 21

अनुसूची 1 से 21 और लेखा नीतियाँ लेखों का अभिन्न अंग हैं।

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन के भार्गव एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 000429 एन

(सी ए. एन के भार्गव)
भागीदार
एम सं. 080624

(मनोहर बलवानी)
म.प्र. व कंपनी सचिव

(एम जी गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त व लेखा) –प्रभारी

दिनांक : 02 अगस्त 2011
स्थान : नई दिल्ली

(सुनीर खुराना)
निदेशक

(विजयलक्ष्मी जोशी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(रुपये मिलियन में)

	अनुसूची संख्या	वर्ष 2010-11 के लिए		वर्ष 2009-10 के लिए	
आय					
बिक्री		**688544.88**		451241.88	
अन्य व्यापार अर्जन		**2015.14**	**690560.02**	1397.17	452639.05
घटाएं: -					
बिक्री लागत	**12**	**682918.84**		445768.34	
निर्माण व्यय	**13**	**4341.46**		3694.63	
संसाधन प्रभार		**0.02**	**687260.32**	-	449462.97
सकल लाभ			**3299.70**		**3176.08**
अन्य आय	**14**	**312.30**		487.04	
प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है		**40.98**		409.96	
ब्याज आय	**15**	**4750.47**	**5103.75**	5741.91	6638.91
			8403.45		**9814.99**
व्यय					
वेतन व भत्ते	**16**	**1837.59**		1683.59	
प्रशासनिक व्यय	**17**	**508.55**		414.41	
प्रदत्त ब्याज	**18**	**3718.59**		4126.18	
मूल्यहरास		**124.66**		133.30	
प्रदर्शनियां, मेले व बिक्री वर्धन व्यय		**45.13**		46.34	
बट्टे खाते में डाले गए विविध खर्चे		**-**		58.26	
बट्टे खाते में डाले गए ऋण/दावे आदि		**0.92**		3.32	
अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**229.39**	**6464.83**	18.98	6484.38
			1938.62		**3330.61**
पूर्व अवधि मदें	**19**		**(20.80)**		0.10
कर पूर्व लाभ			**1917.82**		**3330.71**
कराधान के लिए प्रावधान					
चालू कर		**774.00**		1085.40	
आस्थगित कर (परिसंपत्तियां)		**(108.82)**		76.56	
पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन		**36.21**	**701.39**	6.37	1168.33
कर पश्चात् लाभ			**1216.43**		**2162.38**
पूर्व वर्षों से अग्रेनीत अधिशेष			**6119.65**		4702.01
उपयोग हेतु उपलब्ध राशि			**7336.08**		**6864.39**
प्रस्तावित लाभांश			**250.00**		450.00
लाभांश वितरण कर			**40.55**		74.74
सामान्य रिजर्व में अंतरण			**130.00**		220.00
तुलन पत्र में आगे लाया गया शेष			**6915.53**		**6119.65**
प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डायल्यूटेड)			**1.22**		**43.25**

अनुसूची 1 से 21 तथा लेखा नीतियॉ लेखों का अभिन्न अंग हैं।

सम तिथि को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन के भार्गव एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 000429 एन

(सी ए. एन के भार्गव)
भागीदार
एम सं. 080624

(मनोहर बलवानी)
म.प्र. व कंपनी सचिव

(एम जी गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त व लेखा) –प्रभारी

दिनांक : 02 अगस्त 2011
स्थान : नई दिल्ली

(सुनीर खुराना)
निदेशक

(विजयलक्ष्मी जोशी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संलग्न अनुसूचियॉ 1 से 21 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का अंग हैं

अनुसूची 1. शेयर पूंजी

(रुपये मिलियन में)

	31-03-2011 को	31-03-2010 को
प्राधिकृत .10,000,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 1 रु. का(पिछले वर्ष 100,000,000) इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये का	**1000.00**	1000.00
निर्गमित अभिदत्त एवं प्रदत्त 1,000,000,000 प्रत्येक 1रु. को पूर्णतः प्रदत (गत वर्ष 50,000,000) इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये का पूर्णतः प्रदत्त उपरोक्त में से 970,000,000 (गत वर्ष 47,000,000) इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये का) रिजर्व का पूंजीकरण करके पूर्णतः प्रदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित किए गए	**1000.00**	500.00
योग:	**1000.00**	**500.00**

अनुसूची 2. रिजर्व एवं अधिशेष

(रुपये मिलियन में)

	01.04.2010 का	जमा	घंटा	31.03.2011 का
रिजर्व पूंजी	0.69	-	-	**0.69**
सामान्य रिजर्व	6251.13	130.00	500.00	**5881.13**
लाभ व हानि लेखा से आगे लाया गया शेष	6119.65	795.88	-	**6915.53**
योग :	12371.47	925.88	500.00	**12797.35**

संलग्न अनुसूचियाँ 1 से 21 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का अंग हैं

अनुसूची 3. ऋण निधियाँ

(रुपये मिलियन में)

	31-03-2011 को		31-03-2010 को	
I. सुरक्षित				
(स्टॉक, बुकऋण तथा अन्य चालू परिसंपत्तियाँ, वर्तमान व भविष्य की हाईपोथिकेशन के बाबत)				
बैंकों से				
(कैश/केडिट/पैकिंग केडिट एकाउंटस/अन्य) (एक वर्ष के भीतर वापसी योग्य)				
(1) स्टेट बैंक आफ इंडिया	**27388.48**		15841.25	
(2) केनरा बैंक	**-**		145.03	
(3) एचडीएफसी बैंक	**3748.43**		1302.70	
(4) बैंक आफ इंडिया	**0.00**		0.00	
(5) बैंक आफ बड़ौदा	**-**		268.80	
(6) इंडियन बैंक	**2972.38**		4370.62	
(7) बैंक आफ महाराष्ट्र	**2702.03**		2784.42	
(8) स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	**3968.68**		8262.70	
(9) यूनियन बैंक आफ इंडिया	**2000.00**		3698.77	
(10) एक्सिस बैंक	**752.83**		2508.81	
(11) ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	**98.06**		-	
(12) धन लक्ष्मी बैंक	**-**		250.00	
(13) आई डी बी आई बैंक	**2128.96**		4389.00	
(14) आई सी आई सी आई बैंक	**89.07**		-	
(15) आईएनजी वैश्या बैक	**164.84**		-	
(16) यस बैंक	**1221.90**		366.71	
(17) इंडस इंड बैंक	**2734.23**		1954.80	
(18) तमिलनाडू मर्केटाइल बैंक	**50.03**	**50019.92**	-	46143.61
II. असुरक्षित				
बैंकों से				
(एक वर्ष के भीतर वापसी योग्य)				
(1) बी एन पी परिवास बैंक	**464.60**		2031.85	
(2) डयुच बैंक	**1000.00**		1551.09	
(3) बैंक आफ टोक्यो	**5250.36**		228.95	
(4) डी बी एस	**1882.06**		1692.46	
(5) ए एन जैड बैंक	**2217.04**		-	
(6) एच डीएफ सी बैंक	**0.69**	**10814.75**	-	5504.35
योग		**60834.67**		**51647.96**

संलग्न अनुसूचियाँ 1 से 21 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का अंग हैं

अनुसूची 4. स्थायी परिसंपत्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक			
	01-04-2010 को	जमा खरीद/अंतरण	घटा बिक्री/अंतरण	31-03-2011 को
कार्यालय भवन				
फ्रीहोल्ड भूमि	3.66	-	-	**3.66**
पट्टे पर भूमि	40.13	0.00	-	**40.13**
भवन	174.70	3.23	-	**177.93**
गोदाम	34.11	0.00	-	**34.11**
जल आपूर्ति एवं निकासी	5.48	-	-	**5.48**
विद्युत इंस्टालेशंस	14.84	0.04	-	**14.88**
आडियो/अग्नि/वातानुकूलन	9.86	-	-	**9.86**
सड़कें व पुलिया	2.67	-	-	**2.67**
स्टॉफ क्वार्टर्स			-	
फ्रीहोल्ड भूमि	1.33	-	-	**1.33**
पट्टे पर भूमि	2.67	-	-	**2.67**
भवन/रिहायशी फ्लैट्स	65.66	-	-	**65.66**
सड़कें व पुलियां	0.91	-	-	**0.91**
जल आपूर्ति एवं मल निकासी तथा नालियाँ	3.96	0.00	-	**3.96**
विद्युत इंस्टालेशंस	3.60	0.01	-	**3.61**
प्लांट एवं मशीनरी	786.06	0.00	-	**786.06**
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	71.71	1.51	0.50	**72.72**
कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर	170.63	5.58	0.55	**175.66**
एयर कंडीशनर्स, पंखे टाइपराईटर्स व अन्य मशीनें	67.43	2.80	1.11	**69.12**
वाहन	24.90	2.69	3.42	**24.17**
रेलवे वैगन रेक (डब्ल्यूआईएस)	553.64	0.00	-	**553.64**
बन्नीहट्टी में रेलवे लूप लाइन	26.17	-	-	**26.17**
योग (ए)	2064.14	15.86	5.58	**2074.42**
पूंजीगत कार्य प्रगति पर				
निर्माणाधीन भवन	8.88	0.71	2.88	**6.71**
सड़कें व पुलियां	0.47	-	-	**0.47**
विद्युत इंस्टालेशंस	6.70	-	-	**6.70**
प्लांट व मशीनरी	13.80	-	-	**13.80**
गोल्ड मेडालियन यूनिट	5.01	0.14	-	**5.15**
योग (ख)	34.87	0.85	2.88	**32.83**
सकल योग (क+ख)	2099.00	16.71	8.46	**2107.25**
गत वर्ष	**2,075.26**	**55.38**	**31.64**	**2,099.00**

(क) कुछ कार्यालयों से कार्यालय की निर्माणधीन भूमि/भवन/फ्लैट्स/पुलियों, सिवरेज व ड्रेनेज की लागत के अंतरिम बिलों के लंबित प्राप्ति के कारण या निर्माणधीन लीज डीड का निष्पादन होने तक इन्हें अस्थायी आधार पर आंका गया है।

(ख) दिल्ली में स्टॉफ क्वार्टर्स के लिए पट्टा धारित भूमि, सड़कें और पुलियां, सिवरेज, ड्रेनेज तथा जल आपूर्ति में वह सभी शामिल हैं जो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एसटीसी) के साथ संयुक्त रूप से लिया गया है।

(ग) आवासीय फ्लैटों में 0.002 मिलियन रु. (गत वर्ष 0.002 मिलियन रु.) के कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के 41 शेयर (गत वर्ष 41 शेयर) शामिल हैं। कुछ फ्लैटों में जिनका मौलिक मूल्य 31.03.2011 को 4.89 मिलियन रु.(गत वर्ष 4.89 मिलियन रु.) है, का अंतरण लंबित है।

(रुपये मिलियन में)

मूल्यह्रास के लिए प्रावधान				शुद्ध ब्लॉक	
01-04-2010 को	जमा खरीद / अंतरण	घटा बिक्री / अंतरण	31-03-2011 को	31-03-2011 को	31-03-2010 को
-	-	-	-	**3.66**	3.66
10.27	0.50	-	**10.77**	**29.36**	29.86
55.86	4.51	-	**60.37**	**117.56**	118.84
13.95	1.36	-	**15.31**	**18.80**	20.17
5.48	0.00	0.00	**5.48**	**0.00**	0.00
14.13	0.14	0.00	**14.27**	**0.61**	0.83
9.86	-	-	**9.86**	**0.00**	0.00
1.57	0.07	-	**1.64**	**1.03**	1.08
-	-	-	**-**	**1.33**	1.33
1.01	0.03	-	**1.04**	**1.63**	1.66
48.00	1.28	-	**49.28**	**16.38**	17.66
0.57	0.02	-	**0.59**	**0.32**	0.36
3.73	0.04	-	**3.77**	**0.19**	0.23
1.98	0.19	-	**2.17**	**1.44**	1.50
169.32	39.05	0.00	**208.38**	**577.68**	616.73
65.60	2.76	0.50	**67.86**	**4.86**	6.11
150.31	11.17	0.55	**160.92**	**14.74**	20.32
52.91	4.67	1.06	**56.52**	**12.60**	14.52
15.78	3.51	3.38	**15.91**	**8.26**	9.12
200.23	55.36	-	**255.59**	**298.05**	353.41
26.17	-	-	**26.17**	**0.00**	0.00
846.74	124.66	5.49	**965.91**	**1108.51**	**1217.40**
6.71	-	-	**6.71**	**-**	2.17
0.47	-	-	**0.47**	**-**	
6.70	-	-	**6.70**	**-**	
13.80	-	-	**13.80**	**-**	-0.01
-	-	-	**-**	**5.15**	5.01
27.69	-	-	**27.69**	**5.15**	**7.17**
874.43	124.66	5.49	**993.60**	**1113.66**	**1224.57**
757.31	**133.30**	**16.18**	**874.43**	**1,224.57**	

(घ) जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर बने कार्यालय भवन की लागत 2.26 मिलियन रु. (गत वर्ष 2.26 मिलियन रु.) है, और इसके लिए 1.69 मिलियन रु. (गत वर्ष 1.63 मिलियन रु.) का प्रावधान है।

(ड.) जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर जल आपूर्ति की लागत 0.66 मिलियन रु0 (गत वर्ष 0.66 मिलियन रु0) है।

(च) पारादीप में लीजहोल्ड पर बने रिहायशी भवन, सड़कों व पुलियों बिजली उपकरण व्यवस्थाओं की लागत 11.63 मिलियन जो 20.11.2010 को समाप्त हो चुकी है तथा संचित मूल्य ह्रास के 5.42 मिलियन रुपए हैं पारादी पोर्ट ट्रस्ट ने 15 वर्ष के लिए इसके नवीनीकरण की स्वीकृत प्रदान की है तथापि सरकार की अंतिम स्वीकृति प्रतीक्षित है।

संलग्न अनुसूचियाँ 1 से 21 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का अंग हैं

अनुसूची 5.निवेश–दीर्घकालीन (लागत पर)

(रुपये मिलियन में)

	31-03-2011 को		31-03-2010 को	
(क) **केन्द्रीय सरकार सक्युरिटीज** 9 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2013 (गत वर्ष 0.03 मिलियन रुपए)		**0.03**		0.03
(ख) **सहायक कम्पनी में निवेश (अनुद्धृत)** एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि.सिंगापुर में 1,461,502 इक्विटी शेयर प्रत्येक 1 सिंगापुर डालर (गत वर्ष 1,461,502इक्विटी शेयर) प्रत्येक शेयर एक सिंगापुर डालर मूल्य का		**31.45**		31.45
(ग) **व्यापारिक निवेश**				
I. कंपनियों में शेयर (अनुद्धृत) इन्डो फ्रेंच बायोटेक लि. में 10 रु. प्रति शेयर के पूर्णतः प्रदत्त 4,750,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 10 रु. प्रति इक्विटी शेयर के 4,750,000 इक्विटी शेयर)	**47.50**		47.50	
घटाएं: निवेश में कमी के लिए प्रावधान	**47.50**		47.50	
	0.00		0.00	
ग्रेटर नोएडा इंटेग्रेटिड वेयरहाउसिंग प्रा.लि. में 10 रुपये प्रति शेयर की दर से पूर्णतः प्रदत्त 2600 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10 रुपये प्रति शेयर के 2600 इक्विटी शेयर)	**0.02**		0.02	
फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. में 10 रुपये प्रति शेयर की दर से पूर्णतः प्रदत्त 2600 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10 रुपये प्रति शेयर के 2600 इक्विटी शेयर)	**0.03**		0.03	
एमएमटीसी पीएएमपी इंडिया प्राइवेट लि0 में 10 रुपये प्रति शेयर की दर से पूर्णतः प्रदत 15,600,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10 रुपये प्रति शेयर के 12,480,000 इक्विटी शेयर)	**156.00**		124.80	
एसआईसीएएल आयरन ओर टर्मिनल लि0 में 10 रुपये प्रति शेयर की दर से पूर्णतः प्रदतः 32,800,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 10 रुपये प्रतिशेयर के 28,600,000 इक्विटी शेयर)	**338.00**		286.00	
एमएमटीसी गीतांजलि प्राईवेट लि0 में 10 रुपये प्रति शेयर की दर से पूर्णतः प्रदत 2,506,400 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 10 रुपये प्रति शेयर के 663,000 इक्विटी शेयर)	**25.06**		6.63	
यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में 10 रुपये प्रति शेयर की दर से पूर्णतः प्रदत 3,000,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 10 रुपये प्रति शेयर के 3,000,000 इक्विटी शेयर)	**30.00**		30.00	
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड में 5 रुपये प्रति शेयर के पूर्णतः प्रदत्त 52,000,000 इक्विटी शेयर(गत वर्ष 10 प्रति शेयर के 52,000,000 इक्विटी शेयर)	**260.00**		260.00	
टी एम माइनिंग कंपनी लिमिटेड में 10 रु.प्रति शेयर के पूर्णतः प्रदत्त 13,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 10 रु. प्रति शेयर के शून्य इक्विटी शेयर)	**0.13**	**809.24**	-	707.48
II. सहायक कंपनियों में शेयर (अनुद्धृत)				
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में 10 रु. प्रति शेयर की दर से पूर्णतः प्रदत्त 199,000,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 10 रु. प्रति शेयर की दर से 199,000,000 इक्विटी शेयर)	**1990.00**		1990.00	
डेवोना पावर एंड इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड में 10 रु. प्रति शेयर की दर से पूर्णतः प्रदत्त 13,000 शेयर (गत वर्ष 10 रु. प्रति शेयर की दर से पूर्णतः प्रदत्त 13,000 शेयर).	**0.13**	**1990.13**	0.13	1990.13
योग		**2830.85**		**2729.09**

वर्ष के दौरान एकाउंट किये गये पिछले वर्षो से संबंधित

संलग्न अनुसूचियाँ 1 से 21 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का अंग हैं ।

अनुसूची 6 – व्यापार में स्टाक

(रुपये मिलियन में)

	31-03-2011 को		31-03-2010 को	
हैंडलिंग एजेंटों के पास तथा मार्गस्थ माल सहित (यथा प्रबंध तंत्र द्वारा लिया गया, मूल्यांकित व सत्यापित किया गया)				
(क) कच्चा माल	**63.90**		41.66	
(ख) तैयार माल *	**6415.25**		21306.11	
(ग) पैकिंग सामग्री	**0.58**	**6479.73**	0.57	21348.34
योग		**6479.73**		**21348.34**

* ग्राहकों की लियन के तहत शून्य मिलियन(गत वर्ष 12085,76 मिलियन) के मार्गस्थ स्टॉक सहित

अनुसूची 7 – विविध देनदार (असुरक्षित)

(असुरक्षित)				
(क) छः माह से अधिक वाले बकाया ऋण				
i. शोध्य समझे जाने वाले	**703.35**		802.15	
ii. संदिग्ध समझे जाने वाले	**752.44**		535.66	
	1455.79		1337.81	
घटाएँ :– संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**752.44**	**703.35**	535.66	802.15
(ख) अन्य ऋण शोध्य समझे जाने वाले		**24694.00**		14720.96
योग		**25397.35**		**15523.11**

*देनदारों में 367,91 मिलियन रुपये(गत वर्ष 212.19 मिलियन रुपये) शामिल हैं जो सहायक कम्पनी से देय हैं।

अनुसूची 8. नगद व बैंक शेष

	31.03.2011 को		31.03.2010 को	
क) नगद, स्टैम्प और चैक जो पास हैं (मार्गस्थ भी शामिल हैं)	**3.29**		551.28	
ख) भारत में अनूसूचित बैंकों में बैंक शेष				
i. चालू खाते में	**3017.12**		2372.00	
ii. नकद जमा खाते में (डेबिट शेष)	**12.43**		442.34	
iii. चालू खाते में विदेशी मुद्रा में यूएस डालर 0.01 मिलियन (गत वर्ष 0.01 मिलियन यूएस डालर)	**0.27**		0.27	
iv. सावधि जमा खाता (दिल्ली नगर निगम के पास प्रतिभूति के रूप में जमा भी शामिल है)	**0.27**		0.27	
v. बैंकों में सावधि जमा *	**64448.64**	**67478.73**	57441.45	60256.33
ग विदेशों में : चालू खाता अनुसूचित बैंकों में		**0.33**		-
योग		**67482.35**		**60807.61**

* एलसी के विरुद्ध मार्जिन राशि के रूप में बैंकर्स लियन में 11489.08 मिलियन रुपये (गत वर्ष 22,253.85 मिलियन रु.) के सावधि जमा शामिल हैं।

संलग्न अनुसूचियाँ 1 से 21 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का भाग हैं

अनुसूची 9. ऋण एवं अग्रिम

(रुपये मिलियन में)

	31-03-2011 को		31-03-2010 को	
(असुरक्षित को शोध्य माना गया है यदि अन्यथा उल्लेख नहीं है तो)				
(क) प्राप्य बिल	200.04		310.17	
घटाएं – डिस्काउंट किए गए बिल	34.91	165.13	-	310.17
(ख) इक्विटी के लंबित आवंटन के लिए अग्रिम				
हल्दिया फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड	160.00		160.00	
इंटिग्रेटिड वेयर हाउसिंग कांडला प्रोजेक्टस डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	18.77		30.98	
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड**	1806.85	1985.62	-	190.98
(ग) नकद या वस्तु के रूप में या उसके मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिमः				
i) शोध्य समझे जाने वाले जो कंपनी के लिए पूर्णतः सुरक्षित हैं (संपत्तियों के गिरवी / अधिकार पत्र को बंधक रखने तथा बैंक गारंटियों के एवज में सुरक्षित)	13044.28		9862.34	
ii) शोध्य समझे जाने वाले जिसके लिए कंपनी के पास व्यक्तिगत प्रतिभूति के अतिरिक्त कोई प्रतिभूति नहीं है।	5194.75		3284.06	
iii) संदिग्ध समझे जाने वाले	414.27		385.57	
	18653.30		13531.97	
घटाएंः– प्रावधान	414.27	18239.03	385.57	13146.40
घ) आपूर्तिकारों को अग्रिमः–				
i) शोध्य समझे जाने वाले जिसके लिए कंपनी पूर्णतः सुरक्षित है। (स्टाफ की हाइपोथिकेशन के तहत से सुरक्षित)	10.60		106.13	
ii) शोध्य समझे जाने वाले जिसके लिए कंपनी के पास व्यक्तिगत प्रतिभूति के अतिरिक्त कोई प्रतिभूति नहीं है।	609.68		464.25	
iii) संदिग्ध समझे जाने वाले	139.48		161.88	
	759.76		732.26	
घटाएंः– प्रावधान	139.48	620.28	161.88	570.38
ङ. आयकर (अग्रिम आयकर, टीडीएस, फ्रीन्ज लाभ कर तथा रिफंड बकाया शामिल)		2037.23		1952.36
च. अंतर कारपोरेट ऋण		20.00		20.00
छ. जमा राशियाँ				
(i) कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट, कोर्ट इत्यादि के पास जमा	212.53		47.46	
(ii) अन्य जमा	215.28		333.73	
कुल जमा राशि	427.81		381.19	
शोध्य समझे जाने वाले	390.99		344.37	
संदिग्ध समझे जाने वाले	36.82		36.82	
	427.81		381.19	
घटायें : प्रावधान	36.82	390.99	36.82	344.37
योग		23458.28		16534.66

(रुपये मिलियन में)

		वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम प्राप्य	31.3.2010 को बकाया	वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम प्राप्य
इसमें सम्मिलित हैं:				
क) निदेशकों से प्राप्य राशि	0.00	0.00	0.00	0.02
ख) अधिकारियों से प्राप्य राशि *	0.79	1.06	2.02	2.12

* मुख्य महाप्रबंधक तथा कंपनी सचिव इस आशय से अधिकारी माने जाते हैं।

** 10 रुपये प्रति शेयर के 90,342,744 इक्विटी शेयर के संबंध में 10 रुपये प्रति शेयर के शेयर प्रीमियम में 903.43 मिलियन रुपये (गतवर्ष शून्य रुपये) सम्मिलित हैं।

संलग्न अनुसूचियाँ 1 से 21 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का भाग हैं।

अनुसूची 10. चालू देयताएं

(रुपये मिलियन में)

	31-03-2011 को		31-03-2010 को	
क) विविध लेनदार				
(i) एमएसएमई के अतिरिक्त	**26509.75**		29328.93	
(ii) एमएस एमई एस	**-**	**26509.75**	-	29328.93
ख) देय बिल		**9426.10**		5544.41
ग) ग्राहकों से अग्रिम भुगतान		**7109.75**		10430.74
घ) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु ऋण पर देय नहीं		**113.94**		58.15
ड.) अन्य देयताएं		**5195.09**		4533.05
च. बुक ओवर ड्राफट		**111.01**		76.68
छ. खेप पर प्राप्त स्टॉक	**21584.98**		14299.04	
घटाएं : खेप पर रखा गया माल	**21584.98**	**-**	14299.04	**-**
योग		**48465.64**		**49971.96**

अनुसूची 11. प्रावधान

क) कराधान		**1886.00**		1885.40
ख) प्रस्तावित लाभांश		**250.00**		450.00
ग) लाभांश वितरण कर		**40.55**		74.74
घ) बोनस/पीआरपी		**200.92**		190.55
ड) गंतव्य भार व विश्लेषण जोखिम		**5.32**		5.27
च) अर्जित अवकाश		**230.87**		209.27
छ) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		**858.81**		707.80
ज) अर्धवेतन छुट्टी		**154.00**		147.97
झ) एलटीसी/एएलटीसी		**-**		35.94
ञ) फ्रिन्ज लाभ कर		**26.54**		26.54
ट. ग्रेच्युटी		**27.18**		9.17
ठ. अधिवर्षिता लाभ		**220.57**		160.00
ड. सेवा अवार्ड		**53.53**		-
त. अनुकंपानिष्ठ ग्रेच्युटी		**2.88**		-
थ. कर्मचारी परिवार लाभ योजना		**41.90**		-
द. कारपोरेट सामाजिक दायित्व		**0.97**		-
योग		**4000.04**		**3902.65**

अनुसूची 11 क – विविध खर्चे

(बट्टे खाते में नहीं डाले गए या समायोजित न किए गए)

आस्थगित राजस्व व्यय	**-**		58.26	
जमाः वर्ष के दौरान वृद्धि	**-**		-	
घटाएंः– वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	**-**	**-**	58.26	-
योग	**-**		-	

संलग्न अनुसूचियॉं 1 से 21 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का भाग हैं

अनुसूची 12. बिक्री लागत

(₹ मिलियन में)

	वर्ष 2010–11 के लिए		वर्ष 2009–10 के लिए	
क) आरंभिक स्टॉक तथा मार्गस्थ माल		**21306.11**		5784.72
ख) क्रय	**645827.48**		453347.93	
जमा : वस्तुगत दावे	**51.16**		71.73	
ऋण पर प्राप्त स्टाक	**-**	**645878.64**	35.11	453454.77
ग) माल भाड़ा		**7902.86**		3111.09
घ) डेमरेज (निवल)		**13.89**		24.61
ङ) क्लियरिंग, हैंडलिंग डिस्काउंट व अन्य प्रभार (निवल) *		**6335.65**		2499.21
च) अन्य बिक्री एजेंटों की कमीशन		**5.64**		1.89
छ) एल/सी नेगोसिएशन तथा अन्य प्रभार		**26.36**		65.62
ज) विनिमय में अंतर		**(228.54)**		(241.80)
झ) सीमा शुल्क		**12088.14**		5832.02
ञ) बीमा		**13.98**		11.14
ट) गोदाम बीमा		**11.50**		6.61
ठ) प्लॉट तथा गोदाम किराया(निवल)		**54.24**		66.71
ड) गंतव्य भार एवं विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान		**5.32**		8.72
ढ) फारवर्ड संविदा पर प्रीमियम		**191.82**		152.63
		693605.61		470777.94
घटाएं :अंतिम स्टॉक तथा मार्गस्थ माल	**6479.15**		21306.11	
वस्तु के रूप में जारी किया गया माल	**4.88**		3.35	
ऋण पर दिया गया स्टॉक	**-**		24.10	
एमएफजी को अंतरण	**4202.74**	**10686.77**	3676.04	25009.60
योग		**682918.84**		**445768.34**

*टारगेट प्लस स्कीम के तहत आयात हेतु जुर्मानें के शून्य मिलियन ₹ (गत वर्ष) 134.46 मिलियन ₹ शामिल है।

संलग्न अनुसूचियॉं 1 से 21 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का भाग हैं

अनुसूची 13. विनिर्माण खर्चे

(₹ मिलियन में)

	वर्ष 2010–11 के लिए		वर्ष 2009–10 के लिए	
(I) उपभोगित कच्चा माल				
आरम्भिक स्टॉक तथा मार्गस्थ माल	**41.66**		-	
सीओजीएस से स्टॉक का अंतरण	**4202.74**		3676.04	
Add : प्रोसेसिंग प्रभार	**80.22**		47.79	
	4324.62		3723.83	
जोड़ें : अंतिम स्टॉक व मार्गस्थ माल	**-**	**4324.62**	41.66	3682.17
(ii) उपभोगित पैकिंग सामग्री				
आरम्भिक स्टॉक तथा मार्गस्थ माल	**0.58**		0.57	
जोड़ें : क्रय	**16.84**		12.47	
	17.42		13.04	
घटाएँ : अंतिम स्टॉक तथा मार्गस्थ माल	**0.58**	**16.84**	0.58	12.46
योगः		**4341.46**		**3694.63**

संलग्न अनुसूचियॉं 1 से 21 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का भाग हैं

अनुसूची 14. अन्य आय

(₹ मिलियन में)

		वर्ष 2010–11 के लिए		वर्ष 2009–10 के लिए
क) स्टॉफ क्वार्टर्स किराया		**4.33**		4.51
ख) परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		**0.79**		0.52
ग) विविध प्राप्तियाँ (निष्पादन गारंटी / बोली बांड की जब्ती सहित)		**109.28**		114.76
घ) निवेश से लाभांश - एमटीपीएल सिंगापुर {टीडीएस शून्य मिलियन ₹ – (पिछले वर्ष शून्य मिलियन रु) भी शामिल हैं }		**98.88**		141.99
ड़) पुरांकन की गई देयताएँ		**94.18**		142.58
च) विनिमय पर लाभ		**4.84**		82.68
योग		**312.30**		**487.04**

अनुसूची 15 अर्जित ब्याज

(₹ मिलियन में)

क) बैंक {टीडीएस 4.16 मि .₹ – (गत वर्ष 1.64 मि.₹.) भी शामिल हैं}		**2522.01**		4006.66
ख) सरकार (टीडीएस शून्य मि.₹ .– (पिछले वर्ष शून्य मि. ₹) शामिल हैं)		**0.00**		0.00
ग) अन्य {टीडीएस 0.24 मिलियन ₹ – (पिछले वर्ष शून्य मि.₹) 0.24 शमिल हैं}		**2228.46**		1735.25
योग		**4750.47**		**5741.91**

संलग्न अनुसूचियॉं 1 से 21 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का भाग हैं

अनुसूची 16. वेतन एवं भत्ते

(₹ मिलियन में)

	वर्ष 2010–11 के लिए		वर्ष 2009–10 के लिए	
निदेशक				
वेतन व भत्ते *	**10.60**		11.48	
आवासीय किराया अंशदान	**-**		0.11	
भविश्य निधि अंशदान	**0.84**		1.38	
ग्रेच्युटी	**0.26**		0.31	
चिकित्सा खर्चे	**0.59**		0.27	
अधिवर्षिता लाभ	**0.63**		-	
क्लब चंदा	**0.18**		0.11	
कार्य निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि	**2.17**	**15.27**	8.87	22.53
अन्य				
वेतन और भत्ते' **	**1117.53**		1101.43	
विदेश सेवा अंशदान (निवल)	**0.27**		0.26	
आवासीय किराया अंशदान	**0.82**		0.83	
भविष्य निधि अंशदान	**74.14**		97.57	
अधिवर्षिता लाभ	**59.94**		110.00	
परिवार पेंशन अंशदान	**11.53**		12.01	
ग्रुप बीमा	**0.61**		0.57	
स्टाफ कल्याण खर्चे	**107.34**		28.15	
बोनस, पीआरपी आदि	**83.58**		121.66	
डीएलआईएस में अंशदान	**1.04**		0.79	
ग्रेच्युटी	**57.86**		38.11	
चिकित्सा खर्चे	**307.66**	**1822.32**	149.68	1661.06
योग		**1837.59**		**1683.59**

* अर्जित अवकाश तथा बीमारी अवकाश प्रावधान हेतु 0.80 मिलियन ₹ (गत वर्ष 2.74 मिलियन ₹) शामिल है।

**स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति व्यय के लिए 2.20 मिलियन ₹ (गत वर्ष 38.72 मिलियन ₹) तथा अर्जित अवकाश तथा बीमारी अवकाश प्रावधान हेतु 87.34 मिलियन ₹ (गत वर्ष 128.54 मिलियन ₹) शामिल है।

संलग्न अनुसूचियॉ 1 से 21 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का भाग हैं

अनुसूची 17. प्रशासनिक व्यय

(₹ मिलियन में)

	वर्ष 2010–11 के लिए		वर्ष 2009–10 के लिए	
किराया		**39.12**		19.53
दरें व कर		**14.01**		12.95
विद्युत व जल प्रभार		**20.16**		19.34
बीमा		**1.05**		3.05
विज्ञापन व प्रचार		**35.30**		17.69
प्रिंटिंग व लेखन सामग्री		**6.85**		6.79
डाक व तार व्यय		**2.17**		1.69
टेलीफोन		**19.05**		19.39
दूरसंचार		**9.12**		8.51
यात्रा व्यय {निदेशकों द्वारा व्यय किये गये 7.61 मिलियन ₹ –(पिछले वर्ष 5.50 मिलियन ₹) भी शामिल हैं}		**42.82**		35.43
वाहन व्यय		**17.23**		17.70
मनोरंजन {निदेशकों द्वारा व्यय किये गये 1.54 मिलियन ₹ (पिछले वर्ष 1.81 मिलियन ₹) शामिल हैं}		**8.63**		12.37
विधिक व्यय		**19.37**		16.58
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक *		**5.44**		4.89
बैंक प्रभार		**11.24**		8.59
पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएँ		**1.46**		2.84
व्यापार व्यय		**8.82**		5.67
कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी खचे **		**43.25**		1.36
मरम्मत एवं रखरखाव {भवन पर 38.37 मिलियन ₹ (पिछले वर्ष 35.61 मिलियन ₹) और प्लांट व मशीनरी पर 1.27 मिलियन ₹ (पिछले वर्ष 1.40 मिलियन ₹) शामिल हैं}		**61.26**		54.95
कंप्यूटर व्यय		**0.62**		0.99
अंशदान		**4.98**		3.66
प्रशिक्षण, सेमिनार एवं सम्मेलन {निदेशकों पर शून्य मि. ₹ (पिछले वर्ष शून्य मि. ₹.) शामिल हैं}		**5.69**		5.38
परिसंपत्तियों की विक्री पर हानि		**0.03**		1.30
विविध खर्चे		**60.51**		55.42
प्रोफेशनल फीस/परामर्श शुल्क		**33.25**		12.09
मध्यवर्ती लाभ		**37.12**		66.25
योग		**508.55**		**414.41**

* इनमें लेखा परीक्षा शुल्क 1.85 मिलियन ₹ (पिछले वर्ष 1.51 मिलियन ₹) कर लेखा परीक्षा शुल्क 0.93 मिलियन ₹ (पिछले वर्ष 0.75 मिलियन ₹) प्रमाणीकरण शुल्क 0.45 मिलियन ₹ (पिछले वर्ष 0.27 मिलियन ₹) तथा अन्य सेवाओं में टीए/डीए/आउट आफ पॉकेट प्रतिपूर्ति इत्यादि 0.39 मिलियन ₹ (पिछले वर्ष 0.16 मिलियन ₹) सेवा कर 0.28 मिलियन ₹ (पिछले वर्ष 0.24 मिलियन ₹) शामिल हैं।

** डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार उपयोग में न लाये गये बजट में 0.97 मिलियन (गत वर्ष शून्य मिलियन ₹) का प्रावधान सम्मिलित है।

संलग्न अनुसूचियॉं 1 से 21 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का भाग हैं

अनुसूची 18. प्रदत्त ब्याज

(₹ मिलियन में)

		वर्ष 2010–11 के लिए		वर्ष 2009–10 के लिए
क) बैंक		**1100.76**		1508.67
ख) अन्य		**2617.83**		2617.51
योग		**3718.59**		**4126.18**

अनुसूची 19. पूर्व अवधि मदें

व्यय / खरीद				
विक्रय लागत		**(50.30)**		1.71
वेतन व भत्ते		**0.04**		0.01
प्रशासनिक व्यय		**2.12**		5.05
ब्याज		**1.51**		0.33
मूल्यहृास		**0.00**		1.93
अन्य		**0.01**		0.14
योग		**(46.62)**		9.17
आय / बिक्री				
बिक्री		**(66.25)**		(3.02)
ब्याज		**(1.18)**		11.38
अन्य प्राप्तियॉं		**0.01**		0.91
योग		**(67.42)**		9.27
योग (निवल)		**(20.80)**		**0.10**

संलग्न अनुसूचियाँ 1 से 21 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का भाग हैं

अनुसूची 20 (क) – कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार दिया गया विवरण

तुलन पत्र सारांश व कंपनी का सामान्य व्यापार विषयक दृष्टिकोण (₹ मिलियन में)

I. पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या	554033	राज्य कोड	55
तुलन पत्र तिथि	31 (दिनांक) 03 (माह) 11 (वर्ष)		

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी

सामान्य निर्गम (यूरो निर्गम)	शून्य	राईट निर्गम	शून्य
बोनस निर्गम	500	प्राईवेट प्लेसमैंट (प्रिफरेंस शेयर्स)	शून्य

III. निधियों के जुटाने व लगाने की स्थिति

कुल देयताएं	74632	कुल देयताएँ	74632
निधियों के स्रोत		**निधियों का उपयोग**	
प्रदत्त पूँजी	1000	निवल स्थायी परिसंपत्तियाँ	1114
रिजर्व व अधिशेष	12797	निवेश	2831
सुरक्षित ऋण	50020	निवल चालू परिसंपत्तियाँ	70352
असुरक्षित ऋण	10815	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	335

IV. कंपनी का कार्य निष्पादन

अन्य आय सहित कुल कारोबार	695664	कुल व्यय	693746
कर पूर्व लाभ	1918	कर पश्चात लाभ	1216
प्रति शेयर आमदनी रुपयों में	1.22	लाभांश दर (%)	25

V. कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के प्रजातिगत नाम (आर्थिक शर्तों के अनुसार)

मद कोड संख्या	उत्पाद विवरण
71.08	स्वर्ण
27.03	कोयला
26.01	लौह अयस्क

संलग्न अनुसूचियॉं 1 से 21 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का भाग हैं

अनुसूची 20 (ख) स्टाफ क्वार्टर्स से संबंधित आय व व्यय का विवरण

(₹ मिलियन में)

	वर्ष 2010–11 के लिए	वर्ष 2009–10 के लिए
व्यय		
दरें, कर व बिजली दरें	**4.58**	4.61
मरम्मत एवं नवीकरण	**11.10**	12.82
मूल्यह्रास	**1.56**	1.56
लीज किराया	**0.25**	0.18
विविध व्यय	**8.65**	7.36
योग	**26.14**	26.52
आय		
वसूला गया जल प्रभार	**0.04**	0.04
विविध प्राप्तियॉं	**1.69**	0.44
किराया प्राप्तियॉं	**3.81**	4.46
योग	**5.54**	4.94
आय की तुलना में व्यय की अधिकता	**20.60**	**21.58**

अनुसूची 20 (ग) – विदेशी मुद्रा अर्जन व बहिर्गमन

	वर्ष 2010–11 के लिए	वर्ष 2009–10 के लिए
व्यय		
आयातित माल का सीआईएफ/एफओबी मूल्य	**597878.84**	405703.64
विदेशी कार्यालय	**3.13**	-
विदेशी दौरे	**5.49**	12.09
डेमरेज/डिस्पैच	**35.34**	36.19
लदान पोर्ट/पर्यवेक्षण प्रभार	**2.41**	10.68
ब्याज	**323.26**	362.63
समुद्री भाड़ा	**3054.14**	811.74
गंतव्य भार एवं विश्लेषण जोखिम	**1.90**	5.25
विविध प्रभार	**21.71**	1.08
योग	**601326.22**	406943.30
अर्जन		
निर्यातित माल का एफओबी/सीआईएफ मूल्य	**36934.08**	32247.14
डिस्पैच/डैमरेज	**13.29**	41.97
विविध प्राप्तियॉं	**29.99**	10.76
लाभांश	**98.88**	141.99
अन्य व्यापार अर्जन(काउंटर ट्रेड)	**-**	31.44
योग	**37076.24**	32473.30
निवल अर्जन (बहिगर्मन)	**(564249.98)**	**(374470.00)**

संलग्न अनुसूचियॉं 1 से 21 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का भाग हैं

अनुसूची 20 (घ) विनिर्मित माल से संबंधित ब्यौरा

विनिर्मित माल	मापदण्ड इकाई	वर्ष 2010–11 के लिए			वर्ष 2009–10 के लिए		
		लाईसेंसिंग क्षमता (यदि लागू है तो) (मात्रा)	स्थापित क्षमता (मात्रा)	वास्तविक उत्पादन (मात्रा)	लाईसेंसिंग क्षमता (यदि लागू है तो) (मात्रा)	स्थापित क्षमता (मात्रा)	वास्तविक उत्पादन (मात्रा)
सिल्वर मेडेलियन	संख्या	लागू नहीं	लागू नहीं	263,077	लागू नहीं	लागू नहीं	206,279
सॉंची	कि.ग्रा.	लागू नहीं	लागू नहीं	10,416	लागू नहीं	लागू नहीं	6,037,580
गोल्ड मेडेलियन	संख्या	लागू नहीं	लागू नहीं	1,49,130	लागू नहीं	लागू नहीं	170,219
माइका पेपर	मी.टन	700	600	.	700	600	.
माइका पाउडर	मी.टन	900	900	.	900	900	–
आईएमपी फेज–1	मी.टन	लागू नहीं	45	–	लागू नहीं	45	–

अनुसूची 20 (ङ.)कच्चे माल, कंपोनेंट्स और स्पेयर्स की खपत

(रुपये मिलियन में)

	वर्ष 2010-11 के लिए		वर्ष 2009-10 के लिए	
	कच्चा माल	कंपोनेंट्स	कच्चा माल	कंपोनेंट्स
घरेलू	–	–	–	–
कुल घरेलू का प्रतिशत	**-**	-	-	-
आयात	**3,698.37**	-	3,495.69	
कुल आयात का प्रतिशत	**100.00**	-	100.00	-

अनुसूची 20 (च) विनिर्माण के लिए सीआईएफ आधार पर आयात की सूचना

(रुपये मिलियन में)

	31-03-2011 को समाप्त वर्ष	31-03-2010 को समाप्त वर्ष
कच्चा माल	**3,698.37**	3,495.69
संघटक एवं कल पुर्जे	**-**	-
व्यापार की गई अन्य वस्तुऍं (सीआईएफ/एफओबी	**-**	-

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

21. आकस्मिक देयताएं एवं टिप्पणियाँ

1. **आकस्मिक देयताएँ**

क) कंपनी की तरफ से बैंकों द्वारा जारी 845.61 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 845.80 मिलियन रुपये) की गारंटियाँ जारी की गई। कारपोरेट गारंटी की राशि 4506.69 मिलियन रूपये (गत वर्ष 4380.00 मिलियन रूपये) ग्राहक के पक्ष में निष्पादित है जो कि संविदा के निष्पादन के तहत दिया गया है जिसके बावत साझेदार आपूर्तिकारों से बैक–अप गारंटियां प्राप्त कर ली है।

ख) एनआईएनएल के ऋणों से संबंधित मूल तथा ब्याज राशि की सुनिश्चितता के लिए वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) की ओर से निगम द्वारा दी गई 14409.10 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 14409.10 मिलियन रुपये) की कारपोरेट गारंटी।

ग) कंपनी के विरूद्ध 1953.16 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 1961.07 मिलियन रुपये) के दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया।

घ) कंपनी द्वारा खोले गये साख पत्रों में से 12254.56 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 15919.74 मिलियन रुपये) की राशि बकाया है।

ङ) बैंकों से 34.91 मिलियन रुपये (गत वर्ष शून्य मिलियन रुपये) के बिल डिस्काउंट कराये गये।

च) 839.17 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष शून्य मिलियन रुपये) की विवादित बिक्रीकर मॉग जिसके लिए 107.49 मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 84.25 मिलियन रुपये) जमा कराये गये और 7.25 मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 2.30 मिलियन रुपये) बैंक गारंटियों द्वारा पूरे किए गए।

छ) व्यापार सेवा सहायता सेवा संबंधी कर मांग की राशि 425.49 मिलियन रुपये (गत वर्ष 341.50 मिलियन रुपये, कस्टम, उत्पादन शुल्क व सेवा कर विभाग के पास लंबित है।

ज) निष्पादन, मूल दस्तावेजों की प्रस्तुति इत्यादि के लिए कस्टम विभाग को बांड प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें से कुछ अभी भी बकाया हैं। असमाप्त बांडो की राशि 952. 76 मिलियन रुपये(गत वर्ष 118.87 मिलियन रुपये) है।

झ) एक पार्टी ने एनआईएनएल के कोकिंग कोल की आंशिक मात्रा के न उठाये जाने के संबंध में नोटिस जारी किया है जिसकी सुपुर्दगी वर्ष 2008–09 से संबंधित है और 3511 मिलियन रुपए 78.72 मिलियन डालर 31.03.2011 को अंतिम विनिमय दर पर 44.60 रूपये की दर से बदले गये है।(गत वर्ष 3535.00 मिलियन रुपए जिसमें 30 सितम्बर 2009 से 12 प्रतिशत की दर से ब्याज सम्मिलित है का दावा किया है जिसका खंडन कियाग या है क्योंकि यह मान्य नहीं है। एमएमटीसी ने भी वर्ष 2009–10 के लिए कोकिंग कोल की आपूर्तिन किये जाने हेतु प्रति दावा करते हुए पार्टी को नोटिस दिया है। यह मामला सरकार के स्तर पर उठाया गया है क्योंकि आपूर्तिकार, अन्य पीएसयू को भी कोकिंग कोल की आपूर्ति करनो वाले मुख्य आपूर्तिकारों में से एक है तथा आपूर्ति की शर्तें व मूल्य सरकार तथा पीएसयू के वरिष्ठ स्तर के नामितियों की सशक्त संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित कियाजाता है।

ञ) एक क्षेत्रीय कार्यालय में लेखा परीक्षकों ने 644.32 मिलियन रूपये (गत वर्ष 1947.58 मिलियन रूपये) की सीएसटी ट्रांजिट बिक्री के तहत देयता निकाली है जिसके लिए उनके मतानुसार सीएसटी की देयता 12.89 मिलियन रुपए (गत वर्ष 38.95 मिलियन रूपये)तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों व पिछले अनुभव के आधार पर कंपनी का मत है कि इस खाते में कोई देयता की संभावना नहीं है। तदनुसार इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। यद्यपि मूल्य निर्धारण पूरा होने के पश्चात् लेखों में इसे ठीक कर लिया जाएगा।

ट) निर्धारण उपरांत बिक्री कर मांग, कुछ कार्मिकों के विवादित दावे, हैडलिंग एजेंटों/संविदाकारों द्वारा भविष्य निधि की कटौती न करने, विवादित किराया राशि व ब्याज/दंडात्मक/विधिक लागत इत्यादि की अतिरिक्त देयता, यदि कोई हो तो जिसे आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्शाया गया हो जो निर्धारण योग्य हो, पर विचार नहीं किया गया है

ठ) इनमें से कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गयी राशि भारत सरकार के खाते में किये गये वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

2. पूंजीगत खाते पर पूरी न की गई संविदा की अनुमानित राशि शून्य मिलियन रुपये (गत वर्ष 0.36 मिलियन रुपये) जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

3. दिनांक 31.3.2011 को खेप आधार पर निगम के पास

निम्नलिखित स्टॉक थे जिन्हें इन्वेंट्री में शामिल नहीं किया गया:–

मूल्य मिलियन रुपए में

मदें	31-03-2011		31-03-2010	
	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
स्वर्ण	8450	17422.33	8086	13629.48
स्वर्णाभूषण		2.31		6.63
चांदी	76561	4160.34	26178	662.93
		21584.98		**14299.04**

4. ऋण व अग्रिम और विविध लेनदारों म` 5695कि.ग्रा. (पिछले वर्ष 5117 कि.ग्रा.) सोना जिसका अप्रयोगमूलक मूल्य 11846.15 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 8253.95 मिलियन रुपये) तथा 1992 कि.ग्रा. (गत वर्ष शून्य कि.ग्रा.)शामिल है जो विदेशी आपूर्तिकारों का है और कम्पनी के एसोसिएट्स ग्राहकों को ऋण आधार पर जारी किया गया है।

5. कंपनी ने प्राधिकृत डीलरों से बकाया जीआर–1 फार्मो के संबंध में देय तिथि के बाद वसूली के लिए समय बढ़ाने के लिए/छोड़ने के लिए/बट्टे खाते में डालने के लिये आवेदन किया है। इनका फैसला होने तक देयता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने 19.53 मिलियन रुपये (गत वर्ष 19.53 मिलियन रुपये) का दण्ड लगाया है जिसका प्रतिवाद किया गया है। इसके बावत 1.60 मिलियन रुपये (विगत वर्ष शून्य मिलियन रुपये) की राशि जमा करवाई गई है तथा 7.30 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 7.30 मिलियन रुपये) की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई है।

6. स्वर्ण तथा चांदी के आयात के लिए एक नामित एजेंसी होने के कारण निगम ने यूसेंस एल/सी के अधीन सोने का आयात किया है या क्रेता के क्रेडिट का उपयोग किया है। बिक्री मूल्य के रूप में प्राप्त राशि को बैंक के पास मार्जिन राशि के रूप में सावधि जमा के अंतर्गत रखा जाता है। इस पर अर्जित ब्याज यूसेंस एल/सी या क्रेता के क्रेडिट का निश्चित तिथि से पूर्व ग्राहकों से प्राप्त अदायगी एक व्यापारिक नीति के अनुसार ग्राहकों को देय होता है।

7.. ऋण तथा अग्रिम के लंबित पड़े मामले के संबंध में उच्च न्यायालय में जमा किए गए 157.37 मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 157.37 मिलियन रुपये) शामिल हैं। मूल राशि के लिए आवश्यक प्रावधान पहले ही कर दिए गए हैं तथा ब्याज यदि कोई होगा तो, उस के लिए 22.50 मिलियन रुपये (विगत वर्ष 22.50 मिलियन रुपये) का प्रावधान न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद किया जाएगा।

8. ऋण व अग्रिम में 2037.23 मिलियन रुपये (गत वर्ष 1952.33 मिलियन रुपये) के आयकर में विभिन्न निर्धारण वर्षो के लिए आयकर विभाग की 309.83 मिलियन रुपये (गत वर्ष 342.65 मिलियन रुपये) की विवादित मांग के प्रति आयकर विभाग को भुगतान किए गए 309.83 मिलियन रुपये (गत वर्ष 303.97 मिलियन रुपये) की राशि तथा वित्त वर्ष 2009–10 व 2010–11 की आयकर/फ्रिंज लाभ कर देयता के लिए अग्रिम कर/टीडीएस/एफबीटी की 1727.39 मिलियन रुपये (गत वर्ष 1648.81 मिलियन रुपये) की राशि शामिल है। अतिरिक्त मांग यदि कोई होगी तो उसका प्रावधान अपीलीय कार्यवाही पूरी होने पर कर दिया जाएगा।

9. निगम द्वारा लागू किया गया ई आर पी 'रामको पैकेज' काफी हद तक संतुलित हो गया है।सिस्टम आडिट से संपर्क किया गया है और उनके सुझाव प्रबंधतंत्र के विचारधीन है। बाद में सिस्टम आडिट द्वारा प्रसंस्करण व सिस्टम में यदि किसी समायोजन की आवश्यकता पड़ती है तो उसे कुछ समय में निगमित कर लिया जाएगा।

10. अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत से कम बाजार मूल्य पर करने से वर्ष के दौरान 210.87 मिलियन रुपये (विगत वर्ष 18.21 मिलियन रुपये) की हानि हुई।

11. मिंट चांदी लेन–देन के संबंध में मैं0 एआईपीएल के विरूद्ध 284.53 मिलियन रुपये (गत वर्ष 284.53 मिलियन रुपये) की राशि बकाया है जिसके लिए 284.53 मिलियन रुपए (गत वर्ष 284.53 मिलियन रुपए) की राशि का पूर्ण प्रावधान लेखों में किया गया है जिसका समायोजन, यदि कोई हो, अधिबिक्री प्राप्ति से किया जाना लंबित है। कंपनी ने 314.02 मिलियन रुपए (गत वर्ष 314.02 मिलियन रुपये) की वसूली मामला दायर किया है जिसमें 29.49 मिलियन रुपए(गत वर्ष 29.49 मिलियन रुपये) की अतिशोध्य ब्याज राशि भी शामिल है। मै0 एआईपीएल ने भी 1671.97 मिलियन रुपए(गत वर्ष 1671.97 मिलियन रुपये) के नुकसान का सरकारी मिंट/एमएमटीसी के विरूद्ध मामला दायर किया है जो विधिक मत के अनुसार मान्य नही है और कार्यवाही की जा रही है।

12. वर्ष के दौरान निगम ने भारत सरकार के निर्देशानुसार दालों का आयात किया है। सरकार ने 15प्र तक की हानि की प्रतिपूर्ति करने तथा 1.2प्र की दर से व्यापारिक लाभ की अनुमति प्रदान की है जो कि कंपनी द्वारा किए गए 132.36 मिलियन रुपये (गत वर्ष 311.77 मिलियन रुपए के आयात है जिन्हें सरकार से प्राप्ति योग्य दावों के रूप में लाभ व हानि खाते में केडिट किया गया है। यद्यपि बिक्री हो जाने पर सरकार द्वारा यह राशि वापिस कर दी गयी है। वर्ष 2011–12 से यह योजना बंद कर दी गयी है।

13. वर्ष के दौरान बिक्री लागत के अन्तर्गत 228.54 मिलियन रुपये (गत वर्ष 241.80 मिलियन रुपये)की राशि विनिमय अंतरण के रूप में दर्शाई गयी है यह अंतरण विदेशी मुद्रा में किये गये आयात कय/निर्यात विकयों के संबंध में रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान के लिए लदान पत्र के दिनांक को लागू नोशनल विनिमय दर को अपनाने के कारण ही हुआ है।

14. एनटीपीसी को आपूर्ति के लिए आयात किये गये कोयले के संबंध में कुछ मामलों में बिक्री अस्थाई तौर पर बुक कर दी गई है क्योंकि गंतव्य स्थान पर अंतिम गुणवत्ता विश्लेषण अभी प्राप्त नहीं हुआ है । इसका लाभप्रदत्ता पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि अंतरण यदि कोई अंतिम बीजक के जारी होने का है तो यह आपूर्तिकार के खाते में होगा।

15 सरणीकृत यूरिया की बिक्री उर्वरक विभाग(डीओएफ) भारत सरकार को डीओएफ द्वारा तथा शिपिंग दस्तावेजों के अंतरण द्वारा जारी नियत पत्र के आधार पर की गयी है। यद्यपि, डीओएफ के साथ कोई अलग करार निष्पादित नहीं किया गया है।

16. आयात के लिए समानुपातिक फारवर्ड प्रीमियम की 724.65 मिलियन रुपए (गत वर्ष 226.26 मिलियन रुपए) तथा निर्यात के लिए शून्य मिलियन रुपए (गत वर्ष शून्य मिलियन रुपए) की राशि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक–11के प्रावधानों के अनुसार अगले लेखांकन वर्ष के लाभ व हानि लेखा में डाला जाएगा।

17. दृढ़वचनबद्धता तथा बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूर्वानुमानित लेन–देन के मामलों में 31 मार्च 2011 को बकाया फारवर्ड विनिमय संविदाओं के संबंध में शून्य मिलियन रुपए (गत वर्ष 0.75 मिलियन रुपए) की हानि को वर्ष के अंत में विनिमय दर में परिवर्तन के आधार पर लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया है।

18. वेतन संशोधन के लिए डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान 60.57 मिलियन रुपये (गत वर्ष 110.00 मिलियन रुपये) सेवा निवृत्ति लाभ की देयता के लिए रखे गये है।

19. आर बी डी पामोलीन ऑयल के आयात हेतु टारगेट प्लस लाइसेंस उपयोगिता के संबंध में कस्टम ड्यूटी,पेनल्टी इत्यादि की विवादग्रस्त मांग के तहत 247.43 मिलियन रुपये(गत वर्ष 247.43 मिलियन रुपये) का प्रावधान लेखों में किया गया है। 247.43 मिलियन रुपये (गत वर्ष 247. 43 मिलियन रुपये) की देयता लेखों में पहले से मौजूद है। ब्याज खाते में देयता यदि कोई हो तो मामले के अंतिम निर्णय होने पर कर दी जाएगी।

20. एक व्यापारिक साझेदार के विरुद्ध क्षतिग्रस्त आयातित पोलिस्टर के संबंध में 20.62 मिलियन रुपये (गत वर्ष 20. 62 मिलियन रुपये) के लिए एक दावा लंबित है जिसके लिए ईएमडी तथा अन्य 3.61 मिलियन रुपये(गत वर्ष 5. 08 मिलियन रुपय) की देय राशि के खाते में लेने के पश्चात 17.01 मिलियन रुपये (गत वर्ष 15.54 मिलियन रुपये) का प्रावधान रखा गया है। निगम ने कस्टम से इसके परित्याग के लिए अनुरोध किया है जो कि निर्णय के लिए लंबित है।

21. लेखां मानक –15 (संशोधित) के अनुसार कंपनी द्वारा कर्मचारियों को निम्नानुसार लाभ प्रदान किये गये है:–

(I) अवकाश नगदीकरण : नौकरी उपरांत पात्र कर्मचारियों को उनके अर्जित अवकाश व अर्धवेतन अवकाश का नकदीकरण देय है। संचित अर्जित अवकाश का नगदीकरण न्यूनतम 15 दिन का अर्जित अवकाश छोड़कर वर्ष में दो बार करवा सकते है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) : सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर या ओपीडी उपचार सुविधा उपलब्ध है।

(iii) ग्रेच्युटी : ग्रेच्युटी समस्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/सेवा छोड़ने पर सेवाकाल के वर्षों की संख्या के आधार पर प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अदायगी कंपनी द्वारा की जाती है जिसकी व्यवस्था एक अलग ट्रस्ट द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है। माइका प्रभाग के कार्मिकों के संबंध में इस योजना की व्यवस्था प्रत्यक्ष रुप से कंपनी द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है।

(iv) दीर्घकालीन सेवा लाभ : कर्मचारियों के दीर्घकालीन सेवा लाभ निम्नानुसार देय है:–

क. अधिवर्षिता आयु पूरी करने पर/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाने पर कर्मचारियों को सेवा के पूरे किये गये प्रत्येक वर्ष के लिए 2500 रुपये तक सेवा अवार्ड प्रदान किया जाता है।

ख. सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर कार्मिक के आश्रितों को 50,000 रुपये तक की एक मुश्त अनुकंपा राशि ग्रेच्युटी के रूप में दी जाती है।

ग. कर्मचारी परिवार लाभ योजना के अंतर्गत सेवाकाल के दौरान मृतक कार्मिकों के आश्रितों को अदायगी अधिवर्षिता आयु के नोशनल दिनांक तक दी जाती है। मृत्यु के समय 20 वर्ष से कम सेवा अवधि पूरी करने पर अंत में ले रहे मूल वेतन तथा डी ए का 40 प्रतिशत से अधिकतम 12000 रुपये तक दिया जाता है इसी प्रकार मृत्यु के समय 20 वर्ष या अधिक सेवाकाल पूरा करने पर अंत में लिये गये मूल वेतन तथा डी ए के 50 प्रतिशत की दर से मासिक लाभ दिया जाता है।

"कर्मचारी लाभ" संबंधी लेखा मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार परिभाषित लाभ बाध्यताओं के अंतर्गत वांछित अन्य प्रकटन इस प्रकार हैं :–

(क) परिभाषित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य का समाधान :

(रुपये मिलियन में)

क्रं. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित छुट्टी नकदीकरण	बीमारी छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	एलटीसी/एएलटीसी
(i)	परियोजित लाभ बाध्यताओं का दिनांक 1.4.2009 को वर्तमान मूल्य	627.64	209.27	147.97	707.80	
(ii)	ब्याज लागत	50.09	16.74	11.84	56.62	
(iii)	वर्तमान सेवा लागत	18.55	10.24	6.43	9.85	
(iv)	प्रदत्त लाभ	82.27	36.07	5.84	75.12	
(v)	बीमांककीय (लाभ/हानि)	43.15	30.69	(6.40)	159.66	*98.31
(vi)	31.3.2011 को बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii-iv+v)	657.16	230.87	154.00	858.81	98.31

* हितकारी योजना जिसे अब समाप्त कर दिया गया है में उपलब्ध 18.2 मिलियन रू0 की देयता राशि का समायोजन करने के पश्चात लाभ व हानि लेखों में 80.30 मिलियन रू0(नेट) ब्यय के रूप में प्रभारित किए गए है जिन्हें वापस ले लिया गया है।

(ख) 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण लेखा में दर्शाये गये व्यय :

(रू0 मिलियन में)

क्रं. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित छुट्टी नकदीकरण	बीमारी छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	दीर्घकालीन सेवा लाभ
(i)	सेवा लागत	18.55	10.24	6.43	9.85	
(ii)	ब्याज लागत	50.09	16.74	11.84	56.62	
(iii)	योजना परिसपंतियों पर संभावित रिटर्न	56.51				
(iv)	अवधि के दौरान शुद्ध बीमांककीय (लाभ)/हानि	43.15	30.69	(6.40)	159.66	80.30
(v)	लाभ व हानि खातों में लिए गए व्यय (i+ii-iii+iv)	55.28	57.67	11.87	226.14	80.30

(ग) परियोजित परिसंपतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रुपये मिलियन में)

	ग्रेच्युटी
1.4.2010 को योजनागत परिसंपतियों का उचित मूल्य	618.47
योजना परिसंपतियों पर वास्तविक रिटर्न	56.51
नियोक्ता द्वारा अंशदान	37.28
प्रदत्त लाभ	82.27
बीमांककीय लाभ / (हानि)	
31.3.2011 को योजना परिसंपतियों का उचित मूल्य	629.99

घ) सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना के तहत लाभों के मूल्यांकन के संबंध में संभावित मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशत प्वाइंट परिवर्तन का प्रभाव : –

रुपये मिलियन में

क्र. सं.	विवरण	मुद्रास्फीति दर में 1 प्रतिशतता वृद्धि	मुद्रास्फीति दर में 1 प्रतिशतता कमी
i)	सेवा लागत व ब्याज लागत के समग्र पर प्रभाव	8.22	(7.06)
ii)	परिभाषित लाभ बाध्यताओं पर प्रभाव	88.53	(76.23)

(ड.) बीमांककीय कल्पनाएं :

क्र.सं.	विवरण	31/3/2011 को
(i)	छूट दर(प्रतिवर्ष)	8.00%
(ii)	भविष्य लागत वृद्धि	5.00%
(iii)	सेवा निवृति आयु	60 years
(iv)	मृत्यु संख्या विवरण	एलआईसी (1994–96) यथा संशोधित
(v)	निकासी दरें	आयु पर आधारित 1% से 3%

22. लेखा मानक – 18 के अंतर्गत संबंधित पार्टियों का प्रकटन (प्रबंधतंत्रा द्वारा यथा–निर्धारित एवं प्रमाणित)

संबंधित पार्टियों के नाम व संबंध का विवरण

(क) प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक

i.	श्रीमती विजय लक्ष्मी जोशी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (22.07.2011)
ii.	श्री एच एस मान	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार (22.07.11तक)
iii.	श्री संजीव बत्रा	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक 30.09.2010 तक)
iv.	श्री एस के कर	निदेशक (30.06.2010 तक)
v.	श्री ए महापात्रा	निदेशक (31.07.2010 तक)
vi.	श्री सुनीर खुराना	निदेशक
vii.	श्री वेद प्रकाश	निदेशक
viii.	श्री राजीव जयदेव	निदेशक (03.12.2010 से)

ख. सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रासंनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

ग. एसोशिएट्स

नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड

देवोना थर्मल पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

घ. संयुक्त उद्यम

फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड

हल्दिया फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड

ग्रेटर नौएडा इंटिग्रेटिड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड

इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड

एमएमटीसी पेम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड

एमएमटीसी गीतांजली प्राइवेट लिमिटेड

इंडियन कमोटिडी एक्सचेंज लिमिटेड

सिकल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड

टी एम माइनिंग कंपनी लिमिटेड

वर्ष 2010–11 के दौरान लेन–देन का विवरण

(रू. मिलियन में)

विवरण	सहायक कंपनी	एसोशिएट्स	संयुक्त उद्यम	प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक	कुल
माल की खरीद	19400.05	15587.78	40.12		35027.95
माल की बिक्री	7008.41	12936.59	30.55		19975.55
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री					
प्राप्त लाभांश	98.88				98.88
रोकड़ अथवा वस्तु के रूप में ऋण तथा इक्विटी अंशदान सहित वित्त		1806.85	89.55		1896.40
कारपोरेट गारंटी					
अन्य भुगतान डेमरेज/डिस्पैच					
अन्य प्राप्तियां डेमरैज/डिस्पैच	3.14	17.18			20.32
पारिश्रमिक				24.07	24.07
बकाया शेष					
प्राप्य	367.91	20286.39	2.84		20657.14
देय	496.70	12977.28			13473.98

23. रिपोर्ट–लेखा मानक–27 के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय भारत में निगमित सभी संयुक्त कंपनी उद्यमों में ब्याज, परिसंपत्तियां, देयताएं, आय, व्यय, विविध देयताएं व पूंजीगत अर्हताओं में कंपनी की स्वामित्व हिस्सेदारी नीचे दी गई है:–

रुपये मिलियन म

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	कंपनी के स्वामित्व का प्रतिशत	परिसंपत्तिया	देयताएं	आय	व्यय	विविध देयताएं	पूंजीगत अर्हताएं
1.	फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लि.	26	136.74	136.44	0.05	3.45	-	-
2.	ग्रेटर नौएडा इंटिग्रेटिड वेयर हाउसिंग प्रा. लि.	26	0.01	0.01	-	0.01	-	-
3.	एमएमटीसी–पेंप इंडिया प्रा. लि.	26	450.79	301.91	13.18	16.12		
4.	सिकल आयरन ओर टर्मिनल लि.	26	973.71	635.77	-	-		
5.	एमएमटीसी गीताजंलि प्रा.लि.	26	96.18	73.12	82.68	82.67		
6	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि.	26	210.43	49.04	36.29	117.47	-	-
7	ठी एम माइनिंग कंपनी लिमिटेड	26	0.13	0.06	-	-		

24. लेखा मानक–17 के अनुसार कंपनी ने खनिजों, बहुमूल्यों धातुओं, धातुओं, कृषि उत्पादों, कोयला व हाइड्रोकार्बन, उर्वरकों तथा सामान्य व्यापार/अन्य को अपने प्राथमिक रिपोर्ट योग्य बिजनेस सैगमेंटों के रूप में पहचान की है। सैकेंडरी सैगमेंटों में जिनकी पहचान की गई है भारत के भीतर व बाहर भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। अनुलग्नक क में विस्तार पूर्व विवरण दिया गया है।

25. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा विनिर्दिष्ट 'परिसंपत्तियों की हानि' जैसा कि मानक लेखा (ए एस) 28 द्वारा वांछित है कंपनी ने परिसंपत्तियों की हानि का मूल्य निर्धारण किया है। वर्ष के दौरान कोई हानि नहीं हुई है।

26. मानक लेखा – ए. एस. 29 के अनुसार प्रावधानों का समाधान निम्नानुसार है:–

(रूपये मिलियन में)

प्रावधानों का विवरण	1.4.10 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.10 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व विश्लेषण जोखिम	5.27	5.27	5.32	5.32
बोनस/पीआरपी	190.55	75.38	85.75	200.92
अधिवर्षिता लाभ	160.00	-	60.57	220.57
कराधान	1885.40	773.40	774.00	1886.00
फ्रिंज लाभों पर कर	26.54	-	-	26.54
कारपोरेट सामाजिक दायित्व का शेष बजट	-	-	0.97	0.97
प्रस्तावित डिविडेंट	450.00	450.00	250.00	250.00
बजट प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	74.74	74.74	40.55	40.55

27. आस्थगित कर

31 मार्च, 2011 को आस्थगित कर देयता में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(रुपये मिलियन में)

विवरण	दिनांक 1.4.2010 को आस्थगित कर परिसंपत्तियॉं/(देयताएं)	वर्ष 2010–11 के दौरान केडिट/(प्रभार)	दिनांक 31.3.2011 को आस्थगित कर परिसंपत्तियां(देयताएं)
मूल्यह्रास	(234.39)	17.81	(216.58)
धारा – 43 बी के अधीन अस्वीकृत राशि	0.05	(0.05)	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	381.21	63.51	444.72
डीडब्ल्यूए जोखिम	1.75	(0.03)	1.72
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति व्यय	24.90	(8.71)	16.19
आई टी विभाग से प्राप्त ब्याज	-	17.88	17.88
अन्य	53.15	18.41	71.56
योग	**226.67**	**108.82**	**335.49**

28. लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 32 के अनुसार यथावांछित ऋण के रूप में ऋण एवं अग्रिमों का ब्यौरा इस प्रकार है : –

क) अग्रिम के रूप में सहयोगियों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम (ब्याज रहित)

(रूपये मिलियन में)

कर्जदार	दिनांक 31.3.2011 को शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया
नीलाचल इस्पात निगम लि.	₹ 0.17 (विगत वर्ष ₹ 1.33)	₹ 1.46 (विगत वर्ष ₹ 1.84)

ख) कर्जदारों द्वारा किये गये निवेश का ब्यौरा : शून्य रुपये (विगत वर्ष शून्य रुपये)

29. प्रति शेयर अर्जन

विवरण	10-11	09-10
कर पश्चात लाभ (रुपये मिलियन में)	1216.43	2162.38
इक्विटी शेयरों की कुल संख्या(मिलियन)	1000.00	50.00
बेसिक और डाइल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन (रुपये) (अंकित मूल्य 1/– रु. प्रति शेयर) (गत वर्ष अंकित मूल्य 10/– रु0 प्रति शेयर)	1.22	43.25

30. कंपनी ने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कुछ विशेष परिवर्तन निम्नानुसार किये है :–

(i) लेखांकन नीति 12 के शब्दों में परिवर्तन ।

(क) शुरू के पैरा में "बैक–टू–बैक" लेने देन मामले में निवल प्राप्ति योग्य मूल्य लागत प्लस प्रॉफिट मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया गया है। कंपनी द्वारा लेखांकन प्रेक्टिस के अनुरूप बैक–टू–बैक लेन–देन के संबंध में निवल प्राप्ति योग्य मूल्य निर्धारण को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया है।

(ख) 12(ख) के प्रथम पैरा में "तथापि, जहाँ स्टॉक विशेष रूप से पहचान योग्य है, में इस सामग्री की वास्तविक लागत में किये गए सभी व्यय सम्मिलित होते है जो इसे इस दशा में रखने के लिए किए गए है " जिनका इस प्रकार के मामलों में वर्तमान रीति के अनुरूप रखने के लिए विषेश पहचान योग्य स्टॉक की लागत निर्धारण को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया है।

उपरोक्त परिवर्तनों का कंपनी के लेखों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

(ii) कर्मचारी लाभों से संबंधित लेखांकन नीति सं010(1) : –

एएलटीसी/एलटीसी योजना वापिस ले ली गयी है और दीर्घ सेवा अवधि लाभ जैसे सेवा अवार्ड, अनुकंपा ग्रेच्युटि, कर्मचारी परिवार लाभ योजना वीमांकन मूल्य के आधार पर निगमित की गयी है। इस परिवर्तन के कारण इस वर्ष के लाभ में 55.10 मिलियन रु0 की कमी हुई है।

31. बकाया राशियों की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र जारी किये गये है जिनमें निर्धारित अवधि के भीतर पुष्टि करने या टिप्पणी करने का अनुरोध किया गया है जिसके अभाव में पत्र में दर्शाए गए शेष को पुष्टि कृत माना जाएगा। कुछ मामलों में पुष्टि पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। यद्यपि किसी पार्टी से विपरीत सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

32. कारपोरेट मामले मंत्रालय के 8 फरवरी 2011 की अधिसूचना सं. 301 (ई) के अनुसार – कम्पनी अधिनियम 1956 सूची vi के भाग 2 पैरा 3(1) (क), 3(11) (क) तथा 3(11) ख के तहत कुल कारोबार, क्रय, कच्चे माल की खपत आदि के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत से कम हो उन वस्तुओं की सूचना प्रकटण में कंपनी ने छूट प्राप्त कर ली है।

33. दिनांक 31.3.11 को निगम द्वारा किसी छोटे, लघु या मध्यम उपक्रमों से 45 दिन से अधिक अवधि के लिए लिया गया कोई ऋण बकाया नहीं है।

34. कंपनीज (लेखा मानक) नियमावली 2006 का अनुपालन किया गया है। निगम के बड़ी संख्या में लेन देन हैं तथा साथ ही इसकी विविध गतिविधियॉ हैं जिस कारण से उक्त नियमों का अनुपालन करने में प्रचालनात्मक कठिनाइयां हो सकती हैं। यदि कोई उल्लंघन किया गया है तो उसे निगम की लेखा नीतियों में वर्णित किया गया है।

35. नियुक्ति की संविदा शर्तो के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों को प्रतिवर्ष 12000 किमी. तक निजी प्रयोजन हेतु 400/– रुपये प्रति माह के भुगतान पर स्टाफ कार का प्रयोग करने की अनुमति है।

36. जहां तक आवश्यक समझा गया है, पूर्व वर्ष के आंकड़े पुनः समूहित/समेकित किए गए हैं।

37. इस रिपोर्ट में लेखा नीतियां, अनुसूचियां तथा नोट, लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

कृते **एन के भार्गव एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 000429 एन

(सी ए. एन के भार्गव)
भागीदार
एम सं. 80624

(मनोहर बलवानी)
म.प्र. व कंपनी सचिव

(एम जी गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त व लेखा) –प्रभारी

(सुनीर खुराना)
निदेशक

(विजयलक्ष्मी जोशी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 02 अगस्त 2011
स्थान : नई दिल्ली

लेखों की टिप्पणियों का अनुलग्नक 'क'

वर्ष 20110–11 के लिए खंडवार निष्पादन का विवरण

(मुख्य प्रकटन)

विवरण	व्यापार खंड					
	बहुमूल्य धातुएं		धातुएं		खनिज एवं अयस्क	
	31 मार्च 11	31 मार्च 10	31 मार्च 11	31 मार्च 10	31 मार्च 11	31 मार्च 10
राजस्व खंड						
विदेशी बिक्री						
- भारत के भीतर	**506852.87**	321302.78	**12465.55**	15899.70	**2146.16**	1610.96
- भारत के बाहर			**8135.68**	4891.21	**28041.57**	26531.62
योग (क)	**506852.87**	321302.78	**20601.23**	20790.91	**30187.73**	28142.58
अंतर–खण्ड बिक्री						
- भारत के भीतर						
- भारत के बाहर						
योग (ख)						
कुल खण्ड राजस्व(क+ख)	**506852.87**	321302.78	**20601.23**	20790.91	**30187.73**	28142.58
समस्त खण्डों के कुल राजस्व की प्रतिशतता के रूप में प्रत्येक खण्ड का कुल राजस्व	**73.61%**	71.20%	**2.99%**	4.61%	**4.38%**	6.24%
खण्डीय परिणाम						
- भारत के भीतर	**749.35**	642.51	**223.54**	398.90	**60.67**	70.15
- भारत के बाहर		**246.42**	171.63	**1120.37**	1137.78	
कुल खण्डीय परिणाम	**749.35**	642.51	**469.96**	570.53	**1181.04**	1207.93
अनिर्धारित आय के निवल का अनिर्धारित कारपोरेट व्यय						
प्रचालन लाभ						
ब्याज व्यय						
ब्याज आय						
आय कर						
साधारण कार्यकलापों से लाभ						
असाधारण हानि/लाभ						
निवल लाभ						
अन्य सूचना						
खंड परिसंपत्तियां	**61158.05**	42549.90	**1622.22**	1935.70	**3728.68**	2472.66
अनिर्धारित कारपोरेट परिसंपत्तियां						
कुल परिसंपत्तियां						
खंड देयताएं	**43805.37**	37987.00	**2030.78**	1598.92	**4904.98**	6143.27
अनिर्धारित कारपोरेट देयताएं						
कुल देयताएं						
खंड पूंजीगत व्यय	**0.35**	10.75				
अनिर्धारित पूंजीगत व्यय						
कुल पूंजीगत व्यय						
खंड मूल्यह्रास	**1.19**	1.87			**55.36**	55.57
अनिर्धारित मूल्य ह्रास						
कुल मूल्य ह्रास						
मूल्य ह्रास के अलावा गैर– रोकड़ व्यय						

(सैकण्डरी प्रकटन)

विवरण	भौगोलिक खंड	
	भारत के बाहर	
	31 मार्च 11	31 मार्च 10
राजस्व खंड		
वाहय बिक्री	36,934.08	32,227.58
अंतरखण्ड बिक्री	-	-
कुल राजस्व	36,934.08	32,227.58
खण्ड परिणाम	1,372.64	1,351.21
खण्ड परिसंमत्तिया	3,578.31	2,217.19
पूंजीगत व्यय--	0.35	10.75

(रुपये मिलियन में)

	व्यापार खंड										
	हाइड्रोकार्बन		कृषि उत्पाद		उर्वरक		अन्य		योग		
	31 मार्च 11	31 मार्च 10	31 मार्च 11	31 मार्च 10	31 मार्च 11	31 मार्च 10	31 मार्च 11	31 मार्च 10	31 मार्च 11	31 मार्च 10
	95098.93	39955.67	**16215.41**	15883.15	**18657.13**	24223.99	**174.75**	138.04	**651610.80**	419014.30
			20.24		**736.59**	804.76			**36934.08**	32227.58
	95098.93	39955.67	**16235.65**	15883.15	**19393.71**	25028.75	**174.75**	138.04	**688544.88**	451241.88
	95098.93	39955.67	**16235.65**	15883.15	**19393.71**	25028.75	**174.75**	138.04	**688544.88**	451241.88
	13.81%	8.85%	**2.36%**	3.52%	**2.82%**	5.55%	**0.03%**	0.03%	**100.00%**	100.00%
	817.72	442.10	**-102.13**	13.47	**92.97**	162.54	**84.94**	95.19	**1927.06**	1824.87
		0.59		**5.25**	10.91		30.90	**1372.64**	1351.21	
	817.72	442.10	**-101.54**	13.47	**98.22**	173.45	**84.94**	126.09	**3299.70**	3176.08
									2413.76	1461.10
									885.94	1714.98
									3718.59	4126.18
									4750.47	5741.91
									701.39	1168.33
									1216.43	2162.38
									1216.43	2162.38
	14519.70	16218.14	**4540.93**	6966.19	**905.77**	2283.92	**559.73**	607.15	**87035.08**	73033.64
									40062.62	45360.40
									127097.70	118394.04
	12737.45	13344.72	**7580.27**	6207.18	**1064.03**	1845.63	**318.35**	845.53	**72441.23**	67972.26
									40859.12	37550.31
									113300.35	105522.57
									0.35	10.75
									13.48	44.63
									13.83	55.38
							36.36	36.36	**92.92**	93.80
									31.75	39.50
									124.66	133.30
									231.28	80.56

	भौगोलिक खंड			
	भारत के भीतर		योग	
	31 मार्च 11	31 मार्च 10	31 मार्च 11	31 मार्च 10
	651,610.80	419,014.30	688,544.88	451,241.88
	-	-	-	-
	651,610.80	419,014.30	688,544.88	451,241.88
	1,927.06	1,824.87	3,299.70	3,176.08
	83,456.77	70,816.45	87,035.08	73,033.64
	0.35	10.75	0.35	10.75

MMTC LIMITED
एमएमटीसी लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

रोकड़ प्रवाह विवरण

(रुपये मिलियन में)

	वर्ष 2010-11		वर्ष 2009-10	
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
कर पूर्व लाभ		**1,917.82**		**3,330.71**
के लिए समायोजन रू				
मूल्यहरास	124.66		133.30	
बट्टे खाते में डाले गये विभिन्न खर्चे	-		58.26	
शुद्ध विदेशी मुद्रा(लाभ)/हानि	(233.38)		(324.48)	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	(0.76)		0.78	
प्राप्त ब्याज	(4,750.47)		(5,741.91)	
निवेशों से प्राप्त लाभांश	(98.88)		(141.99)	
प्रदत्त ब्याज	3,718.59		4,126.18	
संदिग्ध ऋणों /कर्जों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	229.39		18.98	
सीएसआर हेतु प्रयोग नहीं हुए बजट हेतु प्रावधान	0.97		-	
प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं	(40.98)		(409.96)	
देयताएं जिनकी अब आवश्यकता नही	(94.18)		(142.58)	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	5.32	(1,139.72)	8.72	(2,414.70)
कार्यरत पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ		**778.10**		**916.01**
समायोजन के लिए				
व्यापारिक तथा अन्य प्राप्तियॉ	(15,101.93)		6,022.00	
इन्वैंट्री	14,868.62		(15,563.06)	
व्यापारिक तथा अन्य देय राशियॉ	(1,183.60)		2,006.26	
प्रावधान	324.69		13.32	
		(1,092.22)		(7,521.48)
प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न रोकड		**(314.12)**		**(6,605.47)**
प्रदत्त कर		(894.48)		(741.27)
प्रचालन गतिविधियों से हुआ शुद्ध रोकड़ प्रवाह		**(1,208.60)**		**(7,346.74)**
ख. निवेश गतिविधियों से हुआ रोकड़ प्रवाह				
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(13.83)		(40.42)	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	0.85		(0.27)	
निवेशों की खरीद	(101.76)		(413.66)	
शेयरों की खरीद हेतु अग्रिम	(1,794.64)		(90.98)	
प्राप्त ब्याज	4,750.47		5,741.91	
निवेशों से प्राप्त लाभांश				
एमटीपीएल सिंगापुर	98.88		141.99	
निवेश गतिविधियों से हुआ शुद्ध रोकड़ प्रवाह		**2,939.97**		**5,338.57**
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
बैंक ऋण/अन्य से प्राप्त धनराशि	9,186.70		8,595.96	
प्रदत्त ब्याज	(3,718.59)		(4,126.18)	
प्रदत्त लाभांश (कर सहित)	(524.74)		(233.99)	
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह		**4,943.37**		**4,235.79**
रोकड़ व रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी)		**6,674.74**		**2,227.62**
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का आरंभिक शेष	60,807.61		58,579.99	
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का अंतिम शेष	67,482.35		60,807.61	

टिप्पणी

1. शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर कुछ अर्जित/आस्थगित राशि के लिए समायोजन कारपोरेट कार्यालय में किया गया ।
2. जहॉं भी आवश्यक समझा गया, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित किया गया है।
3. रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में बैकों के सावधि जमा सम्मिलित है।
4. रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में शामिल हैः–

	2010-11	2009-10
क. नकदी स्टैम्पस व चैक	**3.29**	551.28
ख. भारत में बैंक शेष		
चालू खाते में	**3017.12**	2372.00
कैश केडिट खाते में (डेबिट शेष)	**12.43**	442.34
विदेशी मुद्रा में चालू खाते में	**0.27**	0.27
सावधि जमा के रूप में (लियन के तहत/सिक्युरिटी के रुप में रखे सहित)	**64448.91**	57441.72
ग) विदेशों में अनुसूचित बैकों के चालू खाते में	**0.33**	-
योग	**67482.35**	60807.61

कृते एन के भार्गव एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर. 00429एन

ह.
(सीए एन के भार्गव)
पार्टनर
एम.सं. 080624

दिनांक : 18 अगस्त, 2011
नई दिल्ली

ह.
(मनोहर बलवानी)
महाप्रबंधक व कंपनी सचिव

ह.
(एम.जी.गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(वि.व ले.) प्रभारी

ह.
(सुनीर खुराना)
निदेशक

ह.
(विजयलक्ष्मी जोशी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लेखों में निहित कंपनी अधिनियम 1956 की सूची VI के भाग – II के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में ऐसा साल जो कुल कारोबार/खरीद मूल्य का 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक है तथा यह व्यापार तथा लाभ व हानि लेखे का विवरण का भाग है।

(रुपये मिलियन में)

	आरंभिक स्टाक		क्रय		विक्रय		अंतिम स्टाक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आयात								
गोल्ड (ओजीएल)–केजीएस	122	198	243,632	461,114	241,386	465,102	209	432
गोल्ड (डीटीए)–केजीएस	-	-	2,730	5,121	2,728	5,132	2	4
स्टीम कोल–एमटी	2,483,502	13,335	9,479,493	52,865	11,744,898	80,405	163,835	1,076
घरेलू								
गोल्ड ज्वैलरी–जीएमएस	18,776	53	13,036	359	105,275	887	7,345	53
गोल्ड मेडालियन–जीएमएस	50,075	199	73,020	249	330,974	3,462	52,028	322
गोल्ड स्क्रैप, एएंडएच एवं शॉप–जीएमएस	-	2	-	-	-	-	-	2

सहायक कंपनी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसार विवरण

(राशि यू एस मिलियन डालर में)

1	सहायक कम्पनी का नाम	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	
		2010-11	2009-10
2	सहायक कंपनी का समाप्त हुआ वित्तीय वर्ष	**31 मार्च 2011**	31 मार्च 2010
3	एमएमटीसी लिमिटेड के पास सहायक कंपनी के शेयर		
	i) संख्या	**1461502** प्रत्येक शेयर एक सिंगापुर डालर का	1461502 प्रत्येक शेयर एक सिंगापुर डालर का
	ii) स्वामित्व की मात्रा	**100%**	100%
4	जहॉं तक एमएमटीसी लि. के सदस्यों का संबंध है, वित्तीय वर्ष के लिए सहायक कंपनी के लाभ का शुद्ध कुल योग		
	i) 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लि. के खातों में सम्मिलित राशि	शून्य	शून्य
	ii) समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लि.के खातों में सम्मिलित नहीं की गई राशि' (मिलियन डालर में)	**2.3**	6.5
5	जहां तक एमएमटीसी लि. के सदस्यों का संबंध है, पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए सहायक कम्पनी के लाभ की शुद्ध कुल राशि		
	i) 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लि. के खातों में सम्मिलित राशि	शून्य	शून्य
	ii) समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लि. के खातों में सम्मिलित नहीं की गई राशि (मिलियन डालर में)	**6.5**	6.9

(मनोहर बलवानी)
महाप्रबन्धक व कंपनी सचिव

(एम.जी. गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त व लेखा) – प्रभारी

(सुनीर खुराना)
निदेशक

(विजयलक्ष्मी जोशी)
अध्यक्ष–व–प्रबन्ध निदेशक

एमएमटीसी
लिमिटेड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

वित्तीय विवरण
2010 - 2011

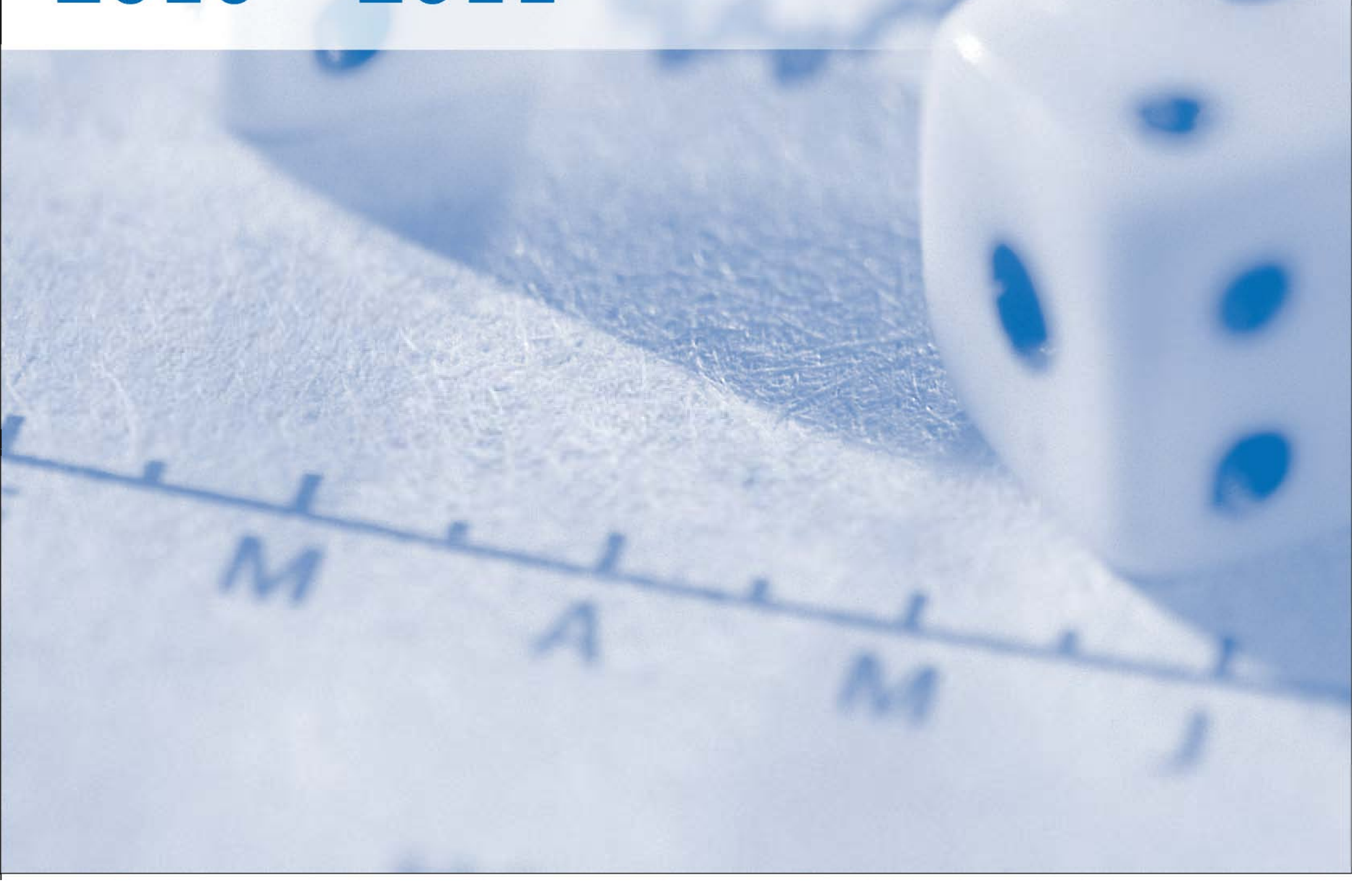

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

निदेशक 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ शेयरधारकों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

निदेशकगण

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि को निम्नलिखित निदेशक कार्यरत हैं –

- हरदीप सिंह मान (6 अक्तूबर 2010 को नियुक्ति)
- सुनीर खुराना
- वेद प्रकाश (11 अक्तूबर 2010 को नियुक्ति)
- राजीव जयदेव (11 अक्तूबर 2010 को नियुक्ति)
- मदन गोपाल गुप्ता (16 नवंबर 2010 को नियुक्ति)
- तपस कुमार सेनगुप्ता (18 मई 2011 को नियुक्ति)
- विजय कुमार गुप्ता (18 मई 2011 को नियुक्ति)
- जोग्गारी किशन (18 मई 2011 को त्यागपत्र)
- ववाधन कुलाशेखरन (18 मई 2011 को त्यागपत्र)

निदेशकों द्वारा शेयर और डिबेंचर अधिग्रहण करने हेतु व्यवस्था

कंपनी ने न तो वित्तीय वर्ष के अंत में और न ही वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी किसी भी व्यवस्था में हिस्सा लिया जिसका उद्देश्य कंपनी के निदेशकों को कंपनी या अन्य कारपोरेट संस्था के शेयर या डिबेंचर अर्जित करके लाभ पहुंचाया गया हो।

शेयर अथवा डिबेंचरों में निदेशकों का हित

निदेशकों की शेयर हिस्सेदारी रजिस्टर के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में कार्यरत निदेशकों की कंपनी या कंपनी से संबंधित निगमों के शेयरों अथवा डिबेंचरों में निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई हिस्सेदारी नहीं थी :

	निदेशक, पति/पत्नी अथवा बच्चों के नाम में पंजीकृत शेयर–हिस्सेदारी	
	31.03.2011 को (प्रत्येक 1 रुपए के समतुल्य)	01.04.2010 को (प्रत्येक 10 रुपए के समतुल्य)
एमएमटीसी लिमिटेड (सामान्य शेयर) सुनीर खुराना	20	1

निदेशकों को संविदात्मक लाभ

पूर्व वित्त वर्ष की समाप्ति की अवधि से किसी भी निदेशक ने कंपनी या संबंधित कारपोरेशन जिसका वह निदेशक है या फर्म जिसका सदस्य है या कंपनी जिसमें उसका विशेष वित्तीय हित शामिल है के साथ अनुबंध करने का कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है सिवाय इस रिपोर्ट के साथ संलग्न वित्तीय विवरण में जैसा दर्शाया गया है या उसके लिए ग्राह्य है, सिवाय इसके कि कुछ निदेशकों के संबंधित निगमों के साथ रोजगार संबंध थे और उस हैसियत में उन्होंने पारिश्रमिक प्राप्त किया था।

शेयर विकल्प

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के जारी न किये गए शेयर लेने के लिए विकल्प नहीं दिया गया।

विकल्प व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के जारी न किये गए शेयर लेने के लिए कोई शेयर जारी नहीं किए गए।

वित्तीय वर्ष के अंत तक विकल्प के अंतर्गत जारी न किए गए शेयर उपलब्ध नहीं थे।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक

स्वतंत्र लेखापरीक्षक, प्राइसवाटरहाउसकूपर्स एलएलपी, ने पुनः नियुक्ति के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

निदेशकों की ओर से

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
तपस कुमार सेनगुप्ता	**विजय कुमार गुप्ता**
निदेशक	निदेशक

निदेशकों का कथन

31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

निदेशकों के मतानुसार

(क) 31 मार्च 2011 को कंपनी के कार्यकलापों की वास्तविक व स्पष्ट तस्वीर दर्शाने के लिए पृष्ठ संख्या 5 से 24 तक वित्तीय विवरणों को इस प्रकार दिया गया है कि ये इसी तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के व्यापार, इक्विटी में परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह के परिणामों को दर्शा सकें, तथा

(ख) इस विवरण की तिथि को यह विश्वास करने के लिए तर्कसंगत आधार है कि कंपनी अपनी देनदारियों की उनके देय होने पर अदायगी करने में समर्थ होगी।

निदेशकों की ओर से

ह.	ह.
तपस कुमार सेनगुप्ता	**विजय कुमार गुप्ता**
निदेशक	निदेशक

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के शेयरधारकों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए हमने एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों, जो पृष्ठ संख्या 5 से 24 में दिए गए हैं, की लेखापरीक्षा की है जिनमें इसी तिथि को समाप्त वर्ष का तुलन–पत्र, आय विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण के साथ–साथ महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का संक्षिप्त रूप एवं अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

सिंगापुर कम्पनी अधिनियम ("अधिनियम") तथा सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के प्रावधानों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रबधतंत्र उत्तरदायी है। इन दायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं कि इस प्रकार की आंतरिक लेखा नियंत्रण प्रणाली तैयार करना व बनाए रखना जो उचित आश्वासन प्रदान कर सके कि परिसंपत्तियों को अनधिकृत उपयोग अथवा विस्थापन क्षति से सुरक्षित रखा गया है और लेनदेन को उचित रूप से अधिकृत किया गया है और उन्हें आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है ताकि लाभ व हानि खाते व तुलनपत्र और संपत्तियों के उत्तरदायित्व को बनाये रखने के लिए सत्य व सही स्थिति प्रकट हो सके।

लेखापरीक्षकों के दायित्व

लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय देना हमारा दायित्व है। लेखापरीक्षा के लिए सिंगापुर मानकों के अनुरूप हमने लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना बनाने के साथ–साथ इस प्रकार लेखापरीक्षा करें ताकि समुचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को गलत रूप में प्रकट नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों तथा प्रकटनों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने की प्रणाली शामिल है। चयनित प्रणाली लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती है जिसमें धोखेबाजी अथवा चूक के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत तथ्यों के जोखिम का आकलन समाहित रहता है। इस प्रकार के जोखिमों का आकलन करते समय उचित लेखा परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए लेखापरीक्षक परिस्थितियों के अनुसार उचित तैयारी तथा उचित प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं। परन्तु इसका उद्देश्य लागू आंतरिक नियंत्रण के प्रभावीकरण पर अपनी राय देना नहीं होता है। प्रयुक्त लेखा नीतियों तथा प्रबंधतंत्र द्वारा बनाए गए लेखानुमानों की उपयुक्तता के आकलन के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का आकलन करना भी लेखापरीक्षा में शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त तथा उचित आधार हैं।

मत

हमारी राय में, कंपनी के संलग्न वित्तीय विवरण सिंगापुर कंपनी अधिनियम तथा सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के प्रावधानों के अनुरूप उचित रूप से तैयार किये गये हैं तथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के परिणामों, इक्विटी में परिवर्तनों एवं रोकड़ प्रवाह की इसी तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सत्य तथा सही स्थिति दर्शाते हैं।

अन्य विधिक तथा रेगुलेटरी आवश्यकताओं पर

रिपोर्ट हमारे मतानुसार अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक लेखे व अन्य रिकार्ड को कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उचित रूप से रखा है।

हस्ताक्षर

प्राइसवाटरहाउसकूपर्स एलएलपी

पब्लिक एकाउंटेंट्स सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स

सिंगापुर, 14 जून 2011

कम्प्रीहेंसिव आय विवरण

31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
माल की बिक्री		**710,292,097**	525,465,527
अन्य आय –नेट	3	**1,219,886**	3,535,670
पुनः बिक्री के लिए की गई खरीद		**(705,385,499)**	(519,856,611)
कर्मचारी क्षतिपूर्ति	4	**(1,047,254)**	(865,945)
मूल्यह्रास	10	**(35,650)**	(18,524)
किराया व्यय–पट्टा प्रचालन		**(183,385)**	(130,332)
शुद्ध मुद्रा विनिमय क्षति		**(34,210)**	(11,266)
बैंक प्रभार		**(277,657)**	(388,292)
अन्य व्यय		**(257,523)**	(271,749)
वित्तीय व्यय	5	**(1,344,696)**	(410,151)
आयकर पूर्व लाभ		**2,946,109**	7,048,327
आयकर व्यय	6	**(631,070)**	(505,450)
कर पश्चात लाभ तथा कुल कम्प्रीहेंसिव आय		**2,315,039**	**6,542,877**

संलग्न टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

तुलन पत्र
31 मार्च, 2011 को

	टिप्पणी	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
परिसंपत्तियां			
चालू परिसंपत्तियां			
नकद एवं बैंक जमा	7	**17,969,683**	18,803,367
व्यापारिक एवं अन्य प्राप्य	8	**30,713,513**	34,185,716
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	16	**84,028**	513,713
इंवेट्रीज		**5,478**	5,478
		48,772,702	53,508,274
गैर– चालू परिसंपत्तियॉ			
सहायक कंपनी में निवेश	9		
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	10	**90,639**	23,641
		90,639	23,641
कुल परिसंपत्तियाँ		**48,863,341**	53,531,915
देयताएं			
चालू देयताएं			
व्यापारिक एवं अन्य देयताएं	11	**18,044,935**	34,598,880
ऋण	12	**12,382,858**	400,000
चालू आयकर देयताएं	6	**206,756**	500,812
कुल देयताएं		**30,634,549**	35,499,692
निवल परिसंपत्तियां		**18,228,792**	18,032,223
इक्विटी			
शेयर पूंजी	14	**1,000,000**	1,000,000
रिटेंड लाभ		**17,228,792**	17,032,223
कुल शेयरधारक इक्विटी		**18,228,792**	18,032,223

संलग्न टिप्पणियॉ इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

शेयरधारकों की इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	शेयर पूंजी यूएस डालर	रिटेंड लाभ यूएस डालर	योग यूएस डालर
वर्ष 2011				
वित्तीय वर्ष के आरंभ में –		1,000,000	17,032,223	18,032,223
कुल कम्प्रीहेंसिव आय		-	2,315,039	2,315,039
प्रदत्त लाभांश	15	-	(2,118,470)	(2,118,470)
वित्त वर्ष के अंत में		**1,000,000**	**17,228,792**	**18,228,792**
वर्ष 2010				
वित्तीय वर्ष के आरंभ मे		1,000,000	13,576,228	14,576,228
कुल कम्प्रीहेंसिव आय		-	6,542,877	6,542,877
प्रदत्त लाभांश	15	-	(3,086,882)	(3,086,882)
वित्त वर्ष के अंत में		1,000,000	17,032,223	18,032,223

संलग्न टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
प्रचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
कर पश्चात लाभ		**2,315,039**	6,542,877
के लिए समायोजन			
आय कर व्यय		**631,070**	505,450
मूल्यह्रास		**35,650**	18,524
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि		**5,520**	924
ब्याज आय		**(225,704)**	(845,894)
ब्याज व्यय		**1,344,696**	410,151
		4,106,271	6,632,032
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन			
व्यापारिक एवं अन्य प्राप्य		**3,501,666**	(2,846,504)
व्यापारिक एवं अन्य देय		**(16,124,260)**	888,026
इन्वेंट्रीज		**-**	2,358
प्रचालन कार्यो से अर्जित रोकड़		**(8,516,323)**	4,675,912
प्रदत्त आयकर		**(925,126)**	(830,501)
प्रचालन कार्यकलापों (प्रयोग की गई)/से प्राप्त शुद्ध रोकड़		**(9,441,449)**	3,845,411
निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की खरीद		**(108,168)**	(13,652)
प्राप्त ब्याज		**196,241**	808,708
निवेश कार्यकलापों से प्राप्त शुद्ध रोकड़		**88,073**	795,056
वित्तीय कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
प्रदत्त लाभांश		**(2,118,470)**	(3,086,882)
प्रदत्त ब्याज		**(1,344,696)**	(410,151)
उधार से आमद		**12,382,858**	-
उधार की अदायगी		**(400,000)**	(877,704)
वित्तीय कार्यकलापों में उपलब्ध कराया गया/(प्रयोग किया गया) शुद्ध रोकड़	7	**8,519,692**	(4,374,737)
कैश तथा बैंक बैलेंस में निवल वृद्धि		**(833,684)**	265,730
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयोग किया गया शुद्ध रोकड़		**18,803,367**	18,537,637
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कैश तथा बैंक बैलेंस		**17,969,683**	18,803,367

संलग्न टिप्पणियॉं इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

ये टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं तथा इन्हें संबंधित वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाए।

1. सामान्य सूचना

कंपनी सिंगापुर में निगमित तथा स्थापित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता हैः–20, सेसिल स्ट्रीट, #14 – 03/04, इक्विटी प्लाजा, सिंगापुर– 049705।

कंपनी मुख्यतः खनिजों, धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोल एवं हाइड्रोकार्बन उत्पादों, आभूषण तथा अन्य कमोडिटीज के व्यापार में संलिप्त है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 लेखे तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों ("एफआरएस") के अनुरूप तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत प्रथाओं के अंतर्गत तैयार किया गया है सिवाय ऐसे मामलों के जिनका नीचे लेखा नीतियों में उल्लेख किया गया है।

एफआरएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंध–तंत्र को कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में अपना निर्णय लेना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष लेखानुमानों तथा अवधारणाओं का प्रयोग भी करना होता है। प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकन किया है कि ऐसे किसी अनुमान अथवा निर्णय का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों और देयताओं की राशियों के समायोजन के कारण कोई महत्वपूर्ण जोखिम हो।

वर्ष 2010 में लागू प्रकाशित मानकों की व्याख्या व संशोधन

1 अप्रैल 2010 को कंपनी ने नया अथवा संशोधित एफआरएस अपनाया है तथा एफआरएस ("आईएनटी एफआरएस") की व्याख्या के अनुसार इन्हें उसी दिनांक से लागू करना अनिवार्य है। कंपनी की लेखा नीतियों में यथानुसार परिवर्तन किये गये हैं जो संबंधित एफआरएस तथा आईएनटीएफआरएस प्रावधानों के अनुरूप हैं।

नये संशोधित एफआरएस निम्नलिखित हैं :

नए अथवा संशोधित एफआरएस और आईएनटी एफआरएस को अपनाने से कंपनी की लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है और वर्तमान अथवा पूर्व वित्त वर्षों में रिपोर्ट की गई राशियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालते हैं।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए गए हैं क्योंकि यह कंपनी, भारत में निगमित एमएमटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो सार्वजनिक उपयोग हेतु समेकित वित्तीय विवरण तैयार करती है। एमएमटीसी लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय का पता निम्नवत हैः– कोर – 1, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली भारत –110003।

सहायक कम्पनी के लेखों का आधार नोट 2.7 में दिया गया है।

2.2 राजस्व पहचान

सामान्यतः निगम के कार्यकलापों में माल की बिक्री से प्राप्त अथवा प्राप्त होने योग्य प्रतिफल का उचित मूल्य राजस्व में शामिल है। राजस्व को माल व सेवा कर, छूट व डिस्काउंट को घटाकर दर्शाया जाता है।

राजस्व की पहचान निम्नलिखित रूप से की गई है:

क) माल की बिक्री

माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व की पहचान शिपमैंट शर्तों के अनुरूप उत्पादों की डिलीवरी करने के बाद की जाती है।

ख) ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए की जाती है।

2.3 मुद्रा परिवर्तन

इन वित्तीय विवरणों को यूएस डॉलर में प्रस्तुत किया गया हैं जो कि कंपनी के लेन देन की मुद्रा है।

युनाइटेड स्टेट्स डालर ("विदेशी मुद्रा") के अतिरिक्त किसी अन्य मुद्रा में किए गए लेन–देन को लेन–देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करते हुए यूस डालर में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार के लेन–देन के निपटान के लिए मुद्रा परिवर्तन के परिणामस्वरूप हुए अंतर को तथा विदेशी मुद्रा में दर्शाई

गई मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को तुलन पत्र की तिथि को बंद हुई दर के अनुसार परिवर्तित करते हुए लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है।

2.4 बैंक शेष

व्यापार तथा अन्य प्राप्य जमा

बैंक शेष तथा व्यापार व अन्य प्राप्यों और जमा की पहचान आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर की जाती है तथा इसके बाद प्रभावी ब्याज प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए उक्त की पहचान अमोर्टाइज्ड लागत में से यदि कोई संचित हानि हो तो उसे घटाकर की जाती है।

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को यह निर्धारण करती है कि क्या इन वित्तीय परिसंपत्तियों में हुई कमी का कोई उपयुक्त प्रमाण है तथा उचित प्रमाण होने की स्थिति में ही इस प्रकार की हानि को मान्यता दी जाती है। देनदारों के बारे में विशेष वित्तीय कठिनाइयां यह होती हैं कि देनदार अपने को दिवालिया घोषित न कर दे तथा भुगतान में डिफाल्ट अथवा अधिक देरी न कर दे। इन सब कारकों को वित्तीय परिसंपत्तियों में हुई हानि के उपयुक्त साक्ष्यों के रूप में माना जाता है।

इन परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि में मूल्यह्रास का जो तरीका अपनाया जाता है वह है क्षति राशि की गणना कैरिंग राशि तथा भावी कैश फलो के वर्तमान अनुमानित मूल्य की अंतर राशि निकाल कर फिर उसमें से मूल प्रभावी ब्याज दर को डिस्काउंट करके किया जाता है।

इन परिसंपत्तियों को चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है सिवाय उन परिसंपत्तियों के जो तुलन पत्र की तिथि से 12 महीनों के बाद मैच्युर हो रही हैं। इन परिसंपत्तियों को गैर चालू परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया जाता है।

2.5 आयकर

चालू आयकर की पहचान कर प्राधिकरणों को संभावित देय या प्राप्य राशियों के आधार पर की जाती है।

आस्थगित आयकर की पहचान उन सभी अस्थायी अंतर राशियों से की जाती है जिसमें परिसंपत्ति अथवा देयता की आरंभिक पहचान के कारण आस्थगित आयकर लेन–देन के समय जो न तो लेखों को और न कर योग्य लाभ व हानि को प्रभावित करती हैं।

चालू तथा आस्थगित आयकर की पहचान तुलनपत्र की तिथि को अधिनियमित अथवा बाद में अधिनियमित कर कानूनों के अधीन कर दरों पर की जाती है और आय विवरण में आय या व्यय के रूप में पहचान की जाती है। यह ऐसे व्यापार मिश्रण अपना कारोबार जिसकी पहचान सीधे इक्विटी में की जाती है को छोड़कर आने वाले कर सीमा तक की जाती है। व्यापार मिश्रण से होने वाले आस्थगित कर का गुडविल अधिग्रहण करने के बावत समयोजित किया जाता है।

2.6 इन्वेंट्रीज

इवेंट्रीज, जिसमें रीसेल के लिए रखा माल शामिल होता है, को न्यून लागत तथा नेट प्राप्त होने योग्य मूल्य पर दर्शाया जाता है। लागत का निर्धारण विशिष्ट पहचान विधि के अनुसार किया जाता है। नेट वसूली योग्य मूल्य वह अनुमानित बिक्री मूल्य होता है जिसे सामान्यतः बिजनेस के दौरान माना जाता है तथा इस अनुमानित बिक्री मूल्य में से परिवर्तनीय बिक्री खर्चो को घटाया जाता है।

2.7 सहायक कंपनी में निवेश

सहायक कंपनियां ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी वित्तीय एवं प्रचालन नीतियों का संचालन करने की शक्ति मूल कंपनी के पास होती है जिससे गतिविधियों से प्राप्त लाभ मिले तथा सहायक कंपनी की शेयरहोल्डिंग में मूल कंपनी के पास सामान्यतः आधे से ज्यादा के वोटिंग अधिकार होते हैं। अंतःनिहित वोटिंग अधिकारों की शक्ति एवं प्रभाव वे होते हैं जिनका वर्तमान में प्रयोग किया जा सके अथवा जो कन्वर्टिबल हो जिनका मूल्यांकन इस उद्देश्य से किया जाता है कि क्या कंपनी का किसी अन्य संस्था पर नियंत्रण है।

सहायक कम्पनी में निवेश को लागत में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर कम्पनी के तुलन पत्र में दर्शाया जाता है। यदि हानि होने के संकेत हों तो निवेश की कैरिंग राशि का मूल्यांकन करके तुरंत इसे वसूली योग्य राशि में दर्ज कर दिया जाता है।

जब किसी निवेश का निपटान किया जाता है तो निपटान से प्राप्त निवल निपटान राशि तथा निवेश की कैरिंग राशि में अंतर को आय विवरण में ले लिया जाता है।

2.8 संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण की आरंभिक पहचान लागत के आधार पर की जाती है तथा इसके बाद कैरिंग कॉस्ट तथा संचित मूल्यहरास व संचित हानि को घटाकर की जाती है।

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण से संबंधित बाद के खर्च जिसकी पहले ही पहचान कर ली गई है को परिसंपत्ति की कैरिंग राशि में केवल तब ही जोड़ा जाता है जब यह संभावना हो कि आइटम से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा आइटम की लागत की गणना विश्वसनीय तौर पर की जाती है।

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण के मूल्यहरास की गणना रेड्यूसिंग बैलेंस के आधार पर की जाती है ताकि संपत्ति, प्लांट व उपकरण की लागत को उसके उपयोग के संभावित 3 वर्षो के अंदर राइट आफ किया जा सके।

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण के शेष मूल्य तथा उपयोग अवधि तरीके के अनुसार उपयुक्त समायोजन द्वारा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को की जाती है। जब परिवर्तन आता है तो किसी संशोधन के प्रभाव को लाभ अथवा हानि के रूप में पहचान की जाती है।

संपत्ति, प्लांट व उपकरण के आइटम की बिक्री करने पर नेट बिक्री राशि तथा आइटम की कैरिंग राशि की अंतर राशि को लाभ अथवा हानि के रूप में दर्शाया जाता है।

2.9 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों में हानि

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण और सहायक कंपनियों में निवेश में हानि की समीक्षा उस स्थिति में की जाती है जब ऐसा कोई संकेत हो कि इन परिसंपत्तियों में हानि हो सकती है।

यदि परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि इसकी कैरिंग राशि से कम आंकी जाती है तो परिसंपत्ति की कैरिंग राशि को घटाकर इसकी वसूली योग्य राशि तक लाया जाता है। कैरिंग राशि तथा प्राप्ति योग्य राशि में अंतर की हानि को लाभ अथवा हानि के रूप में दर्शाया जाता है।

किसी परिसंपत्ति की हानि को केवल उस स्थिति में रिवर्स किया जाता है यदि पिछले समय निर्धारित की गई हानि के समय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए आकलन में परिवर्तन किया गया हो । परिसंपत्ति की कैरिंग राशि को इसकी संशोधित वसूली योग्य राशि तक बढ़ाया जाता है बशर्ते कि यह राशि कैरिंग राशि से अधिक न हो। यदि गत वर्षो में परिसंपत्तियों में किसी हानि का निर्धारण नहीं किया गया है उस स्थिति में कैरिंग राशि का (संचित मूल्यहरास को घटाकर) निर्धारण किया जाता है। परिसंपत्ति में हुई हानि का रिवर्सल लाभ अथवा हानि में दर्शाया जाता है।

2.10 व्यापार तथा अन्य देय

व्यापार तथा अन्य देयों की प्रारंभिक गणना उचित मूल्य पर की जाती है तथा इसके बाद प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए अमोर्टाइज्ड लागत पर गणना की जाती है।

2.11 प्रचालन पट्टा भुगतान

प्रचालन पट्टे (पट्टाकर्ता से प्राप्त प्रोत्साहन का समायोजन कर) के अंतर्गत जो भुगतान किया जाता है उसे स्ट्रेट–लाइन के आधार पर पट्टे की अवधि तक लाभ अथवा हानि में लिया जाता है।

2.12 अन्य देयताओं व प्रभारों के लिए प्रावधान

कंपनी को विगत घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान विधिक अथवा संरचनात्मक या पूर्व की देयता से उत्पन्न देयताओं व प्रभारों हेतु प्रावधान बनाने होते हैं। यह संभावना रहती है कि इन देयताओं को पूरा करने में संसाधनों का बर्हिगमन हो और इसके लिए राशि का विश्वसनीय अनुमान बनाया गया हो ।

2.13 कर्मचारी मुआवजा

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी के अंशदान को उनके देय होने पर कर्मचारी मुआवजा खर्च के रूप में दर्शाया जाता है जब तक परिसंपत्ति के रूप में उनका पूंजीकरण नहीं किया जा सकता।

(ख कर्मचारी छुट्टी पात्रता

कर्मचारी की वार्षिक छुट्टी की पात्रता की पहचान कार्मिकों द्वारा इसे अर्जित कर लेने पर की जाती है। तुलन–पत्र की तारीख को कार्मिक द्वारा की गई सेवा के परिणामस्वरूप जो वार्षिक छुट्टी अर्जित की जाती है उसके लिए अनुमानित देयता का प्रावधान किया जाता है।

2.14 रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में बैंक तथा कंपनी के पास उपलब्ध रोकड़, वित्तीय संस्थानों के पास सावधि जमा तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। तुलन पत्र में बैंक ओवरड्राफ्ट को चालू देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है।

2.15 उधार लागत :

उधार लागत की पहचान प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

2.16 वित्तीय परिसंपत्तियों व देयताओं का उचित मूल्य अनुमान:

परिशोधित लागत पर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य उनके कैरिंग राशि के लगभग होता है।

2.17 उधार:

उधार की पहचान प्रारंभ में उचित मूल्य(लेन–देन लागत समायोजन के बाद) पर की जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर की जाती है। यदि लेनदेन से प्राप्त राशि (लेनदेन लागत का समायोजन करके) तथा उनके रिडेमशन मूल्य में कोई अंतर रहता है तो इस उधार अवधि के लिए प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए उसे लाभ व हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

2.18 लाभांश

कंपनी के शेयरहोल्डर को दिए जाने वाले लाभांश की पहचान उस समय की जाती है जब लाभांश को भुगतान के लिए अनुमोदित किया जाता है

3. अन्य आय–निवल

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
ब्याज आय		
- अल्प अवधि बैंक जमा	**225,704**	437,866
- ग्राहक	**589,783**	408,028
	815,487	845,894
व्यापार दावों के प्रावधानों का राइटबैक	**1,128,601**	2,542,500
विविध आय	**383,839**	147,276
डिराइवेटिव अनुबंधों पर हानि	**(1,108,041)**	
	1,219,886	3,535,670

4. कार्मिक मुआवजा

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
वेतन तथा भत्ते	**823,127**	665,745
परिभाषित अंशदायी योजनाएं जैसे केन्द्रीय भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	**65,040**	50,074
अन्य लाभ	**159,087**	150,126
	1,047,254	865,945

अन्य लाभों में कर्मचारियों को प्रदान किये गये आवासीय परिसर के लिए किराया व्यय राशि शामिल है, जिसकी राशि यूएस डालर 92,519(2010 यूएस डॉलर 83,136)

5. वित्त व्यय

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
ब्याज व्यय		
- ट्रस्ट रसीदें	**107,316**	52,935
- डिस्काउंट किये गये बिल	**1,237,380**	357,216
	1,344,696	410,151

6. आयकर

(क) आयकर व्यय

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
लाभ पर देय कर व्यय का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:		
वर्तमान आयकर	**206,756**	500,812
पूर्व वित्तीय वर्षो में किए गए कम प्रावधान		
चालू आयकर	**424,314**	4,638
	631,070	505,450

दिनांक 1 अप्रैल 2005 से कम्पनी को ग्लोबल ट्रेडर प्रोग्राम (''जीटीपी'') का गौरव (स्टेट्स) प्राप्त था जो 31 मार्च, 2010 को समाप्त हो गया। वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी का जीटीपी दर्जा 1 अप्रैल 2011 से बढ़ाकर 31 मार्च 2016 तक कर दिया गया। जीटीपी स्टेट्स से प्राप्त आय पर 10% की रियायत दर से कर लगाया जाता है। इसके अंतर्गत न आने वाली आय पर 17% (2010:17%) की मानक दर पर कर लगाया जाता है। वित्तीय वर्ष के लाभ पर आयकर व्यय, कर–पूर्व लाभ पर सिंगापुर स्टेंडर्ड आयकर की दर से निर्धारित आयकर से भिन्न

रहता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं :

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
आयकर पूर्व लाभ	**2,946,109**	7,048,327
17% की दर से निर्धारित किया गया कर	**500,839**	1,198,216
उसका प्रभाव :		
सिंगापुर कानून से आय छूट में वृद्धि	**(19,483)**	(18,220)
निम्न कर दर के अधीन आय	**(142,343)**	(429,200)
कर के लिए न घटाने योग्य व्यय	**7,353**	6,054
आय जो कर अधीन नहीं हैं	**(139,610)**	(256,038)
	206,756	500,812

(ख) चालू आयकर देयताओं में उतार चढ़ाव

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
वित्तीय वर्ष के आरंभ में	**500,812**	825,863
प्रदत्त आयकर	**(925,126)**	(830,501)
चालू वित्तीय वर्ष के लिए लाभ पर देय कर	**206,756**	500,812
पूर्व वित्तीय वर्षों में किए गए कम प्रावधान	**424,314**	4,638
वित्त वर्ष के अंत मे	**206,756**	500,812

7. रोकड़ एवं बैंक जमा

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
रोकड़ और बैंक शेष	**824,838**	996,226
बैंकों में सावधि जमा	**17,144,845**	17,807,141
	17,969,683	18,803,367

रोकड़ एवं बैंक जमा निम्नलिखित मुद्रा में वर्गीकृत किये जाते हैं:

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
अमेरिकी डालर	**17,892,124**	18,759,135
सिंगापुर डालर	**77,559**	44,232
	17,969,683	18,803,367

तुलनपत्र की तिथि को सावधि जमा पर ब्याज दर 1.15 % से 3.00 % (2010: 0.23% से 5.2%) वार्षिक है जिनकी मैच्युर्टी तारीखें 3 महीने से 24 महीने (2010: 1 दिन से 24 महीने) है।

8. व्यापार एवं अन्य प्राप्य

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
व्यापारिक प्राप्य		
- थर्ड पार्टी	**20,047,787**	7,050,600
होल्डिंग कारपोरेशन (नोट 13)	**10,583,729**	27,088,583
प्राप्य ब्याज	68,650	39,187
अन्य प्राप्य	13,347	7,346
	30,713,513	34,185,716

व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यांकन किया गया है :

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
अमेरिकी डालर	**30,704,056**	34,174,733
सिंगापुर डालर	**9,457**	7,348
अन्य	-	3,635
	30,713,513	34,185,716

9. सहायक कंपनी में निवेश

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
उद्धृत न किये गये इक्विटी शेयर, लागत पर	**7,632**	7,632
घटाएँ :— मूल्य में कमी के लिए अनुमति	**7,632**	7,632
	-	-

सहायक कंपनी का ब्यौरा इस प्रकार है :

सहायक कंपनी का नाम	प्रमुख कार्यकलाप	कंपनी के निगमन तथा व्यापार का देश	इक्विटी	स्वामित्व
			2011	2010
			%	%
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल(मास्को) पीटीई लिमिटेड	निष्क्रिय	रूस	**100**	100

10. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

	लीजहोल्ड सुधार अमेरिकी डालर	फर्नीचर तथा फिटिंग्स अमेरिकी डालर	कम्प्यूटर उपकरण अमेरिकी डालर	कार्यालय उपकरण अमेरिकी डालर	कुल अमेरिकी डालर
2011					
लागत					
वित्त वर्ष के आरंभ में	33,070	21,509	27,030	16,808	98,417
परिवर्धन	71,910	20,627	10,353	5,278	108,168
निपटान	(33,070)	(2,479)	(2,377)	(2,386)	(40,312)
वित्त वर्ष के अंत में	71,910	39,657	35,006	19,700	166,273
संचित मूल्यह्रास					
वित्त वर्ष के आरंभ मे	29,531	15,807	16,138	13,300	74,776
मूल्यह्रास प्रभार	11,984	11,218	9,620	2,828	35,650
निपटान	(29,531)	(1,756)	(1,915)	(1,590)	(34,792)
वित्त वर्ष के अंत मे	11,984	25,269	23,843	14,538	75,634
निवल बुक वैल्यू					
वित्त वर्ष के अंत में	**59,926**	**14,388**	**11,163**	**5,162**	**90,639**
2010					
लागत					
वित्त वर्ष के आरंभ मे	33,070	19,099	28,890	14,006	95,065
परिवर्धन	-	2,410	7,913	3,329	13,652
निपटान	-	-	(9,773)	(527)	(10,300)
वित्त वर्ष के अंत मे	33,070	21,509	27,030	16,808	98,417
संचित मूल्यह्रास					
वित्त वर्ष के आरंभ में	26,945	10,397	17,625	10,660	65,627
मूल्यह्रास प्रभार	2,586	5,410	7,698	2,830	18,524
निपटान	-	-	(9,185)	(190)	(9,375)
वित्त वर्ष के अंत में	29,531	15,807	16,138	13,300	74,776
नेट बुक वैल्यू					
वित्तीय वर्ष के अंत में	**3,539**	**5,702**	**10,892**	**3,508**	**23,641**

11. व्यापार एवं अन्य देय

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
व्यापारिक देय		
- थर्ड पार्टी	**10,389,407**	26,601,961
- होल्डिंग कारपोरेशन	**7,513,724**	4,410,228
अकूड प्रचालन		
व्यय	**141,804**	2,371,510
व्यापार दावों के लिए		
प्रावधान	**-**	1,215,181
	18,044,935	34,598,880

व्यापार एवं अन्य देय राशियों के लिए निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यांकन किया गया है :–

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
अमेरिकी डॉलर	**17,896,235**	34,455,662
सिंगापुर डॉलर	**132,884**	122,045
अन्य	**15,816**	21,173
	18,044,935	34,598,880

12. उधार

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
अल्पावधि ऋण	**12,382,858**	400,000

उधार की औसत परिपक्वता तुलन पत्र की तिथि से 6 दिन (2010:6 दिन) है।

तुलन–पत्र की तिथि को उधार की ब्याज दर 1.20 % (2010:1.23%) है।

13. इमीडिएट तथा अल्टीमेट होल्डिंग कारपोरेशन

कंपनी की इमीडिएट तथा अल्टीमेट होल्डिंग कारपोरेशन एमएमटीसी लिमिटेड है, जो भारत में निगमित है।

14. शेयर पूँजी

कंपनी की शेयर पूंजी में पूर्ण प्रदत्त, 1,461,502 (2010:1,461,502) साधारण शेयर, जिसकी राशि अमेरिकी डालर 1,000,000(2010: अमेरिकी डालर 1,000,000) है।

15. लाभांश

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
प्रदत्त साधारण लाभांश पिछले वित्तीय वर्ष के लिए शून्य अमेरिकी डालर (2010:0.69 अमेरिकी डालर) लाभांश पर प्रति शेयर दी गई अंतिम छूट (एक टियर)	-	1,007,932
चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1.45 अमेरिकी डालर (2010:1.42 अमेरिकी डालर) लाभांश पर प्रति शेयर दी गई अंतरिम छूट	**2,118,470**	2,078,950
	2,118,470	3,086,882

16. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
जमा राशियां	**84,028**	56,963
प्रीपेमेंट्स	**-**	456,750
	84,028	513,713

जमा का मूल्यांकन मुख्यतः सिंगापुर डालर में किया जाता है।

17. वचनबद्धताएं

(क) क्रय व विक्रय वचनबद्धता

तुलनपत्र की तिथि को माल के क्रय तथा विक्रय संबंधी संविदाओं के अधीन जिन बकाया वचनबद्धताओं को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है, उनका विवरण नीचे दिया गया है :

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
क्रय वचनबद्धता	**18,754,565**	29,616,976
विक्रय वचनबद्धता	**18,820,692**	30,737,206

(ख) आपरेटिंग लीज़ वचनबद्धता

कंपनी निरस्त न करने योग्य आपरेटिंग लीज़ करार के अंतर्गत आवासीय एवं कार्यालय परिसर लीज पर लेती है। लीज में भिन्न–भिन्न शर्तें एवं नवीकरण के अधिकार होते हैं।

तुलन पत्र की तिथि को निरस्त न करने योग्य प्रचालन लीज के अंतर्गत भविष्य का न्यूनतम लीज भुगतान जिसे देयता नहीं माना गया है, निम्नलिखित रूप से होगा :—

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
एक वर्ष तक	**117,158**	175,239
एक वर्ष से ऊपर परंतु 5 वर्ष से अधिक नहीं	**57,374**	10,669
	174,532	185,908

18. संबंधित पार्टियों के साथ लेन—देन

वित्तीय विवरणों में अन्यत्र दी गई सूचना के अतिरिक्त कंपनी और संबंधित पार्टियों के बीच वित्तीय वर्ष के दौरान सहमत शर्तों पर निम्नलिखित संबंधित पार्टी लेन—देन किए गए :—

(क) माल एवं सेवाओं की बिक्री एवं खरीद

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
होल्डिंग कारपोरेशन को बिक्री	**426,029,281**	357,875,360
होल्डिंग कारपोरेशन से खरीद	**153,580,460**	110,719,110

(ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक मुआवजे निम्नानुसार हैं :

	2011 अमेरिकी डालर	2010 अमेरिकी डालर
वेतन एवं अन्य अल्पावधि कर्मचारी लाभ	**357,015**	297,090
नियुक्ति के बाद लाभ परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान	**4,332**	6,173
	361,347	303,263

दर्शाई गई उपरोक्त राशि वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों को भुगतान की गई राशि है।

19. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी के कार्यकलापों को बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा मूल्य जोखिम सहित), क्रेडिट जोखिम तथा लिक्विडिटी जोखिम का खतरा बना रहता है। कंपनी का कुल जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम वित्तीय बाजार की अनिश्चितता पर केन्द्रित रहता है ताकि कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत नीतियों के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन को कार्यान्वित किया जाता है। निदेशक मंडल और होल्डिंग निगम संपूर्ण जोखिम प्रबंधन के साथ—साथ विशिष्ट क्षेत्रों की नीतियों के बारे में भी दिशानिर्देश देते हैं।

(क) बाजार जोखिम

(i) विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम

कंपनी को विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम से किसी प्रकार का खतरा नहीं है क्योंकि मुख्य व्यापारिक लेन—देन विदेशी मुद्रा में नहीं किया जाता है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम मुख्य रूप से आयात व निर्यात के वित्त पोषण के अंतर्गत लघुकालीन ऋणों के संबंध में होता है। कंपनी बाजार ब्याज दरों को ध्यानपूर्वक मॉनीटर करती है ताकि अनुकूल ब्याज अर्जन सुनिश्चित किया जा सके। तुलनपत्र की तिथि को कंपनी को ब्याज दर जोखिम न्यूनतम है।

(iii) मूल्य जोखिम

कंपनी का वस्तु मूल्य जोखिम नगण्य है क्योंकि इसके पास कोई महत्वपूर्ण वस्तु वित्तीय दस्तावेज नहीं है।

(ख) उधार जोखिम

बैंक जमा राशियां न ही पूर्व से देय हैं और न ही उनमें कमी आई है बल्कि मुख्यतः ऐसी जमा राशिंयां हैं जो बैंकों के पास हैं तथा उनकी क्रेडिट रेटिंग्स उच्चतर होती हैं चूंकि इसका निर्धारण इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

होल्डिंग कारपोरेशन, जिसका कम्पनी के साथ अच्छा, कलैक्शन रिकार्ड है, से बकाया देय राशि को छोड़कर निगम का कोई महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम नहीं है। कंपनी की नीतियॉं इस प्रकार की हैं कि वे ये सुनिश्चित करें कि माल की बिक्री उन ग्राहकों को ही की जाये जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हों तथा उनका उपयुक्त क्रेडिट इतिहास हो। तुलनपत्र की तारीख को ऐसी कोई संपत्तियां नहीं हैं जो पूर्व से देय हों अथवा उनमें कोई क्षति हुई हो।

(ग) द्रव्यता जोखिम

कंपनी नकदी तथा उपलब्ध फंडिंग के द्वारा द्रव्यता

जोखिम का प्रबंध करती हैं जिसके लिए पर्याप्त धन राशि केडिट सुविधा के लिए रखी जाती है जो परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होती है।

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य देय एवं उधार और उनकी संविदात्मक परिपक्वताएं एक वर्ष से कम हैं।

(घ) पूंजीगत जोखिम

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी के पास उसकी पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त इक्विटी कैश एवं डेट इंस्ट्रयूमेंट्स जारी करके अधिकतम कैपिटल स्ट्रक्चर कायम रखा जा सके।

जैसाकि तुलनपत्र में दर्शाया गया है कंपनी शेयरहोल्डर की कुल इक्विटी के आधार पर पूंजी को मानीटर करती है।

31 मार्च 2011 और 2010 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी को बाहरी पूंजी की आवश्यकता नहीं है।

20. नए अथवा संशोधित लेखा मानक और व्याख्या

दिनांक 1 अप्रैल 2011 से आरंभ कंपनी की लेखा अवधि के लिए कंपनी ने अनिवार्य नए लेखा मानकों, संशोधनों व व्याख्याओं को प्रकाशित किया है। कंपनी के अनुमान के अनुसार इन लेखा मानकों, संशोधनों अथवा व्याख्याओं को अपनाने से कंपनी के वित्तीय परिणाम विवरणों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

21. वित्तीय विवरणों का अथोराइजेशन

दिनांक 14 जून 2011 को एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड निदेशक मंडल दवारा पारित प्रस्ताव के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों को जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

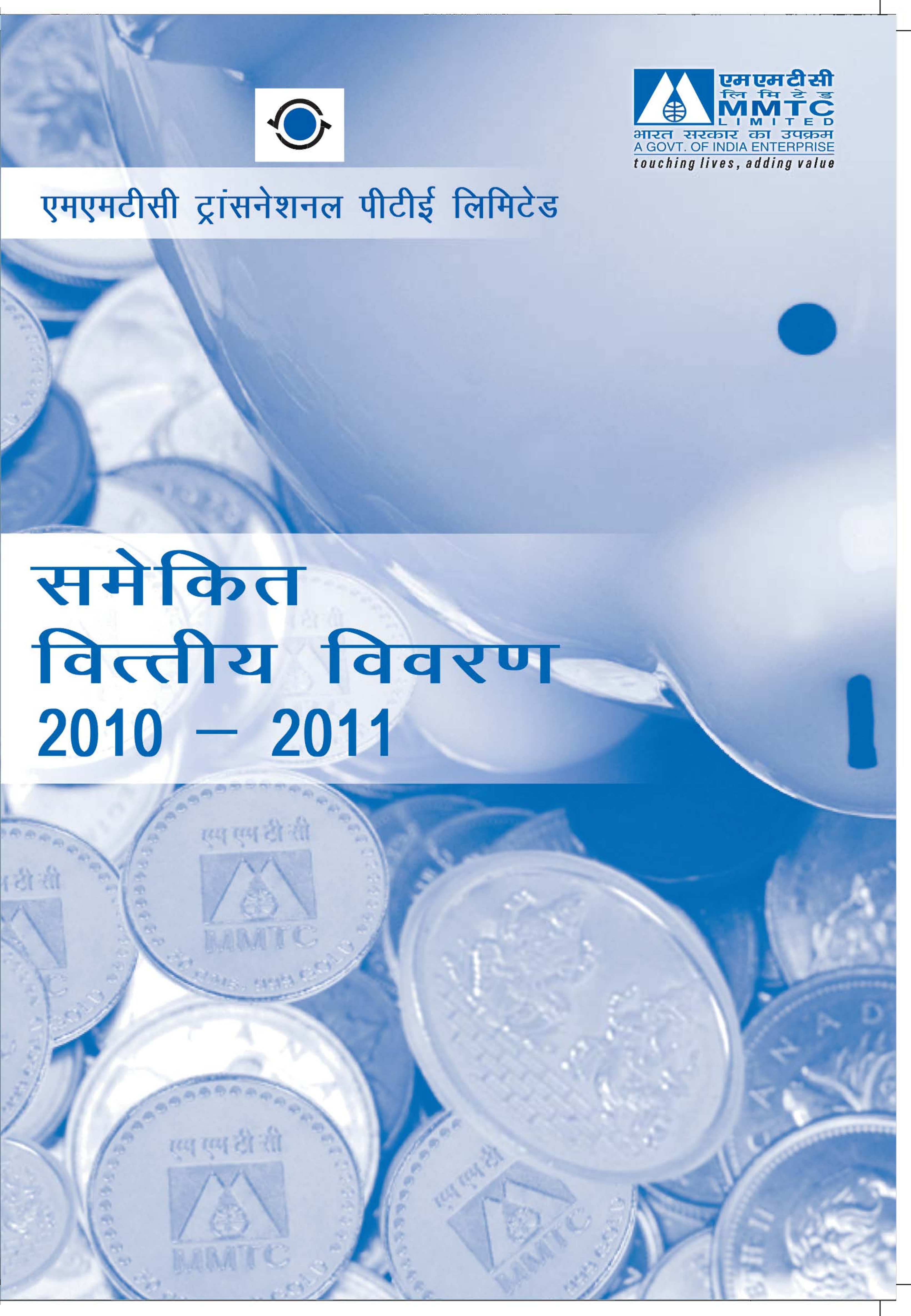

एमएमटीसी
लिमिटेड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरण 2010 – 2011

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी लिमिटेड निदेशक मंडल

हमने 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड ("कंपनी"), इसकी सहायक कंपनी, एसोसिएट्स तथा संयुक्त उद्यमों के संलग्न समेकित तुलन–पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न समेकित लाभ व हानि लेखे तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण का परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणों के लिए कंपनी का प्रबंधतंत्र उत्तरदायी है। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।

हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखा–परीक्षा की है। उक्त मानकों की आवश्यकता है कि उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा–परीक्षा की इस तरह योजना बनाएँ तथा इस प्रकार लेखा परीक्षा करें कि वित्तीय विवरणों को गलत विवरणों से मुक्त रखें। वित्तीय विवरणों में की गई घोषणा तथा राशियों के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की जॉच के आधार पर की गई जॉच लेखा परीक्षा में शामिल होती है। प्रबन्धतंत्र द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा प्रयुक्त लेखा–सिद्धांतों की जॉच करने के साथ–साथ पूरे वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी लेखा–परीक्षा में शामिल होता है। यह हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा–परीक्षा हमारे द्वारा व्यक्त की गई राय के लिए समुचित आधार है।

हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2011 को कुल 2186.78 मिलियन रुपये की परिसंपत्तियां तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31934.09 मिलियन रुपये का राजस्व दर्शाया गया है और समेकित वित्तीय विवरण में उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए सहयोगियों की निवेश की सकल लागत 3188.11 मिलियन रुपये है तथा 31 मार्च 2011 को संयुक्त उद्यमों की कुल परिसंपतियों के वित्तीय विवरण में 1861.07 मिलियन रुपये की राशि है तथा इसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की राशि के रूप में कुल राजस्व 127.10 मिलियन रुपये है। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा–परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई हैं। हमारी राय में इन सहायक कंपनियों एवं सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों के संबंध में जो राशियां शामिल की गई हैं वे केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही ली गई हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में हम रिपोर्ट करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 21, "समेकित वित्तीय विवरण' लेखामानक –23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कम्पनियों में निवेशों का लेखांकन' तथा एएस–27 'संयुक्त उद्यमों में हितलाभ का वित्तीय लेखांकन तथा समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी एवं सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों के अलग से लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को शामिल करके तैयार किया है।

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा कंपनी तथा इसकी सहयोगी कंपनी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर अलग अलग लेखा परीक्षित रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं :–

(i) समय के विस्तार/छूट जीआर–1 फार्मो को बट्टेखाते में डालने के मामले में देयता, यदि कोई हो तो, के प्रावधान का अभाव(नोट संख्या 5 का संदर्भ लें) ।

(ii) विविध देनदार/वसूली योग्य दावे/ऋण व अग्रिम / विविध लेनदार/ अन्य देयताओं के तहत बचे शेष की पार्टियों द्वारा पुष्टि नहीं की गयी है। उक्त की पुष्टि हो जाने पर इसका समायोजन, यदि कोई हो तो, सुनिश्चित नहीं है(नोट संख्या 34 का संदर्भ लें)

(iii) आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को निम्नानुसार सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है जिसका वर्ष के लेखों पर प्रभाव पड़ सकता है। (प्रभाव सुनिश्चित नहीं है)

क) कंपनी के पक्ष में दी गई डिक्रियों/अवार्डस के निष्पादन के लिए संबंधित प्रभागों द्वारा पुराने ऋणों, अग्रिमों, दावों, कोर्ट के मामलों तथा वसूलियों इत्यादि के संबंध में तत्काल रुप से अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।

ख) सीओ, आरओज, एसआरओज तथा बंद किए जा चुके एसआरओज की कोर्ट/अपीलेट अथोरिटीज में लंबित पुराने बिक्री कर मामलों/अपीलों के संबंध में तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई की जाए ताकि कानूनी लागत तथा

विवादित अतिरिक्त मांगों पर देय ब्याज की बचत की जा सके।

उपरोक्त अनुच्छेदों में वर्णित मामलों के संबंध में उपलब्ध सूचना से वर्ष के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव की सीमा तथा तुलनपत्र में प्रस्तुत परिसंपत्तियां व देयताओं को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्राप्ति के अंतिम परिणाम/देय राशियों दावों का निपटान जो अधिकतर पुराने है अनिश्चितताओं से जुड़े हुए हैं।

हमारे मतानुसार समेकित लाभ व हानि लेखे, समेकित तुलन पत्र तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211(3 ग) में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

हमारे मतानुसार उक्त समेकित वित्तीय विवरण सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सही एवं उचित रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं :

क) 31 मार्च, 2011 को कंपनी तथा सहायक कंपनी के व्यापार के समेकित तुलन–पत्र के मामले में, तथा

ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित परिचालन परिणामों से अर्जित लाभ के समेकित लाभ एवं हानि लेखों के मामले में, तथा

ग) उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी तथा सहायक कंपनी के समेकित नकदी प्रवाह, समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते एन के भार्गव एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर.सं. 00049एन

(एन के भार्गव)
भागीदार
एम सं. 080624

नई दिल्ली
दिनांक : 18 अगस्त 2011

समेकित तुलनपत्र तथा लाभ व हानि खाते के लिए लेखा नीतियां

1. वित्तीय विवरण को तैयार करने का आधार

(क) वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत प्रथाओं के अनुसार अक्रूअल आधार पर तथा विवेकपूर्ण, संगत तथा भौतिक मौलिक लेखा नीति के सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है।

(ख) वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में दिए गए हैं तथा सभी मूल्यों को राउंड ऑफ करते हुए आसपास के मिलियन में दिया गया है यदि अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो

(ग) **अनुपालन का विवरण**

भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों व समय–समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

2. क्रय तथा विक्रय

(क) ऐसे क्रय तथा विक्रय को लेखों में लिया गया है जिनके लिए कंपनी ने क्रेताओं/विक्रेताओं के साथ क्रय/विक्रय संविदा/करार किया है अथवा संविदा/करार/आबंटन के पूर्ण अथवा आंशिक निष्पादन के लिए सरकार से आबंटन प्राप्त हुआ है।

(ख) खेप आधार पर विदेशी सप्लायरों द्वारा भेजा गया सोना/चांदी :

(i) एक नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एग्ज़िम नीति की योजना के अनुसार, निर्यातकों को विक्रय के लिए आउटराइट क्रय आधार पर, खेप स्टॉक से लिया गया सोना/चांदी क्रय में सम्मिलित हैं।

(ii) घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को लेखों में शामिल करते समय संबंधित मात्रा को कंसाइनमेंट स्टॉक से लिया गया तथा आपूर्तिकर्ता के साथ हुए मूल्य निर्धारण को हिसाब में लिया जाता है।

(iii) कन्साइन्मैंट स्टॉक से ऋण आधार पर निकाले गये स्वर्ण/चांदी को पार्टियों को दिए गए ऋण के रूप में तथा इसे ऋण व अग्रिम खाते में दर्शाया गया है। विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त स्टॉक के लिए समानुरूप देयता को विविध क्रेडिटर्स के अन्तर्गत दर्शाया गया है। ऋण/विदेशी क्रेडिटर्स का समायोजन क्रय तथा विक्रय बुक करने के समय किया जाता है।

(iv) रिप्लेनिशमेंट आधार के मामले में मार्जिन राशि अदा करते हुए निर्यातक द्वारा बुक किये गये सोना/चांदी के लिए विदेशी आपूर्तिकारों के साथ मूल्य का निर्धारण करके खरीद बुक की जाती है तथापि निर्यात पूरा हो जाने के बाद माल की वास्तविक डिलीवरी होने पर सेल को बुक किया जाता है।

(v) विदेशी आपूर्तिकारों की ओर से रखे गए कन्साइन्मेंट स्टॉक को वर्ष के अंत में उचित रूप से लेखों में दर्शाया जाता है। फिर भी, शेष कंसाइन्मेंट स्टॉक के लिए अदा की गई कस्टम ड्यूटी को प्रीपेड खर्चे के रूप में दिखाया जाता है।

ग) लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क के निर्यात के संबंध में गंतव्य भार व विश्लेषण परिणामों के आधार पर अंतिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता हैं जहां ऐसे परिणाम प्रतीक्षित हैं, अनंतिम विक्रय मूल्य पर औसतन आधार 1% की दर पर डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान किया गया है। एफओबीटी आपूर्ति की स्थिति में, जहां खरीद मूल्य पर डीडब्ल्यूए जोखिम, आपूर्तिकर्ता के खाते में है, विक्रय एवं क्रय मूल्य के बीच के अंतर के लिए 1 % की दर से प्रावधान किया गया है।

घ) निपटान के मामले लंबित होने की स्थिति में जैसे अर्जित /डिस्पैच/देय डैमरेज इत्यादि कतिपय व्यय/ लाभ/ हानि को अनंतिम आधार पर खाते में लिया जाता है।

3. राजस्व पहचान

i) राजस्व की पहचान अक्रूअल आधार पर की जाती है सिवाय निम्नलिखित मदों के जिनको लेखों में वास्तविक वसूली के आधार पर शामिल किया जाता है। चूंकि, आईसीएआई द्वारा जारी एएस–9 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसी मदों की वसूली, अनिश्चित है :

(क) टारगेट प्लस योजना,आरईपी/एडवांस लाइसेंस, सर्विस टैक्स रिफंड इत्यादि के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट,ड्यूटी क्रेडिट का अथॉराईजेशन।

(ख) निष्पादन के लिए लंबिल डिक्रियां/विवादित देय तथा उन पर ब्याज, यदि कोई हो तो,

(ग) प्राप्त की जाने वाली विलम्बित राशि पर ब्याज जिसकी प्राप्ति अनिश्चित है।

(घ) आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराइटर्स पर निर्धारित की गई

क्षति/सर्वेक्षण में पाई गई कमी के कारण कस्टम ड्यूटी की वापसी, तथा आयकर/बिक्री–कर/वैट एवम् इन पर ब्याज की वापसी।

बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकृत होने पर बीमा क्लेम्स को लेखों में लिया जाता हैं।

(ii) लाभ व हानि लेखों में क्लेम्स की पहचान अक्रूअल आधार पर की जाती है जिसमें सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली ऐसी राशियां, नकद प्रोत्साहन, हानि की प्रतिपूर्ति शामिल है जिनके प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं है। चिन्हित दावे जो बाद में संदिग्ध हो गए हैं उनके लिए लाभ व हानि खाते में प्रावधान किया गया है।

4. **पूर्व प्रदत्त व्यय**

प्रत्येक मामले में 10,000/– रुपये के पूर्व प्रदत्त भुगतान खर्चों को राजस्व खाते में दर्शाया जाता है। सरकारी विभागों, सांविधिक निगमों, विद्युत बोर्डों तथा स्थानीय निकायों में 5000/– रुपये की जमा राशिं को भी राजस्व खाते में दर्शाया जाता है।

5. **अचल परिसंपत्तियॉ**

(क) सभी स्थिर परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर दर्शाया जाता है।

(ख) सरकारी/अर्ध सरकारी प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि में निर्माण/विकास कार्य पर कंपनी द्वारा किये गये खर्च को 'भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियां शीर्ष दिया जाता है और न तो अचल परिसंपत्तियॉ और न ही भूमि कंपनी की है।

6. **मूल्यह्रास**

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दिए गए प्रावधानों के समान अथवा उससे अधिक है। वर्ष के दौरान अधिग्रहीत/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के अधिग्रहण करने से निपटान करने तक के माह तक किया जाता है। पट्टे की भूमि तथा डब्ल्यूआईएस के अंतर्गत रेलवे वैगन रैक्स का चुकाया गया ऋण भी मूल्यह्रास में शामिल है। लकड़ी के पार्टीशन तथा बनाए गए अस्थायी ढांचे खरीदे बनाए जाने के वर्ष से ही पूर्णतया मूल्य–ह्रासित किये जाते हैं।

चल परिसंपत्तियॉ जिनका वर्ष के प्रारंभ में रिटन डाउन वैल्यू अथवा वर्ष के दौरान की गई खरीद यदि प्रत्येक मामले में 20,000/– रुपये अथवा इससे कम है तो 1/– रुपये के नाममात्र मूल्य रखकर 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है। मूल्यह्रास की दरें इस प्रकार हैं :–

परिसंपत्तियों का नाम	निगम द्वारा अपनाई गई मूल्यह्रास की दरें	अनुसूची XIV में दी गई मूल्यह्रास की दरें
क. सामान्य परिसंपत्तियां		
– फर्नीचर एवं फिटिंग्स	10%	6.33%
– वे ब्रिज	10%	4.75%
टाइपराइटर्स, मशीनें, पंखे तथा कार्यालय उपस्कर एवं एसी	12.5%	4.75%
वाहन	20%	9.50%
कम्प्यूटर्स	20%	16.21%
पट्टे की भूमि	लीज़ एग्रीमेंट के अनुसार	
वैगन रैक्स	करार/वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम के अनुसार	
पंखों के अतिरिक्त बिजली का सामान	10%	1.63%
जल आपूर्ति, मलवहन तथा निकासी	10%	1.63%
सड़कें तथा पुलियां	2.5%	1.63%
बिल्डिंग तथा फ्लैट्स	2.5%	1.63%
आवासीय फ्लैट(बने बनाए)	5%	1.63%
भंडारगृह/गोदाम	4%	1.63%
ख. निर्माण इकाइयों की परिसंपत्तियां		
फैक्टरी बिल्डिंग	3.34%	3.34%
विद्युत व्यवस्था	4.75%	4.75%
जलापूर्ति	4.75%	4.75%
प्लांट एवं मशीनरी (सामान्य)		
एकल शिफ्ट	4.75%	4.75%
दो शिफ्ट	7.42%	7.42%
तीन शिफ्ट	10.34%	10.34%
प्लांट एवं मशीनरी (विंड मिल सहित) अनवरत प्रकिया	5.28%	5.28%
(ग) **"भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियॉ और न तो अचल परिसंपत्तियॉ और न ही भूमि कंपनी की है"**	परिसंपत्ति की उपयोगिता का जीवन काल या 5 वर्ष जो भी कम हो।	

(घ) मूल्य 20,000 तक की सभी चल संपत्तियाँ	रुपये 20,000/– या इससे कम लागत वाली प्रत्येक चल संपत्ति के लिए 100%	रुपये 5000/– या इससे कम लागत वाली प्रत्येक परिसंपत्तियों के लिए 100%

ड.) मोबाईल हैंडसैट को इनकी खरीद वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

च) पांच वर्षों की अवधि में गुडविल अमोरिटाइजेशन किया जाता है।

7. निवेश

(i) मूल्य में स्थाई मूल्यह्रास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

(ii) निम्नतर लागत व उचित मूल्य पर चालू निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा लेन–देन

(क) अपरिवर्तनीय भारतीय मुद्रा के मामले में रुपया भुगतान देशों के साथ लेन–देन को विदेशी विनिमय में लेन–देन माना जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों(लम्बित ऋणों अथवा जहाँ वसूली अनिश्चित है को छोड़कर) को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दरों का प्रयोग करते हुए बदला जाता है। सूचित की गई गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि की विनिमय दर पर आकलित किया जाता है। विनिमय के लाभ/हानि के अंतर को लाभ व हानि खाते में दिखाया जाता है।

(ग) अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में विदेशी मुद्रा में देयता को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दर से बदला जाता है। विनिमय के अंतर को परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

(घ) फारवर्ड एक्सचेंज संविदा के मामले में प्रीमियम/डिस्काउंट तथा हानि/लाभ की पहचान निम्नलिखित तरीके से की गई है:–

वर्तमान अंडरलाइंग लेनदेन के प्रति फारवर्ड एक्सचेंज संविदाओं के संबंध में संविदा की अवधि के दौरान समानुपातिक रूप से प्रीमियम/डिस्काउंट मान्य है। विनिमय दर में अंतर के कारण हानि/लाभ की पहचान

(i) अंतिम दर अथवा यदि लेन–देन का निपटान वर्ष के दौरान किया गया है तो निपटान की तिथि को की जाती है तथा

(ii) फारवर्ड संविदा के आरंभ की तिथि के पश्चात् विनिमय दर पर अथवा अंतिम सूचित तिथि की विनिमय दर को वर्ष के ट्रेडिंग, लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

पक्की वचनबद्धताओं एवं अधिक संभावना वाले पूर्वानुमानित लेन देन से संबंधित फारवर्ड संविदाओं के संबंध में विनिमयातंर के कारण हानि को सूचित अवधि, जिसमें विनिमय दर में परिवर्तन हुआ है, के व्यापारिक लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है। उक्त संविदाओं के नवीकरण अथवा निरस्तीकरण के कारण होने वाले किसी लाभ अथवा हानि की पहचान उस अवधि की आय अथवा व्यय के रूप में की जाती है।

(ड) भारत से बाहर सहायक कंपनी में निवेश को अधिग्रहण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

9. खण्डवार रिपोर्टिंग

प्रमुख खण्ड: प्रबंधतंत्र द्वारा निगम के निष्पादन का आकलन करते हुए तथा निम्नलिखित व्यापार खंडों/उत्पाद खण्डों के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन किया जाता है:–

1. खनिज
2. बहुमूल्य धातुएं
3. धातुएं
4. कृषि उत्पाद
5. कोयला एवं हाइड्रोकार्बन
6. उर्वरक
7. सामान्य व्यापार/अन्य

उपरोक्त व्यापार खंडों की पहचान निगम के संगठनात्मक ढांचे के साथ–साथ इन खंडों के विभिन्न जोखिमों तथा लाभों को ध्यान में रखते हुए एएस–17 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुरूप की जाती है।

गौण खंड:– निगम के ग्राहकों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर गौण खंडों की पहचान की जाती है अर्थात

1. भारत से बाहर
2. भारत के अंदर

10. कर्मचारियों को लाभ

(i) ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण/उपयोग करना, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ तथा एएलटीसी/एलटीसी देयता का प्रावधान इंस्टीट्यूटर आफ चार्टर्ड एकाऊंटेंटस द्वारा जारी ए एस 15(संशोधित) के अनुसार बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ii) भविष्य निधि अंशदान, अक्रुएल आधार पर भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा किए जाते हैं।

(iii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अनुग्रह राशि तथा नोटिस वेतन के भुगतान को प्रदत्त वर्ष के राजस्व में प्रभारित किया गया है।

11. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन

स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष में एक बार किया जाता है और शेष स्टॉक का निर्धारण वर्ष के अंत तक आवश्यक समायोजन के बाद किया जाता है। प्रत्यक्ष सत्यापित स्टॉक को अंतिम शेष के रूप में मान लिया जाता है तथा कमी/अधिकता पर उचित रूप से कार्रवाई की जाती है।

कुछ मामलों में जहॉ स्टॉक हैंडलिंग एजेंट/एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी/प्राइवेट पार्टियों के पास पड़ा है, उन एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र के आधार पर स्टॉक को मान लिया जाता है

12. स्टॉक का मूल्यांकन

मार्गस्थ माल सहित इन्वैंट्रीज का मूल्यांकन 31 मार्च को वसूली योग्य मूल्य अथवा लागत के निम्नतर मूल्य पर किया जाता है। मूल्यांकन की विधि इस प्रकार हैः–

(क) निर्यात

निर्यात स्टॉक का मूल्य–निर्धारण उस स्थान तक जहॉ स्टॉक पड़ा है, किए गए समस्त खर्चों को शामिल करने के बाद किया जाता है। इसी प्रकार वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण बाजार–मूल्य से उन खर्चों को घटाकर किया जाता है, जो खर्च माल को उस स्थान तक पहुँचाने में होगा जिस स्थान पर उसे बेचा जाता है।

खनिज अयस्क

निर्यात अनुबंध के अनुसार अयस्कों का वसूली योग्य मूल्य एफई/एमएन की निम्नतम मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा इसकी तुलना अयस्क के भारित औसत एफई/एमएन मात्रा/भारित औसत नमी मात्रा के भारित औसत मूल्य से की जाती है। लौह अयस्क का भूमिगत स्टॉक इन्वैंट्री में शामिल नहीं है, अतः इसका मूल्यांकन नहीं किया गया।

(ख) आयात

आयातित वस्तुओं के स्टॉक का मूल्य–निर्धारण वार्षिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत की गणना करके किया जाता है सिवाय अलौह धातुओं के जहॉ शेष स्टॉक की भारित औसत लागत की गणना जहॉ माल रखा गया है वहॉ तक किए गए सभी व्ययों को शामिल करके किया जाता है।

तराशे और पॉलिश किए गए पत्थर, सिक्कों तथा ज़ेवरात (परिष्कृत/अर्ध–परिष्कृत) की लागत के मामले में क्षति व अन्य प्रत्यक्ष निर्माण के खर्चे शामिल किए जाते हैं।

पुनः पूर्ति (रिप्लेनिशमेंट) विकल्प के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा बुकिंग के लिए विदेशी आपूर्तिकारों से खरीदे गए स्वर्ण/चॉदी जो वर्ष के अंत में डिलीवर नहीं किए गए हों, उन्हें निगम के स्टॉक में दर्शाया जाता है तथा लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) घरेलू

31 मार्च, को निम्नतर लागत अथवा वसूली योग्य मूल्य पर पैकिंग सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है।

घ) ऋण पर/फैब्रिकेशन के लिए दिया गया स्टॉक

फैब्रिकेटर्स को दिए गए स्टॉक को समायोजित किए जाने तक उसे कंपनी का स्टॉक माना जाता है।

13. पूर्व अवधि समायोजन

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–5 (अवधि के लिए शुद्ध लाभ व हानि, पूर्व अवधि मद तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन) के प्रावधानों के अनुसार " पूर्व अवधि समायोजन खाता" के अंतर्गत पूर्व वर्ष संबंधी व्यय/आय दर्शाए जाते हैं।

14. ऋण लागत

(i) व्यापार के सामान्य व्यवहार में किसी अवधि में किए गए व्ययों को उस अवधि के ऋण लागत व्यय के रूप में जाना जाता है।

(ii) ऋण लागत को अधिग्रहण, मान्य परिसंपत्तियों के निर्माण पर लगाई गई लागत, इनके प्रयोग हेतु तैयार होने की तिथि तक उक्त परिसपंत्तियों की लागत के भाग के रूप में की जाती है। अन्य सभी ऋण लागतों की

15. आस्थगित कर किए गए व्यय के रूप में की जाती है।

आस्थगित कर को युक्ति–युक्त समय अंतराल, कर योग्य आय तथा लेखा आय जो कि एक अवधि में उत्पन्न हुई हो तथा जिनकों एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में रिवर्सल किया जा सके, के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। आस्थगित कर का निर्धारण परिसंपत्तियॉं और देयताओं को तुलन–पत्र की तिथि से लागू होने वाले कर की दरों और कर–कानूनों के आधार पर किया जाता है।

16. परिसंपत्तियों की क्षति

जब परिसंपत्तियों के रख–रखाव (कैरिंग) की लागत इसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है तथा इस क्षति की हानि को जिस वर्ष इसके क्षतिग्रस्त होने की पहचान होती है उस वर्ष के लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो पूर्व लेखा अवधियों में पहचानी गई क्षति की हानि को प्रतिवर्तित(रिवर्स) कर दिया जाता है।

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियॉं

(I) **प्रावधान**

(क) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान वहां रखा जाता है जहां अपनी देय राशि की किसी भी अवधि के लिए वसूली अनिश्चित हो। विगत तीन वर्षों की बकाया के लिए (सरकारी देय राशि को छोड़कर) पूर्ण प्रावधान किया जाता है, जब तक कि यह राशि वसूली योग्य मानी जाती है। वसूली लगभग अनिश्चित स्थापित होने पर ऋण/अग्रिम/दावे राईट–ऑफ किए जाते हैं।

(ख) अन्य :

प्रावधान तब मान्य है जब

(i) कोई पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर कोई वर्तमान बाध्यता हो ।

(ii) बाध्यताओं के निपटान में संसाधनों का संभावित आउटफलो होने की उम्मीद हो तथा बाध्यता की राशि का ठोस आकलन किया जा सकता हो।

किसी एक प्रावधान के समायोजन के लिए आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति की पहचान संविदा प्रावधान के अनुसार की जाती है अथवा जब यह वास्तव में सुनिश्चित हो जाए कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जायेगी, उस स्थिति में की जाती है।

(II) **आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक परिसंपत्तियां :**

(i) आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है परन्तु इन्हें लेखों की टिप्पणियों में दर्शाया जाता हैं।

(ii) आकस्मिक परिसंपत्तिंयों की पहचान न तो वित्तीय विवरणों में दी जाती हैं और न ही इन्हें दर्शाया जाता है।

18. परियोजना कार्यान्वयन/निर्माण अवधि के दौरान व्ययों की स्थिति

निर्माण के दौरान व्ययों को पूर्व–प्रचालन व्ययों में शामिल किया जाता है तथा निर्माण/प्रस्थापन पूरा हो जाने पर संबंधित स्थायी परिसंपत्तियों में दिखाया जाता है।

19. परिचालन पट्टे

परिसंपत्तियों के पट्टों में जहां पर स्वामित्व के दायित्व और लाभ के महत्वपूर्ण हिस्से को पट्टाकर्त्ता अपने पास रखता है उसका वर्गीकरण परिचालन पट्टों के रूप में किया जाता है। परिचालन पट्टों (पट्टाकर्त्ता से प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निवल) के अंतर्गत किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान आय विवरणिका में स्ट्रेट लाइन आधार पर लिया जाता है।

आकस्मिक किरायों की पहचान जिस समय पट्टा समाप्त होता है उसी वित्तीय वर्ष की आय विवरणिका में व्यय के रूप में की जाती है।

जब परिचालन पट्टे को, पट्टे की अवधि समाप्ति से पहले ही निरस्त किया जाता है तो दण्ड स्वरूप पट्टाकर्ता को जो भुगतान करना अपेक्षित होता है, उसे जिस समय पट्टा समाप्त होता है उसे उसी वित्तीय वर्ष के व्यय में दर्शाया जाता है।

20. समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण एमएमटीसी लिमिटेड, इसकी सहायक कम्पनी तथा संयुक्त उद्यमों में कंपनी की हिस्सेदारी को संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रविष्टियों के रूप में लिया जाता है।

(क) इंस्ट्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 21 'समेकित वित्तीय विवरणिका' के अनुरूप इंट्रा ग्रुप शेष तथा लेन देन के

कारण वसूल न किये गये लाभ व हानि को छोड़ कर मूल कम्पनी तथा उसकी सहायक कंपनी की समान परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय जैसी एक समान मदों के मूल्य को एक साथ जोड़ कर वित्तीय विवरणों के समरूप समेकित किया गया है।

(ख) नान–इंटिग्रल विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण को परिवर्तित कर निगमीकृत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती हैः–

(i) नान–इंटिग्रल विदेशी सहायक कंपनी की वित्तीय एवं गैर–वित्तीय दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस आफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11, में परिभाषित क्लोजिंग रेट पर परिवर्तित किया जाता है।

(ii) नान–इंटिग्रल विदेशी सहायक कंपनी के आय एवं व्यय की मदों को औसतन विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है तथा

(iii) निवल निवेश का निपटान हो जाने तक परिणामी विनिमय अंतरों को विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व में संचित किया जाता है।

(ग) एसोसिएट्स, जहां कंपनी की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायक कंपनी में 20 % से अधिक की इक्विटी है, के मामले में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी ''एकाउंटिंग फॉर इन्वेंसमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटिड फाइनेंसिएल स्टेटमेंट्स'' के स्टैंडर्ड (एएस) 23 में उल्लिखित एकाउंटिंग के ''इक्विटी मैथड'' का प्रयोग किया गया है।

(घ) उपलब्ध सूचना के आधार पर परिवर्तन को एसोसिएट्स के लाभ व हानि खाते तथा रिजर्व शेष से उस सीमा तक इसके लाभ व हानि लेखे को समाविष्ट करती है जितना कि एसोसिएट्स का अंश कंपनी में निहित हो जिसे आपसी लेन देन के अनुसार वसूल न किये गये लाभ व हानियों को निकाल कर एसोसिएट्स की निवल परिसंपत्तियों तथा बाद में किये गये अधिग्रहण में परिवर्तन के अंश को कंपनी के लेखों में दर्शाया गया है।

(ड) एसोसिएट्स में शेयर प्राप्त करने के समय, एसोसिएट्स में निवेश की लागत और शुद्ध परिसंपत्तियों के शेयर के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में अच्छी साख (गुडविल) या पूंजी रिजर्व, जैसा भी मामला हो, माना जाता है।

(च) समेकित वित्तीय विवरण में संयुक्त उद्यम कंपनियों में कंपनी की हिस्सेदारी सम्मिलित है जिसे लेखांकन व रिपोर्ट करने की समानुपातिक समेकित विधि का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है जिससे संयुक्त रूप से नियंत्रित अस्तित्व में प्रत्येक परिसंपत्तियों,देयताओं, आय तथा व्यय के कंपनी के भाग को समेकित वित्तीय विवरण में एक अलग तरह की मद के रूप में किया गया है।

(छ) जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरण, एक जैसे लेन–देन और समान परिस्थितियों में अन्य विषयों के लिए एक समान लेखा नीतियों का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं और उसी प्रकार प्रस्तुत किए जाते हैं जैसा कि कंपनियों के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए हों।

कृते एन के भार्गव एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ. आर. न. 000429एन

(एन के भार्गव)
भागीदार
एम न. 080624

(मनोहर बलवानी)
महाप्रबंधक एवं
कम्पनी सचिव

(एम जी गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक
(वित्त व लेखा)– प्रभारी

(सुनीर खुराना)
निदेशक

(विजयलक्ष्मी जोशी)
अध्यक्ष व प्रबंध
निदेशक

दिनांक : 18 अगस्त 2011
स्थान : नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

समेकित वित्तीय विवरण

31.3.2011 को तुलन पत्र

(रुपये मिलियन में)

निधियों के स्त्रोत	अनु. संख्या	31.3.2011 को		31.3.2010 को	
शेयरधारकों की निधियाँ					
शेयर पूंजी	1	1000.00		500.00	
रिजर्व एवं अधिशेष	2	14665.95	15665.95	15191.21	15691.21
अल्पसंख्यक हित				-	-
ऋण निधियाँ	3				
सुरक्षित		51430.26		46161.67	
असुरक्षित		10838.24	62268.50	6241.42	52403.09
योग :			77934.45		68094.30
निधियों का अनुप्रयोग					
समेकन पर गुडविल			15.28		17.69
स्थायी परिसंपत्तियाँ	4				
सकल ब्लॉक		2277.03		2256.55	
घटाए : मूल्यह्रास		977.88		851.87	
निवल ब्लॉक		1299.15		1404.68	
प्रगति पर पूंजीगत कार्य		1371.19		923.74	
घटाएः प्रगति पर पूंजीगत कार्य में ह्रास		30.88		27.69	
		1340.31	2639.46	896.05	2300.73
निवेश	5		3205.70		4404.20
आस्थगित कर परिसंपत्तियां			335.20		224.83
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम					
स्टॉक इन ट्रेड	6	6561.69		21366.26	
विविध देनदार	7	25915.30		15060.72	
नगद एवं बैंक शेष	8	68466.76		61779.48	
ऋण एवं अग्रिम	9	23463.85		16611.95	
		124407.60		114818.41	
घटाएं:					
चालू देयताएं व प्रावधान					
वर्तमान देयताएं	10	48658.48		49741.53	
प्रावधान	11	4010.36		3930.07	
		52668.84		53671.60	
शुद्व वर्तमान परिसंपत्तियां			71738.76		61146.81
विविध खर्चे (बट्टे खाते में नहीं डाले गये या समायोजित नहीं किये गये)	11ए		0.05		0.04
योग :			77934.45		68094.30

लेखों तथा आकस्मिक देयताओं पर टिप्पणियाँ **20**

अनुसूची 1 से 20 और लेखा नीतियाँ लेखों का अभिन्न अंग हैं।

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन के भार्गव एंड कं.,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन न.000429एन

(एन के भार्गव)
भागीदार
एम सं. 80624

(मनोहर बलवानी)
महाप्रबंधक व कंपनी सचिव

(एम जी गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त व लेखा) इन्चार्ज

दिनांक : 18 अगस्त, 2011
स्थान : नई दिल्ली

(सुनीर खुराना)
निदेशक

(विजयलक्ष्मी जोशी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(रुपये मिलियन में)

	अनु. संख्या	वर्ष 2010–11 के लिए		वर्ष 2009–10 के लिए	
आय					
बिक्री		**694110.27**		454594.74	
अन्य व्यापार अर्जन		**2020.01**	**696130.28**	1547.79	456142.53
घटाएं :					
बिक्री लागत	**12**	**688241.22**		449005.73	
निर्माण व्यय	**13**	**4341.46**		3694.62	
संसाधन प्रभार		**0.03**	**692582.71**	-	452700.35
सकल लाभ			**3547.57**		**3442.18**
अन्य आय	**14**	**233.05**		367.68	
प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है		**58.20**		530.59	
ब्याज आय	**15**	**4796.09**	**5087.34**	5788.69	6686.96
			8634.91		10129.14
व्यय					
वेतन व भत्ते	**16**	**1908.91**		1739.89	
प्रशासनिक व्यय	**17**	**646.65**		469.73	
प्रदत्त ब्याज	**18**	**3783.42**		4146.66	
मूल्यह्रास		**133.13**		137.29	
प्रदर्शनियां, मेले व बिक्री वर्धन व्यय		**45.13**		46.34	
बट्टे खाते में डाले गए विविध खर्चे		**0.01**		58.26	
बट्टे खाते में डाले गए ऋण/दावे आदि		**0.91**		3.32	
बट्टे खाते में डाले गए गुडविल		**5.13**		4.59	
सीडब्लयूआईपी मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान		**3.19**		-	
अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**232.57**	**6759.05**	18.97	6625.05
			1875.86		3504.09
संयुक्त उद्यमों में स्वमित्व की हिस्सेदारी					
अपवादी मदें			**-**		0.93
पूर्व अवधि मदें	**19**		**(22.00)**		1.31
कर पूर्व लाभ			**1853.86**		**3504.47**
कराधान के लिए प्रावधान					
चालू कर		**783.27**		1109.16	
आस्थगित कर (परिसंपत्तिया)		**(108.82)**		76.56	
पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन		**55.25**		6.59	
संयुक्त उद्यमों में स्वमित्व की हिस्सेदारी		**1.54**	**731.24**	2.77	1195.08
कर पश्चात् लाभ			**1122.62**		**2309.39**
एसोशिएट्स से ब्याज व					
लाभ का अंश					
एसोशिएट्स से लाभ का अंश			**(861.89)**		188.83
घटाएं : बट्टेखाते डाली गयी गुडविल(एसोशिएट्स)			**0.03**		0.03
वर्ष के लिए निवल लाभ			**260.70**		**2498.19**
पूर्व वर्षों से अग्रेनीत अधिशेष			**8899.52**		7003.55
उपयोग हेतु उपलब्ध राशि			**9160.22**		**9501.74**
प्रस्तावित लाभांश			**250.00**		308.01
लाभांश वितरण कर			**40.55**		74.74
सामान्य रिजर्व में अंतरण			**129.90**		219.47
तुलन पत्र में आगे लाया गया शेष			**8739.77**		**8899.52**
प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक का एक रूपया प्रति इक्विटी शेयर (बेसिक एवं डायल्यूटेड)			**0.26**		**2.50**
लेखों व आकस्मिक देयताओं के लिए टिप्पणियां	20				

अनुसूची 1 से 20 तथा लेखा नीतियाँ लेखों का अभिन्न अंग हैं।

127.10 मिलियन रू0 (गत वर्ष 74.04 मिलियन रू0) की कुल आय में संयुक्त उद्यमों में स्वमित्व की हिस्सेदारी शामिल है

222.99 मिलियन रू0 (गत वर्ष 95.13 मिलियन रू0) के कुल व्यय मेंसंयुक्त उद्यमों में स्वमित्व की हिस्सेदारी शामिल है

सम तिथि को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन के भार्गव एंड कं.,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन न.000429एन

(एन के भार्गव)
भागीदार
एम सं. 80624

(मनोहर बलवानी)
महाप्रबंधक व कंपनी सचिव

(एम जी गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त व लेखा) इन्चार्ज

दिनांक : 18 अगस्त, 2011
स्थान : नई दिल्ली

(सुनीर खुराना)
निदेशक

(विजयलक्ष्मी जोशी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

समेकित वित्तीय विवरण

संलग्न अनुसूचियॉं 1 से 20 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का अंग हैं

अनुसूची 1. शेयर पूंजी

(रुपये मिलियन में)

	31.3.2011 को	31.3.2010 को
प्राधिकृत 1000,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 1 रुपये का (पिछले वर्ष 100,000,000) इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये का	**1000.00**	**1000.00**
निर्गमित अभिदत्त एवं प्रदत्त 1000,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 1 रुपये का पूर्णतः प्रदत्त (गत वर्ष 50,000,000) इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये का पूर्णतः प्रदत्त उपरोक्त में से 970,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 1 रुपये का (गत वर्ष 47,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये का) रिजर्व का पूंजीकरण करके पूर्णतः प्रदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित किए गए	**1000.00**	500.00
योग	**1000.00**	**500.00**

अनुसूची 2. रिजर्व एवं अधिशेष

	पूंजी रिजर्व	सामान्य रिजर्व	विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व	लाभ व हानि लेखा से आगे लाया गया शेष	योग
1 अप्रैल, 2010 को	**96.79**	**6429.58**	**(234.68)**	**8899.52**	**15191.21**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	129.90	4.59	(44.94)	**89.55**
वर्ष के दौरान कटौती	0.00	500.00	-	-	**500.00**
	96.79	6059.48	(230.09)	8854.58	**14780.76**
संयुक्त उद्यमों में स्वमित्व की हिस्सेदारी	-	-	-	(114.81)	**(114.81)**
योग	**96.79**	**6059.48**	**(230.09)**	**8739.77**	**14665.95**

समेकित वित्तीय विवरण

संलग्न अनुसूचियॉ 1 से 20 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का अंग हैं

अनुसूची 3. ऋण निधियॉं

(रुपये मिलियन में)

	31.3.2011 को		31.3.2010 को	
I. सुरक्षित				
(स्टॉक की हाईपोथिकेशन के तहत बुक ऋण तथा वर्तमान व भविष्य की अन्य चालू परिसंपत्तियां)				
बैंकों से				
(कैश/क्रेडिट/पैकिंग क्रेडिट एकाउंटस/अन्य)				
(एक वर्ष के भीतर वापसी योग्य)				
(1) स्टेट बैंक आफ इंडिया	**27388.49**		15841.25	
(2) केनरा बैंक	**-**		145.03	
(3) एचडीएफसी बैंक	**3748.42**		1302.70	
(4) बैंक आफ इंडिया	**0.00**		-	
(5) बैंक आफ बड़ौदा	**-**		286.85	
(6) इंडियन बैंक	**2972.38**		4370.62	
(7) बैंक आफ महाराष्ट्र	**2702.03**		2784.42	
(8) स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	**3968.68**		8262.70	
(9) यूनियन बैंक आफ इंडिया	**2000.00**		3698.78	
(10) एक्सिस बैंक	**752.83**		2508.81	
(11) ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	**98.06**		-	
(12) धनलक्ष्मी बैंक	**-**		250.00	
(13) आईडीबीआई बैंक	**2128.96**		4389.00	
(14) आईसीआईसीआई बैंक	**89.07**		-	
(15) आईएनजी वैश्य बैंक	**164.84**		-	
(16) यस बैंक	**1221.90**		366.71	
(17) इंडस इंड बैंक	**2734.23**		1954.80	
(18) तामिलनाडू मर्सेंटाइल बैंक	**50.03**		-	
(19) ए एन जैड बैंक	**445.70**		-	
(20) एचएसबीसी बैंक	**108.00**	**50573.62**	-	46161.67
II. असुरक्षित				
बैंकों से				
(एक वर्ष के भीतर देय)				
(1) बी एन पी परिवास बैंक	**464.60**		2031.85	
(2) डच बैंक	**1000.00**		1551.09	
(3) बैंक आफ टोक्यो	**5250.36**		228.96	
(4) डी बी एस	**1882.06**		1692.46	
(5) ए एन जैड बैंक	**2217.04**		-	
(6) एचडीएफसी बैंक	**0.69**	**10814.75**	-	5504.36
		61388.37		**51666.03**
संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की हिस्सेदारी		**880.13**		737.06
योग		**62268.50**		**52403.09**

समेकित वित्तीय विवरण

संलग्न अनुसूचियॉं 1 से 20 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का अंग हैं

अनुसूची 4. स्थायी परिसंपत्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक			
	1.4.10 को	जमा खरीद/अंतरण	घटा बिक्री/अंतरण	31.3.11 को
कार्यालय भवन				
फ्रीहोल्ड भूमि	3.66			**3.66**
पट्टे पर भूमि	40.14			**40.14**
भवन	174.70	6.45		**181.15**
गोदाम	34.11			**34.11**
जल आपूर्ति एवं निकासी	5.48			**5.48**
विद्युत इंस्टालेशंस	15.06	0.03		**15.09**
आडियो/अग्नि/वातानुकूलन	9.86			**9.86**
सड़कें व पुलियां	2.63			**2.63**
स्टॉफ क्वार्टर्स				
फ्रीहोल्ड भूमि	1.33			**1.33**
पट्टे पर भूमि	2.67			**2.67**
भवन/रिहायशी फलैट्स	65.66			**65.66**
सड़कें व पुलियां	0.95			**0.95**
जल आपूर्ति एवं मल निकासी तथा नालियॉं	3.96			**3.96**
विद्युत इंस्टालेशंस	3.39	0.01		**3.40**
प्लांट एवं मशीनरी	786.06			**786.06**
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	74.05	2.43	2.04	**74.44**
कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर	171.93	5.92	0.69	**177.16**
एयर कंडीशनर्स, पंखे				
टाइपराईटर्स व अन्य मशीनें	68.23	3.04	1.27	**70.00**
वाहन	24.90	2.69	3.42	**24.17**
रेलवे वैगन रेक (डब्ल्यूआईएस)	553.64			**553.64**
भूमि पर बनाई गई स्थाई परिसंपत्तियॉं और ये स्थाई परिसंपत्तियां और भूमि कंपनी की नहीं हैं				
बन्नीहट्टी में रेलवे लूप लाइन	26.17			**26.17**
	2068.58	20.57	7.42	**2081.73**
संयुक्त उद्यमों में स्वमित्व की हिस्सेदारी	187.97	7.33		**195.30**
योग	2256.55	27.90	7.42	**2277.03**
पूंजीगत कार्य प्रगति पर				
निर्माणाधीन भवन	8.88	0.71	2.88	**6.71**
सड़कें व पुलियां	0.47			**0.47**
विद्युत इंस्टालेशंस	6.70			**6.70**
प्लांट व मशीनरी	13.80			**13.80**
एमएमटीसी रिटेल वेबसाइट				
फर्नीचर व फिक्सचर कार्य				
गोल्ड मेडालियन यूनिट	5.00	0.14		**5.14**
	34.85	0.85	2.88	**32.82**
संयुक्त उद्यमों में स्वमित्व की हिस्सेदारी	888.89	449.48		**1338.37**
योग	923.74	450.33	2.88	**1371.19**
सकल योग	**3180.29**	**478.23**	**10.30**	**3648.22**
योग 2009–10	2080.11	55.98	32.66	**2103.43**
संयुक्त उद्यमों में स्वमित्व की हिस्सेदारी	305.92	772.17	1.23	**1076.86**
सकल योग 2009–10	**2386.03**	**828.15**	**33.89**	**3180.29**

(क) कुछ कार्यालयों से कार्यालय की निर्माणधीन भूमि/भवन/फ्लैट्स/पुलियों, सिवरेज व ड्रेनेज की लागत के लंबित बिलों के कारण लीज अंतिम बिल की प्राप्ति या निर्माण/डीड का निष्पादन होने तक इन्हें अस्थायी आधार पर आंका गया है।

(ख) दिल्ली में स्टॉफ क्वार्टर्स के लिए पट्टा धारित भूमि, सडकें और पुलियां, सिवरेज, ड्रेनेज तथा जल आपूर्ति में वह सभी शामिल हैं जो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एसटीसी) के साथ संयुक्त रूप से लिया गया है।

(ग) आवासीय/फ्लैटों में 0.002 मिलियन रु. (गत वर्ष 0.002 मिलियन रु.) के कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के 41 शेयर (गत वर्ष 41 शेयर) शामिल हैं। कुछ फ्लैटों में जिनका मौलिक मूल्य 31.03.2011 को 4.89 मिलियन रु. (गत वर्ष 4.89 मिलियन रु.) है, का हस्तांतरण लंबित हैं।

(रुपये मिलियन में)

मूल्यह्रास के लिए प्रावधान				शुद्ध ब्लॉक	
1.4.10 को	जमा खरीद / अंतरण	घटा बिकी / अंतरण	31.3.11 को	31.3.11 को	31.3.10 को
				3.66	3.66
10.27	0.50		10.77	29.37	29.87
55.86	4.55		60.41	120.74	118.84
13.94	1.36		15.30	18.81	20.17
5.48	0.00	0.00	5.48	0.00	0.00
14.23	0.14	0.00	14.37	0.72	0.83
9.85			9.85	0.01	0.01
1.56	0.07		1.63	1.00	1.07
				1.33	1.33
1.02	0.03		1.05	1.62	1.65
48.00	1.28		49.28	16.38	17.66
0.58	0.02		0.60	0.35	0.37
3.73	0.04		3.77	0.19	0.23
1.88	0.19		2.07	1.33	1.51
169.32	39.05	0.00	208.37	577.69	616.74
66.51	3.71	2.03	68.19	6.25	7.54
150.83	11.47	0.68	161.62	15.54	21.10
53.22	4.77	1.11	56.88	13.12	15.01
15.79	3.51	3.38	15.92	8.25	9.11
200.23	55.36		255.59	298.05	353.41
26.17			26.17	0.00	0.00
848.47	126.05	7.21	967.31	1114.42	1220.11
3.40	7.17		10.57	184.73	184.57
851.87	133.22	7.21	977.88	1299.15	1404.68
6.72			6.72	0.00	2.16
0.47			0.47		
6.70			6.70		
13.80			13.80		
				5.14	5.00
27.69			27.69	5.14	7.16
	3.19		3.19	1335.18	888.89
27.69	3.19		30.88	1340.31	896.05
879.56	**136.41**	**7.21**	**1008.76**	**2639.46**	**2300.73**
758.90	133.91	16.66	876.16	1227.27	
0.02	3.38		3.40	1073.46	
758.92	**137.29**	**16.66**	**879.56**	**2300.73**	

(घ) जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर बने कार्यालय भवन की लागत 2.26 मिलियन रु. (गत वर्ष 2.26 मिलियन रु.) है, और इसके लिए 1.69 मिलियन रु. (गत वर्ष 1.63 मिलियन रु.) का प्रावधान है।

(ङ.) जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर जल आपूर्ति की लागत 0.66 मिलियन रु0 (गत वर्ष 0.66 मिलियन रु0) है।

(च.) पारादीप में पट्टेदार भूमि में बने आवासीय भवन, सड़कें व पुलियां व विद्युत इन्सटालेशन्स की लागत 11.63 मिलियन रू0 संचित मूल्यहरास के 5.42 मिलियन रू. है जिस का पट्टा 20.11.10 को समाप्त हो चुका है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने 15 वर्षों की अवधि के लिए इस को नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान कर दी है । हालांकि सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

समेकित वित्तीय विवरण

संलग्न अनुसूचियॉ 1 से 20 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का अंग हैं

अनुसूची 5.निवेश–दीर्घकालीन (लागत पर)

(रुपये मिलियन में)

	31.03.2011 को		31.03.2010 को	
(क) केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियां				
9 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2013 (पिछले वर्ष 0.03 मिलियन रू.)		**0.03**		0.03
(ख) व्यापारिक निवेश				
I. कंपनियों में शेयर (अनुद्धृत)				
इन्डो फ्रेंच बायोटेक लि. में 10 रु. प्रति इक्विटी शेयर के पूर्णतः प्रदत्त 4,750,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 10 रूपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से 4,750,000 इक्विटी शेयर)	**47.50**		47.50	
घटाएं : निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	**47.50**		47.50	
	0.00		-	
युनाइटिड स्टॉक एक्चेंज लिमिटेड में 10 रु. प्रति इक्विट शेयर की दर से पूर्णतः प्रदत्त 3,000,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रु. प्रति इक्विटी शेयर की दर से 3,000,000 इक्विटी शेयर)	**30.00**	**30.00**	30.00	30.00
II. सहायक कंपनियों में शेयर (अनुद्धृत)				
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में 10 रु. प्रति इक्विटी शेयर की दर से पूर्णतः प्रदत्त 199,000,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रु. प्रति शेयर की दर से 199,000,000 इक्विटी शेयर)	**1990.00**		1990.00	
जोड़ें : पूजीगत रिजर्व	**96.10**		96.10	
जोड़ें : दिनांक तक की व्यापारिक सांझेदारों से प्राप्त आय	**1102.01**		1963.89	
	3188.11		4049.99	
देवोना थर्मल पावर व इन्फ्रासट्रकचर लिमिटेड में 10रू0 प्रति शेयर की दर से पूणतः प्रदत्त 13,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रु. प्रति शेयर की दर से 13,000 इक्विटी शेयर)	**0.13**		0.13	
घटाएं : गुडविल	**0.13**		0.13	
जोड़ें : दिनांक तक की व्यापारिक सांझेदारों से प्राप्त आय	**-**	**3188.11**	-	4049.99
		3218.14		**4080.02**
संयुक्त उद्वमों में स्वामित्व की हिस्सेदारी – अनुदृत		**(12.44)**		324.18
योग		**3205.70**		**4404.20**

समेकित वित्तीय विवरण

संलग्न अनुसूचियॉं 1 से 20 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का अंग हैं

अनुसूची 6 – व्यापार में स्टाक

(रुपये मिलियन में)

	31.03.2011 को		31.03.2010 को	
हैंडलिंग एजेंटों के पास तथा मार्गस्थ माल सहित (यथा प्रबंध तंत्र द्वारा लिया, मूल्यांकित व सत्यापित किया गया)				
(क) कच्चा माल	**63.90**		**41.66**	
(ख) तैयार माल *	**6415.40**		21305.83	
(ग) पैकिंग सामग्री	**0.58**	**6479.88**	0.58	21348.07
		6479.88		**21348.07**
संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की हिस्सेदारी		**81.81**		18.19
योग		**6561.69**		**21366.26**

*ग्राहकों की लियन के तहत शून्य मिलियन रू.
(गत वर्ष 12085.76 मिलियन रू.) के मार्गस्थ स्टॉक सहित

अनुसूची 7 – विविध देनदार

(असुरक्षित)				
(क) छः माह से ऊपर वाले बकाया ऋण				
i. शोध्य समझे जाने वाले	**660.75**		803.11	
ii. संदिग्ध समझे जाने वाले	**752.44**		535.66	
	1413.19		1338.77	
घटाएँ :– संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**752.44**	**660.75**	535.66	803.11
(ख) अन्य ऋण – शोध्य समझे जाने वाले		**25241.68**		14247.90
		25902.43		**15051.01**
संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की हिस्सेदारी		**12.87**		9.71
योग		**25915.30**		**15060.72**

संलग्न अनुसूचियाँ 1 से 20 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का अंग हैं

अनुसूची 8. नगद व बैंक शेष

(रुपये मिलियन में)

	31.03.2011 को		31.03.2010 को	
क) नगद, स्टैम्प और चैक जो पास हैं (मार्गस्थ भी शामिल हैं)		**3.29**		551.36
ख) भारत में बैंक शेष				
1. अनुसूचित बैंकों में				
i. चालू खाते में	**3017.12**		2372.01	
ii. नकद जमा खाते में (डेबिट शेष)	**12.43**		442.34	
iii. चालू खाते में विदेशी मुद्रा में यूएस डालर 0.01 मिलियन (गत वर्ष 0.01 मिलियन यूएस डालर)	**0.27**		0.27	
iv. सावधि जमा खाता (दिल्ली नगर पालिका के पास प्रतिभूति के रूप में जमा भी शामिल है)	**0.27**		0.27	
v. बैंकों में सावधि जमा *	**64448.64**	**67478.73**	57441.45	60256.34
ग) विदेशों में				
अनुसूचित बैंकों में				
i चालू खाते में	**37.22**		44.87	
ii सावधि जमा	**766.63**	**803.85**	803.55	848.42
		68285.87		**61656.12**
संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की हिस्सेदारी		**180.89**		123.36
योग		**68466.76**		**61779.48**

* एलसी के विरुद्ध मार्जिन राशि के रूप में बैंकर्स लिएन में 11489.08 मिलियन रुपये (गत वर्ष 22253.85 मिलियन रु.) के सावधि जमा शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरण

संलग्न अनुसूचियॉ 1 से 20 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का भाग हैं

अनुसूची 9. ऋण एवं अग्रिम

(रुपये मिलियन में)

	31.03.2011 को		31.03.2010 को	
(यदि अन्यथा उल्लेख नहीं है तो असुरक्षित को शोध्य माना गया है)				
(क) प्राप्य बिल	**200.04**		310.17	
घटाएं – डिस्काउंट किए गए बिल	**34.91**	**165.13**	-	310.17
(ख) लंवित इक्विटी आवंटन के तहत अग्रिम :				
हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग (प्रा.) लिमिटेड	**118.40**		160.00	
इंटिग्रेटिड वेयर हाउसिंग कांडला प्रोजेक्टस डवलपमेंट प्रा0 लि0	**13.89**		30.98	
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड **	**1806.85**	**1939.14**	-	190.98
(ग) नकद या वस्तु के रूप में या उसके मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम:				
i) शोध्य समझे जाने वाले जो कंपनी के लिए पूर्णतः सुरक्षित हैं (संपत्तियों के गिरवी / अधिकार पत्र को बंधक रखने तथा बैंक गारंटियों के एवज में सुरक्षित)	**13047.35**		9883.32	
ii) शोध्य समझे जाने वाले जिसके लिए कंपनी के पास व्यक्तिगत प्रतिभूति के अतिरिक्त कोई प्रतिभूति नहीं है।	**5182.17**		3282.40	
iii) संदिग्ध समझे जाने वाले	**414.27**		385.57	
	18643.79		13551.29	
घटाएं:– प्रावधान	**414.27**	**18229.52**	385.57	13165.72
घ) आपूर्तिकारों को अग्रिम :				
i) शोध्य समझे जाने वाले जिसके लिए कंपनी पूर्णतः सुरक्षित है (स्टॉक की हाइपोथिकेशन के तहत से सुरक्षित)	**10.60**		106.12	
ii) शोध्य समझे जाने वाले जिसके लिए कंपनी के पास व्यक्तिगत प्रतिभूति के अतिरिक्त कोई प्रतिभूति नहीं है।	**609.68**		464.25	
iii) संदिग्ध समझे जाने वाले	**139.48**		161.88	
	759.76		732.25	
घटाएं:– प्रावधान	**139.48**	**620.28**	161.88	570.37
ड. आयकर (अग्रिम आयकर, टीडीएस, फिंज लाभ कर तथा रिफंड बकाया शामिल)		**2037.23**		1952.36
च. अंतर कारपोरेट ऋण				
शोध्य समझे जाने वाले	**14.80**		20.00	
संदिग्ध समझे जाने वाले	**-**		-	
	14.80		20.00	
घटायें : प्रावधान	**-**	**14.80**	-	20.00
छ. जमा राशियाँ				
(i) कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट, कोर्ट इत्यादि के पास जमा	**212.53**		47.46	
(ii) अन्य जमा	**219.04**		336.30	
कुल जमा राशियां	**431.57**		383.76	
शोध्य समझे जाने वाले	**394.75**		346.94	
संदिग्ध समझे जाने वाले	**36.82**		36.82	
	431.57		383.76	
घटायें : प्रावधान	**36.82**	**394.75**	36.82	346.94
		23400.85		**16556.54**
संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की हिस्सेदारी		**63.00**		55.41
योग		**23463.85**		**16611.95**

(रुपये मिलियन में)

	31.3.2011 को वकाया राशि	वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम प्राप्य राशि	31.3.2010 को वकाया राशि	वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम प्राप्य राशि
इसमें सम्मिलित हैं :				
क) निदेशकों से प्राप्य राशि	**-**	**-**	**-**	**0.02**
ख) अधिकारियों से प्राप्य राशि *	**0.79**	**1.06**	**2.02**	**2.12**

* अधिकारियों से अभिप्राय है मुख्य महाप्रबन्धक तथा कंपनी सचिव।

** 10रू. प्रति इक्विटी शेयर के 90,342,744 इक्विटी शेयरों के संबंध में 10 रू, प्रति शेयर की दर से 903.43 मिलियन रू.(गत वर्ष शून्य मिलियन रू.) शेयर प्रीमियम शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरण

संलग्न अनुसूचियॉं 1 से 20 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का भाग हैं

अनुसूची 10. चालू देयताएं

(रुपये मिलियन में)

	31.3.2011 को		31.3.2010 को	
क) विविध लेनदार				
(i) एमएसएमई के अतिरिक्त	**26444.38**		28806.76	
(ii) एमएस एमई	-	**26444.38**	-	28806.76
ख) देय बिल		**9426.10**		5544.41
ग) ग्राहकों से अग्रिम भुगतान		**7109.93**		10431.78
घ) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु ऋण पर देय नहीं		**113.94**		58.15
ड.) बुक ओवर ड्राफट		**111.01**		76.68
च. अन्य देयताए		**5202.54**		4598.76
छ. खेप पर प्राप्त स्टॉक	**2158.50**		14299.04	
घटाएं : खेप पर रखा गया माल	**2158.50**	-	14299.04	-
		48407.90		**49516.54**
संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की हिस्सेदारी		**250.58**		224.99
योग :		**48658.48**		**49741.53**

अनुसूची 11. प्रावधान

क) कराधान हेतु प्रावधान		**1895.24**		1908.00
ख) प्रस्तावित लाभांश		**250.00**		450.00
ग) लाभांश वितरण कर		**40.56**		74.74
घ) बोनस/पीआरपी		**200.92**		193.68
ड) गंतव्य भार व विश्लेषण जोखिम		**5.32**		5.27
च) अर्जित अवकाश		**230.87**		209.83
छ) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		**858.81**		707.80
ज) अर्धवेतन छुट्टी		**154.00**		147.97
झ) एलटीसी/एएलटीसी		**-**		35.94
ञ) फ्रिन्ज लाभ कर		**26.54**		26.54
ट) ग्रेच्युटी		**27.18**		9.57
ठ) अधिवर्षिता लाभ		**220.57**		160.00
ड) सेवा अवार्ड		**53.53**		-
ढ) अनुकंपा ग्रेच्युटि		**2.88**		-
ण) कर्मचारी परिवार लाभ योजना		**41.90**		-
त) कारपोरेट सामाजिक दायित्व		**0.97**		-
		4009.29		**3929.34**
संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की हिस्सेदारी		**1.07**		0.73
योग		**4010.36**		**3930.07**

अनुसूची 11 क. विविध खर्चे

(बट्टे खाते में नहीं डाले गए या समायोजित न किए गए)

आस्थगित राजस्व व्यय	-		58.26	
जमा: वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	-	-	58.26	-
		-		-
संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की हिस्सेदारी		**0.05**		0.04
योग		**0.05**		**0.04**

समेकित वित्तीय विवरण

संलग्न अनुसूचियॉं 1 से 20 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का भाग हैं

अनुसूची 12. बिक्री लागत

(रुपये मिलियन में)

	वर्ष 2010–11 के लिए		वर्ष 2009–10 के लिए	
क) आरंभिक माल तथा मार्गस्थ माल		**21306.35**		5785.11
ख) क्रय	**650889.41**		456154.38	
जमा : वस्तुगत दावे	**51.16**		71.73	
ऋण पर प्राप्त स्टाक	**-**		35.12	
एमएफजी यूनिटों से प्राप्त स्टॉक	**-**	**650940.57**	-	456261.23
ग) माल भाड़ा		**8072.35**		3480.48
घ) डेमरेज (निवल)		**13.89**		25.75
ड.) क्लियरिंग, हैंडलिंग डिस्काउंट व अन्य प्रभार (निवल)*		**6335.64**		2499.21
च) अन्य बिक्री एजेंटों की कमीशन		**5.65**		1.89
छ) एल/सी नेगोसिएशन तथा अन्य प्रभार		**26.36**		84.04
ज) विनिमय में अंतर		**(228.54)**		(241.80)
झ) सीमा शुल्क		**12088.14**		5832.02
ञ) बीमा		**19.15**		12.35
ट) गोदाम बीमा		**11.50**		6.61
ठ) प्लॉट तथा गोदाम किराया(निवल)		**54.24**		66.71
ढ) गंतव्य भार एवं विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान		**5.32**		8.72
ण. फारवर्ड संविदा पर प्रीमियन		**191.82**		152.63
		698842.44		473974.95
घटाएं : अंतिम स्टॉक तथा मार्गस्थ माल	**6479.30**		21305.83	
वस्तु के रूप में जारी किया गया माल	**4.88**		3.35	
ऋण पर दिया गया माल	**-**		24.10	
एमजीएफ को अंतरण	**4202.74**		3676.04	
वापस किया गया सटॉक	**-**	**10686.92**	-	25009.32
		688155.52		**448965.63**
संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की हिस्सेदारी		**85.70**		40.10
योग :		**688241.22**		**449005.73**

* टारगेट प्लस स्कीम के तहत आयात हेतु शून्य मिलियन रू.(गत वर्ष 134.46 मिलियन रू.) जुर्माने के शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण

संलग्न अनुसूचियॉं 1 से 20 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का भाग हैं

अनुसूची 13. विनिर्माण खर्चे

(रुपए मिलियन में)

	वर्ष 2010–11 के लिए		वर्ष 2009–10 के लिए	
(i) उपभोगित कच्चा माल				
आरम्भिक स्टॉक तथा मार्गस्थ माल	**41.66**		-	
सीओजीएस से स्टॉक का अंतरण	**4202.74**		3676.03	
जोड़ें : क्रय	**-**		-	
जोड़ें : प्रोसेसिंग प्रभार	**80.22**		47.79	
	4324.62		3723.82	
घटाएँ : अंतिम स्टॉक तथा मार्गस्थ माल	**-**		41.66	
घटाएँ : अंतरण	**-**	**4324.62**	-	3682.16
(ii) प्रोसेसिंग तथा अन्य प्रभार		**-**		-
(iii) उपभोगित पैकिंग सामग्री				
आरम्भिक स्टॉक तथा मार्गस्थ माल	**0.58**		0.57	
जोड़ें : क्रय	**16.84**		12.47	
	17.42		13.04	
घटाएँ : अंतिम स्टॉक तथा मार्गस्थ माल	**0.58**	**16.84**	0.58	12.46
		4341.46		**3694.62**
संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की हिस्सेदारी		**-**		-
योग :		**4341.46**		**3694.62**

अनुसूची 14 : अन्य आय

क) स्टॉफ क्वार्टर्स किराया		**4.33**		4.51
ख) परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		**0.79**		0.52
ग) विविध प्राप्तियॉं (निष्पादन गारंटी/बोली बांड की जब्ती सहित)		**125.00**		130.76
घ.) पुरांकन की गई देयताएँ		**94.18**		142.58
ड.) विनिमय पर लाभ		**3.31**		82.15
		227.61		360.52
संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की हिस्सेदारी		**5.44**		7.16
योग :		**233.05**		**367.68**

समेकित वित्तीय विवरण

संलग्न अनुसूचियॉं 1 से 20 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का भाग हैं

अनुसूची 15. अर्जित ब्याज

(रुपए मिलियन में)

	वर्ष 2010–11 के लिए		वर्ष 2009–10 के लिए	
क) बैंक {टीडीएस 4.16 मि.रु.(गत वर्ष 1.04 मि.रु.) भी शामिल हैं}		**2532.13**		4027.43
ख) सरकार (टीडीएस शून्य मि. रु.–(पिछले वर्ष शून्य मि. रुपये) भी शामिल हैं)		**0.00**		-
ग) अन्य {टीडीएस 0.24 मि.रु. – (गत वर्ष 0.75 मि.रु.) भी शामिल हैं}		**2254.93**		1754.61
		4787.06		**5782.04**
संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की हिस्सेदारी		**9.03**		6.65
योग :		**4796.09**		**5788.69**

अनुसूची 16. वेतन एवं भत्ते

निदेशक				
वेतन व भत्ते *	**18.25**		11.49	
आवासीय किराया अंशदान	**-**		0.11	
भविष्य निधि अंशदान	**1.04**		1.38	
ग्रेच्युटी	**0.26**		0.31	
चिकित्सा खर्चे	**0.58**		0.27	
अधिवर्षिता लाभ	**0.63**		-	
क्लब चंदा	**0.18**		0.11	
कार्य निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राषि/पीआरपी	**5.17**	**26.11**	8.86	22.53
अन्य				
वेतन और भत्ते **	**1139.85**		1124.75	
विदेश सेवा अंशदान (निवल)	**0.27**		0.26	
आवासीय किराया अंशदान	**4.97**		4.78	
भविष्य निधि अंशदान	**76.87**		99.94	
अधिवर्षिता लाभ	**59.94**		110.00	
परिवार पेंशन अंशदान	**11.53**		12.01	
ग्रुप बीमा	**0.61**		0.57	
स्टाफ कल्याण खर्चे	**108.48**		30.89	
बोनस, पीएलआई/पीआरपी आदि	**89.00**		129.78	
डीएलआईएस में अंशदान	**1.03**		0.79	
ग्रेच्युटी	**58.00**		38.26	
चिकित्सा खर्चे	**307.90**	**1858.45**	150.11	1702.14
		1884.56		**1724.67**
संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की हिस्सेदारी		**24.35**		15.22
योग :		**1908.91**		**1739.89**

*अर्जित अवकाश तथा वीमारी छुटटी नगदीकरण प्रावधान हेतु 0.80 मिलियन रुपये (गत वर्ष 2.74 मिलियन रुपये) शामिल है।
** स्वैच्छिक सेवा निवृति व्यय के तहत 2.20 मिलियन रू.(गत वर्ष 38.72 मिलियन रू.) तथा अर्जित अवकाश तथा वीमारी छुटटी नगदीकरण प्रावधान हेतु 87.34 मिलियन रुपये (गत वर्ष 128.54 मिलियन रुपये) शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण

संलग्न अनुसूचियॉ 1 से 20 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का भाग हैं

अनुसूची 17. प्रशासनिक व्यय

(रुपये मिलियन में)

	वर्ष 2010–11 के लिए		वर्ष 2009–10 के लिए	
किराया (निवल)		47.35		25.71
दरें व कर (निवल)		14.01		12.95
विद्युत व जल प्रभार		20.32		19.50
बीमा		1.08		3.08
विज्ञापन व प्रचार		35.38		18.64
प्रिंटिंग व लेखन सामग्री		7.24		7.21
डाक व तार व्यय		2.43		1.94
टेलीफोन		19.05		19.40
दूरसंचार		10.84		10.40
यात्रा (निवल) {निदेशकों द्वारा व्यय किये गये 7.61 मिलियन रु. – (पिछले वर्ष 5.50 मिलियन रु.) भी शामिल हैं}		43.55		37.00
वाहन व्यय		17.23		17.71
मनोरंजन		9.91		13.26
{निदेशकों द्वारा व्यय किये गये 1.54 मिलियन रु. (पिछले वर्ष 1.81 मिलियन रु.)शामिल हैं}				
विधिक व्यय		20.24		17.88
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक *		6.90		6.45
बैंक प्रभार		23.70		8.59
पुस्तकें एवं पत्रा पत्रिकाएँ		1.47		2.84
व्यापार व्यय		24.73		13.53
कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी खर्चे **		43.25		1.36
मरम्मत एवं रखरखाव {भवन पर 38.57 मिलियन रु (पिछले वर्ष 35.61 मिलियन रु) और प्लांट व मशीनरी पर 1.35 मिलियन रु (पिछले वर्ष 1.40 मिलियन रु) शामिल हैं}		61.34		55.28
कंप्यूटर व्यय		0.74		0.99
अंशदान		5.21		3.91
प्रशिक्षण, सेमिनार एवं सम्मेलन {निदेशकों पर शून्य मि. रु.(पिछले वर्ष शून्य मि.रु.) शामिल हैं}		5.69		5.76
परिसंपत्तियों की विकी पर हानि		0.09		1.37
विविध खर्चे		63.15		57.09
प्रोफेशनल फीस/परामर्श शुल्क		34.42		13.28
एमईएसएनई लाभ		37.12		66.25
		556.44		441.38
संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की हिस्सेदारी		90.21		28.35
योग:		646.65		469.73

* इनमें लेखा परीक्षा शुल्क 3.31मिलियन रु.(पिछले वर्ष 3.07 मिलियन रु.) कर लेखा परीक्षा शुल्क 0.93 मिलियन रू.(पिछले वर्ष 0.75 मिलियन रु.) प्रमाणीकरण शुल्क 0.45 मलियन रु. (पिछले वर्ष 0.27 मिलियन रु.) तथा अन्य सेवाओं में टीए/डीए/आउट आफ पॉकेट प्रतिपूर्ति इत्यादि 0.39 मिलियन रु.(पिछले वर्ष 0.16 मिलियन रु.) सेवा कर 0.28 मिलियन रु. (पिछले वर्ष 0.24 मिलियन रु.) शामिल हैं।

** डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार उपयोग में न लाये गये बजट के तहत 0.97 मिलियन रु. (पिछले वर्ष शून्य मिलियन रु.) का प्रावधान शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण

संलग्न अनुसूचियाँ 1 से 20 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाते का अंग हैं।

अनुसूची 18. प्रदत्त ब्याज

(रुपये मिलियन में)

		वर्ष 2010–11 के लिए		वर्ष 2009–10 के लिए
क) बैंक		1161.09		1528.13
ख) अन्य		2617.83		2617.51
		3778.92		4145.64
संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की हिस्सेदारी		4.50		1.02
योग :		3783.42		4146.66

अनुसूची 19. पूर्व अवधि मदें

व्यय/खरीद				
विक्रय लागत		(50.30)		1.71
वेतन व भत्ते		0.04		0.01
प्रशासनिक व्यय		2.12		5.06
ब्याज		1.52		0.32
मूल्यह्रास		(0.00)		1.93
अन्य		0.01		0.14
योग :		(46.61)		9.17
आय/बिक्री				
बिक्री		(66.25)		(3.02)
ब्याज		(1.17)		11.38
अन्य प्राप्तियाँ		0.01		0.91
योग :		(67.41)		9.27
संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की हिस्सेदारी		(1.20)		1.21
योग (निवल)		(22.00)		1.31

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के समेकित लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

20. आकस्मिक देयताएं एवं टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएँ

क) कंपनी की तरफ से बैंकों द्वारा जारी 863.79 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 845.80 मिलियन रुपये) की गारंटियॉं अनुबंध के निष्पादन के लिए ग्राहक के पक्ष में 4506.69 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 4380.00 मिलियन रुपए) राशि की कारपोरेट गारंटी दी गई है, जिसके विरूद्ध एसोसिएट आपूर्तिकारों से बैक–अप गारंटियां प्राप्त की गई है।

ख) एनआईएनएल के ऋणों से संबंधित मूल तथा ब्याज राशि की सुनिश्चितता के लिए वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)की ओर से निगम द्वारा दी गई 14409.10 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 14409.10 मिलियन रुपये की कारपोरेट गारंटी।

ग) कंपनी के विरूद्ध 1953.16 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 1961.07 मिलियन रुपये) के दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया।

घ) कंपनी द्वारा खोले गये साख पत्रों में से 13496.41 रुपये (पिछले वर्ष 17756.37 मिलियन रुपये) की राशि बकाया है।

ड.) बैंकों से 34.91 मिलियन रुपये (गत वर्ष शून्य मिलियन रुपये) के बिल डिस्काउंट कराये गये।

च) 839.17 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 851.97 मिलियन रुपये) की विवादित बिक्रीकर मॉंग जिसके लिए 107.49 मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 84.25 मिलियन रुपये) जमा कराये गये और 7.25 मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 2.30 मिलियन रुपये) बैंक गारंटियों द्वारा पूरे किए गए।

छ) सहायक कंपनी एमटीपीएल के 28.22 मिलियन रुपये (गत वर्ष 22.81 मिलियन रुपये) आयकर मांग के तहत विवादग्रस्त है।

ज) व्यापार सेवा सहायता सेवा संबंधी सेवा कर मांग की राशि 425.49 मिलियन रुपये (गत वर्ष 341.50 मिलियन रुपये) कस्टम, उत्पादन शुल्क व सेवा कर विभाग के पास लंबित है।

झ) निष्पादन, मूल दस्तावेजों की प्रस्तुति इत्यादि के लिए कस्टम विभाग को बांड प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें से कुछ अभी भी बकाया हैं। असमाप्त बांडो की राशि 952.76 मिलियन रुपये(गत वर्ष 1118.87 मिलियन रुपये) है।

ञ) एक पार्टी ने एनआईएनएल के कोकिंग कोल की आंशिक मात्रा के न उठाये जाने के संबंध में नोटिस जारी किया है जिसकी सुपुर्दगी वर्ष 2008–09 से संबंधित है और 3511.00 मिलियन रुपए(31.03. 2011 को अंतिम विनिमय दर जो 44.60 अमेरिकी डालर में 78.72 मिलियन अमेरिकी डालर है) (गत वर्ष 3535.00 मिलियन रुपए) का 30 सितंबर, 2009 से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का दावा किया है, व जिसका खंडन किया गया है क्योंकि यह मान्य नहीं है। एमएमटीसी ने भी वर्ष 2009–10 के लिए कोकिंग कोल की आपूर्ति न किये जाने हेतु प्रति दावा करते हुए पार्टी को नोटिस दिया है। यह मामला सरकार के स्तर पर उठाया गया है क्योंकि आपूर्तिकार, अन्य पीएसयू को भी कोकिंग कोल की आपूर्ति करने वाले मुख्य आपूर्तिकारों में से एक है तथा आपूर्ति की शर्तें व मूल्य सरकार तथा पीएसयू के वरिष्ठ स्तर के नामितियों की सशक्त संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

ट) एक क्षेत्रीय कार्यालय में लेखा परीक्षकों ने 644.32 मिलियन (पिछले वर्ष 1947.58 मिलियन रुपये) की सीएसटी ट्रांजिट बिक्री के तहत देयता निकाली है जिसके लिए उनके मतानुसार सीएसटी की देयता 12.89 (पिछले वर्ष 38.95 मिलियन रुपए) मिलियन रुपए तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों व पिछले अनुभव के आधार पर कंपनी का मत है कि इस खाते में कोई देयता की संभावना नहीं है। तदनुसार इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। यद्यपि मूल्य निर्धारण पूरा होने के पश्चात् लेखों में इसे ठीक कर लिया जाएगा।

ठ) निर्धारण उपरांत बिक्री कर मांग, कुछ कार्मिकों के विवादित दावे, हैडलिंग एजेंटों/संविदाकारों द्वारा भविष्य निधि की कटौती न करने, विवादित किराया राशि व ब्याज/दंडात्मक/विधिक लागत इत्यादि की अतिरिक्त देयता, यदि कोई हो तो जिसे

आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्शाया गया हो जो निर्धारण योग्य हो, पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड) इनमें से कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गयी राशि भारत सरकार के खाते में किये गये वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

ढ) संयुक्त उद्वयमों का आकस्मिक देयताओं का अंश उनके अंकेक्षित लेखा विवरणों पर आधारित है जिसकी राशि 122.69 मिलियन रुपये (गत वर्ष 53. 22 मिलियन रुपये है)।

ण) व्यापारिक साझेदारों की आकस्मिक देयताओं का अंश उनके अंकेक्षित लेखा विवरणों पर आधारित है जो कि 2306.36 मिलियन रुपये (गत वर्ष 1435.20 मिलियन रुपये) है।

2. क) पूंजीगत खाते पर पूरी न की गई संविदा की अनुमानित राशि शून्य मिलियन रुपये (गत वर्ष 0.36 मिलियन रुपये) जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

ख. पूंजीगत खाते पर पूरी न की गई संविदा की अनुमानित राशि का अंश 174.00 मिलियन रुपये(गत वर्ष 416.37 मिलियन रुपये) है जिसके लिए उनके अंकेक्षित लेखा विवरणों के आधार पर संयुक्त उद्वयमों में प्रावधान नहीं किया गया है।

ग. पूंजीगत खाते पर पूरी न की गई संविदा की अनुमानित राशि का अंश 2512.22 मिलियन रुपये(गत वर्ष 2764.40 मिलियन रुपये) है जिसके लिए उनके अंकेक्षित लेखा विवरणों के आधार पर व्यापारिक साझेदारों में प्रावधान नहीं किया गया है।

3. दिनांक 31.3.2011 को खेप आधार पर निगम के पास निम्नलिखित स्टॉक थे जिन्हें इन्वेंट्री में शामिल नहीं किया गया:–

(₹ मिलियन में)

मदें	31-3-2011		31-3-2010	
	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य
स्वर्ण	8450	17422.33	8086	13629.48
स्वर्णाभूषण		2.31		6.63
चांदी	76561	4160.34	26178	662.93
		21584.98		14299.04

4. ऋण व अग्रिम और विविध लेनदारों में 5695 कि.ग्रा. (पिछले वर्ष 5117 कि.ग्रा.) सोना व 1992 कि.ग्रा. चांदी जिसका अप्रयोगमूलक मूल्य 11846.15 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 8253.95 मिलियन रुपये) शामिल है जो विदेशी आपूर्तिकारों का है और कम्पनी के एसोसिएट्स ग्राहकों को ऋण आधार पर जारी किया गया है।

5. कंपनी ने प्राधिकृत डीलरों से बकाया जीआर–1 फार्मों के संबंध में देय तिथि के बाद वसूली के लिए समय बढ़ाने के लिए/छोड़ने के लिए/बट्टे खाते में डालने के लिये आवेदन किया है। इनका फैसला होने तक देयता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने 19.53 मिलियन रुपये (गत वर्ष 19.53 मिलियन रुपये) का दण्ड लगाया है जिसका प्रतिवाद किया जा रहा है। इसके बावत 1.60 मिलियन रुपये (विगत वर्ष शून्य मिलियन रुपये) की राशि जमा करवाई गई है तथा 7.30 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 7.30 मिलियन रुपये) की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई है।

6. स्वर्ण तथा चांदी के आयात के लिए एक नामित एजेंसी होने के कारण निगम ने यूसेंस एल/सी के अधीन सोने का आयात किया है या क्रेता के क्रेडिट का उपयोग किया है। बिक्री मूल्य के रूप में प्राप्त राशि को बैंक के पास मार्जिन राशि के रूप में सावधि जमा के अंतर्गत रखा जाता है। इस पर अर्जित ब्याज यूसेंस एल/सी या क्रेता के क्रेडिट का निश्चित तिथि से पूर्व ग्राहकों से प्राप्त अदायगी एक व्यापारिक नीति के अनुसार ग्राहकों को देय होता है।

7. ऋण तथा अग्रिम के लंबित पड़े मामले के संबंध में उच्च न्यायालय में जमा किए गए 157.37 मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 157.37 मिलियन रुपये) शामिल हैं। मूल राशि के लिए आवश्यक प्रावधान पहले ही कर दिए गए हैं तथा ब्याज यदि कोई होगा तो, उस के लिए 22. 50 मिलियन रुपये (विगत वर्ष 22.50 मिलियन रुपये) का प्रावधान न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद किया जाएगा।

8. ऋण व अग्रिम में 2037.23 मिलियन रुपये (गत वर्ष 1952.33 मिलियन रुपये) के आयकर में विभिन्न निर्धारण वर्षो के लिए आयकर विभाग की 309.83 मिलियन रुपये (गत वर्ष 303.52 मिलियन रुपये) की विवादित मांग के प्रति आयकर विभाग को भुगतान किए गए 309.83

मिलियन रुपये (गत वर्ष 342.65 मिलियन रुपये) की राशि तथा वित्त वर्ष 2009–10 व 2010–11 की आयकर के लिए अग्रिम कर की राशि शामिल है। अतिरिक्त मांग यदि कोई होगी तो उसका प्रावधान अपीलीय कार्यवाही पूरी होने पर कर दिया जाएगा।

9. निगम द्वारा लागू किया गया ई आर पी 'रामको पैकेज' काफी हद तक संतुलित हो गया है। सिस्टम आडिट हो गया है तथा उनकी जांच प्रबंधन के विचाराधीन है। बाद में सिस्टम आडिट द्वारा प्रसंस्करण व सिस्टम में यदि किसी समायोजन की आवश्यकता पड़ती है तो उसे कुछ समय में निगमित कर लिया जाएगा।

10. अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर करने और लागत से कम पाए जाने पर वर्ष के दौरान 210.87 मिलियन रुपये (विगत वर्ष 18.21 मिलियन रुपये) की हानि हुई।

11. मिंट चांदी लेन–देन के संबंध में मेसर्स एआईपीएल के विरूद्ध 284.53 मिलियन रुपये (गत वर्ष 284.53 मिलियन रुपये) की राशि बकाया है जिसके लिए 284.53 मिलियन रुपए (गत वर्ष 284.53 मिलियन रुपए) की राशि का पूर्ण प्रावधान लेखों में किया गया है जिसका समायोजन, यदि कोई हो, अधिबिक्री प्राप्ति से किया जाना लंबित है। कंपनी ने 314.02 मिलियन रुपए (गत वर्ष 314.02 मिलियन रुपये) की वसूली मामला दायर किया है जिसमें 29.49 मिलियन रुपए (गत वर्ष 29.49 मिलियन रुपये) की अतिशोध्य ब्याज राशि भी शामिल है। मै0 एआईपीएल ने भी 1671.97 मिलियन रुपए(गत वर्ष 1671.97 मिलियन रुपये) के नुकसान का सरकारी मिंट/एमएमटीसी के विरूद्ध मामला दायर किया है जो विधिक मत के अनुसार मान्य नही है और कार्यवाही की जा रही है।

12. वर्ष के दौरान निगम ने भारत सरकार के निर्देशानुसार दालों का आयात किया है। सरकार ने 15 प्रतिशत तक की हानि की प्रतिपूर्ति करने तथा 1.2 प्रतिशत की दर से व्यापारिक लाभ की अनुमति प्रदान की है जो कि कंपनी द्वारा किए गए 132.36 मिलियन रुपये (गत वर्ष 311.77 मिलियन रुपए के आयात है जिन्हें सरकार से प्राप्ति योग्य दावों के रूप में लाभ व हानि खाते में केडिट किया गया है तथापि, विकय होने के पश्चात् सप्लायर द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2011–12 से यह योजना समाप्त कर दी गई है।

13. वर्ष के दौरान बिक्री लागत के अन्तर्गत 228.54 मिलियन रुपये (गत वर्ष 241.80 मिलियन रुपये)की राशि विनिमय अंतरण के रूप में दर्शाई गयी है यह अंतरण विदेशी मुद्रा में किये गये आयात कय/निर्यात विक्रयों के संबंध में रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान के लिए लदान पत्र के दिनांक को लागू नोशनल विनिमय दर को अपनाने के कारण ही हुआ है।

14. एनटीपीसी को आपूर्ति के लिए आयात किये गये कोयले के संबंध में कुछ मामलों में बिक्री अस्थाई तौर पर बुक कर दी गई है क्योंकि गंतव्य स्थान पर अंतिम गुणवत्ता विश्लेषण अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अंतिम बीजक का जारी किया जाना लम्बित है। इसका लाभप्रदत्ता पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि अंतरण यदि कोई अंतिम बीजक के जारी होने का है तो यह आपूर्तिकार के खाते में होगा।

15. सरणीकृत यूरिया की बिक्री उर्वरक विभाग(डीओएफ) भारत सरकार को डीओएफ द्वारा तथा शिपिंग दस्तावेजों के अंतरण द्वारा जारी नियत पत्र के आधार पर की गयी है। यद्यपि, डीओएफ के साथ कोई अलग करार निष्पादित नहीं किया गया है।

16. आयात के लिए समानुपातिक फारवर्ड प्रीमियम की 724.65 मिलियन रुपए (गत वर्ष 226.26 मिलियन रुपए) तथा निर्यात के लिए शून्य मिलियन रुपए (गत वर्ष शून्य मिलियन रुपए) की राशि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक–11 के प्रावधानों के अनुसार अगले लेखांकन वर्ष के लाभ व हानि लेखा में डाला जाएगा।

17. दृढ़वचनबद्धता तथा बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूर्वानुमानित लेन–देन के मामलों में 31 मार्च 2011 को बकाया फारवर्ड विनिमय संविदाओं के संबंध में शून्य मिलियन रुपए (गत वर्ष 0.75 मिलियन रुपए) की हानि को वर्ष के अंत में विनिमय दर में परिवर्तन के आधार पर लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया है।

18 वेतन संशोधन के लिए डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान 60.57 मिलियन रुपये (गत वर्ष 110.00 मिलियन रुपये) सेवा निवृत्ति लाभ की देयता के लिए रखे गये है।

19. आर बी डी पामोलीन ऑयल के आयात हेतु टारगेट

प्लस लाइसेंस उपयोगिता के संबंध में कस्टम ड्यूटी,पेनल्टी इत्यादि की विवादग्रस्त 247.43 मिलियन रुपये (गत वर्ष 247.43 मिलियन रुपये) की मांग के तहत 247.43 मिलियन रुपये(गत वर्ष 247.43 मिलियन रुपये) का प्रावधान लेखों में किया गया है। ब्याज खाते में देयता यदि कोई हो तो मामले के अंतिम निर्णय होने पर कर दी जाएगी।

20. एक व्यापारिक सांझेदार के विरुद्ध क्षतिग्रस्त आयातित पोलिस्टर के संबंध में 20.62 मिलियन रुपये (गत वर्ष 20. 62 मिलियन रुपये) के लिए एक दावा लंबित है जिसके लिए ईएमडी तथा अन्य 3.61 मिलियन रुपये(गत वर्ष 3. 61 मिलियन रुपय) की देय राशि को खाते में लेने के पश्चात 17.01 मिलियन रुपये (गत वर्ष 15.54 मिलियन रुपये) का प्रावधान किया गया है। निगम ने कस्टम से इसके परित्याग के लिए अनुरोध किया है जो कि निर्णय के लिए लंबित है।

21. लेखां मानक –15 (संशोधित) के अनुसार कंपनी द्वारा कर्मचारियों को निम्नानुसार लाभ प्रदान किये गये हैः–

(i) अवकाश नगदीकरण : नौकरी उपरांत पात्र कर्मचारियों को उनके अर्जित अवकाश व अर्धवेतन अवकाश का नकदीकरण देय है। संचित अर्जित अवकाश का नगदीकरण न्यूनतम 15 दिन का अर्जित अवकाश छोड़कर वर्ष में दो बार करवा सकते है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) : सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर या ओपीडी उपचार सुविधा उपलब्ध है।

(iii) ग्रेच्युटी : ग्रेच्युटी समस्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/सेवा छोड़ने पर सेवाकाल के वर्षों की संख्या के आधार पर प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अदायगी कंपनी द्वारा की जाती है जिसकी व्यवस्था एक अलग ट्रस्ट द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है। माइका प्रभाग के कार्मिकों के संबंध में इस योजना की व्यवस्था प्रत्यक्ष रुप से कंपनी द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है।

(iv) दीर्घ सेवा लाभः कार्मिकों को देय दीर्घ सेवा लाभ निम्नानुसार हैं :–

(क) अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर कार्मिकों को देय सेवा के प्रत्येक समाप्त वर्ष हेतु 2500/– रुपये राशि का सेवा अवार्ड।

(ख) सेवाकाल में मृत्यु पर, कार्मिक के आश्रितों को एकमुश्तमे देय 50,000/– रुपए राशि की सहानुभूतिशील ग्रेच्युटी।

(ग) कर्मचारी परिवार लाभ योजना के अंतर्गत भुगतान, अधिवर्षिता की सैद्धान्तिक तिथि तक, कर्मचारी के आश्रितों को देय हो जिसकी मृत्यु सेवा में होती है। 20 वर्षों से कम सेवा करने पर अधिकतम 12,000/– रुपए के अधीन, आखिरी मूल वेतन व डीए के 40 प्रतिशत की दर पर मासिक लाभ है तथा सेवाकाल में मृत्यु के समय 20 वर्षों से भी अधिक सेवा करने पर, अधिकतम 12,000 /– रुपए के अधीन, आखिरी मूल वेतन व डीए के 50 प्रतिशत की दर पर मासिक लाभ हैं।

''कर्मचारी लाभ'' संबंधी लेखा मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार परिभाषित लाभ बाध्यताओं के अंतर्गत वांछित अन्य प्रकटन इस प्रकार हैं :–

(क) परिभाषित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य का समाधान :

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित छुट्टी नकदी–करण	बीमारी छुट्टी नकदी–करण	सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा लाभ	दीर्घ सेवा लाभ
(I)	परियोजित लाभ बाध्यताओं का दिनांक 1.4.2010 को वर्तमान मूल्य	627.64	209.27	147.97	707.80	
(ii)	ब्याज लागत	50.09	16.74	11.84	56.62	
(iii)	वर्तमान सेवा लागत	18.55	10.24	6.43	9.85	
(iv)	प्रदत्त लाभ	82.27	36.07	5.84	75.12	
(v)	बीमांककीय (लाभ/हानि)	43.15	30.69	(6.40)	159.66	*98.31
(vi)	31.3.2011 को बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii-iv+v)	657.16	230.87	154.00	858.81	98.31

* परोपकारी योजना के अंतर्गत उपलब्ध 18.02 मिलियन रुपए की देयता के समायोजन के पश्चात्, 80.30 मिलियन रुपए व्यय (निवल) लाभ व हानि लेखा में प्रभारित कर दिया गया है।

(ख) 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण लेखा में दर्शाये गये व्यय :

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित छुट्टी नकदी–करण	बीमारी छुट्टी नकदी–करण	सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा लाभ	दीर्घ सेवा लाभ
(I)	सेवा लागत	18.55	10.24	6.43	9.85	
(ii)	ब्याज लागत	50.09	16.74	11.84	56.62	
(iii)	योजना परिसपंतियों पर संभावित रिटर्न	56.51				
(iv)	अवधि के दौरान शुद्ध बीमांककीय (लाभ)/हानि	43.15	30.69	(6.40)	159.66	80.30
(v)	लाभ व हानि खातों में लिए गए व्यय (i+ii-iii+iv)	55.28	57.67	11.87	226.14	80.30

(ग) परियोजित परिसंपतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :

(₹ मिलियन में)

	ग्रेच्युटी
1.4.2010 को योजनागत परिसंपतियों का उचित मूल्य	618.47
योजना परिसंपतियों पर वास्तविक रिटर्न	56.51
नियोक्ता द्वारा अंशदान	37.28
प्रदत्त लाभ	82.27
बीमांककीय लाभ/(हानि	
31.3.2011 को योजना परिसंपतियों का उचित मूल्य	629.99

(घ) सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना के तहत लाभों के मूल्यांकन के संबंध में संभावित मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशत प्वाइंट परिवर्तन का प्रभाव : –

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रास्फीति दर में 1 प्रतिशतता वृद्धि	मुद्रास्फीति दर में 1 प्रतिशतता कमी
I)	सेवा लागत व ब्याज लागत के समग्र पर प्रभाव	8.22	(7.06)
ii)	परिभाषित लाभ बाध्यताओं पर प्रभाव	88.53	(76.23)

(ङ) बीमांककीय कल्पनाएं :

क्र. सं.	विवरण	31.03.2011 को
(I)	छूट दर (प्रतिवर्ष)	8.00%
(ii)	भविष्य लागत वृद्धि	5.00%
(iii)	सेवा निवृति आयु	60 वर्ष
(iv)	मृत्यु संख्या विवरण	एलआईसी (1994-96) यथा संशोधित
(v)	निकासी दरें	आयु पर आधारित 1% से 3%

22. लेखा मानक–18 के अंतर्गत संबंधित पार्टियों का प्रकटन (प्रबंधतंत्र द्वारा यथा–निर्धारित एवं प्रमाणित)

संबंधित पार्टियों के नाम एवं संबंध का विवरण :

क) प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक

1. श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 22.07.2011 से प्रभावी)
2. श्री एच एस मान, निदेशक व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार (दिनांक 22.07.2011 तक)
3. श्री संजीव बत्रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 30.09.2010 तक)
4. श्री एस.के.कर, निदेशक (दिनांक 30.06.2010 तक)
5. श्री ए.महापात्र, निदेशक (दिनांक 31.07.2010 तक)
6. श्री सुनीर खुराना ,निदेशक
7. श्री वेद प्रकाश, निदेशक
8. श्री राजीव जयदेव, निदेशक (दिनांक 03.12.2010 से)
9. श्री जे किशन, प्रबंध निदेशक (दिनांक 18.05.2011 तक)
10. श्री वरदन कुलाशेखरन्, निदेशक (दिनांक 18.05.2011 तक)
11. श्री तपस कुमार सेनगुप्ता, प्रबंध निदेशक (दिनांक 18.05.2011 से)
12. श्री विजय कुमार गुप्ता, निदेशक (दिनांक 18.05.2011 से)

ख) सहायक कंपनी
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

ग) एसोसिएट नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड– देवोना थर्मल पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

घ. संयुक्त उद्यम

फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
हल्दिया फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
ग्रेटर नौएडा इंटिग्रेटिड वेयर हाउसिंग प्रा लिमिटेड
इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड
एमएमटीसी पेम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड
एमएमटीसी गीतांजली प्राइवेट लिमिटेड
इंडियन कमोटिडी एक्सचेंज लिमिटेड
सिकल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड
टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड

वर्ष 2010–11 के दौरान लेन–देन का विवरण

(₹ मिलियन में)

विवरण	एसोशिएट्स	संयुक्त उद्यम	प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक	कुल
माल की खरीद	15587.78	29.68		15617.46
माल की बिक्री	12936.59	22.61		12959.20
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री				
प्राप्त लाभांश				
रोकड़ अथवा वस्तु के रूप मे ऋण तथा इक्विटी अंशदान सहित वित्त	1806.85	66.27		1873.12
कारपोरेट गारंटी				
अन्य भुगतान डेमरेज/ डिस्पैच				
अन्य प्राप्तियां डेमरेज/डिस्पैच	17.18			17.18
पारिश्रमिक			34.92	34.92
बकाया शेष				
प्राप्य	20286.39	2.10		20288.49
देय	12977.28			12977.28

23. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की वित्तीय रिपोर्ट लेखा मानक–27 के अनुसार भारत में निगमित सभी संयुक्त उद्यम कंपनियों में स्वामित्व की हिस्सेदारी, परिसंपत्तियां, देयताएं, आय, व्यय, विविध देयताएं व पूंजीगत अर्हताएं निम्नानुसार हैं–

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	कंपनी के स्वामित्व का प्रतिशत	परिसंप–त्तियां	देयताएं	आय	व्यय	विविध देयताएं	पूंजीगत अर्हताएं
1.	फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लि.	26	136.74	136.44	0.05	3.45	-	-
2.	ग्रेटर नौएडा इंटिग्रेटिड वेयर हाउसिंग प्रा. लि.	26	0.01	0.01	-	0.01	-	-
3.	एमएमटीसी–पेंप इंडिया प्रा. लिमिटेड	26	450.79	301.91	13.18	16.12	-	-
4.	सिकल आयरन ओर टर्मिनल लि.	26	973.71	635.77	-	-	-	-
5.	एमएमटीसी गीताजंलि प्रा. लि.	26	96.18	73.12	82.68	82.67	-	-
6	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	26	210.43	49.04	36.29	117.47	-	-
7	टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड	26	0.13	0.06	-	-	-	-

24. लेखा मानक–एएस17 के अनुसार कंपनी ने खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, कृषि उत्पादों, कोयला व हाइड्रोकार्बन, उर्वरकों तथा सामान्य व्यापार/अन्य को अपने प्राथमिक रिपोर्ट योग्य बिजनेस सैगमेंटों के रूप में पहचान की है। सैकेंडरी सैगमेंटों में जिनकी पहचान की गई है भारत के भीतर व बाहर भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। अनुलग्नक क में विस्तार पूर्व विवरण दिया गया है।

25. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा विनिर्दिष्ट 'परिसंपत्तियों की हानि' जैसा कि मानक लेखा (ए एस 28) द्वारा वांछित है कंपनी ने परिसंपत्तियों की हानि का मूल्य निर्धारण किया है। वर्ष के दौरान कोई हानि नहीं हुई है।

26. मानक लेखा – एएस 29 के अनुसार प्रावधानों का समाधान निम्नानुसार है:–

(₹ मिलियन में)

प्रावधानों का विवरण	1.4.10 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.11 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व विश्लेषण जोखिम	5.27	5.27	5.32	5.32
बोनस/पीआरपी	190.55	75.38	85.75	200.92
अधिवर्षिता लाभ	160.00	-	60.57	220.57
कराधान	1885.40	773.40	783.24	1895.24
फ्रिंज लाभों पर कर	26.54	-	-	26.54
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु अनुपयोग बजट	-	-	0.97	0.97
प्रस्तावित लाभांश	450.00	450.00	250.00	250.00
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश विवरण कर	74.74	74.74	40.55	40.55

27. आस्थगित कर

31 मार्च, 2011 को आस्थगित कर देयता में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(रुपये मिलियन में)

विवरण	दिनांक 1.4.2010 को आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	वर्ष 2010–11 के दौरान क्रेडिट/(प्रभार)	दिनांक 31.3.2011 को आस्थगित कर परिसंपत्तियां (देयताएं)
मूल्यहरास	(234.39)	17.81	(216.58)
धारा – 43 बी के अधीन अस्वीकृत राशि	0.05	(0.05)	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	381.21	63.51	444.72
डीडब्ल्यूए जोखिम	1.75	(0.03)	1.72
सेवा निवृत्ति व्यय	24.90	(8.71)	16.19
आयकर विभाग में प्राप्त ब्याज	-	17.88	17.88
अन्य	53.15	18.12	71.27
योग	**226.67**	**108.82**	**335.20**

28.. लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 32 के अनुसार यथावांछित ऋण के रूप में ऋण एवं अग्रिमों का ब्यौरा इस प्रकार है : –

क) अग्रिम के रूप में सहयोगियों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम (ब्याज रहित)

(रुपये मिलियन में)

कर्जदार	दिनांक 31.3.2011 को शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया
नीलाचल इस्पात निगम लि.	0.17 (विगत वर्ष 1.33)	1.46 (विगत वर्ष 1.84)

ख) कर्जदारों द्वारा किये गये निवेश का ब्यौरा : शून्य रुपये (विगत वर्ष शून्य रुपये)

29. प्रति शेयर अर्जन

विवरण	10-11	09-10
कर पश्चात लाभ(मिलियन रुपये में)	260.70	2498.19
इक्विटी शेयरों की कुल संख्या(मिलियन)	1000.00	1000.00*
बेसिक और डाइल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन (रुपये) (अंकित मूल्य 1/– रु. प्रति शेयर)	0.26	2.50*

* 1:1 पर बोनस इश्यू के परिणामस्वरूप तथा वर्ष के दौरान 10/–रुपए प्रति इक्विटी शेयर को 1/–रुपए प्रति शेयर के विभाजन के परिणामस्वरूप, शेयरों की संख्या में बढ़ोतरी समायोजित है।

30. वर्ष के दौरान, लेखा–नीतियों में कंपनी ने कुछ परिवर्तन किया है, जो निम्नुसार है :–

(i) लेखा नीति संख्या 12 के शब्दचयन में परिवर्तन :

(क) प्रारंभिक पैरा में, कंपनी द्वारा पालन किए जा रहे लेखा व्यवहार के अनुसरण में, बैक–टू–बैक लेन–देन के मामले में शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के निर्धारण को स्पष्ट रूप से "बैक–टू–बैक लेन–देन के संबंध में, लागत व लाभ मार्जिन के आधार पर शुद्ध वसूली योग्य मूल्य निर्धारित है" शब्द जोड़े गए हैं।

(ख) ऐसे मामलों में वर्तमान व्यवहार के अनुपालन के अनुसरण में, विशेष पहचान योग्य स्टॉक के संबंध में लागत के निर्धारण को स्पष्ट करने "तथापि, जहां पर स्टॉक विशेष रूप से पहचान योग्य हैं, जहां पर माल पड़ा है वहां तक समस्त व्यय सहित माल का वास्तविक लागत विचार में रखा जाना है" शब्दों में 12 (बी) के प्रथम पैरा में जोड़ा गया है। उपर्युक्त परिवर्तन का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ii) कर्मचारी लाभ संबंधी लेखा नीति संख्या 10:

एएलटीसी/एलटीसी योजना वापिस ली गई है तथा दीर्घ सेवा लाभः जैसे सेवा अवार्ड, सहानुभूतिशील ग्रेच्युटी, बीमांकित मूल्यांकन पर आधारित कर्मचारी परिवार लाभ योजना, शामिल किए गए हैं। इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए लाभ 55.10 मिलियन रुपए घट गया है।

31. समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहायक कंपनियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उदयमों की सूची नीचे दी गई है:–

सहायक कंपनी का नाम	जिस देश में निगमित है	31 मार्च 2011 को स्वामित्व की हिस्सेदारी
एमएमटीसी ट्रांसनेश्नल पीटीई लि.	सिंगापुर	100 प्रतिशत

सहायोगियों के नाम	जिस देश में निगमित है	31 मार्च 2011 को स्वामित्व की हिस्सेदारी
एनआईएनएल इस्पात निगम लिमिटेड	भारत	49.78 प्रतिशत
देवोना पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	भारत	26.00 प्रतिशत

संयुक्त उद्यम का नाम	जिस देश में निगमित है	31 मार्च 2011 को स्वामित्व की हिस्सेदारी
ग्रेटर नौएडा इंटीग्रेटिड वेयर हाउसिंग प्रा. लि.	भारत	26.00%
फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लि.	भारत	26.00%
एमएमटीसी पेम्प इंडिया प्रा. लि.	भारत	26.00%
सीकल आयरन ओर टर्मिनल लि०	भारत	26.00%
एमएमटीसी गीताजंलि प्रा. लि.	भारत	26.00%
एमएमटीसी कमोडिटी एक्सचेंज लि.	भारत	26.00%

32. एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि. की सहायक कंपनी का विवरण नीचे दिया गया है:–

सहायक कंपनी का नाम	जिस देश में निगमित है	31 मार्च 2003 को स्वामित्व की हिस्सेदारी
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल मास्को) पीटीई लि.	रूस	100%

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल (मास्को) पीटीई लि.के वित्तीय विवरणों को शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए गए हैं। निदेशकों का मत है कि सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल करने से कंपनी के शेयरधारकों को कोई व्यावहारिक फर्क नहीं पडेगा, चूंकि समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने पर जो लागत आएगी वह उनकी उपयोगिता से अधिक होगी, जिसका कारण है कि सहायक कंपनी एक निष्क्रिय कंपनी बनी रहेगी।

33. संयुक्त उद्यम व्यापारिक सहयोगी/सहायक कंपनियां विभिन्न परिवेश परिस्थितियों में अपना प्रचालन कार्य निष्पादित करती है। इसलिए इन संयुक्त उद्यमों, व्यापारिक सहयोगियों/सहायक कंपनियों द्वारा उपयोग की जा रही लेखा नीतियां निगम की लेखा नीतियों से भिन्न है। इनका वर्णन इस प्रकार है :

(रुपये मिलियन में)

विवरण	संयुक्त उद्यमों/व्यापारिक सहयोगियों/सहायक कंपनी का नाम	लेखा नीतियां		एमएमटीसी की हिस्सेदारी का अनुपात (सकल राशि)
		एमएमटीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम/सहयोगी/सहायक कंपनी	
एलटीसी/एएलटीसी के लिए प्रावधान	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर	कैश आधार पर	अनिर्धारणनीय
मूल्य ह्रास	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के तहत दिये गये के समान या उससे अधिक	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर	अनिर्धारणनीय
	सिकल आयरन ओर टर्मिनल्स लिमिटेड	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के तहत दिये गये के समान या उससे अधिक	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर	अनिर्धारणनीय
	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के तहत दिये गये के समान या उससे अधिक	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर	अनिर्धारणनीय
	ग्रेटर नोएडा इन्टीग्रेटिड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के तहत दिये गये के समान या उससे अधिक	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर	अनिर्धारणनीय
	एमएमटीसी गीतांजलि प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के तहत दिये गये के समान या उससे अधिक	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर	अनिर्धारणनीय
	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के तहत दिये गये के समान या उससे अधिक	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर	अनिर्धारणनीय
वस्तु सूची मूल्यांकन	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	भारित औस्तन लागत	विशिष्ट पहचान विधि	अनिर्धारणनीय
	एमएमटीसी गीतांजली प्रा. लिमिटेड	भारित औस्तन लागत	एफ आई एफ ओ आधार पर तथा औस्त वेंडर आधार पर	अनिर्धारणनीय
	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	भारित औस्तन लागत	एफ आई एफ ओ आधार पर	अनिर्धारणनीय
विदेशी मुद्रा अंतरण	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	लेन–देन के दिनांक को गैर–आर्थिक मदें विनिमय दर का उपयोग करते हुए दर्शाई जाती हैं ।	वर्ष के दौरान पूजी व राजस्व दोनो लेनदेन निर्धारण के दिनांक को प्रचलित दर पर विदेशी मुद्रा में दर्शाए जाते हैं	अनिर्धारणनीय
	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	स्थाई परिसंमत्तियों से संबंधित देयताओं में विनिमय अंतर लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है	स्थाई परिसंमत्तियों से संबंधित देयताओं में विनिमय अंतर को पूंजी में दर्शाया जाता है ।	अनिर्धारणनीय
वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	भारतीय जीएएपी	सिंगापु वित्तीय किपोर्टिंग मानक	अनिर्धारणनीय
राजस्व पहचान	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	व्याज आय की पहचान प्रोदभूत आधार पर की जाती है ।	व्याज आय की पहचान प्रभावी ब्याज विधि के आधार पर की जाती है।	अनिर्धारणनीय

(रुपये मिलियन में)

विवरण	संयुक्त उद्यमों/व्यापारिक सहयोगियों/सहायक कंपनी का नाम	लेखा नीतियां		एमएमटीसी की हिस्सेदारी का अनुपात (सकल राशि)
		एमएमटीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम/सहयोगी/ सहायक कंपनी	
	सिकल आयरन ओर टर्मिनल्स लिमिटेड	लाभांश आय की पहचान रोकड़ आधार पर की जाती है	लाभांश आय की पहचान समयानुपात. आधार पर की जाती है	अनिर्धारणनीय
व्यापारिक व अन्य प्राप्य	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	भारतीय जीएएपी	प्रभावी व्याज विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत	अनिर्धारणनीय
व्यापार व अन्य देय	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	भारतीय जीएएपी	प्रभावी व्याज विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत	अनिर्धारणनीय
टर्मीनल लाभ	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	परिभाषित लाभ योजना	परिभाषित योगदान योजना	अनिर्धारणनीय
वित्तीय परिसंपत्तियां	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	भारतीय जीएएपी	परिशोधित लागत	अनिर्धारणनीय
उधार	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	भारतीय जीएएपी	प्रभावी व्याज विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत	अनिर्धारणनीय
लाभंश	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	भारतीय जीएएपी	जब भुगतान स्वीकृत हो जाता है तब पहचान की जाती है ।	अनिर्धारणनीय

34. बकाया राशियों की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र जारी किये गये है जिनमें निर्धारित अवधि के भीतर पुष्टि करने या टिप्पणी करने का अनुरोध किया गया है जिसके अभाव में पत्र में दर्शाए गए शेष को पुष्टि कृत माना जाएगा। कुछ मामलों में पुष्टि पत्र प्राप्त हो चुके हैं। यद्यपि किसी पार्टी से विपरीत सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

35. कंपनी कार्य मंत्रालय के दिनांक 8 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या 301 ई) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची के भाग–।। के पैरा 3 (i) (क) 3 (ii) (क) व 3(ii) (ख) के अंतर्गत कुल निष्पादन खरीद, कच्चे माल की खपत, इत्यादि, के कुल मूल्य के 10प्र से कम उस माल हेतु सूचना प्रकटीकरण से कंपनी ने अपवाद उपलब्ध किया है।

36. दिनांक 31.3.2011 को निगम द्वारा किसी छोटे, लघु या मध्यम उपकमों से 45 दिन से अधिक अवधि के लिए लिया गया कोई ऋण बकाया नहीं है।

37. कंपनीज (लेखा मानक) नियमावली 2006 का अनुपालन किया गया है। निगम के बड़ी संख्या में लेन देन हैं तथा साथ ही इसकी विविध गतिविधियॉं हैं जिस कारण से उक्त नियमों का अनुपालन करने में प्रचालनात्मक कठिनाइयां हो सकती हैं। यदि कोई उल्लंघन किया गया है तो उसे निगम की लेखा नीतियों में वर्णित किया गया है।

38. नियुक्ति की संविदा शर्तों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों को प्रतिवर्ष 12000 किमी. तक निजी प्रयोजन हेतु 400/– रुपये प्रति माह के भुगतान पर स्टाफ कार का प्रयोग करने की अनुमति है।

39. जहां तक आवश्यक समझा गया है, पूर्व वर्ष के आंकड़े पुनः समूहित/समेकित किए गए हैं।

40. इस रिपोर्ट में लेखा नीतियां, अनुसूचियां तथा नोट, लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

कृते एन के भार्गव एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर. 00429एन

(एन के भार्गव)
पार्टनर
एम.सं. 080624

(मनोहर बलवानी)
महाप्रबंधक व कंपनी सचिव

(एम.जी.गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(वि.व ले.) प्रभारी

(सुनीर खुराना)
निदेशक

(विजयलक्ष्मी जोशी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांक : 18 अगस्त, 2011
नई दिल्ली

लेखों की टिप्पणियों का अनुलग्नक 'क'
वर्ष 2010–11 के लिए समेकित खंडवार निष्पादन का विवरण

(मुख्य प्रकटन)

(रुपये मिलियन में)

विवरण	व्यापार खंड					
	वहुमूल्य धातुए		धातुए		खनिज व अयस्क	
	31 मार्च 11	31 मार्च 10	31 मार्च 11	31 मार्च 10	31 मार्च 11	31 मार्च 10
राजस्व खंड						
विदेशी बिक्री						
– भारत के भीतर	**506938.84**	321345.18	**9768.95**	14887.34	**2146.16**	1610.96
– भारत के बाहर			**11856.89**	6777.16	**28892.69**	26725.56
योग (क)	**506938.84**	321345.18	**21625.84**	21664.50	**31038.85**	28336.52
अंतर–खण्ड बिक्री						
– भारत के भीतर						
– भारत के बाहर						
योग (ख)						
कुल खण्ड राजस्व (क+ख)	**506938.84**	321345.18	**21625.84**	21664.50	**31038.85**	28336.52
समस्त खण्डों के कुल राजस्व की प्रतिशतता के रूप में प्रत्येक खण्ड का कुल राजस्व	**73.03%**	70.69%	**3.12%**	4.77%	**4.47%**	6.23%
खण्डीय परिणाम						
– भारत के भीतर	**766.48**	651.93	**223.54**	398.90	**60.67**	70.15
– भारत के बाहर			**338.52**	189.11	**1133.34**	1228.03
कुल खण्डीय परिणाम	**766.48**	651.93	**562.06**	588.01	**1194.01**	1298.18
अनिर्धारित आय के निवल का						
अनिर्धारित कारपोरेट व्यय						
प्रचालन लाभ						
ब्याज व्यय						
ब्याज आय						
आय कर						
साधारण कार्यकलापों से लाभ						
असाधारण हानि/लाभ						
निवल लाभ						
अन्य सूचना						
खंड परिसंपत्तियां	**61158.05**	42823.07	**2046.22**	2262.11	**3485.40**	3212.82
अनिर्धारित कारपोरेट परिसंपत्तियां						
कुल परिसंपत्तियां						
खंड देयताएं	**43805.37**	38135.10	**2336.73**	1742.57	**4632.64**	6755.64
अनिर्धारित कारपोरेट देयताएं						
कुल देयताएं						
खंड पूंजीगत व्यय	**0.35**	215.80				536.21
अनिर्धारित पूंजीगत व्यय						
कुल पूंजीगत व्यय						
खंड मूल्यह्रास	**1.19**	2.24			**55.36**	55.57
अनिर्धारित मूल्य ह्रास						
कुल मूल्य ह्रास						
मूल्य ह्रास के अलावा गैर रोकड़ व्यय						

(सैकण्डरी प्रकटन)

विवरण	भौगोलिक खंड	
	भारत के बाहर	
	31 मार्च 11	31 मार्च 10
राजस्व खंड		
वाह्य बिक्री	**61,790.83**	52,263.28
अंतरखण्ड बिक्री	**-**	-
कुल राजस्व	**61,790.83**	52,263.28
खण्ड परिणाम	**1,593.60**	1,597.19
खण्ड परिसंपत्तियां	**4,849.21**	4,028.96
पूंजीगत व्यय	**-**	-

(रुपये मिलियन में)

व्यापार खंड									
हाइड्रोकार्बन		कृषि उत्पाद		उर्वरक		अन्य		कुल	
31 मार्च 11	31 मार्च 10	31 मार्च 11	31 मार्च 10	31 मार्च 11	31 मार्च 10	31 मार्च 11	31 मार्च 10	31 मार्च 11	31 मार्च 10
89907.96	34544.46	**8537.11**	14955.03	**14822.97**	14832.62	**197.45**	155.86	**632319.44**	402331.46
6280.69	6879.35	**10165.83**	1518.20	**4594.73**	10363.02			**61790.83**	52263.28
96188.65	41423.81	**18702.94**	16473.23	**19417.69**	25195.64	**197.45**	155.86	**694110.27**	454594.74
96188.65	41423.81	**18702.94**	16473.23	**19417.69**	25195.64	**197.45**	155.86	**694110.27**	454594.74
13.86%	9.11%	**2.69%**	3.62%	**2.80%**	5.54%	**0.03%**	0.03%	**100.00%**	100.00%
817.72	442.10	**-102.13**	13.47	**92.97**	162.54	**94.72**	105.89	**1953.97**	1844.99
8.80	5.77	**34.01**	5.25	**78.92**	138.14		30.90	**1593.60**	1597.19
826.52	447.87	**-68.12**	18.72	**171.89**	300.68	**94.72**	136.79	**3547.57**	3442.18
								3568.30	1390.94
								-20.73	2051.24
								3783.42	4146.66
								4796.09	5788.69
								731.24	1195.08
								260.70	2498.19
								260.70	2498.19
14409.56	15517.57	**5053.04**	7075.67	**1098.90**	2524.05	**558.31**	695.84	**87809.48**	74111.13
								42793.81	47654.77
								130603.29	121765.90
12547.26	13156.77	**7963.16**	6275.23	**1207.99**	1400.76	**316.92**	900.76	**72810.07**	68366.84
								42127.27	37707.85
								114937.34	106074.69
							32.12	**0.35**	784.13
								475.00	44.02
								475.35	828.15
						36.36	39.35	**92.92**	97.16
								40.22	40.13
								133.13	137.29
								242.81	85.17

भौगोलिक खंड			
भारत के भीतर		योग	
31 मार्च 11	31 मार्च 10	31 मार्च 11	31 मार्च 10
632,319.44	402,331.46	**694,110.27**	454,594.74
-	-	**-**	-
632,319.44	402,331.46	**694,110.27**	454,594.74
1,953.97	1,844.99	**3,547.57**	3,442.18
82,960.27	70,082.17	**87,809.48**	74,111.13
0.35	784.13	**0.35**	784.13

समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

(रुपये मिलियन में)

	2010-11		2009-10	
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
कर पूर्व लाभ		**1,853.86**		3,504.47
के लिए समायोजन :				
मूल्यह्रास	**133.22**		137.29	
बट्टे खाते में डाले गये विभिन्न खर्चे	**0.01**		58.26	
बट्टे खाते में डाली गई गुडविल	**5.16**		4.62	
शुद्ध विदेशी मुद्रा(लाभ)/हानि	**(227.27)**		(323.94)	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**(0.70)**		0.85	
प्राप्त ब्याज	**(4,796.09)**		(5,788.69)	
प्रदत्त ब्याज	**3,783.42**		4,146.66	
सीडब्ल्यूआईपी के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान	**3.19**		-	
संदिग्ध ऋणों /कर्जों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	**232.57**		18.97	
सीएसआर के लिए अप्रयुक्त बजट हेतु प्रावधान	**0.97**		-	
प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं	**(58.20)**		(530.59)	
देयताएं जिनकी अब आवश्यकता नही	**(94.18)**		(142.58)	
आस्थगित राजस्व व्यय	**(0.02)**		-	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	**5.32**	**(1,012.60)**	8.72	(2,410.43)
कार्यरत पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ		**841.26**		1,094.04
समायोजन के लिए :				
व्यापारिक तथा अन्य प्राप्तियॉं	**(16,044.50)**		4,242.84	
परियोजना विकास व्यय	**-**		1.44	
इन्वैंट्री	**14,804.57**		(15,584.45)	
व्यापारिक तथा अन्य देय राशियॉं	**(760.33)**		3,889.30	
प्रावधान	**320.90**		25.19	
		(1,679.36)		(7,425.68)
प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न रोकड		**(838.10)**		(6,331.64)
प्रदत्त कर		**(939.24)**		(787.52)
प्रचालन गतिविधियों से हुआ शुद्ध रोकड़ प्रवाह		**(1,777.34)**		(7,119.16)
ख. निवेश गतिविधियों से हुआ रोकड़ प्रवाह				
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	**(475.35)**		(828.15)	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	**0.91**		1.26	
शेयर खरीदने के लिए अग्रिम	**(1,748.16)**		(90.98)	
निवेशों की बिक्री	**336.62**		-	
निवेशों की खरीद	**-**		(339.39)	
प्राप्त ब्याज	**4,796.09**		5,788.69	
समेकित किए जाने पर गुडविल	**(2.75)**		(19.48)	
निवेश गतिविधियों से हुआ शुद्ध रोकड़ प्रवाह		**2,907.36**		4,511.95
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
बैंक ऋण/अन्य से प्राप्त धनराशि	**9,865.42**		9,132.53	
शेयर आवेदन राशि	**-**		(12.30)	
प्रदत्त ब्याज	**(3,783.42)**		(4,146.66)	
प्रदत्त लाभांश (कर सहित)	**(524.74)**		(233.99)	
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह		**5,557.26**		4,739.58
रोकड़ व रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी)		**6,687.28**		2,132.37
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का आरंभिक शेष	**61,779.48**		59,647.11	
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का अंतिम शेष	**68,466.76**		61,779.48	

टिप्पणी

1. शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर कुछ अर्जित/आस्थगित राशि के लिए समायोजन कारपोरेट कार्यालय में किया गया ।
2. जहॉं भी आवश्यक समझा गया, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित किया गया है।
3. रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में बैंकों के सावधि जमा सम्मिलित है।
4. रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में शामिल हैः–

(रुपये मिलियन में)

	2010-11		2009-10	
क. नकदी स्टैम्पस व चैक	**3.29**		551.36	
ख. भारत में बैक शेष				
चालू खाते में	**3017.12**		2372.01	
कैश क्रेडिट खाते में (डेबिट शेष)	**12.43**		442.34	
विदेशी मुद्रा में चालू खाता में	**0.27**		0.27	
सावधि जमा (लियन के तहत/सिक्युरिटी के रुप में रखे सहित)	**64448.90**		57441.72	
ग. भारत के बाहर बैंक शेष				
चालू खाते में	**37.22**		44.87	
सावधि जमा	**766.63**		803.55	
	68285.86		61656.12	
घ. संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की हिस्सेदारी	**180.90**		123.36	
योग	**68466.76**		61779.48	

कृते एन के भार्गव एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर संख्याः 000429एन

(मनोहर बलवानी)
महाप्रबंधक व कंपनी सचिव

(एम.जी. गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(वि.व ले.)–प्रभारी

(एन के भार्गव)
पार्टनर
एम.सं. 080624

(सुनीर खुराना)
निदेशक

(विजयलक्ष्मी जोशी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांक : 18 अगस्त, 2011
स्थान : नई दिल्ली

लेखा परीक्षक

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने अपने पत्र सं0 सीए.वी/कंपनी/केन्द्र सरकार एमएमटीसी (13)/44 दिनांक 12 जुलाई, 2010 के द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अधीन वित्त वर्ष 2010–11 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति संबंधी सूचना दी है जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

सांविधिक लेखा परीक्षक		**क्षेत्र**
एन के भार्गव एंड कंपनी	–	उप क्षेत्रीय कार्यालयों. सहित क्षेत्रीय कार्यालय. झंडेवालान
नई दिल्ली	–	कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली (विदेश कार्यालयों सहित), माइका प्रभाग के कार्यालय का सभी शाखाओं के लेखों को मिलाकर समेकन

शाखा लेखा परीक्षक

बगरेचा व सिंघवीं बेलारी	–	उप क्षेत्रीय कार्यालयों व वितरण केन्द्रों सहित बेलारी क्षेत्रीय कार्यालय
दास मोहन्ती व एसोसिएटस, कटक	–	उप क्षेत्रीय कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय
सुकेतु त्रिवेदी व कंपनी अहमदाबाद	–	उप क्षेत्रीय कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय
जय प्रभु एंड कंपनी, बंगलोर	–	उप क्षेत्रीय कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित बंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय
यू जी देवी एंड कंपनी, मुम्बई	–	उप क्षेत्रीय कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय
कुलकर्णी व भट गोवा	–	उप क्षेत्रीय कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित गोवा क्षेत्रीय कार्यालय
मित्रा कुंडू एंड बासु कोलकात्ता	–	उप क्षेत्रीय कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित कोलकात्ता क्षेत्रीय कार्यालय
	–	कोलकात्ता, अभ्रक नगर, झुमरीतलैया व गिरिडिह के माइका प्रभाग
सत्यनारायण एंड कंपनी हैदराबाद	–	उप क्षेत्रीय कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय
अमित गोयल एंड कंपनी, जयपुर	–	जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय
बी पुरूषोतम एंड कंपनी, चेन्नई	–	उप क्षेत्रीय कार्यालय व वितरण केद्रों सहित
	–	गुडूर का माइका प्रभाग चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय,
हरी एंड एसोसिएटस, गाजियाबाद	–	उप क्षेत्रीय कार्यालयों सहित दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय
अंबिका एण्ड ईशा, विशाखापटनम	–	उप क्षेत्रीय कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित विशाखापटनम क्षेत्रीय कार्यालय

एमएमटीसी के बैंकर्स

1. स्टेट बैंक आफ इंडिया
2. केनरा बैंक
3. एचडीएफसी बैंक
4. बैंक आफ इंडिया
5. इंडियन बैंक
6. बैंक ऑफ बड़ौदा
7. बैंक आफ महाराष्ट्र
8. यूनियन बैंक आफ इंडिया
9. स्टैन्डर्ड चाटर्ड बैंक
10. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
11. पंजाब नेशनल बैंक
12. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर
13. इंडियन ओवरसीज बैंक
14. विजया बैंक
15. आईडीबीआई बैंक
16. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
17. देना बैंक
18. ड्यूश बैंक
19. इंडसइंड बैंक
20. ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
21. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
22. एक्सिस बैंक
23. आईसीआईसीआई बैंक
24. आई एन जी वैश्य बैंक
25. स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर
26. इलाहाबाद बैंक
27. यूको बैंक
28. डेवलोपमेंट क्रेडिट बैंक
29. करूर वैश्य बैंक
30. बी.एन.पी. परिवास
31. येस बैंक
32. बैंक ऑफ टोकियो
33. डी बी एस

एमएमटीसी कार्यालय

कारपोरेट कार्यालय
स्कोप कांप्लेक्स, कोर–1, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110 003
फोन : 91–11–24662200 **ई–मेल** : mmtc@mmtclimited.com
वेबसाइट : www.mmtclimited.com
क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तरी क्षेत्र

दिल्ली
स्कोप कांप्लेक्स, कोर–1, 7 वॉ तल, इस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110 003
फोन : 011– 24365717 पीबीएक्स 011–24362200, फैक्स – 011–24366724
ई–मेल : head_dro@mmtclimited.com
एसआरओ /एफओ : लुधियाना, फरीदाबाद, देहरादून, मुरादाबाद

झण्डेवालान
झण्डेवालान ज्वैलरी काम्पलेक्स, एफ 8–11, झण्डेवालान फलैटेड फैक्टरी काम्पलेक्स, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली – 110 055
फोन–011–23623950, 23623952, 23670408
फैक्स:– 011–23633175, 23671369
ई–मेल : head_jjc@mmtclimited.com
एसआरओ : नौएडा, आगरा, अम्बाला, कानपुर

जयपुर
अरिहंत टॉवर्स–II सांगानेरी गेट के सामने, टेलीफोन एक्सचेंज, आगरा रोड
जयपुर–302003
फोन:– 0141–2601882, 2601386
फैक्स:– 0141–2618294
ई–मेल : head_jaipur@mmtclimited.com

दक्षिण क्षेत्र

चेन्नई
6 चेन्नई हाउस, एसप्लेनेड, चेन्नई–600108
फोन :– 044–25341942
फैक्स:– 044–25340317
ई–मेल : head_chennai@mmtclimited.com
एसआरओ / एफओ : कोची, तूतीकोरीन,एन्नोर,

बंगलुरू
शिक्षक सदन, भूतल, के.जी. रोड, बगंलुरू– 560002
फोन :– 080–22215927, 22244605,
फैक्स:– 080–22272043
ई–मेल : head_bangalore@mmtclimited.com
एसआरओ : मेंगलोर, गजेन्द्रगद

विज़ाग
एमएमटीसी भवन, पोर्ट एरिया, विशाखापटनम–530035 (आन्ध्र प्रदेश)
फोन:– (पीबीएक्स) 0891–2562356, 2562359
फैक्स :– 0891–2561761, ,2731865
ई–मेल : head_vizag@mmtclimited.com
एसआरओ : काकीनाडा, विजयवाड़ा

हैदराबाद
10–2–1, प्रथम तल, एफडीसी काम्पलेक्स, ए.सी.गार्ड्स, हैदराबाद – 28
फोन :– 040–28394924, 23394919, 23394955
फैक्स :– 040–23394923
ई–मेल: head_hyderabad@mmtclimited.com

बेलारी
मेन रोड, एस एन पेट, बल्लारी – 583103
फोन :– 0839–2272433, 2274277,
पीबीएक्स – 2276567, 2276517
फैक्स :– 0839–2274278
ई–मेल : head_bellary@mmtclimited.com
एसआरओ : तोर्नगलू, बनीहट्टी, हास्पेट,

पूर्वी क्षेत्र

कोलकाता
एनआईसी बिल्डिंग, चतुर्थ एवम् पंचम तल, 8, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता – 700001
फोन :– 033–22101079, 22421252, 22421261
फैक्स :– 033–22424292
ई–मेल : head_kolkata@mmtclimited.com
एसआरओ : हल्दिया, जमशेदपुर, गुवाहाटी

भुवनेश्वर
आलोक भारती काम्पलेक्स, सातवां तल, शहीद नगर, भुवनेश्वर – 751007 (उड़ीसा)
फोन 0674–2546848, 2518517, 2503336, 2544783
फैक्स :– 0674–2546847, 2512832
ई–मेल: head_bhubaneswar@mmtclimited.com
एसआरओ : पारादीप, बड़बिल

पश्चिम क्षेत्र

मुम्बई
एमएमटीसी हाउस, सी–22, ई ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई – 400 051
फोन:– 022 – 26572437, 26594100, 26573193
फैक्स:– 022 –26572541, 26570131, 26573193
ई–मेल : head_mumbai@mmtclimited.com
एसआरओ /एफओ : नागपुर

अहमदाबाद
2, नगीनदास चैम्बर्स, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380014
फोन (पीबीएक्स):– 079–27540643, 27543796,
फैक्स:– 079–27543739
ई–मेल: head_ahmedabad@mmtclimited.com
एसआरओ : कांडला, मोरबी, राजकोट,

गोवा
कुलासो बिल्डिंग, स्वतंत्र पथ, वास्को–द–गामा, गोवा – 403802
फोन(पीबीएक्स):– 0832– 2512411, 2512521
फैक्स:– 0832–2513283, 2517089
ई–मेल : head_goa@mmtclimited.com
एसआरओ : सेंवोर्डम,

प्रोन्नत प्रोजेक्ट

नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, प्रथम मजिल एनैक्सी, ईपीकोल हाउस, जनपथ, भुवनेश्वर–751022
फोन : 0674–2543231
फैक्स : 0674–2541763

विदेश कार्यालय

सिंगापुर
एमएमटीसी ट्रांसनेश्नल पीटीई लिमिटेड, 20, सिसिल स्ट्रीट, 14–03/04, सिंगापुर एक्सचेंज, सिंगापुर– 049705
फोन:– 0065–65385313
पीबीएक्स : 2276567, 2276517
फैक्स:– 0065–64385327
ई–मेल : mtplsing@singnet.com
pkm@mtpl.com

जोहनेसबर्ग
एमएमटीसी लिमिटेड, प्रथम तल, सैंडटोन ऑफिस टावर, सीएनआर रिवोनिया रोड, 5वीं स्ट्रीट, संधूर्स्ट एक्सटेन्शन, 3, सेडटोन, जोहनिसबर्ग, साऊथ अफ्रिका
फोन : 0027723286739
ई–मेल – mathpal@mmtc.com

सांची
सिलवर इन स्टाइल
PURITY 92.5% GUARANTEED
परोसिये खुशियां
शुद्धता जिस पर आप करें विश्वास
सांची सिल्वरवेयर लेकर आया है 92.5% शुद्ध स्टर्लिंग सिल्वर से बने अनूठे डिजाइनों का एक असाधारण कलेक्शन, जो कि गुणवत्ता और उत्कृष्टता का साक्षात् उदाहरण है. आइए और अपने मेहमानों को आनन्दित करिए, कभी भी, कहीं भी.
MMTC ज्वेल्स
FOR YOUR INSTITUTIONAL BULK ORDERS / CORPORATE PURCHASES, PLEASE CONTACT: GM (Precious Metal) PH.: 011-24362200, Extn No.: 1374, MMTC LIMITED, CORE-1, SCOPE COMPLEX, 7 INSTITUTIONAL AREA, LODHI ROAD, NEW DELHI-110003, PH.: 011-24363563
FOR ALL YOUR PURCHASES DURING THE FESTIVE SEASON AND THROUGHOUT THE YEAR, PLEASE VISIT OUR MMTC JEWELS SHOWROOMS AT DELHI : MMTC LIMITED, CORE-1, SCOPE COMPLEX, 7 INSTITUTIONAL AREA, LODHI ROAD, NEW DELHI-110003 PH.: 011-24365805, MMTC LIMITED, F-8-11, JHANDEWALAN FLATTED FACTORIES COMPLEX, RANI JHANSI ROAD, NEW DELHI- 110055 PH.: 011-23513793, IPL SWARNALAYA, INDIAN POTASH LIMITED, POTASH BHAWAN, 10 B, RAJENDRA PARK, PUSA ROAD, NEW DELHI-110060 PH.: 011-25761540, 25732438
एमएमटीसी
लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value
For nearest MMTC showroom / stockists and enquiries call our all India Toll Free No. 1800 1800 000 (9 am to 9 pm)
For exciting display of Sanchi Silverware & Medallions log on to www.mmtcretail.com

For exciting display of Sanchi Silverware & Medallions log on to www.mmtcretail.com

कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली
एमएमटीसी लिमिटेड की ओर से सुनीर खुराना, निदेशक,
द्वारा प्रकाशित कारपोरेट कम्युनिकेशन्स प्रभाग द्वारा निर्मित एवं मुद्रित

Corporate Office, New Delhi
Published by Sunir Khurana, Director, on behalf of MMTC Limited
Produced & Printed by Corporate Communications Division

Designed & Printed by Censer Advt. Pvt. Ltd. (www.censer.in)